



California

सामान्य चुनाव

मंगलवार

नवंबर 6, 2018

चुनाव के दिन मतदान स्थल सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुले हैं!

★ ★ ★ ★ ★ प्रस्तावित कानूनों का पाठ ★ ★ ★ ★ ★



सत्यता का प्रमाण-पत्र

मैं, California राज्य का राज्य सचिव, Alex Padilla, एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यहाँ शामिल उपायों को 6 नवंबर 2018 को पूरे राज्य में आयोजित होने वाले सामान्य चुनाव में California राज्य के निर्वाचकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और यह कि इस मार्गदर्शिका को सही तरीके के कानून के अनुसार तैयार किया गया है। Sacramento, California में मेरे हाथ और राज्य की महान मुहर गवाह, अगस्त 2018 का यह 13वाँ दिन।

Alex Padilla, राज्य सचिव

मतदाता बिल ऑफ राइट्स

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

- ★ **यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार।** आप मतदान देने के योग्य हैं यदि:
- आप California में रहने वाले एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं
 - आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष है
 - आप वर्तमान में जहाँ रहते हैं, वहाँ पंजीकृत हैं
 - आप किसी अपराध के दण्ड के लिए वर्तमान में राज्य या संघीय जेल में या पैरोल पर नहीं हैं
 - आपको वर्तमान में किसी न्यायालय ने मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया है

- ★ **यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो भले ही आपका नाम मतदाता सूची में न हो, फिर भी मतदान करने का अधिकार।** आप एक अस्थायी मतपत्र का उपयोग करके मतदान करेंगे। यदि चुनाव अधिकारी निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के योग्य हैं, तो आपके मतदान की गणना की जाएगी।

- ★ **अगर आप मतदान स्थल के बंद हो जाने के समय कतार में हों, तो मतदान करने का अधिकार।**

- ★ **आपको किसी व्यक्ति द्वारा परेशान किए बिना या आपको मतदान कैसे करना है, यह बताए बिना गुप्त मतदान करने का अधिकार।**

- ★ **यदि आपने अपना मतपत्र नहीं डाला है, तो गलती करने की स्थिति में एक नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार।** आप निम्नलिखित कर सकते हैं:

किसी नए मतपत्र के लिए किसी मतदान स्थल पर चुनाव अधिकारी से पूछें,

किसी चुनाव कार्यालय या अपने मतदान स्थान पर एक नए मतदान के लिए अपना डाक-द्वारा-मत मतपत्र अदला-बदली करें, या एक अस्थायी मतपत्र का उपयोग करके मतदान करें।

- ★ **आपके कार्य-नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के अलावा आपके द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से मतपत्र डालने में सहायता पाने का अधिकार।**

- ★ **California में किसी भी मतदान स्थल पर अपना पूरा भरा हुआ डाक-द्वारा-मत मतपत्र डालने का अधिकार।**

- ★ **अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री पाने का अधिकार, यदि आपके मतदान परिसर में पर्याप्त लोग वह भाषा बोलते हैं।**

- ★ **चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में चुनाव अधिकारियों से सवाल पूछने और चुनाव प्रक्रिया को देखने का अधिकार।** यदि वह व्यक्ति जिससे आप पूछते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, तो उसे आपको जवाब देने के लिए सही व्यक्ति के पास भेजना होगा। यदि आपका व्यवहार अनुचित है, तो वे आपको जवाब देना बंद कर सकते हैं।

- ★ **चुनाव आधिकारी या राज्य सचिव के कार्यालय में किसी भी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि की रिपोर्ट करने का अधिकार।**

🌐 इस वेबसाइट पर www.sos.ca.gov

☎ फोन द्वारा (888) 345-2692 पर

✉ ईमेल द्वारा elections@sos.ca.gov पर

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी अधिकार से वंचित रखा गया है, तो राज्य सचिव की गोपनीय टॉल-फ्री मतदाता हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर कॉल करें।

प्रस्ताव 1

यह 2017-2018 के नियमित सत्र (अध्याय 365, 2017 के अधिनियम) के सीनेट बिल 3 द्वारा प्रस्तावित इस कानून को California के संविधान के अनुच्छेद XVI के प्रावधानों के अनुरूप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता तथा सैन्य एवं सेवानिवृत्त सैनिक संहिता में अतिरिक्त अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 3. भाग 16 (जो अनुभाग 54000 के साथ शुरू हो रहा है) को पढ़ने के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 31 में जोड़ा गया है:

भाग 16. सेवानिवृत्त सैनिक एवं वहनीय आवासीय बांड अधिनियम (VETERANS AND AFFORDABLE HOUSING BOND ACT), 2018

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान

54000. सैन्य एवं सेवानिवृत्त सैनिक संहिता के प्रभाग 4 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 5z (जो अनुभाग 998.600 के साथ शुरू हो रहा है) के साथ, इस भाग को सेवानिवृत्त सैनिक एवं वहनीय आवासीय बांड अधिनियम, 2018 के नाम से जाना जाएगा एवं उद्धृत किया जा सकता है।

54002. इस भाग में उपयोग किए जाने हेतु, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है:

(a) "बोर्ड" का अर्थ विभाग द्वारा प्रशासित कार्यक्रमों के लिए आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग, तथा एजेंसी द्वारा प्रशासित कार्यक्रमों के लिए California आवासीय वित्त एजेंसी है।

(b) "समिति" का अर्थ अनुभाग 53524 के अनुसरण में गठित एवं अनुभागों 53548 एवं 54014 के अनुसरण में अस्तित्व में बनाए रखी गई आवासीय वित्त समिति है।

(c) "निधि" का अर्थ अनुभाग 54006 के अनुसरण में बनाई गई 2018 की वहनीय आवासीय बांड अधिनियम न्यासी निधि है।

54004. यह भाग केवल नवंबर 6, 2018 को होने वाले राज्यव्यापी आम चुनाव में मतदाताओं द्वारा अपनाए जाने पर प्रवर्तनशील होगा।

अध्याय 2. 2018 की वहनीय आवासीय बांड अधिनियम न्यासी निधि एवं कार्यक्रम

54006. 2018 की वहनीय आवासीय बांड अधिनियम न्यासी निधि को इसके द्वारा राज्य के कोष के भीतर बनाया गया है। विधान मंडल का इरादा है कि बांड से प्राप्त धनराशि (अनुभाग 54026 के अनुसरण में जारी किए गए धन-वापसी बांडों को छोड़कर) को निधि में जमा किया जाए और इस अध्याय में वर्णित

आवास-संबंधी कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाए। इस अध्याय में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए इस भाग के अनुसरण में जारी किए गए एवं विक्रय किए गए बांडों से प्राप्त धनराशि को निम्नलिखित तरीके से आबंटित किया जाएगा:

(a) एक बिलियन पांच सौ मिलियन डॉलर (\$1,500,000,000) अनुभाग 50661 के अनुसरण में स्थापित की गई आवासीय पुनर्वास ऋण निधि में जमा किया जाए। इस निधि में जमा की गई राशियों का उपयोग, उस क्षेत्र की औसत आय (AMI) के 60 प्रतिशत तक राजस्वों वाले व्यक्तियों के लिए नव-निर्माण, पुनर्वास और स्थायी एवं किराये पर लिए गए संक्रमणकालीन आवासों के संरक्षण के लिए, भाग 2 के अध्याय 6.7 (जो अनुभाग 50675 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत बहुपरिवारीय आवासीय कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग अनुभाग 54007 के अनुसरण में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।

(b) एक सौ पचास मिलियन डॉलर (\$150,000,000), पारगमन स्टेशनों, जिनसे सार्वजनिक पारगमन सवारता बढ़ेगी, के नजदीकी स्थानों को अत्यधिक उपयोग के लिए विकसित करने या विकसित करने में सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ शहरों, काउंटी, शहरों एवं काउंटी, पारगमन एजेंसियों, एवं डेवलपर्स को स्थानीय सहायता प्रदान करने हेतु भाग 13 (जो अनुभाग 53560 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत पारगमन उन्मुख विकास कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसरण में, विधान मंडल द्वारा विनियोजित किए जाने पर, व्यय के लिए, धारा 53561 के अनुसरण में स्थापित पारगमन उन्मुख विकास कार्यान्वयन निधि में जमा किए जाएं, जिससे सार्वजनिक पारगमन राइडरशिप में वृद्धि होगी। इन निधियों को विभाग के भीतर प्रदान किए जाने वाले ऋणों एवं अनुदानों सहित, इस कार्यक्रम एवं राज्य के प्रोत्साहन कार्यक्रमों के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। 6 नवंबर, 2028 तक इस उपखंड के प्रयोजनों के अंतर्गत न ली गई किसी भी निधि को भाग 2 के अध्याय 6.7 (जो अनुभाग 50675 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत बहुपरिवारीय आवासीय कार्यक्रमों में सामान्य उपयोग हेतु वापस लौटा दिया जाएगा, जब तक कि आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा यह निर्धारित न किया गया हो कि कम मांग होने की वजह से निधियों को और जल्दी वापस किया जाना चाहिए।

(c) तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000) को क्षेत्रीय नियोजन, आवास एवं इन्फ्लि प्रोत्साहन खाते में जमा किया जाए, जो इसके द्वारा निधि के भीतर बनाया गया है। खाते में पड़ा पैसा, ऐसे नव निर्माण एवं बुनियादी ढांचे के पुनर्वास में मदद करने के लिए इन्फ्लि प्रोत्साहन अनुदानों के लिए अनुभाग 53545.13 द्वारा स्थापित इन्फ्लि प्रोत्साहन

अनुदान कार्यक्रम, 2007 के अनुसरण में विधान मंडल द्वारा विनियोजित किए जाने पर उपलब्ध होगा, जो इन्फिल के रूप में नामित स्थानों में उच्च घनत्व वाली सस्ती एवं मिश्रित-आय वाली आवासीय योजना का समर्थन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है:

(1) इन्फिल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पार्क निर्माण, विकास, या पुनर्वास।

(2) इन्फिल विकास से संबद्ध जल, मलजल, या अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित लागत।

(3) इन्फिल विकास परियोजनाओं से संबंधित परिवहन सुधार।

(4) यातायात में कमी।

इन निधियों को इस कार्यक्रम के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। 6 नवंबर, 2028 तक इस उपखंड के प्रयोजनों के अंतर्गत न ली गई किसी भी निधि को भाग 2 के अध्याय 6.7 (जो अनुभाग 50675 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत बहुपरिवारीय आवासीय कार्यक्रमों में सामान्य उपयोग हेतु वापस लौटा दिया जाएगा, जब तक कि आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा यह निर्धारित न किया गया हो कि कम मांग होने की वजह से निधियों को और जल्दी वापस किया जाना चाहिए।

(d) एक सौ पचास मिलियन डॉलर (\$150,000,000) अनुभाग 50697.1 के अनुसरण में स्थापित स्वयं-सहायता आवास निधि में स्थानांतरित किए जाएँ। सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 और अनुभाग 50697.1 के बावजूद, इन निधियों को इसके द्वारा वित्तीय वर्षों पर ध्यान दिए बिना लगातार आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग के लिए विनियोजित किया गया है, जिन निधियों को भाग 3 के अध्याय 6.8 (जो अनुभाग 51341 के साथ शुरू हो रहा है) के अनुसरण में स्थापित घर खरीद सहायता कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ California आवासीय वित्त एजेंसी को हस्तांतरित किया जाएगा।

(e) तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000) को कृषि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आवासों के निर्माण या पुनर्वास के लिए या मौजूदा श्रमिक शिविरों, मोबाइल होम पार्कों या अन्य आवासों के मौजूदा एवं संभावित विस्थापन के प्रभावों पर ध्यान देना और उसका समाधान करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बनाए गए घरों के अधिग्रहण के लिए, स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं, गैर-लाभकारी निगमों, सीमित देयता वाली कंपनियों को निधि अनुदान या ऋण के रूप में वित्तपोषण प्रदान करने के लिए अनुभाग 50517.5 के अनुसरण में स्थापित, Joe Serna, Jr. फार्मवर्कर आवासीय अनुदान निधि में जमा किये जाएंगे। इन निधियों को इस कार्यक्रम के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। इन निधियों का उपयोग अनुभाग 54007 के अनुसरण में तकनीकी सहायता प्रदान

करने के लिए भी किया जा सकता है। 6 नवंबर, 2028 तक इस उपखंड के प्रयोजनों के अंतर्गत न ली गई किसी भी निधि को भाग 2 के अध्याय 6.7 (जो अनुभाग 50675 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत बहुपरिवारीय आवासीय कार्यक्रमों में सामान्य उपयोग हेतु वापस लौटा दिया जाएगा, जब तक कि आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा यह निर्धारित न किया गया हो कि कम मांग होने की वजह से निधियों को और जल्दी वापस किया जाना चाहिए।

(f) तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000) अनुभाग 53545 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के उप-परिच्छेद (F) के अनुसरण में स्थापित सस्ते आवास नवाचार निधि में जमा किए जाएँ। इस निधि में पड़ा हुआ पैसा, उन स्थानीय आवास ट्रस्ट निधियों को, जो सस्ते आवास स्थल विकसित करते हैं, उनके मालिक हैं, उसके लिए ऋण देते हैं, या उसमें निवेश करते हैं तथा सस्ते आवास बनाने तथा संरक्षित करने के लिए अभिनव, लागत-बचत वाले दृष्टिकोण प्रदर्शित करने वाले पायलट कार्यक्रम बनाने हेतु प्रयोग करने के लिए, प्रतिस्पर्धी अनुदान या ऋण प्रदान करने के लिए अनुभाग 50842.2 द्वारा स्थापित स्थानीय आवास ट्रस्ट निधि मिलान प्रतिस्पर्धी अनुदान कार्यक्रम के अनुसरण में, विधान मंडल द्वारा विनियोजित किए जाने पर, उपलब्ध होगा। स्थानीय आवासीय ट्रस्ट निधियाँ, निजी योगदान या सरकारी स्रोतों से सतत आधार पर प्राप्त की जाएँगी, जो अन्यथा आवासीय कार्यक्रमों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं। इन निधियों को इस कार्यक्रम के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। 6 नवंबर, 2028 तक इस उपखंड के प्रयोजनों के अंतर्गत न ली गई किसी भी निधि को भाग 2 के अध्याय 6.7 (जो अनुभाग 50675 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत बहुपरिवारीय आवासीय कार्यक्रमों में सामान्य उपयोग हेतु वापस लौटा दिया जाएगा, जब तक कि आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा यह निर्धारित न किया गया हो कि कम मांग होने की वजह से निधियों को और जल्दी वापस किया जाना चाहिए।

(g) तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000) अनुभाग 50697.1 के अनुसरण में स्थापित स्वयं-सहायता आवास निधि में जमा किए जाएँ। इस निधि में पड़ा हुआ पैसा, स्वयं सहायता बंधक सहायता कार्यक्रमों और निर्मित घरों के लिए, एकल परिवार उप-विभाजनों सहित एकाधिक ग्रह स्वामित्व इकाईयों समेत विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए सीधे, माफी योग्य ऋण प्रदान करने हेतु, भाग 2 के अध्याय 6 (जो अनुभाग 50650 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत CalHome कार्यक्रम के लिए उपलब्ध होगा। इन निधियों को इस कार्यक्रम के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए भी खर्च किया जा सकता है। स्वयं-सहायता आवासीय निधि में जमा राशि में से कम से कम तीस मिलियन डॉलर (\$30,000,000) का उपयोग किसी

मोबाइल होम या निर्मित गृह समुदाय में स्थित मौजूदा मोबाइल होम के पुनर्वास या प्रतिस्थापन, या दोनों में, मदद करने के लिए अनुदान या क्षमा करने योग्य ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग धारा 54007 के अनुसरण में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। 6 नवंबर, 2028 तक इस उपखंड के प्रयोजनों के अंतर्गत न ली गई किसी भी निधि को भाग 2 के अध्याय 6.7 (जो अनुभाग 50675 के साथ शुरू हो रहा है) द्वारा अधिकृत बहुपरिवारिय आवासीय कार्यक्रमों में सामान्य उपयोग हेतु वापस लौटा दिया जाएगा, जब तक कि आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा यह निर्धारित न किया गया हो कि कम मांग की वजह से निधि को शीघ्र वापस किया जाना चाहिए।

54007. (a) (1) इस भाग के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग, इस भाग के अनुसरण में वित्त पोषित निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए लक्ष्यित आबादी के लिए आवास निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए योग्य काउंटी एवं योग्य शहरों को, या योग्य काउंटी और योग्य शहरों में मौजूद सस्ते आवास डेवलपर्स को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है:

(A) बहुपरिवारिय आवासीय कार्यक्रम (भाग 2 का अध्याय 6.7 (जो अनुभाग 50675 के साथ शुरू हो रहा है))।

(B) Joe Serna, Jr. फार्मवर्कर आवासीय अनुदान कार्यक्रम (भाग 2 का अध्याय 3.2 (जो अनुभाग 50515.2 के साथ शुरू हो रहा है))।

(C) CalHome कार्यक्रम (भाग 2 का अध्याय 6 (जो अनुभाग 50650 के साथ शुरू हो रहा है))।

(2) इस अनुभाग के अनुसरण में तकनीकी सहायता उस कार्यक्रम के लिए अनुभाग 54006 के अनुसरण में आबंटित बांड आय का उपयोग करके प्रदान की जाएगी, जिसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(3) आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग, इस अनुभाग के अनुसरण में तकनीकी सहायता के लिए कुल तीन सौ साठ हजार डॉलर (\$360,000) से अधिक राशि प्रदान नहीं करेगा, और किसी भी योग्य काउंटी या योग्य शहर को वार्षिक तकनीकी सहायता के लिए तीस हजार डॉलर (\$30,000) से अधिक नहीं मिलेगा।

(b) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(1) "योग्य शहर" का तात्पर्य एक ऐसे शहर से है, जो 150,000 निवासियों या उससे कम की जनसंख्या वाली एक काउंटी में स्थित है।

(2) "योग्य काउंटी" का तात्पर्य 150,000 या उससे कम निवासियों की जनसंख्या वाली काउंटी से है।

(3) "तकनीकी सहायता" में सस्ती आवासीय परियोजना एवं एक अनुदान प्रस्ताव विकसित करने से संबंधित प्रशासनिक लागतों के वितरण से संबंधित इंजीनियरिंग सहायता एवं पर्यावरणीय समीक्षा शामिल है।

54008. (a) विधान मंडल, समय-समय पर, उन कार्यक्रमों से संबंधित किसी भी कानून में संशोधन कर सकता है, जिनके लिए उन कार्यक्रमों की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार करने या उन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ इस अध्याय के अनुसरण में निधियाँ आबंटित की जाती हैं या की गई हैं।

(b) विधान मंडल उन कार्यक्रमों के बीच इस भाग के अनुसरण में जारी किए गए एवं बेचे गए बांड से प्राप्त धनराशि को पुनः आबंटित करने के लिए इस अध्याय में संशोधन कर सकता है, जिनके लिए निधियों का आबंटन, इस राज्य में किफ़ायती आवासों के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार इस अध्याय के अनुसरण में आबंटित की जानी हैं।

54009. बांड से प्राप्त धनराशि से वित्तपोषित कार्यक्रमों को, वित्तीय सहायता आबंटित करते समय, उन परियोजनाओं पर, जो श्रमिक संहिता के प्रभाग 2 के भाग 7 के अध्याय 1 (जो अनुभाग 1720 के साथ शुरू हो रहा है) के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक कार्य" हैं तथा उन अन्य परियोजनाओं को वरीयता दी जाएगी, जिनमें सभी निर्माण श्रमिकों को औद्योगिक संबंध निदेशक द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की सामान्य प्रचलित दर से भुगतान किया जाएगा।

अध्याय 3. राजकोषीय प्रावधान

54010. अनुभाग 54026 के अनुसरण में जारी किए जाने वाले पुनर्वापसी बांडों को छोड़कर, या उसका जितना हिस्सा समिति द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार आवश्यक हो, तीन बिलियन डॉलर (\$3,000,000,000), की कुल राशि के बांड, इसके द्वारा इस भाग में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति करने तथा सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसरण में सामान्य दायित्व बांड व्यय परिक्रामी निधि की प्रतिपूर्ति करने हेतु जारी किए जाने एवं बेचे जाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत अधिकृत किए गए सभी बांड, जिन्हें यहाँ निर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी किया गया, बेचा गया और वितरित किया गया है, राज्य के वैध एवं बाध्यकारी सामान्य दायित्वों का गठन करेंगे, और राज्य के पूर्ण विश्वास एवं क्रेडिट को इसके द्वारा उन बांडों पर देय मूलधन एवं ब्याज, दोनों के समयबद्ध भुगतान के लिए प्रतिभूत किया जाएगा।

54012. इस भाग द्वारा अधिकृत बांड, सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के उपप्रभागों (a) और (b) तथा बांड पर समय-समय पर प्रवृत्त यथा संशोधित उस कानून के सभी प्रावधानों को छोड़कर, तथा इस भाग के लिए, अनुभाग 54028 में निर्दिष्ट किए गए को छोड़कर, राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग

4 के भाग 3 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 16720 के साथ शुरू हो रहा है) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, और इसके द्वारा इस भाग में लागू किए गए अनुसार, जहाँ तक इस भाग में संपूर्ण रूप से निर्धारित, निष्पादित, जारी, विक्रय, भुगतान एवं रिडीम किए जाएँगे।

54014. (a) राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के अनुसरण में केवल इस भाग द्वारा अधिकृत बांडों को जारी करने और बिक्री को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, यह समिति अस्तित्व में बनी रही। इस भाग के प्रयोजनार्थ, आवासीय वित्त समिति "समिति" है, क्योंकि यह शब्द राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून में प्रयोग किया गया है।

(b) आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग, अपने वित्त पोषण कार्यक्रमों के प्रशासन से संबंधित आवश्यकताओं को स्थापित करने के दिशानिर्देशों को अपना सकता है। ये दिशानिर्देश सामान्य अनुप्रयोग के नियमों, विनियमों, आदेशों, या मानकों का गठन नहीं करेंगे और सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (जो अनुभाग 11340 के साथ शुरू हो रहा है) के अधीन नहीं हैं।

(c) राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के प्रयोजनार्थ, आवासीय एवं सामुदायिक विकास विभाग, विभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित "मंडल" है और California आवासीय वित्त एजेंसी, एजेंसी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए "मंडल" है।

54016. बोर्ड के अनुरोध पर यह बताते हुए कि उक्त निधियां इस भाग के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं, समिति यह निर्धारित करेगी कि क्या बांड जारी किया जाना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं, और, यदि ऐसा है तो जारी किए जाने वाले और बेचे जाने वाले बांडों की राशि भी निर्धारित करेगी। बांडों के उत्तरोत्तर निष्पादन करने के लिए बांड के क्रमिक निर्गम प्राधिकृत किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, और किसी एक समय पर बेचा जाना आवश्यक नहीं है। बांडों पर संघीय आय कर के अधीन ब्याज लगाया जा सकता है।

54018. राज्य के साधारण राजस्व के अतिरिक्त प्रतिवर्ष बांड के मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन राशि, प्रतिवर्ष उसी तरीके से और उसी समय एकत्र की जाएगी, जैसे अन्य राज्य संबंधी राजस्व एकत्र किया जाता है। यह राज्य राजस्वों के संग्रह के संबंध में किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए या ऐसे प्रत्येक एवं हर एक कार्य को करने के लिए, जो अतिरिक्त राशि एकत्र करने के लिए आवश्यक है, कानून द्वारा प्रभारित सभी अधिकारियों का कर्तव्य है।

54020. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस भाग के प्रयोजनार्थ, इसके द्वारा राज्य के कोष में मौजूद सामान्य निधि से एक राशि विनियोजित की जाती है, जो निम्नलिखित दोनों के योग के बराबर की राशि होगी:

(a) इस भाग के अनुसरण में जारी किए गए एवं बेचे गए बांडों के मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक वार्षिक राशि, क्योंकि मूलधन एवं ब्याज शेष एवं देय हो जाते हैं।

(b) वह राशि, जो अनुभाग 54024 का पालन करने के लिए आवश्यक है, वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना विनियोजित की गई है।

54022. मंडल इस भाग के प्रयोजनार्थ, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसरण में इकट्ठे किये गये पैसे का निवेश मंडल से इकट्ठे किये गये पैसे का निवेश खाते से ऋण देने के लिए अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि, इस भाग के प्रयोजनार्थ, अनुभाग 54026 के अनुसरण में अधिकृत किसी भी धन-वापसी बांड को छोड़कर, तथा इस अनुभाग के अनुसरण में ऋण के रूप में दी गई तथा अभी तक ना चुकाई गई किसी भी राशि और अनुभाग 54024 के अनुसरण में सामान्य निधि से निकाली गई और अभी तक सामान्य निधि में वापस न की गई किसी भी राशि को घटाकर, समिति द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से बेचे जाने के लिए अधिकृत किए गए किसी भी न बेचे गये बांड की राशि से अधिक नहीं होगी। मंडल ऋण प्राप्त करने तथा उसका पुनर्भुगतान करने के लिए इकट्ठे किये गये पैसे का निवेश मंडल द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेजों को निष्पादित करेगा। ऋण के रूप में ली गई कोई भी राशि इस भाग के अनुसरण में आबंटित निधि में जमा की जाएगी।

54024. इस भाग के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय निदेशक, कार्यकारी आदेश द्वारा, सामान्य निधि से किसी भी ऐसी राशि या राशियों की निकासी को अधिकृत कर सकता है, जो इस भाग के प्रयोजनार्थ अनुभाग 54026 के अनुसरण में अधिकृत किसी भी धन-वापसी बांड को छोड़कर, तथा अनुभाग 54022 के अनुसरण में ऋण के रूप में दी गई तथा अभी तक ना चुकाई गई किसी भी राशि और सामान्य निधि से निकाली गई और अभी तक सामान्य निधि में वापस न की गई किसी भी राशि को घटाकर, समिति द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से बेचे जाने के लिए अधिकृत किए गए किसी भी बेचे न गये बांड की राशि से अधिक नहीं होगी। निकाली गई कोई भी राशियां इस बात के अनुसरण में आबंटित की जाने वाली निधि में जमा की जाएँगी। इस अनुभाग के तहत उपलब्ध कराए गए किसी भी धन को उस ब्याज के साथ सामान्य निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा, जो बांड की बिक्री से प्राप्त राशियों को इकट्ठे किये गये पैसे का निवेश खाते में रखे जाने पर प्राप्त होता, जिन्हें अन्यथा उस निधि में जमा किया गया होता।

54026. बांडों की धन-वापसी सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (जो अनुभाग 16780 के साथ शुरू हो रहा है) के अनुसरण में की जा सकती है। इस अधिनियम के मतदाताओं द्वारा दी

गई स्वीकृति, पूर्व में जारी किए गए किसी भी धन-वापसी बांड सहित इस भाग के अनुसरण में जारी किए गए बांड्स की धन-वापसी करने के लिए जारी किए गए किसी भी धन-वापसी बांड्स की मंजूरी माना जाएगा। इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत किए गए अनुसार किसी धन-वापसी बांड से प्राप्त धनराशि से वापस किये गए किसी बांड को उस वापस किये गए बांड को प्राधिकृत करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित, संकल्प में निर्धारित पद्धति से तथा कानून द्वारा अनुमत सीमा तक कानूनी रूप से अमान्य किया जा सकता है।

54028. राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून में दिए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद, इस भाग द्वारा अधिकृत किसी भी बांड की परिपक्वता तिथि ऐसे प्रत्येक बांड की तिथि से 35 वर्ष के बाद की नहीं होगी। प्रत्येक श्रृंखला की परिपक्वता की गणना प्रत्येक बांड के जारी किए जाने की तिथि से की जाएगी।

54030. विधान मंडल इसके द्वारा पाता है एवं घोषणा करता है कि, इस भाग द्वारा अधिकृत बांडों की बिक्री से प्राप्त धनराशियाँ "कर से प्राप्त धनराशियाँ" नहीं हैं जैसा कि California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में इस शब्द का उपयोग किया गया है, इन धनराशियों का वितरण उस अनुच्छेद द्वारा लागू सीमाओं के अधीन नहीं है।

54032. इस भाग द्वारा अधिकृत बांड की बिक्री से प्राप्त आय के संबंध में राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के किसी भी प्रावधान के बावजूद, जो सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 2 के अध्याय 3 के अनुच्छेद 4 (जो अनुभाग 16470 के साथ शुरू हो रहा है) के तहत निवेश के अधीन है, कोषाध्यक्ष निवेश से होने वाली आयों के लिए एक अलग खाता बना सकता है, संघीय कानून के तहत लागू किसी भी छूट संबंधी आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उन आयों के भुगतान का आदेश दे सकता है, और अन्यथा इन धनराशियों के उपयोग एवं निवेश को निर्देशित कर सकता है, ताकि कर-मुक्त बांड की कर-मुक्त स्थिति बनी रहे और इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त कर सके।

54034. इस भाग के अनुसरण में बेचे जाने वाले बांडों पर प्राप्त प्रीमियम एवं अर्जित ब्याज से प्राप्त सभी धनराशियों को बांड पर लगने वाले ब्याज के लिए खर्च के क्रेडिट के रूप में सामान्य निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा; बशर्ते कि, हालांकि, प्रीमियमों से प्राप्त राशियों को रिजर्व किया जा सकता है और सामान्य निधि में स्थानांतरण से पहले बांड जारी करने की लागतों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अनुभाग 4. अनुच्छेद 5z (जो अनुभाग 998.600 के साथ शुरू हो रहा है) को निम्नानुसार पढ़ने के लिए, सैन्य एवं सेवानिवृत्त सैनिक संहिता के प्रभाग 4 के अध्याय 6 में शामिल किया गया है:

अनुच्छेद 5z. सेवानिवृत्त सैनिक एवं वहनीय आवासीय बांड अधिनियम, 2018

998.600. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 31 के भाग 16 (जो अनुभाग 54000 के साथ शुरू हो रहा है) के साथ, इस अनुच्छेद को सेवानिवृत्त सैनिक एवं वहनीय आवासीय बांड अधिनियम, 2018 के रूप में पढ़ा जाएगा तथा उद्धृत किया जा सकता है।

998.601. (a) राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 16720 के साथ शुरू हो रहा है), समय-समय पर यथासंशोधित, सिवाय उसके जैसा अन्यथा यहां प्रदान किया गया है, को इस अनुच्छेद द्वारा जारी किए जाने के लिए अधिकृत बांडों को जारी करने, बिक्री एवं उनके पुनर्भुगतान, या अन्यथा समादर करने के प्रयोजनार्थ अनुपालित किया गया है, और उस कानून के प्रावधानों को उस सीमा तक इस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, जिस सीमा तक इस अनुच्छेद में पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया है। इस अनुच्छेद में दिए "इसके अंतर्गत" से संबंधित सभी संदर्भ इस अनुच्छेद और उस कानून दोनों को संदर्भित करते हैं।

(b) राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के प्रयोजनार्थ, सेवानिवृत्त सैनिक मामलों के विभाग को मंडल के रूप में नामित किया गया है।

998.602. इसमें उपयोग किए जाने हेतु, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होते हैं:

(a) "मंडल" का अर्थ सेवानिवृत्त सैनिक मामलों के विभाग से है।

(b) "बांड" का अर्थ एक सेवानिवृत्त सैनिक बांड, जो कि राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए इस अनुच्छेद के अनुसरण में जारी किए गए एक राज्य के सामान्य दायित्व बांड से है।

(c) "बांड अधिनियम" का अर्थ राज्य सामान्य दायित्व बांड के जारीकरण को अधिकृत करने और संदर्भ द्वारा राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून को अपनाने वाले इस अनुच्छेद से है।

(d) "समिति" का अर्थ, अनुभाग 991 द्वारा स्थापित 1943 की सेवानिवृत्त सैनिक वित्त समिति से है।

(e) "निधि" का अर्थ - अनुभाग 988 द्वारा स्थापित 1943 की सेवानिवृत्त सैनिकों की फार्म एवं गृह निर्माण निधि से है।

(f) "भुगतान निधि" का अर्थ अनुभाग 988.6 द्वारा स्थापित सेवानिवृत्त सैनिकों की बांड्स भुगतान निधि से है।

998.603. सेवानिवृत्त सैनिकों के फार्म एवं गृह खरीद अधिनियम (Veterans' Farm and Home Purchase Act), 1974 (अनुच्छेद 3.1 (जो अनुभाग 987.50 के साथ शुरू हो रहा है)), तथा और इसके सभी अधिनियमों में

संशोधन और पूरक अधिनियमों के अनुसरण में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए फार्म एवं गृह सहायता प्रदान करने के लिए एक निधि का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ, समिति, इसमें दिए गए तरीके से, धन-वापसी बांड्स को छोड़कर, एक बिलियन डॉलर (\$1,000,000,000), तक की कुल राशि में, California राज्य के ऋण या ऋणों, देयता या देयताओं का सृजन कर सकती है।

998.604. (a) इस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत सभी बांड्स, जब यहां प्रदान किए गए अनुसार विधिवत बेचे गए एवं वितरित किए गए हों, California राज्य के वैध एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी सामान्य दायित्वों का गठन करते हैं, और California राज्य के पूर्ण विश्वास एवं क्रेडिट को इसके मूलधन एवं ब्याज दोनों के समय पर भुगतान के लिए प्रतिभूत किया जाता है।

(b) राज्य के साधारण राजस्वों के अतिरिक्त इसके अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए इन बांडों के मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन राशि, प्रतिवर्ष उसी तरीके से और उसी समय एकत्र की जाएगी, जैसे अन्य राज्य संबंधी राजस्व एकत्र किया जाता है, और राज्य राजस्वों के संग्रहण से संबंधित किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अधिकारी इस अतिरिक्त राशि को एकत्र करेंगे।

(c) उन तिथियों पर, जिनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बांडों पर ऋण सेवा के भुगतान के लिए सरकारी संहिता के अनुभाग 16676 अनुसरण में निधियाँ प्रेषित की जानी हैं, ऋण सेवा को भुगतान करने के लिए पूरे पैसे को भुगतान निधि में अंतरित किया जाएगा, जो उस समय ऋण सेवा की शेष एवं देय राशि से अधिक नहीं होगा। यदि प्रेषण तिथियों पर स्थानांतरित धन ऋण के तात्कालिक शेष एवं देय से कम है, तो बकाया शेष राशि को बांड पर लगने वाले ब्याज की दर पर छमाही चक्रवृद्धि के आधार पर गणना करते हुए प्रेषण तिथि से भुगतान किए जाने की तिथि तक लगने वाले ब्याज के साथ, उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र निधि से सामान्य निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके विपरीत कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यह उपप्रभाग इस अध्याय के अनुसरण में सभी सेवानिवृत्त सैनिकों के फार्म एवं गृह खरीद बांड अधिनियमों पर लागू होगा। यह उपप्रभाग इस अनुच्छेद के तहत जारी किए गए किसी भी बांड के धारकों को निधि, भुगतान निधि या उसमें मौजूद धनराशियों पर कोई भी ग्रहणाधिकार प्रदान नहीं करता है। इस उपप्रभाग के प्रयोजनार्थ, "ऋण सेवा" का अर्थ बांड्स की किसी भी श्रृंखला के संबंध में किसी भी तिथि को देय मूलधन (चाहे परिपक्वता द्वारा, विमोचन द्वारा या गतिवर्द्धन द्वारा देय हो), प्रीमियम, यदि कोई हो, या देय ब्याज से है। हालांकि, यह उपप्रभाग किसी भी ऐसी ऋण सेवा के मामले में लागू नहीं होगा, जो किसी भी धन-वापसी बांड्स की आय से देय है।

998.605. इसके द्वारा सामान्य निधि से इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, एक धनराशि विनियोजित की जाती है, जो निम्नलिखित दोनों के बराबर होगी:

(a) इसके अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी किए गए तथा बेचे गए बांडों के मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक राशि, चूँकि वह मूलधन एवं ब्याज शेष एवं देय हो जाता है।

(b) धारा 998.606 का पालन करने के लिए आवश्यक राशि, वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना विनियोजित।

998.606. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, वित्त निदेशक कार्यकारी आदेश द्वारा, सामान्य निधि से एक धनराशि की निकासी को अधिकृत कर सकता है, जो उन ना बिके हुए बांडों की राशि से अधिक नहीं होगी, जिसे समिति द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसरण में बेचे जाने के लिए अधिकृत किया गया है। निकाली गई किसी भी राशि को निधि में जमा कर दिया जाएगा। इस अनुभाग के तहत मंडल को उपलब्ध कराई गए सभी धनराशियों को मंडल द्वारा उस ब्याज के साथ सामान्य निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा, जो इस अनुच्छेद का पालन करने के प्रयोजनार्थ बांड की बिक्री से प्राप्त राशियों को इकट्ठे किये गये पैसे के निवेश खाते में रखे जाने पर प्राप्त होता।

998.607. मंडल इस अनुच्छेद का पालन करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसरण में इकट्ठे किये गये पैसे के निवेश बोर्ड से इकट्ठे किये गये पैसे के निवेश खाते से ऋण देने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस अनुरोध की राशि उन न बेचे गए बांडों की राशि से अधिक नहीं होगी, जो समिति ने प्रस्ताव द्वारा इस अनुच्छेद का पालन करने के प्रयोजनार्थ बेचे जाने के लिए अधिकृत किए हैं। मंडल उन सभी दस्तावेजों को निष्पादित करेगा, जो ऋण प्राप्त करने और चुकाने के लिए इकट्ठे किये गये पैसे के निवेश बोर्ड द्वारा आवश्यक हों। ऋण ली गई किन्हीं भी धनराशियों को, इस अनुच्छेद के अनुसरण में मंडल द्वारा आबंटित निधि में जमा किया जाएगा।

998.608. मंडल के अनुरोध पर समिति, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं परियोजनाओं के कथन द्वारा समर्थित, यह निर्धारित करेगी कि मंडल की योजनाओं एवं परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस अनुच्छेद के तहत अधिकृत कोई बांड्स जारी किया जाए या नहीं, और यदि हाँ, तो जारी किए जाने और बेचे जाने वाले बांड्स की राशि निर्धारित करेगी। इन योजनाओं एवं परियोजनाओं को चलाते रहने के लिए बांड के क्रमिक निर्गमन प्राधिकृत किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, और सभी बांडों को एक ही समय पर जारी किया जाना या बेचा जाना आवश्यक नहीं है।

998.609. (a) जब तक इस अनुच्छेद के तहत अधिकृत कोई भी बांड बकाया रहता है, सेवानिवृत्त सैनिक मामलों

के सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, मान्यता प्राप्त स्वतंत्र सार्वजनिक लेखाकार द्वारा निर्मित, प्रभाग के परिचालनों के पूर्वानुमान के साथ-साथ, फार्म एवं गृह खरीद प्रभाग की वित्तीय स्थिति के सर्वेक्षण की माँग करेंगे। प्रत्येक सर्वेक्षण एवं पूर्वानुमान के परिणामों के बारे में सार्वजनिक लेखाकार द्वारा लिखित रूप में सेवानिवृत्त सैनिक मामलों के सचिव, California सेवानिवृत्त सैनिक मंडल, सीनेट एवं असेंबली में सेवानिवृत्त सैनिक मामलों से संबंधित उपयुक्त नीति समितियों एवं इस समिति को सूचित किया जाएगा।

(b) फार्म एवं गृह खरीद प्रभाग किसी भी ऐसे धन में से इन सेवाओं के लिए सार्वजनिक लेखाकार की प्रतिपूर्ति करेगा, जो प्रभाग की ओर से कोषाध्यक्ष के पास जमा के रूप में उपलब्ध हो सकता है।

998.610. (a) समिति कोषाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष द्वारा स्थापित समय पर इस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत बांड के सभी या किसी भी हिस्से को बेचने के लिए अधिकृत कर सकती है।

(b) जब भी समिति इसे बांड्स की प्रभावी बिक्री के लिए आवश्यक समझती है, तो समिति कोषाध्यक्ष को सरकारी संहिता के अनुभाग 16754 के बावजूद, उनके सममूल्य से कम मूल्य पर बांड्स के किसी भी निर्गमन को बेचने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। हालांकि, बांड पर छूट इसके सममूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

998.611. यहां निर्दिष्ट किए गए अनुसार बांड्स की बिक्री से प्राप्त पहले धन में से, उस अनुभाग में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किए गए सभी व्ययों की राशि सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 द्वारा स्थापित सामान्य दायित्व बांड व्यय परिक्रामी निधि में पुनःवापस जमा की जाएगी, और इस धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और उस समय उसी तरीके से चुकाया जा सकता है, जब भी अतिरिक्त बांडों की बिक्री की जाती है।

998.612. इस अनुच्छेद के अनुसरण में जारी किए गए और बेचे गए किसी भी बांड की धन-वापसी सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (अनुभाग 16780 के साथ शुरू हो रहा है) के अनुसरण में की जा सकती है। इस अनुच्छेद के तहत बांड्स जारी करने के लिए मतदाताओं की स्वीकृति में मूल रूप से जारी किए गए या पूर्व में जारी किए गए किसी भी धन-वापसी बांड्स के लिए जारी किए गए बांड्स की मंजूरी शामिल है।

998.613. बांड अधिनियम के किसी भी प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अनुच्छेद के तहत बांड बेचता है, जिसके लिए बांड परामर्शदाता ने इस प्रभाव के लिए एक राय जारी की है कि इस बांड पर ब्याज किसी भी ऐसी शर्तों के अधीन, संघीय आय कर के प्रयोजनार्थ सकल आय से अलग रखने योग्य है, जो निर्धारित की जा सकती हैं, तो कोषाध्यक्ष बांड से प्राप्त धनराशि के निवेश और उन धनराशियों पर

कमाई के लिए अलग-अलग खाते बना सकता है, और संघीय कानून द्वारा आवश्यक किसी भी छूट, जुर्माने या अन्य भुगतान को अदा करने के लिए उस धनराशि या कमाई का उपयोग कर सकता है या निवेश के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है तथा बांड की कर-मुक्त स्थिति बनाए रखने और इस राज्य की निधियों के आधार पर संघीय कानून के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक संघीय कानून के तहत आवश्यक या अनुमत बांड से प्राप्त धनराशियों का उपयोग कर सकता है।

998.614. विधान मंडल इसके द्वारा पाता और घोषणा करता है कि, यद्यपि इस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत बांड की बिक्री से प्राप्त धनराशियाँ "करों से प्राप्त धनराशियाँ" नहीं हैं, चूँकि इस शब्द का उपयोग California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में किया गया है, इन धनराशियों का वितरण अनुच्छेद XIII B द्वारा लागू सीमाओं के अधीन नहीं है।

प्रस्ताव 2

2017-2018 नियमित सत्र (अध्याय 41, अधिनियम 2018) के असेंबली विधेयक 1827 द्वारा प्रस्तावित यह कानून California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के अनुसरण में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून कल्याण एवं संस्थान के अनुभागों में संशोधन करता है और जोड़ता है; इसलिए, हटाए जाने वाले प्रस्तावित प्रावधान स्ट्राइकआउट-टाइप में मुद्रित किए गए हैं और जोड़े जाने वाले नए प्रावधान यह दर्शाने के लिए, कि वे नए हैं, तिरछे टाइप में मुद्रित किए गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. मतदाता इसके द्वारा पाते और घोषित करते हैं कि आवास स्थिरीकरण एवं मानसिक बीमारी से सुधार के लिए एक प्रमुख कारक है और परिणामस्वरूप मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणाम प्रदान करता है। 2 नवंबर, 2004 को, राज्यव्यापी सामान्य चुनाव में प्रस्ताव 63 के रूप में मतदाताओं द्वारा अधिनियमित एक पहल विधेयक, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम (Mental Health Services Act), को इसलिए कल्याण एवं संस्थान संहिता के प्रभाग 5 के भाग 3.9 (जो अनुभाग 5849.1 के साथ शुरू हो रहा है) के अनुसरण में स्थापित घर जैसी कोई जगह नहीं कार्यक्रम की मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि से निधियों का व्यय उपलब्ध करवाए जाने के लिए संशोधित किया जाना ज़रूरी है, जो गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित बेघर व्यक्तियों या दीर्घकालिक बेघरपन के जोखिम से पीड़ित लोगों के लिए स्थायी सहायक आवास के अधिग्रहण, डिजाइन, निर्माण, पुनर्वास या संरक्षण का वित्तपोषण करते हैं।

अनुभाग 2. अनुभाग 1, यह अनुभाग, और अनुभाग 3 से 7, समावेशी, को घर जैसी कोई जगह नहीं अधिनियम (No Place Like Home Act), 2018 के रूप में जाना जाएगा, और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 3. कल्याण एवं संस्थान संहिता के अनुभाग 5849.35 को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है:

5849.35. (a) प्राधिकरण निम्नलिखित में से सब कर सकता है:

(1) अनुभाग 5849.11 के अनुसरण में विभाग द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा सहित, घर जैसी कोई जगह नहीं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में आयोग एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के राज्य विभाग से परामर्श करना।

(2) लक्षित जनसंख्या के लिए स्थायी समर्थक आवास से संबंधित अनुभागों 5849.7, 5849.8, एवं 5849.9 में वर्णित सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभाग को भुगतान करने के लिए, तथा अनुभाग 5890 के उपप्रभाग (f) के परिच्छेद (1) के अनुसरण में मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि के अंतर्गत सृजित किए गए सहायक आवासीय कार्यक्रम उप-खाते में जमा पर राशियों से विभाग को भुगतान प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के साथ एवं विभाग के लिए विभाग के साथ एक या एक से अधिक एकल वर्षीय या बहुवर्षीय अनुबंधों में प्रवेश करना। इस अनुच्छेद के अनुसरण में किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने से पहले, प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक, वस्तुतः अंतिम रूप में अनुबंध की प्रतिलिपि आयोग को प्रेषित करेंगे। इस अनुबंध को तब तक आयोग द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा, जब तक यह 10 दिनों के भीतर अनुबंध को अस्वीकार करने के लिए कार्रवाई नहीं करता है।

(3) प्रत्येक वर्ष 15 जून और 15 दिसंबर को या उससे पहले, प्राधिकरण, नियंत्रक के समक्ष उन राशियों को प्रमाणित करेगा, जिनकी प्राधिकरण को परिच्छेद (2) के अनुसरण में किए गए किसी भी सेवा अनुबंध के अनुसरण में विभाग को अगले छह माह के लिए अनुभाग 5890 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार भुगतान करने की आवश्यकता है।

(b) विभाग निम्नलिखित सभी कार्य कर सकता है:

(1) लक्षित जनसंख्या के लिए स्थायी समर्थक आवास से संबंधित अनुभागों 5849.7, 5849.8, एवं 5849.9 में वर्णित सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा अनुभाग 5890 के उपप्रभाग (f) के परिच्छेद (1) के अनुसरण में मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि के अंतर्गत सृजित किए गए सहायक आवासीय कार्यक्रम उप-खाते में जमा पर राशियों से भुगतान प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के साथ एक या एक से अधिक एकल वर्षीय या बहुवर्षीय अनुबंधों में प्रवेश करना। सरकारी

संहिता के अनुभाग 15463 के अनुसरण में प्राधिकरण से लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए किसी भी अन्य आबंटन या वितरण से पहले, इस परिच्छेद द्वारा अधिकृत किसी भी सेवा अनुबंध के तहत विभाग द्वारा प्राप्त किए गए भुगतानों का उपयोग किया जाएगा।

(2) सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए राजस्व बांड्स के पुनः भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राधिकरण के साथ एक या एक से अधिक ऋण अनुबंधों में प्रवेश करना। विभाग, बांडों को विमोचित, वापस, या निवृत्त करने के लिए लिए गए किसी भी पुनर्वित्तपोषक ऋण को छोड़कर, इन ऋणों से प्राप्त धनराशियों को निधि में जमा करेगा। इन ऋण अनुबंधों के तहत भुगतान करने के संबंध में विभाग के दायित्व, प्राधिकरण के साथ अपने सेवा अनुबंधों के अनुसरण में प्राप्त धनराशियों से पूर्णतया देय वाले सीमित दायित्व होंगे।

(3) विभाग परिच्छेद (1) के अनुसरण में किए गए सेवा अनुबंधों के तहत पूरे या आंशिक भुगतान प्राप्त करने के अपने अधिकार को परिच्छेद (2) द्वारा अधिकृत किसी भी ऋण अनुबंध के तहत मूलधन, प्रीमियम, यदि कोई हो, तथा ब्याज के भुगतान के लिए सीधे प्राधिकरण या इसके बांड न्यासी को प्रतिभूत एवं आबंटित कर सकता है।

(c) विधान मंडल इसके द्वारा निम्न में से दोनों को पाता एवं घोषणा करता है:

(1) उपप्रभाग (b) के परिच्छेद (1) और उपप्रभाग (a) के परिच्छेद (2) द्वारा अधिकृत अनुबंधों के अनुसरण में प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा विभाग को प्रदान किया जाने वाला प्रतिफल निष्पक्ष एवं उचित है और लोक हित में है।

(2) उपप्रभाग (a) के परिच्छेद (2) और उपप्रभाग (b) के परिच्छेद (1) द्वारा अधिकृत सेवा अनुबंध के अनुसरण में विभाग को प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए सेवा अनुबंध एवं भुगतान तथा उषम्रभम्म (b) के परिच्छेद (2) द्वारा अधिकृत ऋण अनुबंध के अनुसरण में विभाग द्वारा प्राधिकरण को प्रदान किए गए ऋण अनुबंध एवं ऋणों के पुनर्भुगतान राज्य या किसी भी राजनीतिक उपप्रभाग के विश्वास एवं साख की प्रतिभूति या ऋण या देयता का सृजन नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि जैसा इसे 6 नवंबर 2018 को राज्यव्यापी आम चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित ना किया गया हो।

(d) राज्य सरकार इसके द्वारा समय-समय पर धारकों को सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी बांड के संबंध में वचन देती है कि यह इस अनुभाग, अनुभाग 5890 के उपप्रभाग (f) के परिच्छेद (1), या अनुभाग 5891 के उपप्रभाग (b) के प्रावधानों को किसी भी ऐसे तरीके से, जिसका इन बांड धारकों के हितों पर विपरीत प्रभाव होता हो, तब तक परिवर्तित, संशोधित या प्रतिबंधित नहीं करेगी, जब

तक इन बांडों में से कोई भी बकाया रहता हो। प्राधिकरण इस संविदा-पत्र को प्रस्ताव, पट्टा, या बांड को प्रशासित करने वाले अन्य दस्तावेजों में शामिल कर सकता है।

(e) इस अनुभाग के तहत किए गए अनुबंध, California पर्यावरणीय गुणवत्ता अधिनियम (California Environmental Quality Act) (सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 13 (जो अनुभाग 21000 के साथ शुरू हो रहा है)) सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, इन अनुबंधों के निष्पादन के लिए लागू किसी अन्य कानून की आवश्यकताओं के अधीन नहीं है और इनका अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।

(f) सार्वजनिक अनुबंध संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 का अध्याय 2 (जो अनुभाग 10290 के साथ शुरू हो रहा है), इस अनुभाग के अंतर्गत आने वाले प्राधिकरण एवं विभाग के बीच हुए किसी भी अनुबंध पर लागू नहीं होगा।

अनुवाद. 4. कल्याण एवं संस्थान संहिता के अनुभाग 5849.4 को निम्नानुसार पढ़े जाने हेतु संशोधित किया गया है:

5849.4. (a) घर जैसी कोई जगह नहीं निधि का सृजन इसके द्वारा राज्य के राजकोष के अंतर्गत किया जाता है तथा, सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस भाग के प्रयोजनार्थ इस विभाग, प्राधिकरण एवं कोषाध्यक्ष को लगातार विनियोजित किया गया है। इस निधि के अंतर्गत खाते एवं उप खाते आवश्यकतानुसार सृजित किए जा सकते हैं। निधि में जमा की गई राशि का 5 प्रतिशत तक इस भाग के कार्यान्वयन में आने वाले प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(b) निम्नलिखित का भुगतान निधि में किया जाएगा:

(1) सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के उपप्रभाग (b) के तहत प्राधिकरण द्वारा बांड्स के निर्गमन से विभाग को प्राप्त ऋण धनराशियों की प्राप्ति से प्राप्त सारा पैसा।

(2) सामान्य निधि या अन्य निधियों से इस निधि में किया गया कोई भी विनियोजन या अंतरण।

(2)

(3) इस भाग के प्रयोजनार्थ प्राप्त कोई अन्य संघीय या राज्य स्तरीय अनुदान या कोई निजी दान या अनुदान।

(3)

(4) कोई भी ब्याज भुगतान, ऋण के पुनर्भुगतान, या निधियों की अन्य वापसी।

अनुभाग 5. अनुभाग 5849.15 को निम्नानुसार पढ़े जाने हेतु कल्याण एवं संस्थान संहिता में शामिल किया गया है:

5849.15. मतदाता निम्नलिखित सभी प्रावधानों को 2 नवंबर, 2004 को राज्यव्यापी आम चुनाव में मतदाताओं द्वारा अधिनियमित, प्रस्ताव 63 के अनुरूप और उसके साथ

संगतता में प्रमाणित करते हैं, और California के संविधान के अनुच्छेद XVI के अनुभाग 1 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सभी प्रावधानों को मंजूरी देते हैं:

(a) 2016 के अधिनियमों का अध्याय 43, जिसमें अनुभाग 5830, 5845, 5847, 5848, 5897, और 5899 में संशोधन किए गए हैं और इस भाग को जोड़ा गया है।

(b) 2016 के अधिनियमों का अध्याय 322, जिसमें अनुभाग 15463 को सरकारी संहिता में जोड़ा गया, और इस संहिता के अनुभागों 5849.1, 5849.2, 5849.3, 5849.4, 5849.5, 5849.7, 5849.8, 5849.9, 5849.11, 5849.14, 5890 और 5891 को संशोधित किया गया और अनुभाग 5849.35 को जोड़ा गया और अनुभाग 5849.13 को निरस्त किया गया एवं जोड़ा गया।

(c) 2017 के अधिनियमों के अध्याय 561 के वे प्रावधान, जिन्होंने उपप्रभागों (a) और (b) में संदर्भित किन्हीं भी प्रावधानों को संशोधित किया।

(d) अधिनियम को इस अनुभाग में शामिल करके अनुभाग 5849.35, 5849.4, और 5890 में संशोधन किए गए।

(e) सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के उपप्रभाग (b) में उल्लिखित घर जैसी कोई जगह नहीं कार्यक्रम एवं संबंधित प्रयोजनों के अनुसरण में स्थायी सहयोगात्मक आवास को वित्त पोषित करने के प्रयोजनार्थ California स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण प्राधिकरण द्वारा दो बिलियन डॉलर (\$2,000,000,000) तक के बांड्स का निर्गमन, सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के उपप्रभाग (c) में उल्लिखित बांड्स के विमोचन, धन-वापसी, या निवृत्ति के प्रयोजनार्थ बांड्स का निर्गमन, तथा वे प्रक्रिया, जिनके द्वारा उन बांडों को उपप्रभागों (a) से (d) में संदर्भित प्रावधानों में उल्लेख किए गए अनुसार निर्गमित, सुरक्षित एवं पुनर्भुगतान किया जाता है, शामिल है।

अनुभाग 6. कल्याण एवं संस्थान संहिता के अनुभाग 5890 को पढ़े जाने हेतु संशोधित किया गया है:

5890. (a) इसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि का सृजन राज्य के कोषाध्यक्ष के अंतर्गत किया जाता है। इस निधि की देखरेख राज्य द्वारा की जाएगी। सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, अनुभाग 5892 के उपप्रभाग (d) में निर्दिष्ट किए गए के अलावा, इस निधि में जमा सभी धनराशियों को निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं इस प्रभाग के अन्य प्रावधानों द्वारा निर्धारित अन्य संबंधित गतिविधियों को वित्त पोषित करने के प्रयोजनार्थ, वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना, लगातार विनियोजित किया जाता है:

(1) भाग 3 (जो अनुभाग 5800 के साथ शुरू हो रहा है), वयस्क और वृद्ध प्रौढ़ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

संबंधी अधिनियम (Adult and Older Adult Mental Health System of Care Act)।

(2) भाग 3.2 (जो अनुभाग 5830 के साथ शुरू हो रहा है), नवाचार कार्यक्रम।

(3) भाग 3.6 (जो अनुभाग 5840 के साथ शुरू हो रहा है), रोकथाम एवं आरंभिक मध्यवर्तन कार्यक्रम।

(4) भाग 3.9 (जो अनुभाग 5849.1 के साथ शुरू हो रहा है), घर जैसी कोई जगह नहीं कार्यक्रम।

(5) भाग 4 (जो अनुभाग 5850 के साथ शुरू हो रहा है), बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम (Children's Mental Health Services Act)।

(b) इस नीति की स्थापना एवं इसे स्थापित करने वाले अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या वित्त पोषित कार्यक्रमों को, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1374.72 एवं मानसिक स्वास्थ्य सादृश्य से संबंधित बीमा संहिता के अनुभाग 10144.5 के तहत आवश्यक सेवाओं सहित, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कवरेज प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य देखभाल सेवा योजनाओं एवं अक्षमता बीमा पॉलिसी के दायित्व को संशोधित करने के लिए संरचित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम को योजनाओं एवं बीमा पॉलिसी के इन दायित्वों के प्रवर्तन के संबंध में बीमा विभाग के कर्तव्य एवं प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग के अंतर्दृष्ट कर्तव्यों को संशोधित करने के लिए संरचित नहीं किया जाएगा।

(c) इस अधिनियम को मौजूदा प्राधिकरण एवं राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग के दायित्व को कम करने या संशोधित करने के लिए संरचित नहीं किया जाएगा।

(d) राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग, आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए संघीय निधियों की उपलब्धता तथा बच्चों, वयस्कों एवं वरिष्ठों के भाग लेने की अर्हता को अधिकतम बनाने के लिए सभी लागू संघीय चिकित्सा-सहायता मंजूरीयों पर अनुमोदन की माँग करेगा।

(e) इस प्रभाग के भाग 3 (जो अनुभाग 5800 के साथ शुरू हो रहा है) और भाग 4 (जो अनुभाग 5850 के साथ शुरू हो रहा है) के अनुसरण में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लागत के हिस्से को तब तक सार्वजनिक पोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लागू भुगतान निर्धारण क्षमता की समान विधि के अनुसरण में निर्धारित किया जाएगा, जब तक इस समान विधि को निर्धारक सहभुगतानों की किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, इस मामले में अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लागू नई विधि, इस प्रभाग के भाग 3 (जो धारा 5800 के साथ शुरू हो रहा है) और भाग 4 (जो धारा 5850 के साथ शुरू हो रहा है) के अनुसरण में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर भी लागू होगी।

(f) (1) इसके द्वारा सहायक आवासीय कार्यक्रम उपखाते को मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि में सृजित किया जाता है। सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस उपखाते में जमा सभी धनराशियों को वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना, संरक्षित किया जाता है, तथा अनुभाग 5849.35 के अनुसरण में किए गए किसी की सेवा अनुबंधों पर आधारित इसकी वित्तीय देयताओं की पूर्ति करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु California स्वास्थ्य सुविधा वित्तपोषण प्राधिकरण को लगातार विनियोजित किया जाता है। इस अनुभाग के किसी अन्य प्रावधान सहित, किसी अन्य कानून के बावजूद, प्रत्येक माह के अंतिम दिन से पहले, नियंत्रक, अगले महीने के लिए किसी भी प्रयोजनार्थ निधि से कोई भी अंतरण या खर्च करने से पहले, मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि से सहायक आवास कार्यक्रम उप खाते में किसी भी ऐसी राशि का अंतरण करेगा, जिसे अनुभाग 5849.35 के उपप्रभाग (a) के परिच्छेद (3) के अनुसरण में California स्वास्थ्य सुविधा वित्तपोषण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया हो, किंतु यह राशि प्रतिवर्ष एक सौ चालीस मिलियन डॉलर (\$140,000,000) की कुल राशि से अधिक नहीं होगी। यदि किसी माह में मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि में मौजूद राशियां उप खाते में पूर्णतया अंतरित किए जाने के लिए अपर्याप्त होती हैं या उपखाते में मौजूद राशियाँ, California स्वास्थ्य सुविधा वित्तपोषण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होती हैं, तो इस कमी को, नियंत्रक द्वारा पूर्ववर्ती कथन द्वारा आवश्यक किसी भी अंतरण के साथ अंतरित किए जाने हेतु, अगले महीने-में अग्रोषित कर दिया जाएगा। सहायक आवास कार्यक्रम उप खाते में जमा धनराशियों को सरकारी संहिता के अनुभाग 16310 या 16381 के अनुसरण में सामान्य निधि में ऋण के रूप में नहीं दिया जाएगा।

(2) सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के अनुसरण में किसी भी बांड के निर्गमन से पहले, विधान मंडल, मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि में मौजूद निधियों को समर्थक आवासीय कार्यक्रम के उपखाते में अंतरित करने के लिए विनियोजित कर सकता है, इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष एक सौ चालीस मिलियन डॉलर (\$140,000,000) तक है। इस परिच्छेद के अनुसरण में अंतरण के लिए तथा घर जैसी कोई जगह नहीं निधि में जमा करने के लिए विनियोजित की गई कोई भी राशि, उन बांड्स की अधिकृत किंतु जारी न की गई राशियों को कम करेगी, जो California स्वास्थ्य सुविधा वित्तपोषण प्राधिकरण एक संगत राशि तक सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के अनुसरण में निर्गमित कर सकता है। सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस परिच्छेद के अनुसरण में अंतरित उपखाते में मौजूद सभी धनराशियों को संरक्षित किया जाता है और वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना, भाग 3.9 (जो अनुभाग 5849.1 के साथ शुरू हो रहा है) के प्रयोजनार्थ

उपयोग करने हेतु घर जैसी कोई जगह नहीं निधि में अंतरित करने के लिए लगातार विनियोजित किया जाता है। नियंत्रक, अगले माह के किसी अन्य प्रयोजनार्थ निधि से कोई भी अंतरण का खर्च करने से, किंतु परिच्छेद (1) के प्रयोजनार्थ निधि से कोई भी अंतरण या व्यय करने से पहले, मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि से विनियोजित की गई राशियों को इस परिच्छेद के अनुसरण में आगामी 12 महीनों की अवधि में समान राशियों में उप खाते में अंतरित करेगा, जिसे विधान मंडल द्वारा विनियोजन की प्रभावी तिथि के 90 दिनों के भीतर शुरू किया जाएगा। यदि किसी माह में मानसिक स्वास्थ्य सेवा निधि में मौजूद राशियां उप खाते में पूर्णतया अंतरित किए जाने के लिए अपर्याप्त होती हैं या उपखाते में मौजूद राशियाँ, इस परिच्छेद के अनुसरण में अंतरण के लिए विनियोजित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होती हैं, तो इस कमी को अगले माह में अग्रेषित कर दिया जाएगा।

(3) परिच्छेद (1) एवं (2) में वर्णित किन्हीं भी अंतरणों का कुल योग, प्रति वर्ष एक सौ चालीस मिलियन डॉलर (\$140,000,000) की कुल राशि से अधिक नहीं होगा।

(4) सरकारी संहिता के अनुभाग 15463 के अनुसरण में अधिकृत किन्हीं भी बांड्स के निर्गमित होते ही परिच्छेद (2) अप्रभावी हो जाएगा।

अनुभाग 7. इस अधिनियम के प्रावधानों को विधान मंडल के दो तिहाई मतों के आधार पर संशोधित किया जा सकता है जब तक कि उक्त संशोधन इस अधिनियम के उद्देश्य के साथ संगत हो और उसे आगे बढ़ाते हों।

प्रस्ताव 3

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक California के संविधान में एक अनुभाग को जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, तिरछे टाइप में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

California राज्य के लोग इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम निश्चित करते हैं:

अनुभाग 1. प्रभाग 38 (जो अनुभाग 86000 से शुरू होता है) को जल संहिता में निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

प्रभाग 38. 2018 का राज्य जल आपूर्ति अवसंरचना, जल संवहन, पारिस्थितिकी तंत्र तथा जलोत्सारण क्षेत्र का रक्षण एवं पुनरुद्धार, और पेयजल सुरक्षा अधिनियम

अध्याय 1. संक्षिप्त शीर्षक

86000. इस प्रभाग को 2018 के जल आपूर्ति और जल गुणवत्ता अधिनियम (Water Supply and Water Quality Act) के रूप में जाना और उद्धृत किया जा सकता है।

अध्याय 2. निष्कर्ष और घोषणाएं

86001. लोग निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

(a) हमारे प्रायः सूखे रहने वाले राज्य में हमारी उच्च-प्रौद्योगिकी वाली, कृषि संबंधी एवं शहरीकृत अर्थव्यवस्था एक निर्बाध तथा उच्च-गुणवत्ता वाली जल आपूर्ति पर निर्भर करती है। जल के उपयोग को अधिक दक्ष बनाकर, जल की माँग कम करके, नई तथा विविध जल आपूर्तियाँ उपलब्ध करा कर, हमारे स्रोत जलोत्सारण क्षेत्रों की गुणवत्ता में सुधार लाकर, और जल के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपयोगों की रक्षा करके यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि California के आर्थिक तथा पर्यावरणीय इंजन पानी की कमी के कारण पटरी से उतर न जाएं।

(b) California का हाल ही का ऐतिहासिक सूखा हमारी वर्तमान जल आपूर्तियों की दीर्घावधि विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह सूखा हमारी वर्तमान जल आपूर्ति का अधिक कुशलता से उपयोग करने, हमारी जल अवसंरचना में निवेश बढ़ाने, और उद्गम जल से अंतिम उपयोगकर्ता तक जल पहुँचाने की हमारी जल प्रणाली को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

(c) California की जल स्थिति को देखते हुए लोगों की कृषि तथा पर्यावरण की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए California जल कार्रवाई योजना लागू किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रभाग बर्बादी को कम करके, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल की मात्रा को बढ़ाकर और जल गुणवत्ता में सुधार करके एक अधिक विश्वसनीय जल आपूर्ति उपलब्ध कराने में सहायक होगा। यह प्रभाग हमारे समुदायों को बाढ़ से अतिरिक्त सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है।

(d) यह प्रभाग शहरी जल निकास तथा तूफानी जल अपवाह को रोककर, भूजल तथा खारे पानी को मीठा बनाकर, भूजल के भंडारण, जल पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, तथा जलोत्सारण क्षेत्र प्रबंधन, पुनरुद्धार, संवर्धन एवं रक्षा सहित बदलती जलवायु में California की वर्तमान तथा भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल के विकास तथा संरक्षण की किफ़ायती पद्धतियाँ भी लागू करेगा।

(e) इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न जल आपूर्ति तथा जल गुणवत्ता निवेशों के बराबर निवेश एजेंसियों तथा अनुदान प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे

जिससे उपलब्ध कराई गई निधि की प्रभावकारिता दुगुनी से भी अधिक हो जाएगी।

(f) इस प्रभाग को लागू करने वाली एजेंसियां किफ़ायती परियोजनाओं को तथा सर्वाधिक टिकाऊ एवं पर्यावरणीय रूप से सर्वाधिक लाभकारी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देंगी। निधि उन परियोजनाओं को दी जाएगी जो California जल कार्रवाई योजना को लागू करने में योगदान देंगी जिसका लक्ष्य California जल प्रणाली के लचीलेपन और California के समुदायों की सूखे की स्थितियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाना है।

(g) प्रत्येक California निवासी को सुरक्षित, स्वच्छ, सस्ते तथा आसानी से उपलब्ध पेयजल का अधिकार है। अनुभाग 106.3 का अनुपालन करते हुए, इस प्रभाग के अनुसरण में सुरक्षित पेयजल के लिए निधि उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां इस अनुभाग के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होंगी।

(h) यह प्रभाग राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने वाली निधि का उचित तथा तर्कसंगत वितरण प्रदान करता है।

(i) यह प्रभाग हाल ही के सूखे के कारण हुई जल की कमी पर ध्यान देने के लिए लघु-अवधि एवं दीर्घावधि किफ़ायती कार्रवाई प्रदान करता है और स्थानीय समुदायों को भविष्य में सूखे का सामना करने के लिए तैयारी करने में सहायता करेगा। सूखा लोगों, कृषि तथा पर्यावरण के लिए जल आपूर्ति में कमी लाता है। यह प्रभाग लोगों, कृषि तथा पर्यावरण की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा और California को बदलती जलवायु में अधिक लचीला बनाएगा।

(j) जलोत्सारण क्षेत्र के स्वास्थ्य तथा जल की उत्पादकता में सुधार करके समुदाय जल आपूर्ति के संबंध में अधिक आत्म-निर्भर बनेंगे और स्थानीय वातावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(k) येलो स्टारथिस्टल, जाएंट रीड (अरुंडो डोनैक्स) और तामरिस्क जैसे आक्रामक पौधों को हटाकर जल आपूर्ति बढ़ाई जाएगी और मछलियों तथा वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक वास में सुधार किया जाएगा।

(l) बाढ़ समुदायों और बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकती है। हम बाढ़ के जल को भंडारित करके और उसे हमारे समुदायों में, हमारे खेतों में तथा भूजल बेसिनों को रिचार्ज करने में उपयोग में लाकर इसका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जलोत्सारण क्षेत्रों और बाढ़ मैदानों का बुद्धिमानि से प्रबंधन करने के लिए निधि उपलब्ध कराकर यह प्रभाग बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने, मछलियों तथा वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक वास में सुधार करने, हमारी जल आपूर्ति से प्रदूषकों को हटाने, भूजल के संवर्धन, जलवाही स्तरों में सुधार लाने और पर्यावरण में सुधार लाने में भी सहायक होगा। बेहतर

बाढ़ मैदानी प्रबंधन से जल आपूर्ति के प्रयोजनों से अपस्ट्रीम जलाशयों के उन्नत प्रचालन में सहायता मिल सकती है।

(m) आग लगने की गंभीर स्थितियों से अत्यधिक मात्रा में कटाव हो सकता है, जल की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है और जल अवसंरचना प्रभावित हो सकती है। यह प्रभाग आग के खतरे को कम करने के लिए जंगलों तथा जलोत्सारण क्षेत्र का प्रबंधन करने, जल आपूर्ति तथा गुणवत्ता पर जंगल की आग के प्रभावों को कम करने और जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए निधि उपलब्ध कराता है।

(n) यह प्रभाग निम्नलिखित कार्यक्रमों का वित्तपोषण करता है जो California में जल की मानवीय तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू किए जाते हैं:

(1) जल संरक्षण, भूजल तथा अन्य अंतर्देशीय लवणीय जल को मीठा बनाने, तूफानी जल प्रबंधन, बेकार जल की पुनर्चक्रण तथा ऐसे ही जल प्रबंधन विधेयकों सहित किफ़ायती पद्धतियों का प्रयोग करके जल आपूर्ति तथा जल की गुणवत्ता में सुधार करना।

(2) जल अपवाह तथा भूजल रिचार्ज की पद्धति, मात्रा तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वन तथा खुले स्थानों में स्थित जलोत्सारण क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन जैसे Sierra Nevada जलोत्सारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के माध्यम से। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने से भूमि की बेहतर ढंग से भूजल को बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है और जल अपवाह की दर कम होती है।

(3) सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम (Sustainable Groundwater Management Act) (प्रभाग 6) का भाग 2.74 (जो अनुभाग 10720 से शुरू होता है) को तेज़ी से लागू करने और सतही तथा भूमि जल के बीच संबंध की उचित स्वीकृति सहित बेहतर भूजल प्रबंधन।

(4) बदलती हुई पर्यावरणीय स्थितियों में पक्षियों के पैसिफिक हवाई रास्ते के पुनरुद्धार तथा सक्रिय ढंग से प्राकृतिक वास के प्रबंधन सहित मछलियों तथा वन्य जीवों के लिए जल का प्रावधान।

(5) जल के संवहन की बढ़ी हुई क्षमता जिसके परिणामस्वरूप भूजल का अधिक पुनर्भरण होता है और बाढ़ के जल का बेहतर संवहन तथा सूखे के वर्षों में उपयोग के लिए बेहतर प्रयोग होता है।

(o) राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड, मछली और वन्यजीवन विभाग और कई अन्य एजेंसियों ने माना है कि मछलियों के लिए प्राकृतिक वास के संवर्धन के लिए निधि उपलब्ध कराना स्थानीय California की मछलियों की संख्या के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है और इनकी संख्या के पुनरुद्धार के लिए केवल प्रवाह पर निर्भर होना पर्याप्त नहीं होगा। मछलियों के प्राकृतिक वास के संवर्धन के लिए निधि उपलब्ध कराना

मछलियों की रक्षा के लिए उचित प्रवाह के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक है।

(p) California अपनी ऐतिहासिक नम भूमि का 95 प्रतिशत हिस्सा खो चुका है। ये नम भूमि प्रवासी तथा अन्य पक्षियों, मछलियों, स्तनधारियों, सरीसृप, उभयचरों और पौधों की कई प्रकार की प्रजातियों के लिए खाना, जल तथा कवर उपलब्ध कराती हैं। नम भूमि के अभाव में कई प्रजातियाँ लुप्तप्राय हो सकती हैं अथवा खतरे में पड़ सकती हैं और कई अन्य प्रजातियाँ आज केवल नम भूमि उपलब्ध होने के कारण बची हुई हैं। यह प्रभाग वनस्पति एवं जीव जंतुओं की संपन्नता की सहायता करने के लिए California में नम भूमि बढ़ाने की क्षमता के साथ वर्तमान नम भूमि को बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने के लिए एक साथ कार्य करता है।

(q) इस प्रभाग को लागू करने के परिणामस्वरूप तत्काल स्थानीय सरकार को लागत में एक बिलियन डॉलर से अधिक की बचत होगी और इससे स्थानीय सरकार की प्रचालन लागत प्रति वर्ष कई सौ मिलियन डॉलर कम हो जाएगी। यह प्रभाग ऐसा वित्तपोषण करेगा जो स्थानीय सरकार के वित्तपोषण का स्थान ले लेगा जिससे निम्नलिखित क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। ये परियोजनाएं अंततः स्थानीय सरकार द्वारा लागू की जाएंगी।

(1) स्वच्छ पेयजल राज्य की ओर से प्रत्यक्ष तथा इसके समान प्राप्त होने वाली निधि से पेयजल तथा बेकार जल शोधन प्रणालियों को लागू करने और कुछ सीमा तक उन प्रणालियों के प्रचालन में स्थानीय सरकार पर आने वाली लागत कम होगी।

(2) बेकार जल का पुनर्चक्रण। राज्य निधि इन संयंत्रों की लागत कम कर देगी जिससे स्थानीय सरकारों के लिए परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में कमी आएगी। स्थानीय सरकार की पूंजीगत लागत कम करके इन संयंत्रों से आने वाले जल की लागत भी कम होगी। बेकार जल के पुनर्चक्रण संबंधी संयंत्रों के लागू होने से जल आपूर्ति के अधिक महंगे वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता भी टल जाएगी जिससे पूंजीगत लागत तथा प्रचालन लागत और कम होगी।

(3) भूजल को मीठा बनाना। राज्य निधि इन संयंत्रों की लागत कम कर देगी जिससे स्थानीय सरकारों के लिए परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में कमी आएगी। स्थानीय सरकार की पूंजीगत लागत कम करके इन संयंत्रों से आने वाले जल की लागत भी कम होगी। भूमिगत जल को मीठा बनाने संबंधी संयंत्रों के लागू होने से जल आपूर्ति के अधिक महंगे वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता भी टल जाएगी जिससे पूंजीगत लागत तथा प्रचालन लागत और कम होगी।

(4) जल संरक्षण। राज्य निधि इन परियोजनाओं की लागत कम कर देगी जिससे स्थानीय सरकारों के लिए लागत में कमी आएगी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन

परियोजनाओं के कारण जल की माँग में कमी आने से प्रचालन लागत कम हो जाएगी और जल की नई माँग को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिक महंगी पूंजीगत परिव्यय परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन की लागत अस्थायी अथवा स्थायी रूप से टल जाएगी।

(5) बाढ़ नियंत्रण जलाशयों की मरम्मत करना। राज्य निधि स्थानीय सरकार के लिए इन परियोजनाओं की लागत कम कर देगी।

(6) San Francisco खाड़ी पुनरुद्धार प्राधिकरण निधि। San Francisco की खाड़ी के आस-पास बाढ़ सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली नम भूमि परियोजनाओं में राज्य निवेश से जलवायु परिवर्तन से संबंधित बाढ़ का जोखिम कम होगा। इससे अन्य बाढ़ नियंत्रण विधेयकों की लागत में कमी आएगी और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि इससे बाढ़ से होने वाला नुकसान कम होगा जिसके परिणामस्वरूप प्रायः सुविधा-केंद्र मरम्मत के लिए स्थानीय सरकार को अत्यधिक लागत वहन करनी पड़ती है।

(7) तूफानी जल वित्तपोषण। राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न क्षेत्रीय जल गुणवत्ता नियंत्रण बोर्डों द्वारा लागू किए गए विनियमनों से कई बिलियन डॉलर की विभिन्न पूंजी परिव्यय परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा। इस विधेयक के माध्यम से निधि प्रदान करने से स्थानीय सरकारों के लिए इन परियोजनाओं की लागत में कमी आएगी।

(8) मछली पालन पुनरुद्धार। यह प्रभाग मछली पालन के पुनरुद्धार के लिए कई सौ मिलियन डॉलर उपलब्ध कराता है। स्थानीय तथा क्षेत्रीय जल एजेंसियां स्वैच्छिक रूप से इनमें से कई परियोजनाओं को लागू कर रही हैं। राज्य निधि उपलब्ध कराकर यह प्रभाग स्थानीय लागत को कम करेगा। इसके अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप मछलियों की संख्या में वृद्धि होने से स्थानीय जल आपूर्ति में सुधार होगा जिससे सैंकड़ों मिलियन अथवा कई बिलियन डॉलर की लागत वाली प्रतिस्थापन जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय सरकार पर आने वाली लागत को टाला जा सकेगा।

(9) खाड़ी क्षेत्र की क्षेत्रीय विश्वसनीयता। San Francisco खाड़ी क्षेत्र ज़िले सूखे के दौरान जल आपूर्ति के लिए अधिक विश्वसनीयता तथा अन्य लाभों के लिए अपनी जल आपूर्ति को परस्पर जोड़ने के लिए अपनी जल वितरण प्रणालियों में व्यापक सुधार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए निधि उपलब्ध कराकर यह प्रभाग उनकी लागत में दो सौ पचास मिलियन डॉलर (\$250,000,000) की कमी लाएगा।

(10) Friant Kern नहर की मरम्मत। भूजल की अधिक निकासी से Friant Kern नहर के जल स्तर में कमी आई है। नहर की मरम्मत के लिए राज्य निधि उपलब्ध कराने से स्थानीय जल जिलों को नहर की मरम्मत के लिए आने वाली लागत में कमी आएगी। इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए

लागत से बचने से इन जिलों द्वारा ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली लागतों में भी प्रति वर्ष दसियों मिलियन डॉलर की बचत होगी।

(11) Oroville Dam की मरम्मत। हालाँकि Oroville Dam की मरम्मत की लागत संघीय सरकार द्वारा संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अथवा यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से कवर की जानी चाहिए, फिर भी संघीय सरकार संभवतः इस दायित्व को पूरा नहीं कर पाएगी। यदि राज्य जल संसाधन विकास प्रणाली ठेकेदारों, जो कि सभी स्थानीय एजेंसियाँ हैं, को इन लागतों को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वसूलने के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह प्रभाग उनकी लागत दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) तक कम कर देगा। ब्याज पर आने वाली लागतें भी कम होगी।

(r) प्रभाग 26.7 (जो अनुभाग 79700 से शुरू होता है) के अनुसरण में भंडारण परियोजनाओं को व्यापक निधि आबंटित की जानी शेष है। इस कारण से और इस निधि को प्रदान करने में California जल आयोग के कार्य में दखल न देने के लिए इस विधेयक में विशिष्ट भंडारण परियोजनाओं के निर्माण के लिए वित्तपोषण शामिल नहीं है।

अध्याय 3. परिभाषाएं

86002. जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, इस अनुभाग में निर्धारित परिभाषाएं निम्नानुसार इस प्रभाग की संरचना को शासित करती हैं:

(a) "संरक्षण" का अर्थ पुनर्वास, स्थिरीकरण, पुनरुद्धार, संरक्षण, घटा हुआ जल उपयोग, विकास और पुनर्निर्माण, या उन कार्यकलापों का कोई भी मिश्रण है।

(b) "निजी जमीनों पर संरक्षण कार्य" का अर्थ इच्छुक भूस्वामियों के लिए लागू ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनमें परिस्थितियों और प्राकृतिक वास एवं वन्यजीवन के लिए खतरों में बदलाव के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलक और लचीला प्रबंधन शामिल है। ये निवेश और कार्रवाइयाँ विशेष रूप से निजी जमीनों पर प्राकृतिक वास परिस्थितियों का सृजन करने के लिए निर्मित हैं जिनसे समय के साथ परिवर्तनशील प्रबंधन से अनिवार्य पारिस्थितिकीय प्रणालियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थायित्व तथा वन्य जीवों की संख्या को बढ़ावा मिलता है।

(c) "Delta" का अर्थ है अनुभाग 12220 में परिभाषित Sacramento-San Joaquin Delta

(d) "विभाग" का अर्थ है जल संसाधन विभाग।

(e) "विलवणीकरण" का अर्थ है प्रदूषित भूजल अथवा खारे जल सहित नमक वाले जल के अन्य आंतरिक स्रोतों से नमक तथा अन्य संदूषकों को हटाना।

(f) "लाभंचित समुदाय" का अर्थ यथासंशोधित अनुभाग 79505.5 के उपखंड (a) में निर्धारित अर्थ से है।

(g) "शुष्क मौसम अपवाह" को अनुभाग 10561.5 में परिभाषित किया गया है।

(h) "आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र" का अर्थ यथासंशोधित अनुभाग 79702 के उपखंड (k) में निर्धारित अर्थ से है।

(i) "वित्त समिति" का अर्थ अनुभाग 86182 द्वारा बनाई गई जल आपूर्ति विश्वसनीयता तथा सूखा रक्षा वित्त समिति से है।

(j) "निधि" का अर्थ अनुभाग 86169 द्वारा बनाई गई 2018 की जल आपूर्ति विश्वसनीयता तथा सूखा रक्षा निधि से है।

(k) "भूजल स्थायित्व एजेंसी" का अर्थ अनुभाग 10721 के उपखंड (j) में परिभाषित एजेंसी से है।

(l) "एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना" का अर्थ है - एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के लिए ऐसी व्यापक योजना जो अनुभाग 6 के यथासंशोधित भाग 2.2 (जो अनुभाग 10530 से शुरू होता है) की आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

(m) "आक्रामक पौधे" का अर्थ है ऐसा स्थलीय अथवा जलीय पौधा जो California का स्थानीय पौधा नहीं है और जो शून्य अथवा न के समान कृषि संबंधी मूल्य का है जो निम्नलिखित में से कोई प्रतिक्रिया करता हो: स्थानीय पौधों का स्थान ले लेता है, स्थानीय पौधों की जैव-विविधता के लिए खतरा है, कृषि संबंधी अथवा चारागाह भूमि की उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है, वन्य जीवों के प्राकृतिक वास को क्षति पहुंचाता है, आग का खतरा पैदा करता है, अथवा इसके द्वारा विस्थापित किए जाने वाले पौधों की तुलना में अधिक जल का उपभोग करता है।

(n) "बहुलाभ परियोजना" का अर्थ है ऐसी परियोजना जो बाढ़ प्रबंधन, जल आपूर्ति, जल की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरणीय संवर्धन, मनोरंजन, ऊर्जा संरक्षण, जलवायु-परिवर्तन करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने, और मछली तथा वन्य जीव सुधार सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, एक से अधिक उद्देश्य पूरे करती है।

(o) "लाभ-निरपेक्ष संगठन" का अर्थ है ऐसा संगठन जो California में व्यवसाय करने के लिए योग्यता प्राप्त है और जिसे राज्य तथा संघीय कानून द्वारा अनुमत सीमा तक आंतरिक राजस्व संहिता के अनुभाग 501(c)(3) अथवा अनुभाग 501(c)(6) के तहत छूट प्राप्त है।

(p) "रक्षण" का अर्थ है ऐसे कार्य जो व्यक्तियों, संपत्ति अथवा प्राकृतिक संसाधनों को होने वाले नुकसान अथवा क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हैं अथवा ऐसे कार्य जो संपत्ति अथवा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा आनंद प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं और जिनमें सार्वजनिक संसाधन संहिता के अनुभाग 75005 के उपखंड (i) में परिभाषित

की गई व्याख्या के अनुसार अधिग्रहण, विकास, पुनरुद्धार, संरक्षण, परिरक्षण तथा व्याख्या शामिल हैं।

(q) “सार्वजनिक एजेंसी” का अर्थ है ऐसी राज्य एजेंसी अथवा विभाग, विशेष ज़िला, संयुक्त शक्ति प्राधिकरण, शहर, काउंटी, शहर तथा काउंटी, अथवा राज्य का कोई अन्य राजनैतिक उपखंड।

(r) “सार्वजनिक जल प्रणालियों” को स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संहिता के अनुभाग 116275 के उपखंड (h) में परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है अनुभाग 10617 में परिभाषित किए गए अनुसार निजी स्वामित्व वाले जल आपूर्तिकर्ताओं सहित क्षेत्रीय, नगरपालिका तथा ज़िला शहरी जल आपूर्तिकर्ता।

(s) “पुनरुद्धार” का अर्थ भौतिक संरचनाओं या सुविधाओं का सुधार है और प्राकृतिक प्रणालियों एवं प्राकृतिक दृश्य की विशेषताओं के मामले में निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: ऐसी परियोजनाएं जो भौतिक और पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करती हैं, जिनमें ये शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; भूमि के कटाव का नियंत्रण; तलछट प्रबंधन, आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण और समाप्ति; निर्धारित ज्वलन; ईंधन संकट उपशमन, मौजूदा या पुनरुद्धार किए गए प्राकृतिक संसाधनों से खतरों को दूर रखना; चारागाह, नम भूमि, राइपेरियन और धारा पुनरुद्धार; संपत्ति के प्राकृतिक प्रणाली मूल्य को बढ़ावा देने के लिए अन्य पौधा और वन्यजीवन प्राकृतिक वास सुधार। पुनरुद्धार परियोजनाओं में इन परियोजनाओं के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक लागू करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आयोजन, निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल होंगे।

(t) “अत्यधिक लाभवंचित समुदाय” का अर्थ ऐसा समुदाय है, जिसकी मध्य पारिवारिक आय राज्यव्यापी मध्य पारिवारिक आय के 60 प्रतिशत से कम हो।

(u) “Sierra Nevada जलोत्सारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम” Sierra Nevada क्षेत्र द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण लाभों को बनाए रखने के लिए वन पुनरुद्धार की गति तथा पैमाने को बढ़ाकर California के प्राथमिक जलोत्सारण क्षेत्र के स्वास्थ्य के पुनरुद्धार के लिए एक समन्वित, एकीकृत, सहयोगात्मक कार्यक्रम है।

(v) “राज्य मंडल” का अर्थ है राज्य जल संसाधन नियंत्रण मंडल।

(w) “राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून” का अर्थ है राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून, सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 का भाग 3 (जो अनुभाग 16720 से शुरू होता है) का अध्याय 4।

(x) “तूफानी जल” को अनुभाग 10561.5 के अनुसार परिभाषित किया गया है।

(y) “तूफानी जल संसाधन योजनाएं” को प्रभाग 6 के भाग 2.3 (जो अनुभाग 10560 से शुरू होता है) में दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है।

अध्याय 4. जवाहदेही

86003. (a) (1) प्राकृतिक संसाधन एजेंसी इस प्रभाग के अनुसरण में होने वाले खर्च की कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में स्वतंत्र लेखापरीक्षा का प्रबंध करेगी।

(2) 10 जनवरी, 2020 को अथवा इससे पहले और उसके बाद प्रत्येक छह माह में, प्राकृतिक संसाधन एजेंसी अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी जिसमें इस प्रभाग के अनुभाग द्वारा सार रूप में दी गई सूचना के साथ पिछले छह माह के लिए इस प्रभाग से संबंधित निम्नलिखित सम्पूर्ण सूचना होगी:

(A) वित्तपोषण के भार।

(B) वित्तपोषित की गई नई परियोजनाओं का सार।

(C) पूरी की गई परियोजनाओं का सार।

(D) अनुभाग 86157 के अनुसरण में स्थापित सफलता के मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए प्रगति पर चर्चा।

(E) राज्य एजेंसियों तथा वित्तपोषण प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं के समक्ष परियोजनाओं को लागू करने में आई सामान्य चुनौतियों पर चर्चा।

(F) परियोजनाओं को लागू करने में राज्य एजेंसियों तथा वित्तपोषण प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं की प्रमुख उपलब्धियों और अर्जित की गई सफलताओं पर चर्चा।

(3) यह उपखंड केवल 1 जनवरी, 2028 तक ही लागू रहेगा और उस तारीख से प्रचालन में नहीं रहेगा।

(b) वित्त विभाग अथवा नियंत्रक अथवा California के राज्य लेखापरीक्षक विधान मंडल के निर्देश पर इस अधिनियम के अनुसरण में निधि प्राप्त कर रही किसी राज्य एजेंसी के खर्च की लेखापरीक्षा कर सकते हैं।

(c) इस प्रभाग द्वारा प्राधिकृत वित्तपोषण से कोई अनुदान जारी करने वाली राज्य एजेंसी से अपेक्षित होगा कि वह अनुदान से प्राप्त वित्तपोषण से किए गए खर्चों की पर्याप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

अध्याय 5. जल आपूर्ति तथा जल की गुणवत्ता में सुधार

अनुच्छेद 1. सुरक्षित पेयजल

86004. निधि में से सात सौ पचास मिलियन डॉलर (\$750,000,000) की राशि जल गुणवत्ता में सुधार लाने अथवा California के सभी निवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित, और विश्वसनीय पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए खर्च, अनुदानों तथा ऋणों के लिए राज्य बोर्ड के लिए निर्धारित की जाती है।

86005. इस अनुच्छेद के अनुसरण में योग्य परियोजनाओं से एक लाभकारी उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। इस अनुच्छेद के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(a) जल अथवा संदूषण के स्रोत पर ध्यान दिए बिना पेयजल आपूर्तियों में संदूषणों की मात्रा में कमी लाना।

(b) पेयजल आपूर्तियों के लिए संदूषण के जोखिम का आकलन करना तथा इसकी प्राथमिकता निर्धारित करना।

(c) सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति पर ध्यान देने वाली परियोजनाओं सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, लाभवंचित, ग्रामीण अथवा छोटे समुदायों, जो संदूषित अथवा अपर्याप्त पेयजल आपूर्तियों की समस्या का सामना करते हैं, की गंभीर तथा वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

(d) निजी, संघीय, राज्य, और स्थानीय पेयजल की गुणवत्ता और बेकार जल के शोधन के लिए अन्य निधियों को बढ़ाना।

(e) लाभवंचित समुदायों को ऐसी सार्वजनिक पेयजल अवसंरचना उपलब्ध कराना जो स्वच्छ, सुरक्षित, और विश्वसनीय पेयजल आपूर्तियाँ उपलब्ध कराए जिससे समुदाय लंबी अवधि में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(f) California के समुदायों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित, विश्वसनीय तथा सस्ते पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करना।

(g) पेयजल के प्राथमिक तथा द्वितीयक मानदंडों को पूरा करना अथवा पेयजल के प्राथमिक अथवा द्वितीयक मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्य अथवा संघीय सरकार द्वारा चिह्नित संदूषकों को हटाना।

86006. इस अनुच्छेद के अनुसार वित्त-पोषण से शोधित किए जा सकने वाले दूषकों में आगे उल्लिखित दूषक शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं - सीसा, नाइट्रेट, परक्लोरेट, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल एथर (MTBE), आर्सेनिक, सेलेनियम, हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम, मर्करी, परक्लोरोथाइलीन (PCE), ट्राइक्लोरोइथिलीन (TCE), डाइक्लोरोइथीन (DCE), डाइक्लोरोइथेन (DCA), 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन (TCP), कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1,4-डायोक्सेन, 1,4-डायोक्सासाइक्लोहेक्सेन, नाइट्रोसोडिमिथाइलएमाइन, ब्रोमाइड, आयरन, मैंगनीज़, कुल विघटित ठोस पदार्थ, इलेक्ट्रिकल सुचालकता, और यूरेनियम।

86007. (a) (1) अनुभाग 86004 द्वारा प्राधिकृत निधियों में से पाँच सौ मिलियन डॉलर (\$500,000,000) स्वच्छ पेयजल मानदंडों को पूरा करने, सस्ता पेयजल सुनिश्चित करने अथवा दोनों के लिए सार्वजनिक जल प्रणाली अवसंरचना में सुधारों तथा संबंधित कार्रवाइयों के लिए अनुदानों और ऋणों के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो ऐसे लाभवंचित समुदायों, जिनका पेयजल स्रोत रासायनिक और नाइट्रेट संदूषकों और

राज्य मंडल द्वारा चिह्नित अन्य स्वास्थ्य जोखिमों द्वारा दूषित है, में संदूषण के लिए शोधन अथवा छोटी सामुदायिक जल प्रणालियों अथवा राज्य लघु जल प्रणालियों के लिए एक वैकल्पिक पेयजल स्रोत अथवा कई स्रोत उपलब्ध कराती हैं। योग्य प्राप्तकर्ता वंचित समुदायों को सेवा प्रदान करते हैं और ये सार्वजनिक जल प्रणालियाँ अथवा सार्वजनिक एजेंसियाँ होती हैं।

(2) योग्य खर्च में लाभवंचित समुदायों को सेवा प्रदान करने वाली प्रणालियों के लिए प्रारंभिक प्रचालन एवं रखरखाव लागतें शामिल की जा सकती हैं। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो बहुत से समुदायों को साझा समाधान उपलब्ध करवाती हैं और जिनमें से कम से कम एक ऐसा लाभवंचित समुदाय हो जिसके पास सुरक्षित, सस्ते पेयजल का अभाव हो और जिसे एक छोटी सामुदायिक जल प्रणाली, राज्य लघु जल प्रणाली अथवा एक निजी कुएं से जल प्राप्त होता हो। निर्माण अनुदान प्रति परियोजना पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) तक सीमित होगा सिवाए इसके कि राज्य मंडल ऐसी परियोजनाओं के लिए बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000) तक की सीमा निर्धारित कर सकता है जो क्षेत्रीय लाभ उपलब्ध कराती हैं अथवा दो अथवा अधिक पेयजल प्रणालियों, जिनमें से कम से कम एक छोटा लाभवंचित समुदाय होगा, के समेकन सहित बहुत-सी इकाइयों के बीच साझा की जाती हैं। किसी अनुदान के 50 प्रतिशत से कम की राशि वास्तविक खर्च से पहले नहीं दी जा सकती है।

(3) इस उपखंड के प्रयोजन से "प्रारंभिक प्रचालन एवं रखरखाव लागत" का अर्थ है एक निर्माण वित्तपोषण समझौते के अंतर्गत ऐसी प्रारंभिक, योग्य तथा प्रतिपूर्ति योग्य लागत जिसका खर्च परियोजना को पूरा माना जाने के लिए निर्मित परियोजना के प्रारंभिक स्टार्टअप परीक्षण तक तथा इसके सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, किया जाता है। इस अनुभाग के अनुसरण में प्रारंभिक प्रचालन तथा रखरखाव लागत तीन वर्ष तक की अवधि के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने के योग्य हैं।

(b) इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत निधि में से दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) तक की राशि स्वास्थ्य तथा रक्षा संहिता के अनुभाग 116276 के अनुसरण में विद्यालयों के लिए पेयजल अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के लिए उपलब्ध होगी।

86008. अनुभाग 86004 द्वारा प्राधिकृत निधि में से दो सौ पचास मिलियन डॉलर (\$250,000,000) की राशि बेकार जल के शोधन संबंधी परियोजनाओं के लिए अनुदानों तथा ऋणों के लिए राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण परिक्रामी निधि, अनुभाग 13477.6 के अनुसरण में सृजित लघु समुदाय अनुदान निधि में जमा किए जाने के लिए उपलब्ध होगी। ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो लाभवंचित

समुदायों और अत्यधिक लाभवंचित समुदायों को सेवा उपलब्ध कराती हैं और ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर ध्यान देती हैं। इन परियोजनाओं में ऐसी परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं, परंतु यह इन तक सीमित नहीं होगी, जो बेकार जल संबंधी प्रणालियों के समेकन अथवा सस्ती शोधन प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय तंत्रों को चिह्नित, नियोजित, डिजाइन और लागू करती हैं।

86009. अनुभाग 86004 द्वारा प्राधिकृत निधि में से साठ मिलियन डॉलर (\$60,000,000) तक की राशि निजी संपत्ति पर पेयजल अवसंरचना अथवा बेकार जल में सुधार अथवा दोनों के लिए अथवा अन्तरिम प्रतिस्थापन पेयजल आपूर्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(a) निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है:

(1) पेयजल कुओं के जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए।

(2) लैटर्ल्स संस्थापित करने और इनकी मरम्मत, निजी कुओं अथवा ऑनसाइट बेकार जल संबंधी प्रणालियों की मरम्मत अथवा इन्हें बदलने, छोड़ दिए गए कुओं और विषैले जल की प्रणाली संबंधी अवसंरचना को सही ढंग से बंद करने, और निवास स्थानों को एक सार्वजनिक जल अथवा बेकार जल संबंधी प्रणाली से जोड़ने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए।

(3) आंतरिक पेयजल नलसाजी और जुड़नार, जिनमें सीसा होता है, को बदलने के लिए।

(4) अंतरिम प्रतिस्थापन पेयजल आपूर्तियाँ उपलब्ध कराने के लिए।

(b) राज्य मंडल इस अनुभाग के अंतर्गत अनुमत क्रियाकलापों के लिए वित्तपोषण करने के लिए एक परिक्रामी ऋण निधि स्थापित कर सकता है।

(c) उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी मोबाइल घर स्वामियों और कमजोर वर्ग के लोगों सहित कम-आय वाले गृह स्वामियों की सहायता करती हैं।

86010. (a) इस अनुच्छेद के अनुसरण में वित्त-पोषण प्रदान करने के उद्देश्यों से परियोजना की कुल लागतों के कम से कम 50 प्रतिशत की स्थानीय लागत भागीदारी की आवश्यकता होगी। लागत-भागीदारी की इस अपेक्षा से उन परियोजनाओं को छूट दी जा सकती है, जिनसे लाभवंचित समुदाय या किसी आर्थिक रूप से अभावग्रस्त क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता हो।

(b) इस अनुच्छेद के अनुसरण में उपलब्ध निधियों में से कम से कम 10 प्रतिशत निधियाँ अत्यधिक लाभवंचित समुदायों के

लाभ के लिए चलाई जाने वाली परियोजनाओं हेतु आबंटित की जाएगी।

(c) इस अनुच्छेद के अनुसरण में उपलब्ध निधियों का 15 प्रतिशत तक लाभवंचित समुदायों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए आबंटित किया जा सकता है। राज्य मंडल छोटे तथा लाभवंचित समुदायों के लिए एक बहुविषयक तकनीकी सहायता कार्यक्रम प्रचालित करेगा जिसमें पहुँच तथा शिक्षा, आवश्यकताओं का आकलन, समुदायों को सुरक्षित पेयजल अथवा बेकार जल के शोधन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोणों की समीक्षा, परियोजना का चयन तथा डिजाइन, मंडल और प्रचालक प्रशिक्षण, और लाभवंचित समुदायों को सेवा उपलब्ध कराने वाले सुविधा केन्द्रों के लिए समुदायों को स्वच्छ पेयजल अथवा बेकार जल के शोधन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अन्य तकनीकी, प्रबंधकीय, और क्षमता निर्माण सहायता शामिल हो सकते हैं, परंतु यह इन तक सीमित नहीं होगा। एजेंसी ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी लाभ-निरपेक्ष संगठन, संसाधन संरक्षण ज़िले, अथवा अन्य स्थानीय एजेंसी से भी संपर्क कर सकती है।

अनुच्छेद 2. जल का पुनर्चक्रण और विलवणीकरण

86020. निधि में से चार सौ मिलियन डॉलर (\$400,000,000) की राशि बेकार जल के पुनर्चक्रण संबंधी परियोजनाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी आधार पर अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित योग्य निकायों को अनुदान और ऋण देने के लिए राज्य मंडल के लिए निर्धारित की जाती है। इस अनुभाग के अनुसरण में अनुदान निम्नलिखित में से सभी के लिए दिए जा सकते हैं:

(a) पेयजल और पेयजल के अतिरिक्त अन्य जल की पुनर्चक्रण संबंधी परियोजनाओं के लिए शोधन, भंडारण, संवहन, खारे पानी के निपटान, और वितरण सुविधाओं सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, जल की पुनर्चक्रण संबंधी परियोजनाएं।

(b) पुनर्चक्रण किए गए जल के उपयोग के लिए आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि, मछली और वन्य जीवों के प्राकृतिक वास और औद्योगिक अंतिम-उपयोगकर्ता रेट्रोफिट परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट वितरण अवसंरचना।

(c) नई पेयजल पुनःउपयोग और संदूषक हटाने वाली प्रौद्योगिकी के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं।

(d) बहुलाभ पुनर्चक्रण किए गए जल संबंधी ऐसी परियोजनाएं जो जल की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं।

(e) बहुलाभ पुनर्चक्रण किए गए जल संबंधी ऐसी परियोजनाएं जो नम भूमि और अन्य वन्य जीव प्राकृतिक वास की रक्षा, संरक्षण, तथा पुनरुद्धार करती हैं।

(f) लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी सहायता और अनुदान लिखने में सहायता।

86021. निधि में से चार सौ मिलियन डॉलर (\$400,000,000) की राशि खारे भूजल के विलवणीकरण और खारे पानी के विलवणीकरण संबंधी ऐसी अन्य परियोजनाओं जो राज्य मंडल द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार प्रत्यक्ष रूप से California के तटवर्ती प्राकृतिक वास, मुहानों, तटीय खाड़ियों, तटीय झीलों, अथवा समुद्री जल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करतीं, के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित किए गए अनुसार योग्य निकायों को अनुदान देने के लिए राज्य मंडल के लिए निर्धारित की जाती है। इस अनुभाग के अनुसरण में अनुदान इस अनुभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप अवश्य होने चाहिए और निम्नलिखित में से सभी के लिए दिए जा सकते हैं:

(a) शोधन, भंडारण, संवहन और वितरण सुविधाएं। परियोजनाओं में नमक के अतिरिक्त संदूषकों को भी हटाया जा सकता है परंतु इनका निर्माण तथा प्रचालन प्राथमिक रूप से नमक को हटाने के लिए किया जाएगा।

(b) नमक निकाले गए जल के उपयोग के लिए आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि, मछली और वन्य जीवों के प्राकृतिक वास और औद्योगिक अंतिम-उपयोगकर्ता रेट्रोफिट परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने के लिए वितरण अवसंरचना।

(c) नमक निकालने संबंधी ऐसी बहुलाभ परियोजनाएं जो जल की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं।

(d) लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी सहायता और अनुदान लिखने में सहायता।

(e) नमक हटाने से संबंधित बहुत से लाभों वाली ऐसी परियोजनाएं जो सिंचित भूमि और अन्य वन्यजीवन आवास के लिए जल की आपूर्ति करती हैं।

(f) लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी सहायता और अनुदान लिखने में सहायता।

86022. इस अनुच्छेद के अनुसरण में दिया गया कोई भी अनुदान परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, लेकिन यह अपेक्षा परियोजनाओं के ऐसे भाग के लिए समाप्त या कम की जा सकती है जो प्रमुख रूप से लाभवंचित समुदायों, आर्थिक रूप से तंग क्षेत्रों या वन्यजीवन आवास को सेवा प्रदान करती हैं।

86023. इस अनुच्छेद के अनुसरण में वित्तपोषित परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर चुना जाएगा और निम्नलिखित मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी:

(a) जल आपूर्ति निर्भरता सुधार।

(b) Delta से या स्थानीय नदियों और झरनों से विपथन पर घटी हुई निर्भरता से संबंधित जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ और स्थानीय प्रापक जलों में लाभप्रद उपयोगों और जल गुणवत्ता लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित लाभ।

(c) पेय जल की सुधरी हुई गुणवत्ता या आपूर्ति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ।

(d) निवेश किए गए प्रति डॉलर और राज्य मंडल द्वारा अपनाए गए अन्य लागत-प्रभावकारिता मापदंड के अनुसार उत्पादित जल की मात्रा के आधार पर लागत-प्रभावकारिता।

(e) ऊर्जा दक्षता और ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमियाँ।

(f) लाभवंचित समुदायों को लाभ पहुँचाते हुए जल आपूर्ति या जल गुणवत्ता सुधार।

(g) मछली और प्राकृतिक वास का परिरक्षण और पुनरुद्धार और इसके साथ-साथ मछली और वन्यजीवन के लिए विश्वसनीय जल आपूर्ति का प्रावधान।

अनुच्छेद 3. जल संरक्षण

86030. तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000) की राशि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निधियों से विभाग के लिए निर्धारित की जाती है:

(a) घास हटाने संबंधी राज्य-व्यापी कार्यक्रम।

(1) इस कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी संपत्ति के स्वामियों को अपनी सिंचित या जलयुक्त भूमि को कम पानी का उपयोग करने वाले उपयुक्त पौधों सहित सूखा सहने वाले पौधों में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। विभाग ऐसी अधिकतम राशि निर्धारित करेगा जिसे प्रत्येक आवेदक प्राप्त कर सके और कम आय वाले ऐसे गृहस्वामियों को वित्तीय प्रोत्साहन देगा जो भूदृश्य जल परिवर्तन कार्यक्रम में भाग लेने का अन्यथा खर्च नहीं उठा सकते थे। इस कार्यक्रम को आबंटित कम से कम 75 प्रतिशत निधियों को आवासीय संपत्ति के मालिकों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। विभाग जल आपूर्ति के संबंध में लागत-प्रभावकारिता के आधार पर गैर-निवासी आवेदकों को अनुदान देगा। प्रत्येक अनुदान को वर्तमान जल उपयोग की तुलना में पानी की खपत में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी करनी होगी।

(2) सबसे किफ़ायती परियोजनाओं और राज्य निवेश के आधार पर सबसे अधिक पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यावरणीय लाभों में ये सम्मिलित होंगे, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं होंगे - सूखे का प्रतिरोध करने वाले मूल तथा अन्य पौधों को रोपना, पानी के खपत संबंधी उपयोग में कमी, और पर्यावरणीय लाभों के लिए पानी की अधिक उपलब्धता।

(3) विभाग ऐसे सेवा क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की योग्यता को अस्वीकार नहीं करेगा या इसमें कमी नहीं करेगा जिन्होंने पहले घास हटाने संबंधी छूट कार्यक्रमों की पेशकश की है बशर्ते कि निवासी ने कार्यक्रम में भाग न लिया हो।

(4) भूदृश्य के परिवर्तन की परियोजना के उपभोक्ता के हिस्से का भुगतान करने के लिए बिल पर चुकौती तंत्र विकसित करने के लिए विभाग अनुभाग 86166 के उपखंड (a) और सार्वजनिक उपयोगिताएं आयोग में परिभाषित किए अनुसार योग्य निकायों के साथ सहयोग करेगा।

(b) रिसाव का पता लगाना।

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के रिसावों में कमी करने, उस स्थिति में उनके ग्राहकों की जल प्रणालियों में रिसावों को समाप्त करने यदि जल प्रणाली का प्रचालक यह निर्धारित करता है कि ग्राहक रिसाव का पता लगाना और इसे समाप्त करना जल प्रणाली के प्रचालक की जल आपूर्ति में सुधार करने का किफायती तरीका है और सार्वजनिक लाभ प्रदान करता है, और आवासीय, संस्थागत, और वाणिज्यिक संपत्तियों में उपकरण स्थापित करने के लिए सार्वजनिक जल प्रणालियों को समान आधार पर प्रतिस्पर्धी अनुदान। विभाग जल आपूर्ति के संबंध में लागत-प्रभावकारिता के आधार पर अनुदान देगा। इस उपखंड के अनुसरण में अनुदान प्राप्त करने वाले जल प्रणाली प्रचालक लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में रिसाव का पता लगाने और जल के बेकार होने को समाप्त करने से संबंधित कार्यक्रमों को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे।

(2) दिया जाने वाला कोई भी अनुदान परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। दिए जाने वाले ऐसे अनुदान के लिए लागत हिस्सेदारी में कमी की जा सकती है या इसे समाप्त किया जा सकता है जो मुख्य रूप से किसी लाभवंचित समुदाय या आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र में आवासीय संपत्ति के मालिकों को लाभ पहुंचाता हो।

(c) शौचालय को बदलना। प्रति फ्लश तीन गैलन से अधिक का उपयोग करने वाले शौचालयों को ऐसे नए शौचालयों जो पानी की बचत करते हैं और प्रति फ्लश 1.28 गैलन या इससे कम पानी का उपयोग करते हैं, से बदलने के लिए अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित किए अनुसार सार्वजनिक जल प्रणालियों या योग्य निकायों को समान आधार पर प्रतिस्पर्धी अनुदान। विभाग जल आपूर्ति के संबंध में लागत-प्रभावकारिता के आधार पर अनुदान देगा। इस उपखंड के अनुसरण में अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में शौचालय को बदलने से संबंधित कार्यक्रमों को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे।

(d) पानी के मीटर। ऐसे लाभवंचित समुदाय में पानी के मीटर लगाना जिनमें मीटर नहीं लगाए जाते।

(e) ऊर्जा बचाने वाला पानी का संरक्षण। ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने वाली जल संरक्षण परियोजनाएं आरंभ करने के लिए सार्वजनिक जल प्रणालियों को समान आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान। इन परियोजनाओं में जल संरक्षण कार्यक्रमों से आने वाली ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कमियों को दर्ज किया जाएगा। विभाग जल आपूर्ति के साथ-साथ ऊर्जा की बचत के संबंध में लागत-किफायत के आधार पर अनुदान देगा। लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में कार्यक्रमों के सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

(f) इस अनुभाग के अनुसरण में विनियोग की गई निधियों के आबंटन के तरीके का निर्धारण करने के लिए, विभाग यह निर्धारित करेगा कि कौन-सी प्रौद्योगिकियाँ किफायती हैं, सबसे अधिक पर्यावरणीय लाभ उत्पन्न करती हैं और लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ प्रदान करती हैं।

(g) इस अनुभाग के अनुसरण में अनुदान प्राप्त करने वाला कोई निकाय ऐसी परिक्रामी निधि की स्थापना करने के लिए अनुदान निधियों का उपयोग कर सकता है जिनसे निकाय पानी के संरक्षण के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सके। ब्याज की दर निकाय द्वारा तय की जाएगी और निकाय उचित प्रशासन शुल्क वसूल कर सकता है जिसका भुगतान ऋण की अवधि में ऋण पर ब्याज के साथ किया जाना होगा। इस कार्यक्रम के अनुसरण में ऋण के संबंध में किए गए भुगतान परिक्रामी निधि को लौटाए जाएंगे जिनका उपयोग जल संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त ऋणों के लिए किया जाएगा। इस अनुभाग के अनुसरण में दिए गए ऋण 15 वर्ष, या जल संरक्षण परियोजना की उपयोगी कार्यविधि, जो कोई भी कम हो, तक हो सकते हैं।

86031. पंद्रह मिलियन डॉलर (\$15,000,000) की राशि नवीन जल और ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में तेज़ी लाने और पानी के संरक्षण को California के जीवन का तरीका बनाना जारी रखने में सहायता करने के लिए जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए राज्य ऊर्जा संसाधन संरक्षण और विकास आयोग से निर्धारित की जाती है।

86032. (a) इस अनुभाग का प्रयोजन Delta में सहायक नदियों के प्रवाह में सुधार करना और जल अधिकार धारकों पर प्रभावों को न्यूनतम करते हुए संरक्षित कृषि जल के अंतरण में तेज़ी लाना है।

(b) पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) की राशि स्थानीय एजेंसियों को कृषि जल संरक्षण परियोजनाओं के निर्माण और इन्हें लागू करने और अनुभाग 79158 के अनुसार अनुदानों के लिए सहायता करने के लिए समान अनुदान के लिए विभाग की निधि से निर्धारित की जाती है।

(c) इस अनुभाग के अंतर्गत अनुदान का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए, विभाग यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना के परिणामस्वरूप पानी की निवल बचत होगी और क्या परियोजना किफायती और तकनीकी रूप से उत्तम है।

(d) इस अनुभाग के अंतर्गत कोई परियोजना विभाग से अनुदान की राशि के रूप में पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) से अधिक प्राप्त नहीं करेगी।

(e) विभाग सबसे अधिक किफायती और तकनीकी रूप से उत्तम परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा।

(f) ऐसे अनुदानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके परिणामस्वरूप पानी की बचत होती है जिसका उपयोग Delta में सहायक नदियों के बढ़े हुए प्रवाह के माध्यम से मछली और वन्यजीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। अन्य उपयोगों और अंतरणों के लिए आंतरिक जल ज़िला कुशलता में सुधार करने वाले अनुदान वित्तपोषण के लिए भी योग्य हैं।

(g) कोई भी परियोजना उन प्रभावों को महत्वपूर्ण स्तर तक कमी किए बिना मछली या वन्यजीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। कमी करने की लागत अनुदान निधियों में सम्मिलित की जा सकती है।

अनुच्छेद 4. बेहतर जल गुणवत्ता के लिए बाढ़ प्रबंधन

86040. (a) दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) की राशि इनके लिए निधियों से Central Valley बाढ़ संरक्षण बोर्ड के लिए निर्धारित की जाती है:

(1) मनोरंजन के अवसर प्रदान करने सहित Central Valley बाढ़ संरक्षण मंडल के अधिकार-क्षेत्र के भीतर मौजूदा बाढ़-मार्गों और बाइपासों को बड़ा करना और पर्यावरणीय संवर्धन।

(2) Central Valley बाढ़ संरक्षण मंडल के अधिकार-क्षेत्र के भीतर बाढ़ नियंत्रण सुविधाओं में सुधार और पर्यावरणीय संवर्धन।

(b) इस अनुभाग के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योग्य होने के लिए, कोई परियोजना राज्य एजेंसियों या स्थानीय बाढ़ नियंत्रण ज़िलों या दोनों के लिए घटा हुआ बाढ़ जोखिम, घटा हुआ दायित्व, या घटा हुआ रखरखाव उत्तरदायित्व प्रदान करेगी।

(c) Central Valley बाढ़ संरक्षण मंडल निम्नलिखित को प्राथमिकता देगा:

(1) ऐसी परियोजनाएं जो प्रमुख रूप से लाभवंचित समुदायों या आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ पहुँचाती हैं।

(2) नदियों और बाढ़ के मैदानी भागों को अधिक प्राकृतिक रूप से काम करना संभव बनाकर बाढ़ के जोखिम को कम करने और वन्यजीवन प्राकृतिक वास को बढ़ाने के लिए तैयार

की गई बहुलाभ परियोजनाएं। ये परियोजनाएं अतिरिक्त सार्वजनिक लाभ उत्पन्न करती हैं जैसे खेतों और पशु-फार्मों की रक्षा करना, भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि करना, और सार्वजनिक मनोरंजन अवसर प्रदान करना।

(3) ऐसी परियोजनाएं जिनमें समान निधियाँ सम्मिलित हैं जिनमें अन्य राज्य एजेंसियों से समान निधियाँ सम्मिलित हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं। समान निधि अपेक्षाओं को उस सीमा तक कम या समाप्त किया जा सकता है जिस तक परियोजना लाभवंचित समुदायों या आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाती हो।

(d) Central Valley बाढ़ संरक्षण मंडल इस अनुभाग को लागू करने के लिए अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित किए अनुसार योग्य निकायों को दान दे सकता है।

(e) Central Valley बाढ़ संरक्षण बोर्ड प्राकृतिक वास का पुनरुद्धार करने और ऐसी संबंधित बहुलाभ बाढ़ के मैदानी क्षेत्र का पुनरुद्धार करने वाली परियोजनाओं की अनुमति के लिए कार्यक्रम संबंधी परमिट तैयार करने के लिए इन निधियों में से एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) तक का उपयोग कर सकता है जो उपखंड (a) और (b) में वर्णित मापदंड को पूरा करती हों।

(f) उपखंड (a) में निर्धारित राशि में से, पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) की धनराशि Sacramento Valley में नदियों पर ऐसे मौजूदा बाँधों में बाढ़ नियंत्रण सुधारों का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों को समान अनुदान के लिए दी जाएगी जो शहरीकृत क्षेत्रों की बाढ़ से रक्षा करते हैं। यदि ये निधियाँ 1 जनवरी, 2032 तक इस प्रयोजन के लिए प्रदान नहीं की जातीं, तो इनका इस अनुभाग के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

86041. (a) मूल उद्देश्य या प्रचालन के अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में बाढ़ पर नियंत्रण प्रदान करने वाले जलाशयों की मरम्मत या पुनःप्रचालन के लिए स्थानीय एजेंसियों को 50 प्रतिशत के बराबर आधार पर अनुदान देने के लिए विभाग के लिए निधि से एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000) की राशि निर्धारित की गई है। अनुदान प्राप्तकर्ताओं को यह प्रदर्शित करना होगा कि प्रस्तावित मरम्मत या पुनःप्रचालन से उन जलाशयों में भंडारित जल की मात्रा में बढ़ोतरी होगी जिनका उपयोग लाभदायक रूप में किया जा सकता है। इस अनुभाग के अंतर्गत निर्धारित किसी भी निधि का उपयोग किसी बाँध की ऊँचाई बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा। बाँध के शिखर की ऊँचाई न बढ़ाने वाली स्पिलवे संशोधन परियोजनाएं अनुदान निधियों के योग्य हैं।

(b) 1) इस अनुभाग के अंतर्गत निधि के योग्य बनने के लिए, किसी परियोजना में मनोरंजन के अवसरों में भारी बढ़ोतरीयों का प्रावधान अवश्य होना चाहिए, जैसे नदी प्रवाहिकाओं

के किनारे पथ, तथा जलाशय में गिरने वाली नदी वाहिका के अन्दर और नजदीक एवं, जलाशय के भीतर सुरक्षित जलाशय प्रचालन के सुसंगत सीमा तक मछली एवं वन्यजीवन प्राकृतिक वास में महत्वपूर्ण निवल सुधार। परियोजना की कम-से-कम 10 प्रतिशत लागत मनोरंजन और प्राकृतिक वास के इन उद्देश्यों के लिए आबंटित की जाएगी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निधि का आबंटन विभाग द्वारा तब सीधे राज्य संरक्षक को किया जाएगा यदि परियोजना के क्षेत्र पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाला संरक्षक मौजूद हो। यदि कोई संरक्षक न हो, तो प्राकृतिक संसाधन एजेंसी का California नदी पार्कवे कार्यक्रम इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में यथा परिभाषित योग्य निकाय के साथ अनुबंध करेगा। मरम्मत या पुनःप्रचालित किए जा रहे जलाशय का संचालन करने वाली एजेंसी परियोजना के मनोरंजन और प्राकृतिक वास तत्वों को मंजूरी देगी तथा समीक्षा, योजना की जाँच, परमिट, निरीक्षण, या परियोजना से जुड़ी किसी अन्य संबंधित लागतों के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करेगी, तथा प्राकृतिक वास और मनोरंजन के तत्वों सहित समस्त परियोजना के स्थायी प्रचालन और रखरखाव की व्यवस्था करेगी। इस परिच्छेद को लागू करने के लिए अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में यथा परिभाषित योग्य निकायों को दिए जाने वाले अनुदान परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं।

(2) इस उपखंड की अपेक्षाओं से जुड़ी सभी लागतों का भुगतान इस अनुभाग द्वारा स्थानीय एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई निधि से किया जा सकता है, तथा एजेंसी द्वारा मिलान नहीं किया जाना होता है।

(c) इस अनुभाग के अनुसरण में दिए गए अनुदान भूकम्पीय रेट्रोफिट के उद्देश्य से हो सकते हैं।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में दिए गए कोई भी अनुदान जलाशय के रखरखाव के लिए या जलाशय से या जलाशय अपस्ट्रीम से तलछट को हटाने के लिए नहीं होंगे, सिवाय इसके कि उपखण्ड (a), (b), और (c) के अंतर्गत प्राधिकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

(e) आवेदक प्रमाणित करेंगे कि इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा भुगतान प्राप्त परियोजनाएं स्थायी रूप से प्रचालित और अनुरक्षित रहेंगी।

(f) पहली प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी जाएगी जो लाभवंचित समुदायों को लाभ पहुँचाती हैं।

(g) योग्य जलाशयों के पुनःप्रचालन में सहायता करने वाली परियोजनाएं जल मापन उपकरण की खरीद और संस्थापन, सूचना प्रणालियों के अर्जन, तथा जलाशय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकियों और डेटा के उपयोग के माध्यम से लाभदायक उपयोगों के लिए जल आपूर्ति में बढ़ोतरी करेंगी।

(h) (1) मनोरंजन की सुविधाएं या वन्यजीवन प्राकृतिक वास बनाने के लिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन, खासतौर पर उन मनोरंजन सुविधाओं या प्राकृतिक वास के रखरखाव और निगरानी के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यास निधि स्थापित करने के लिए उन निधियों में से 20 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकते हैं।

(2) इस अनुच्छेद से प्राप्त धन से भूमि, मनोरंजन सुविधाओं या वन्यजीवन प्राकृतिक वास में ब्याज अर्जित करने वाली तथा किसी अन्य पब्लिक एजेंसी को भूमि, मनोरंजन सुविधाओं या वन्यजीवन प्राकृतिक वास में ब्याज का अंतरण वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन भूमि, मनोरंजन सुविधाओं या वन्यजीवन प्राकृतिक वास में उस ब्याज को बनाए रखने के लिए स्थापित की गई न्यास निधि के स्वामित्व का भी अंतरण करेगा।

(3) यह उपखंड राज्य एजेंसियों पर लागू नहीं होता है।

(4) यदि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति या लाभ-निरपेक्ष संगठन इस उपखंड के अनुसरण में किसी न्यास निधि की स्थापना नहीं करते, तो एजेंसी, जनजाति या संगठन अनुदान देने वाली राज्य एजेंसी के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वह निधि से भूमि, मनोरंजन सुविधाओं या वन्यजीवन प्राकृतिक वास का अधिग्रहण या विकास जारी रख सकती है अन्यथा इसे एजेंसी, जनजाति या संगठन को उपलब्ध कराया जाए।

(5) यदि भूमि, मनोरंजन सुविधाओं, या वन्यजीवन प्राकृतिक वास में ब्याज को गलत ठहराया जाता है अथवा यदि स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन यह निर्धारित करता है कि भूमि, मनोरंजन सुविधाओं, या वन्यजीवन प्राकृतिक वास में ब्याज इस अनुच्छेद से प्राप्त धन खर्च करने के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ है, तो न्यास निधि तथा खर्च न किया गया कोई भी ब्याज उस एजेंसी के लिए निर्धारित कर दिया जाता है जिसने धन उपलब्ध कराया था। एजेंसी को लौटाई गई निधि का इस अनुभाग के अनुसरण में केवल परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(i) विभाग उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा जो संयुक्त उपयोग या अन्य एकीकृत सतही/भूमिगत जल परियोजनाओं के माध्यम से भूमिगत जल भराव के लिए जल के प्रावधान के साथ जलाशय के पुनःप्रचालन का समन्वय करती हैं।

86042. सरकारी संहिता के शीर्षक 7.25 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 2 (जो अनुभाग 66704.5 से शुरू होता है) के अनुरूप बाढ़ प्रबंधन, नम भूमि पुनरुद्धार, तथा अन्य परियोजनाओं के लिए बराबर अनुदान प्रदान करने के लिए San Francisco खाड़ी पुनरुद्धार प्राधिकरण के लिए निधि से दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) की राशि

निर्धारित की गई है। इस अनुभाग के उद्देश्य से, बराबर निधियों में स्थानीय सरकारों, क्षेत्रीय सरकारों, संघीय सरकार, निजी दलों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ या San Francisco खाड़ी पुनरुद्धार प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई अन्य निधियाँ शामिल हो सकती हैं। कोई भी अनुदान परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

86043. (a) (1) भूमि में कोई ब्याज प्राप्त करने के लिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन, खासतौर पर भूमि में उस ब्याज के रखरखाव और निगरानी के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यास निधि स्थापित करने के लिए उन निधियों में से 20 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकते हैं।

(2) इस अनुच्छेद से प्राप्त धन से भूमि में ब्याज अर्जित करने वाली तथा किसी अन्य पब्लिक एजेंसी को भूमि में ब्याज का अंतरण वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन भूमि में उस ब्याज को बनाए रखने के लिए स्थापित की गई न्यास निधि के स्वामित्व का भी अंतरण करेगा।

(3) यह उपखंड राज्य एजेंसियों पर लागू नहीं होता है।

(b) यदि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति या लाभ-निरपेक्ष संगठन उपखंड (a) के अनुसरण में किसी न्यास निधि की स्थापना नहीं करते, तो एजेंसी, जनजाति या संगठन अनुदान देने वाली राज्य एजेंसी के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वह निधि से भूमि का अधिग्रहण या विकास जारी रख सकती है अन्यथा इसे एजेंसी, जनजाति या संगठन को उपलब्ध कराया जाए।

(c) यदि भूमि में ब्याज को गलत ठहराया जाता है अथवा यदि स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन यह निर्धारित करता है कि भूमि में ब्याज इस अनुच्छेद से प्राप्त धन खर्च करने के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ है, तो न्यास निधि तथा खर्च न किया गया कोई भी ब्याज उस एजेंसी के लिए निर्धारित कर दिया जाता है जिसने धन उपलब्ध कराया था। एजेंसी को लौटाई गई निधि का इस अध्याय के अनुसरण में केवल परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 5. जल मापन एवं सूचना के लिए वित्तपोषण
86048. जल मापन एवं सूचना प्रणालियों के लिए निधि से साठ मिलियन डॉलर (\$60,000,000) की राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

(a) जल आबंटन, सूखा प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, जल की गुणवत्ता का प्रबंधन, तथा जल अधिकारों के समर्थन में जल के संतुलन, जल के बजटों, विपथनों, एवं जल उपयोग के अनुमानों में सुधार लाने के लिए पद्धतियों के विकास और जल मापन

उपकरण के संस्थापन के लिए विभाग के लिए बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(b) राज्य मंडल के जल अधिकारों का प्रबंधन करने के सामर्थ्य में सुधार लाने वाली सूचना प्रणालियों, प्रौद्योगिकियों, तथा डेटा के विकास के लिए राज्य मंडल के लिए दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) की राशि निर्धारित की गई है। इन प्रणालियों में राज्य मंडल में और अन्य भंडारों में जल अधिकारों संबंधी कागज़ी रिकार्डों के 10 मिलियन पृष्ठों का अंकुरूपण और उपलब्ध कराना तथा जल विपथन और उपयोग के डेटा के लिए डिजिटल भंडार बनाना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(c) California जल सूचना को प्रभाग 6 के भाग 4.9 (जो अनुभाग 12400 से शुरू होता है) के अनुरूप सह-संचालनीय बनाने के उद्देश्य से राज्य मंडल के परामर्श से विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) की राशि अनुभाग 12420 के अनुसरण में स्थापित जल डेटा प्रशासन निधि के लिए निर्धारित की गई है।

(d) बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000) की राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

(1) California विश्वविद्यालय के लिए विभाग राज्य मंडल के सहयोग से जल संसाधन सूचना प्रणाली के मूल तत्व विकसित करने के लिए इसकी बहु-परिसर वाली जल सुरक्षा एवं स्थायित्व अनुसंधान पहल के लिए पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(2) California में जल आपूर्तियों के सुधार एवं संरक्षण तथा उन्नत जल गुणवत्ता पाने के लिए अनुसंधान आरंभ करने के लिए California राज्य विश्वविद्यालय, Fresno में California जल संस्थान के लिए पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(3) California में जल आपूर्तियों के सुधार एवं संरक्षण तथा उन्नत जल गुणवत्ता पाने के लिए अनुसंधान आरंभ करने के लिए California बहुतकनीकी राज्य विश्वविद्यालय, San Luis Obispo में सिंचाई प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र के लिए पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(4) California में जल आपूर्तियों के सुधार एवं संरक्षण तथा उन्नत जल गुणवत्ता पाने के लिए अनुसंधान आरंभ करने के लिए California राज्य विश्वविद्यालय, Sacramento में जल कार्यक्रम कार्यालय के लिए पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(5) इस उपखंड के अनुसरण में निधियाँ पाने वाली उच्च शिक्षा संस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगी कि उनके प्रयासों में विरोधाभास न हो या अतिव्यापन न हो, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हों।

अनुच्छेद 6. शहरी अपवाह और तूफानी जल का संग्रहण और उपयोग।

86050. (a) शहर के शुष्क मौसमी अपवाह और तूफानी जल के अपवाह का संग्रहण और उपयोग करने की परियोजनाओं के लिए राज्य मंडल को निधि से चार सौ मिलियन डॉलर (\$400,000,000) की राशि निर्धारित की गई है। इस खंड के अनुसरण में राज्य मंडल द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिए दिए गए सभी अनुदान काउंटी या शहर, एक शहर और एक काउंटी, या संयुक्त शक्ति धारक प्राधिकारी को दिए जाने चाहिए जिसमें बाढ़ नियंत्रण या प्रबंधन के दायित्व वाले शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी शामिल हों। राज्य मंडल तूफानी जल संसाधन योजनाएं तैयार करने के लिए अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित योग्य कंपनियों को अनुदान देने के लिए पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) तक खर्च कर सकता है। इस अनुभाग के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई निधियाँ लाभवंचित और गंभीर रूप से लाभवंचित समुदायों को सेवा देने और सीधे लाभ पहुँचाने वाली परियोजनाओं के लिए आबंटित की जाएंगी। राज्य मंडल इन निधियों का उपयोग तकनीकी सहायता के लिए अनुदान और लाभवंचित समुदायों तक पहुँच बनाने के लिए कर सकता है।

(b) सरकारी संहिता के शीर्षक 7.42 (अनुभाग 66905 से शुरू होता है) के अनुसरण में Lake Tahoe के बेसिन में शुष्क मौसमी अपवाह और तूफानी जल के अपवाह का संग्रहण करने और उपयोग करने की परियोजनाओं के लिए California Tahoe Conservancy के लिए निधि से तीस मिलियन डॉलर (\$30,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(c) अनुभाग 86080 के उपखंड (d) के परिच्छेद (2) में परिभाषित क्षेत्र में सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 23 (जो अनुभाग 33000 से शुरू होता है) के अनुसरण में शुष्क मौसमी अपवाह और तूफानी जल के अपवाह का अधिग्रहण और उपयोग करने की परियोजनाओं के लिए Santa Monica Mountains Conservancy के लिए निधि से चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(d) सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.8 (जो अनुभाग 32600 से शुरू होता है) के अनुसरण में शुष्क मौसमी अपवाह और तूफानी जल के अपवाह का अधिग्रहण और उपयोग करने की परियोजनाओं के लिए San Gabriel और निचली Los Angeles नदियों और पर्वत संरक्षक के लिए निधि से चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(e) सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 21 (अनुभाग 31000 से शुरू होता है) के अनुसरण में शुष्क मौसमी अपवाह और तूफानी जल के अपवाह का अधिग्रहण और उपयोग करने की परियोजनाओं के लिए राज्य तटीय संरक्षक

के लिए निधि से चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(f) इस अनुभाग के अनुसरण में खर्च की गई निधियों का उपयोग उन परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी अनुदानों के लिए किया जाएगा जिनमें प्रभाग 6 के भाग 2.3 (जो अनुभाग 10560 से शुरू होता है) के अनुरूप तूफानी जल संसाधन योजनाओं में पहचानी गई और प्राथमिकता दी गई बहु-लाभ परियोजनाओं का विकास, लागू करना, या सुधार किया जाता है, जैसा कि उस भाग में संशोधन किया जा सकता है, तथा इसमें जितने संभव हो सकें निम्नलिखित लाभ शामिल होंगे: तूफानी जल और शुष्क मौसमी अपवाह का लाभदायक उपयोगों के लिए भंडारण और शोधन; भंडारित और शोधित अपवाह से प्रदूषकों को हटाना; पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकीय प्रथाओं का इस्तेमाल करके शुष्क मौसमी अपवाह और तूफानी जल के अपवाह का लाभदायक उपयोगों के लिए भंडारण और शोधन करने के लिए प्राकृतिक वास या उद्यान भूमि का सृजन या पुनरुद्धार; भंडारित और शोधित अपवाह से प्रदूषकों को हटाना; प्राकृतिक वास या पार्कव का सृजन या पुनरुद्धार; स्थानीय जल आपूर्तियों में बढ़ोतरी करने के लिए एकत्रित और शोधित अपवाह का भंडारण, छानना, या उपयोग; मूल प्राकृतिक वास, मार्गों, पार्कवे, या अन्य प्राकृतिक खुले स्थानों का सृजन या पुनरुद्धार; शहरी ऊष्मीय द्वीपों में कमी; तथा मनोरंजन के अन्य सार्वजनिक अवसरों का प्रावधान। नम-भूमियों और मूल प्राकृतिक वास वाली परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक जलोत्सारण क्षेत्र प्रकार्यों की नकल या पुनरुद्धार करने के लिए डिजाइन किए गए परियोजना तत्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(g) उपखंड के अनुसरण में निर्धारित राशि में से (a), कम-से-कम चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000) उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे जो कचरे और अन्य प्रदूषकों के प्रवाह में कमी लाती हैं: (1) नेशनल एस्चुएराइन रिसर्च रिजर्व में, समुद्र-तटों पर, या San Diego county में तट के निकट समुद्र तटीय जल में अथवा (2) San Diego खाड़ी में। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो राज्य उद्यान प्रणाली की एक या अधिक इकाइयों में कचरे या अन्य प्रदूषकों के प्रवाह में कमी लाती हैं।

86051. (a) इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधियाँ प्राप्त करने वाली प्रत्येक राज्य एजेंसी से अपेक्षित होगा कि वह अनुदान निधियों के प्राप्तकर्ताओं द्वारा कम-से-कम 50 प्रतिशत लागत की भागीदारी करे, लेकिन मुख्य रूप से लाभवंचित समुदायों या आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ देने वाली परियोजनाओं के उस भाग के लिए समान अपेक्षाओं को समाप्त या कम किया जा सकता है।

(b) इस अनुभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए जरूरी होगा कि इनमें परियोजना पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले

राज्य मंडल या क्षेत्रीय जल गुणवत्ता नियंत्रण मंडल द्वारा अपनाई गई जल गुणवत्ता नीति या विनियमों का पालन किया जाए।

(c) संभावित तूफानी जल भंडारण एवं पुनःउपयोग परियोजनाओं के लाभों और लागतों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए परियोजना लागतों में निर्णय सहायता उपकरण, डेटा अधिग्रहण, तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा विश्लेषण का विकास शामिल हो सकते हैं।

(d) उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो तूफानी जल या शुष्क मौसम के अपवाह को तूफानी-जल के नालों या नालियों से अलग करती हैं और इन्हें लाभ के उपयोग में लगाती हैं।

(e) इस अनुभाग के अनुसरण में निधियाँ पाने वाली एजेंसियाँ लाभवंचित समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देंगी। इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधियाँ पाने वाली प्रत्येक एजेंसी मिलने वाली निधियों के कम-से-कम 35 प्रतिशत भाग का आबंटन लाभवंचित समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली परियोजनाओं के लिए करेगी।

(f) इस अनुच्छेद को लागू करने में, इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधियाँ पाने वाली प्रत्येक एजेंसी प्राकृतिक वास, उद्यान भूमि, खुले स्थान, मनोरंजन, और तूफानी जल और शुष्क मौसम के अपवाह के भंडारण और पुनःउपयोग वाली परियोजनाओं के सार्वजनिक उपयोग के संघटकों के एकीकरण और प्राथमिकता निर्धारण के संबंध में प्राकृतिक संसाधन एजेंसी से परामर्श करेगी, तथा प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा और अंक-निर्धारण में प्राकृतिक संसाधन एजेंसी से सहायता का अनुरोध करेगी।

(g) परियोजनाएं तूफानी जल और शुष्क मौसम के अपवाह को तूफानी जल के नालों और नालियों में प्रवेश करने से रोक सकती हैं।

86052. अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित निकाय अनुभाग 86050 के उपखंडों (b), (c), (d), और (e) के अंतर्गत निधियाँ पाने के योग्य हैं।

86053. इस अनुच्छेद के अनुसरण में आबंटित निधियाँ उन एकल या बहु लघु-स्तरीय परियोजनाओं के लिए किसी योग्य आवेदक को प्रदान की जा सकती हैं जो मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 6.5 (जो अनुभाग 1650 से शुरू होता है) के संगत हों, चाहे यह अध्याय अब तक प्रभावी हो या नहीं।

अनुच्छेद 7. एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन

86054. चालू एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन (IRWM) आयोजना और लागू करने के प्रयासों को बनाए रखने के उद्देश्य से मंजूरी-प्राप्त IRWM क्षेत्रीय जल प्रबंधन समूहों को सीधे वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए विभाग को पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि निर्धारित की

जाती है जिससे जल प्रबंधन संबंधी क्षेत्रीय सहयोग के लिए IRWM के माध्यम से किया गया भारी निवेश कायम रखा जाता है।

अध्याय 6. जलोत्सारण क्षेत्र, भूमि, एवं मछली-पालन में सुधार

अनुच्छेद 1. जल आपूर्ति एवं जल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए जलोत्सारण क्षेत्र सुधार

86080. जल आपूर्ति और जल की गुणवत्ता की रक्षा और उसमें सुधार लाने, वन स्वास्थ्य में सुधार लाने, उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के अनुरूप आग के खतरे को कम करने, जल की गुणवत्ता और आपूर्ति पर जंगल की आगों के प्रभावों का शमन करने, बाढ़ संरक्षण में बढ़ोतरी करने, जलवाही स्तरों का उपचार करने, या तटवर्ती अथवा जलीय संसाधनों का संरक्षण या पुनरुद्धार करने के लिए वन भूमियों (ओक, रेडवुड, और सीक्वोआएस सहित), चरागाहों, नम-भूमियों, झाड़ीदार वन, तटवर्ती प्राकृतिक वास, तथा अमेरिका के स्वामित्व वाली भूमियों सहित अन्य जल-प्रपाती भूमियों सहित जलोत्सारण क्षेत्र भूमियों के स्वास्थ्य की संरक्षा, पुनरुद्धार और सुधार करने के लिए निधि से दो बिलियन तीन सौ पचपन मिलियन डॉलर (\$2,355,000,000) की राशि निर्धारित की गई है। इस अनुभाग के अनुसरण में दिए गए कोई भी अनुदान जलाशय के रखरखाव के लिए या किसी जलाशय से या किसी जलाशय अपस्ट्रीम से तलछट को हटाने के लिए नहीं होंगे, सिवाय इसके कि उपखण्ड (a) के अनुसरण में अपेक्षित अनुसंधान के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। निधियों का आबंटन इस प्रकार किया जाएगा:

(a) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 23.3 (जो अनुभाग 33300 से शुरू होता है) के अनुसरण में तथा लोक संसाधन संहिता के अनुभाग 33320 में दर्शाए गए उद्देश्यों सहित Sierra Nevada के जलोत्सारण क्षेत्रों के संरक्षण, पुनरुद्धार, और सुधार के लिए Sierra Nevada Conservancy के लिए दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000)। निधियाँ Sierra Nevada के जलोत्सारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करने और आगे बढ़ाने के लिए भी खर्च की जाएंगी। Sierra Nevada के जलोत्सारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण की पात्र परियोजनाओं में लंबे समय तक वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता और मात्रा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन का भंडारण, प्राकृतिक वास, मनोरंजन उपयोगों, तथा समुदाय की जीवनशक्ति सहित जल आपूर्ति, जलवायु, और अन्य लाभों संबंधी वन पुनरुद्धार कार्य के प्रभाव का मापन करने के लिए अनुसंधान और निगरानी शामिल हो सकते हैं। Sierra Nevada के जलोत्सारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाएं वन पुनरुद्धार संबंधी उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पर आधारित होंगी, तथा जल आपूर्ति एवं गुणवत्ता में सुधार लाने, पारिस्थितिकीय मूल्यों का संरक्षण और पुनरुद्धार करने, तथा जंगल की आग,

जलवायु परिवर्तन, और अन्य विपदाओं के प्रति अधिक लचीली वन दशाओं को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की जानी चाहिए। Sierra Nevada Conservancy संघीय एजेंसियों को उस स्थिति में अनुदान दे सकती है यदि यह निर्धारित करे कि ये अनुदान संघ द्वारा प्रबंधित भूमियों संबंधी इस प्रभाग के आशय को लागू करने का सबसे कुशल माध्यम हैं।

(b) सरकारी संहिता के शीर्षक 7.42 (जो अनुभाग 66905 से शुरू होता है) के अनुसरण में Lake Tahoe Basin के जलोत्सारण क्षेत्रों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए California Tahoe Conservancy को साठ मिलियन डॉलर (\$60,000,000)। लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 5 के अध्याय 1.692 के अनुच्छेद (जो अनुभाग 5096.351 से शुरू होता है) के अनुसरण में Lake Tahoe पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करने और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए निधियाँ खर्च की जाएंगी।

(c) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 21 के अध्याय 4.5 (जो अनुभाग 31160 से शुरू होता है) के अनुसरण में San Francisco खाड़ी क्षेत्र के जलोत्सारण क्षेत्रों के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए राज्य तटीय संरक्षक के San Francisco खाड़ी क्षेत्र संरक्षक कार्यक्रम के लिए एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000)।

(d) Los Angeles, Orange, और Ventura की काउंटियों के जलोत्सारण क्षेत्रों के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए एक सौ अस्सी मिलियन डॉलर (\$180,000,000) इस प्रकार हैं:

(1) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.8 (जो अनुभाग 32600 से शुरू होता है) के अनुसरण में San Gabriel और Lower Los Angeles की नदियों के जलोत्सारण क्षेत्रों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए San Gabriel और Lower Los Angeles नदी और पर्वत संरक्षक को साठ मिलियन डॉलर (\$60,000,000)।

(2) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 23 (जो अनुभाग 33000 से शुरू होता है) तथा अनुभाग 79570 के उपखंड (c) में परिभाषित जलोत्सारण क्षेत्रों के अनुसरण में Santa Monica खाड़ी, ऊपरी Los Angeles नदी और ऊपरी Santa Clara नदी के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए Santa Monica पर्वत संरक्षक को साठ मिलियन डॉलर (\$60,000,000)।

(3) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 21 के अध्याय 4.6 (जो अनुभाग 31170 से शुरू होता है) के अनुसरण में Santa Ana River के जलोत्सारण क्षेत्रों के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए राज्य तटीय संरक्षक के Santa Ana River संरक्षक कार्यक्रम के लिए तीस मिलियन डॉलर (\$30,000,000)।

(4) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.7 (जो अनुभाग 32550 से शुरू होता है) के अनुसरण में Baldwin Hills और Ballona Creek के जलोत्सारण क्षेत्रों के संरक्षण

और पुनरुद्धार के लिए, तथा शुष्क मौसम के अपवाह और तूफानी जल के अपवाह के भंडारण की परियोजनाओं के लिए Baldwin Hills संरक्षक को तीस मिलियन डॉलर (\$30,000,000)।

(e) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.9 (जो अनुभाग 32630 से शुरू होता है) के अनुसरण में San Diego County के जलोत्सारण क्षेत्रों के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए San Diego नदी संरक्षक कार्यक्रम के लिए चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000)।

(f) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 21 (जो अनुभाग 31000 से शुरू होता है) के अनुसरण में तटीय जलोत्सारण क्षेत्रों के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए राज्य तटीय संरक्षक को एक सौ पैंतीस मिलियन डॉलर (\$135,000,000)।

(g) Sacramento और San Joaquin नदियों के जलोत्सारण क्षेत्रों के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए एक सौ पचास मिलियन डॉलर (\$150,000,000) निम्नानुसार हैं:

(1) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.3 (अनुभाग 32300 से शुरू होता है) के अनुसरण में Delta के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए Sacramento-San Joaquin Delta Conservancy को एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000)। सबसे अधिक प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी जाएगी जो मूल प्रजातियों के पुनरुद्धार के लिए लाभदायक हैं तथा अत्यधिक लवणता के प्रवेश के नकारात्मक प्रभावों को कम करती हैं। 1973 के संघीय लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (Endangered Species Act) (16 U.S.C. अनुभाग 1531 एवं अन्य) तथा संघीय लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (मछली और खेल संहिता के प्रभाग 3 का अध्याय 1.5 (जो अनुभाग 2050 से शुरू होता है)) के अनुसरण में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक वास का पुनरुद्धार करने वाली परियोजनाओं को भी सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। Delta में जन मनोरंजन की सुविधाओं में सुधार के लिए तथा Delta के अल्प-सेवित शहरी समुदायों के लिए उद्यानों और मनोरंजन के अवसरों तक सामुदायिक पहुँच में बढ़ोतरी करने के लिए स्थानीय एजेंसियों और लाभ-निरपेक्ष संगठनों को अनुदान देने के लिए भी निधियों का उपयोग किया जा सकता है। संरक्षक Delta से ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए निर्मित कार्यक्रमों को लागू कर सकती है।

(2) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.5 (जो अनुभाग 32500 से शुरू होता है) के अनुसरण में San Joaquin नदी पार्कवे को लागू करने के लिए San Joaquin River Conservancy को बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000)।

(3) लोक संसाधन संहिता के अनुभाग 5845.9 द्वारा सृजित Lower American River Conservancy निधि को तीस मिलियन डॉलर (\$30,000,000)। वन्यजीवन संरक्षण

मंडल इन निधियों का उपयोग लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 5 के अध्याय 10.5 (जो अनुभाग 5845 से शुरू होता है) को लागू करने के लिए करेगा।

(h) नदी पार्कवेज के लिए एक सौ सत्तर मिलियन डॉलर (\$170,000,000) निम्नानुसार हैं:

(1) 2004 के California नदी पार्कवे अधिनियम (California River Parkways Act) (लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 5 का अध्याय 3.8 (जो अनुभाग 5750 से शुरू होता है) के अनुसरण में परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को सत्तर मिलियन डॉलर (\$70,000,000)। प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव लाभवंचित समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली परियोजनाओं के लिए इन निधियों में से कम-से-कम 65 प्रतिशत निधियों का आबंटन करेंगे। शेष निधि से, सचिव लाभवंचित समुदायों के रूप में मान्यता न मिलने वाले दरिद्र समुदायों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे।

(2) प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार, जन मनोरंजन, तथा Guadalupe River के कॉरीडोर में जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिवर पार्कवे परियोजनाओं को लागू करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों और स्थानीय जन एजेंसियों को अनुदान देने के लिए राज्य तटीय संरक्षक को दस मिलियन डॉलर (10,000,000)।

(3) प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार, जन मनोरंजन, तथा रशियन नदी के कॉरीडोर में जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिवर पार्कवे परियोजनाओं को लागू करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों और स्थानीय जन एजेंसियों को अनुदान देने के लिए राज्य तटीय संरक्षक को दस मिलियन डॉलर (10,000,000)।

(4) प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार, जन मनोरंजन, तथा Santa Clara River कॉरीडोर में जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिवर पार्कवे परियोजनाओं को लागू करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों और स्थानीय जन एजेंसियों को अनुदान देने के लिए राज्य तटीय संरक्षक को दस मिलियन डॉलर (10,000,000)।

(5) प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार, जन मनोरंजन, तथा Tijuana River कॉरीडोर में जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिवर पार्कवे परियोजनाओं को लागू करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों और स्थानीय जन एजेंसियों को अनुदान देने के लिए राज्य तटीय संरक्षक को दस मिलियन डॉलर (10,000,000)।

(6) प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार, जन मनोरंजन, तथा Carmel River कॉरीडोर में जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिवर पार्कवे परियोजनाओं को लागू करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों और स्थानीय जन एजेंसियों को अनुदान

दने के लिए राज्य तटीय संरक्षक को दस मिलियन डॉलर (10,000,000)।

(7) प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार, जन मनोरंजन, तथा Napa River कॉरीडोर में जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए रिवर पार्कवे परियोजनाओं को लागू करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों और स्थानीय जन एजेंसियों को अनुदान देने के लिए राज्य तटीय संरक्षक को दस मिलियन डॉलर (10,000,000)।

(8) San Diego Bay जलोत्सारण क्षेत्र के भीतर रिवर पार्कवे परियोजनाओं के लिए राज्य तटीय संरक्षक को पंद्रह मिलियन डॉलर (\$15,000,000)।

(9) San Diego County में Santa Margarita River पर रिवर पार्कवे परियोजनाओं के लिए राज्य तटीय संरक्षक को पंद्रह मिलियन डॉलर (\$15,000,000)।

(10) प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार, जन मनोरंजन, तथा Upper Truckee River कॉरीडोर में जल की गुणवत्ता में सुधारों को लागू करने के लिए California Tahoe Conservancy को दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000)।

(i) Los Angeles नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, रक्षण, और परिरक्षण के लिए परियोजनाओं के लिए एक सौ पचास मिलियन डॉलर (\$150,000,000) निम्नानुसार उपलब्ध होंगे:

(1) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.8 (जो अनुभाग 32600 से शुरू होता है) और इस संहिता के अनुभाग 79508 के अनुसरण में San Gabriel और निचली Los Angeles नदी और पर्वत संरक्षक को पिचहत्तर मिलियन डॉलर (\$75,000,000)।

(2) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 23 (जो अनुभाग 33000 से शुरू होता है) और इस संहिता के अनुभाग 79508 के अनुसरण में Santa Monica पर्वत संरक्षक को पिचहत्तर मिलियन डॉलर (\$75,000,000)।

(j) वन्यजीवन संरक्षण मंडल को निम्नलिखित के लिए तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000):

(1) मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 1300 से शुरू होता है) के अनुसरण में Sacramento, Smith, Eel, और Klamath नदियों तथा Del Norte, Humboldt, Marin, Mendocino, और Sonoma, तथा Carrizo Plain की काउंटियों की अन्य नदियों के जलोत्सारण क्षेत्रों के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए।

(2) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 10.4 (जो अनुभाग 10330 से शुरू होता है) तथा मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 3.5 (जो अनुभाग 1360 से शुरू होता है) के अनुसरण में ओक वुडलैंड्स और रेंजलैंड्स के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए।

(3) मछली और खेल संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 1300 से शुरू होता है) के अनुसरण में तटवर्ती प्राकृतिक वास, प्रवासी पक्षी प्राकृतिक वास, समुद्रापगामी मछलियों, नम भूमि प्राकृतिक वास, तथा अन्य जलोत्सारण क्षेत्र भूमियों के अधिग्रहण और पुनरुद्धार के लिए।

(4) अनुदानों में मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 3 के अध्याय 10 (अनुभाग 2800 से शुरू होता है) के अनुसरण में अंगीकृत प्राकृतिक सामुदायिक संरक्षण योजनाओं तथा संघीय लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (16 U.S.C. अनुभाग 1531 एवं अन्य) के अनुसरण में अंगीकृत व्यापक-स्तरीय क्षेत्रीय प्राकृतिक वास संरक्षण योजनाओं को लागू करने की राज्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए वित्तपोषण शामिल हो सकता है।

(5) इस उपखंड के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई राशि में से, दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) की राशि किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों को जलोत्सारण क्षेत्र पुनरुद्धार और वन्यजीवन संरक्षण के साथ एकीकृत करने में सहायता करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें संसाधन संरक्षण जिलों के साथ साझेदारियाँ शामिल हैं।

(6) इस उपखंड के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई राशि में से, पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) की राशि मछली और खेल संहिता संहिता के अनुभाग 1363 द्वारा स्थापित Oak Woodlands Conservation निधि के लिए निर्धारित की गई है तथा मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 3.5 (जो अनुभाग 1360 से शुरू होता है) के अनुसरण में इसे खर्च किया जा सकता है।

(7) इस उपखंड के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई राशि में से, तीस मिलियन डॉलर (\$30,000,000) की राशि California रेंजलैंड, ग्रेज़िंग भूमि, और घास के मैदान संरक्षण अधिनियम (California Rangeland, Grazing Land, and Grassland Protection Act) (लोक संसाधन संहिता का प्रभाग 10.4 (जो अनुभाग 10330 से शुरू होता है)) के अनुसरण में चरागाह भूमि संरक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

(8) इस उपखंड के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई राशि में से, साठ मिलियन डॉलर (\$60,000,000) तक की राशि उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी जो प्राकृतिक सामुदायिक संरक्षण योजना अधिनियम (Natural Community Conservation Planning Act) (मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 3 के अध्याय 10 (जो अनुभाग 2800 से शुरू होता है)) के अनुसरण में अंगीकृत प्राकृतिक सामुदायिक संरक्षण योजनाओं के संरक्षण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाती हैं। पहली प्राथमिकता उन योजनाओं को दी जाएगी जिनमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण शामिल है। इस परिच्छेद के अनुसरण में वित्तपोषण का उपयोग अन्यथा अपेक्षित शमन के दायित्वों को प्रतिसंतुलित करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(k) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 23.5 (जो अनुभाग 33500 से शुरू होता है) के अनुसरण में Coachella Valley जलोत्सारण क्षेत्र के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए Coachella Valley Mountains Conservancy को पच्चीस मिलियन डॉलर (\$25,000,000)।

(l) राज्य उद्यान प्रणाली के भीतर जलोत्सारण क्षेत्र भूमियों तथा प्रभावशाली इकाइयों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए उद्यान एवं मनोरंजन विभाग को एक सौ पचास मिलियन डॉलर (\$150,000,000), जिसमें रेडवूड और ऐसी अन्य वन भूमि को अधिक प्राथमिकता दी गई है जो नदी और झरने के प्रवाह और गुणवत्ता की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अनुभाग के अनुसरण में अधिकृत अन्य उद्देश्यों के अलावा, उद्यान एवं मनोरंजन विभाग राज्य उद्यान जल आपूर्ति और बेकार जल शोधन प्रणालियों की कुशलता और प्रभावशीलता में सुधार और बढ़ोतरी करने के लिए निधियाँ आबंटित कर सकता है।

(m) कृषि भूमि, रेंजभूमियों, प्रबंधित नम भूमियों, तथा वन भूमियों पर जलोत्सारण क्षेत्र पुनरुद्धार और संरक्षण परियोजनाओं के लिए संरक्षण विभाग को साठ मिलियन डॉलर (\$60,000,000)।

(1) लोक संसाधन संहिता के अनुभाग 9084 के अनुसरण में तेरह मिलियन डॉलर (\$13,000,000) तक का उपयोग अनुदानों के लिए किया जाएगा।

(2) लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 10.2 (जो अनुभाग 10200 से शुरू होता है) के उद्देश्यों के लिए इकत्तीस मिलियन डॉलर (\$31,000,000) तक का उपयोग किया जाएगा।

(3) जलोत्सारण क्षेत्र समन्वयक अनुदान कार्यक्रम के लिए दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) का उपयोग किया जाएगा।

(n) महासागर रक्षण परिषद को एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000) उन परियोजनाओं के लिए जो: (1) समुद्र-तटों, खाड़ियों, तटीय मुहानों, तथा तट के निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों तक बहने वाले प्रदूषकों की मात्रा में कमी लाती हैं; तथा (2) समुद्र के बढ़ते स्तरों, तूफानी लहरों, सागर के अम्लीकरण और संबंधित खतरों जिनमें तट के निकटवर्ती महासागर प्राकृतिक वासों का लचीलापन बढ़ाने सहित, लेकिन इस तक ही सीमित नहीं, के प्रभावों से तटीय और तट के निकटवर्ती सागरीय संसाधनों की सुरक्षा करती हैं। परियोजनाओं में समुद्र तटों, तटीय मुहानों एवं जलोत्सारण क्षेत्रों, खाड़ियों, तथा तट के निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों, जिनमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, की रक्षा या पुनरुद्धार करने वाली परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं। इस राशि में से, परिषद कम-से-कम पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) का

उपयोग स्थानीय तटीय कार्यक्रम के समुद्र स्तर में बढ़ोतरी के अनुदान कार्यक्रम के लिए करेगी जो समुद्र स्तर में बढ़ोतरी की मॉडलिंग, जोखिम के मूल्यांकन, तथा अनुकूलन योजना और नीति के विकास सहित समुद्र स्तर में बढ़ोतरी पर ध्यान देने के लिए स्थानीय तटीय कार्यक्रम की नवीनतम जानकारीयों को अद्यतन करने का समर्थन करता है।

(o) निधि से दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) की राशि प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के लिए उन जल-संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित है जो मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 3 के अध्याय 13 के अनुच्छेद 2 (जो अनुभाग 2940 से शुरू होता है) के प्रावधानों के अनुरूप, तथा 2003 के कानूनों के अध्याय 611, 612, 613, और 614 के नियमों का पालन करने के लिए California राज्य के दायित्वों को पूरा करते हुए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के साल्टन समुद्र प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करती हैं। ये कानून Salton समुद्र के पुनरुद्धार सहित परिमाणन निपटान करार के निष्पादन और लागूकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए थे। प्राकृतिक संसाधन एजेंसी गंभीर रूप से लाभवंचित समुदायों के लिए पर्यावरणीय पुनरुद्धार, वायु की गुणवत्ता में सुधार, तथा आर्थिक समुत्थान के विविध लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाओं पर इन निधियों को खर्च कर सकती है।

(1) इस परिच्छेद के अनुसरण में निर्धारित की गई राशि में से नई नदी जल गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नदी पार्कवे विकास कार्यक्रम के अनुरूप उद्देश्यों के लिए बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000) से अधिक की राशि उपलब्ध होगी, जैसा कि लोक संसाधन संहिता के अनुभाग 71103.6 में उल्लेख किया गया है।

(2) इस अनुभाग के अनुसरण में आबंटित राशि में से, एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) की राशि Salton समुद्र एकीकृत जलोत्सारण क्षेत्र योजना के लिए उपलब्ध होगी जो गंभीर रूप से लाभवंचित समुदायों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, उन तक पहुँच बनाएगी तथा उनके साथ कार्यबद्ध होगी।

(p) अनुभाग 85280 में दिए गए वर्णन के अनुसार Delta विज्ञान कार्यक्रम के लिए Delta प्रबंधन परिषद को पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000)।

(q) अनुभाग 7048 के अनुसरण में शहरी धारा पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रतिस्पर्धी अनुदानों के लिए विभाग को पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000)। विभाग लाभवंचित समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली परियोजनाओं के लिए इन निधियों में से कम-से-कम 65 प्रतिशत निधियों का आबंटन करेगा। शेष निधि से, विभाग लाभवंचित समुदायों के रूप में मान्यता न मिलने वाले दरिद्र समुदायों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।

(r) California शहरी वन्य अधिनियम (California Urban Forestry Act) (लोक संसाधन संहिता के प्रभाग 4 के भाग 2.5 का (जो अनुभाग 4799.06 से शुरू होता है) अध्याय 2) के अनुसरण में रिसाव, तलछट प्रबंधन, तथा कटाव नियंत्रण के माध्यम से वर्षा के जल का प्रबंधन, संग्रहण, या संरक्षण करने, स्थानीय भूजल की आपूर्तियों को भरने, या जल आपूर्तियों में सुधार करने या जल की गुणवत्ता में सुधार करने वाली शहरी वन परियोजनाओं के लिए अनुदानों के लिए वानिकी एवं अग्नि सुरक्षा विभाग को बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000)।

(s) लोक संसाधन संहिता के अनुभाग 32301 के उपखंड (f) में, तथा Delta में मनोरंजन सुविधाओं में दिए वर्णन के अनुसार, Delta बपौती समुदायों में बेकार जल शोधन में सुधार लाकर जल की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली परियोजनाओं के लिए व्यय, अनुदानों, या ऋणों के लिए Delta संरक्षण आयोग को पंद्रह मिलियन डॉलर (\$15,000,000)। शहरी, कृषि, या मछली पालन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भूमिगत या सतही जल की आपूर्तियों की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करने वाली विकृत सेप्टिक प्रणालियों वाले Delta बपौती समुदायों, या Delta बपौती समुदाय के घरों को सेवा देने वाली बेकार जल सुधार परियोजनाओं पर निधियाँ खर्च की जा सकती हैं। Delta मनोरंजन सुविधा अपशिष्ट-जल शोधन प्रणालियों की कुशलता और प्रभावशीलता में सुधार और बढ़ोतरी करने के लिए भी निधियाँ आबंटित की जा सकती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों पर ध्यान देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाएं बेकार जल संबंधी प्रणालियों के समेकन अथवा सस्ती शोधन प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय तंत्रों को चिह्नित, नियोजित, डिजाइन और लागू कर सकती हैं।

(t) गैर-मोटरीकृत मनोरंजन के लिए नदियों तक पहुँच प्रदान करने तथा इस उद्देश्य से अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में दी गई परिभाषा के अनुसार योग्य निकायों को अनुदान प्रदान करने वाली परियोजनाओं के लिए उद्यान एवं मनोरंजन विभाग को बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000)। पहली प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी जाएगी जिनमें ऐसी ही निधियाँ शामिल हैं तथा उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को सेवा देते हैं, चाहे उनमें लागत-साझेदारी हो या नहीं।

(u) (1) मछली एवं वन्यजीवन विभाग द्वारा चलाए जाने वाले Suisun Marsh के नजदीक पैसिफिक फ्लाइवे सेंटर के निर्माण के लिए वन्यजीवन संरक्षण मंडल को बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000)। मछली एवं वन्यजीवन विभाग केन्द्र चलाने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठन से करार कर सकते हैं। केन्द्र का उपयोग लोगों को California की नम भूमियों, कृषि भूमियों (चावल सहित), जलीय पक्षियों, तटीय पक्षियों, मूल पौधों, तथा पशुओं के लिए लाभदायक तटवर्ती क्षेत्रों,

जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली गैसों का अवशोषित करने में नम भूमियों के महत्व के बारे में शिक्षा देने तथा ऐसे ही शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। केन्द्र का संचालक लोगों को, विशेष रूप से लाभवंचित समुदायों के छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य से केन्द्र तक लाने के लिए विशेष प्रयास करेगा। यदि वन्यजीवन संरक्षण मंडल निर्धारित करता है कि इन निधियों का सभी या कुछ भाग इस परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है, तो यह निधियों का अनावश्यक भाग उपखंड (j) के उद्देश्यों के लिए आबंटित कर सकता है।

(2) (A) परिच्छेद (1) द्वारा निर्धारित राशि में से, वन्यजीवन संरक्षण मंडल न्यास निधि स्थापित करने के लिए चार मिलियन डॉलर (\$4,000,000) तक का अनुदान किसी ऐसे लाभ-निरपेक्ष संगठन को दे सकता है जिसका मूल उद्देश्य वन्यजीवन संरक्षण हो, इससे प्राप्त ब्याज की राशि का उपयोग खास तौर पर पैसिफिक फ्लाइव सेंटर को चलाने और लाभवंचित समुदायों के लोगों को केन्द्र तक लाने के लिए किया जाएगा।

(B) मछली एवं वन्यजीवन विभाग की मंजूरी से, लाभ-निरपेक्ष संगठन पैसिफिक फ्लाइव सेंटर का परिचालन किसी अन्य लाभ-निरपेक्ष संगठन को हस्तांतरित कर सकता है। यदि ऐसा हस्तांतरण होता है, तो न्यास निधि नए लाभ-निरपेक्ष संगठन को अंतरित किया जाएगा।

(3) यदि इस अनुभाग द्वारा आबंटित निधियाँ 1 जनवरी, 2028 तक पैसिफिक फ्लाइव सेंटर का निर्माण करने के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं की जाती हैं, तो शेष निधियाँ अनुभाग 86123 के उद्देश्यों के लिए वन्यजीवन संरक्षण मंडल के लिए निर्धारित कर दी जाती हैं।

(v) Matilija Dam को हटाने, और संबद्ध तटबंध एवं बाढ़ नियंत्रण सुधारों, जल आपूर्ति सुधारों, तथा Matilija Creek और Ventura River पर संबंधित परियोजनाओं, तथा Ventura River पर नदी पार्कवे परियोजनाओं के लिए राज्य तटीय संरक्षक को अस्सी मिलियन डॉलर (\$80,000,000)। संरक्षक इन निधियों का सारा या कुछ भाग Ventura काउंटी को अनुदान में दे सकती है। नदी पार्कवे परियोजनाओं के लिए उन परियोजनाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जो लाभवंचित समुदायों को लाभ पहुँचाती हैं। यदि राज्य तटीय संरक्षक निर्धारित करती है कि इन निधियों का सभी या कुछ भाग इस परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है, तो यह निधियों का अनावश्यक भाग उपखंड (f) के उद्देश्यों के लिए आबंटित कर सकती है।

(w) जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, प्राकृतिक भूमि के प्रबंधन में सुधार के लिए और California के वन्यजीवन संसाधनों के संरक्षण के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सुविधाओं के निर्माण तथा विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए समतुल्य अनुदान के लिए प्राकृतिक रिज़र्व प्रणाली के लिए California विश्वविद्यालय को पच्चीस मिलियन डॉलर (\$25,000,000) की राशि दी जा सकती

है। प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी जाएगी जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, हरित-गृह गैस उत्सर्जनों में कमी, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार प्राकृतिक प्रणालियों के अनुकूलन संबंधी अनुसंधान को आगे बढ़ाती हैं।

(x) (1) जलोत्सारण क्षेत्र की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली जंगल की आगों के खतरे को कम करने के उद्देश्य से अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में यथा परिभाषित योग्य निकायों को संरक्षक के अधिकार-क्षेत्र के भीतर अनुदान देने के उद्देश्य से Sierra Nevada Conservancy के लिए निधि से पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) की राशि निर्धारित की गई है। खतरनाक ईंधन की कटौती, आग के बाद जलोत्सारण क्षेत्र के पुनर्वास, जंगल की गंभीर आग, जलवायु परिवर्तन, एवं अन्य विपदाओं के प्रति वन की पुनर्बहाली को बढ़ावा देने वाली वन प्रबंधन पद्धतियों के उद्देश्य से तथा जलोत्सारण क्षेत्र की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकने वाली जंगल की आगों के जोखिम को कम करने की स्थानीय योजनाओं के विकास के लिए परियोजनाएं हो सकती हैं। उन अनुदानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें समान निधियाँ शामिल हों, लेकिन यह प्राथमिकता लाभवंचित समुदायों या आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने वाले अनुदानों के लिए कम या समाप्त की जा सकती है।

(2) जलोत्सारण क्षेत्र की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली जंगल की आगों के खतरे को कम करने के उद्देश्य से अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में यथा परिभाषित योग्य निकायों को Sierra Nevada Conservancy के अधिकार-क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में अनुदान देने के उद्देश्य से वानिकी और अग्नि रक्षण विभाग के लिए निधि से पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) की राशि निर्धारित की गई है। खतरनाक ईंधन की कटौती, आग के बाद जलोत्सारण क्षेत्र के पुनर्वास और पुनरुद्धार जंगल की गंभीर आग, जलवायु परिवर्तन, एवं अन्य विपदाओं के प्रति वन की पुनर्बहाली को बढ़ावा देने वाली वन प्रबंधन पद्धतियों के उद्देश्य से तथा जलोत्सारण क्षेत्र की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकने वाली जंगल की आगों के जोखिम को कम करने की स्थानीय योजनाओं के विकास के लिए परियोजनाएं हो सकती हैं। उन अनुदानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें समान निधियाँ शामिल हों, लेकिन यह प्राथमिकता लाभवंचित समुदायों या आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने वाले अनुदानों के लिए कम या समाप्त की जा सकती है।

86083. इस अनुच्छेद की अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप, इस अनुच्छेद के अनुसरण में खर्च की गई निधियों का उपयोग अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में यथा परिभाषित योग्य निकायों को अनुदान देने के लिए किया जा सकता है। योग्य निकायों को दी गई निधियों का उपयोग राज्य या संघीय एजेंसी के स्वामित्व वाली भूमि पर चलने वाली परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। कार्यक्रमों को अनुदान देने के लिए आंबटित निधियों के सिवए, निधियों का उपयोग इस अनुच्छेद के अनुरूप जलोत्सारण क्षेत्र सुधार परियोजनाओं को लागू करने के लिए निधियाँ प्राप्त करने वाली राज्य एजेंसी द्वारा सीधे भी किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में अनुदान देने के लिए, एजेंसियाँ उन आवेदनों को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगी जिनमें लागत की साझेदारी शामिल हो, तथा उन अनुदानों को सबसे अधिक प्राथमिकता देगी जो लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ पहुँचाते हों चाहे उनमें लागत की साझेदारी शामिल हो या नहीं।

86084. (a) इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधि के योग्य बनने के लिए परियोजना में जलोत्सारण क्षेत्र रक्षण और पुनरुद्धार, जल आपूर्ति या जल की गुणवत्ता के लाभ, अथवा नदियों, धाराओं, वनों, चरागाहों, नम भूमियों या अन्य जल संबंधी संसाधनों से संबंधित पर्यावरणीय लाभ शामिल होने अनिवार्य हैं।

(b) (1) इस अनुच्छेद के अनुसरण में निर्धारित निधियों का उपयोग वनों, चरागाहों, नम भूमियों, तटवर्ती प्राकृतिक वास, तटीय संसाधनों, तथा तट के निकटवर्ती सागरीय प्राकृतिक वास के रक्षण और पुनरुद्धार के लिए, इन संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने और भोगाधिकारों के लिए तथा जलोत्सारण क्षेत्र की स्थिति का हास करने वाले निर्माण को रोकने, तथा इस अनुच्छेद द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं से जल आपूर्तियों डाउनस्ट्रीम की गुणवत्ता या मात्रा की सुरक्षा या सुधार लाने वाले अन्य उपाय करने के लिए किया जा सकता है। खतरनाक ईंधन की कटौती, आग के बाद जलोत्सारण क्षेत्र का पुनर्वास, और वन प्रबंधन तथा उपयुक्त मूल पौधों के इस्तेमाल से पौधों के रोपण सहित, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं, वन पुनरुद्धार परियोजनाएं वन पुनरुद्धार संबंधी उपलब्ध बेहतरीन विज्ञान पर आधारित होंगी तथा इन्हें पारिस्थितिकीय मूल्यों की रक्षा और पुनरुद्धार के लिए तथा उन वन्य दशाओं को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया जाना चाहिए जो वन्य आग, जलवायु परिवर्तन, तथा अन्य विपदाओं के प्रति अधिक लचीली हों।

(2) Sierra Nevada और इस प्रकार के वनों में अमेरिकी वन सेवा की भूमियों पर ईंधन के खतरे में कमी की गतिविधियाँ आमतौर पर Sierra Nevada जलोत्सारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के उद्देश्यों और अमेरिकी वन सेवा की सामान्य

तकनीकी रिपोर्ट PSW-GTW-220, जैसे भी नवीनतम की जाए सहित उपलब्ध बेहतरीन विज्ञान के अनुरूप होंगी।

86085. निजी भूमियों पर निधियाँ खर्च करने वाली, इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधियाँ प्राप्त करने वाला कोई भी निकाय इस प्रकार की परियोजना के लिए बेहतरीन पद्धतियों के समरूप समय अवधि के लिए खर्च के उद्देश्य को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए निजी भूमियों में करार या ब्याज प्राप्त करेगा।

86086. (a) (1) इस अनुच्छेद के अनुसरण में किसी परियोजना के लिए निधि प्राप्त करने वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन, खासतौर पर परियोजना के रखरखाव और निगरानी के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यास निधि स्थापित करने के लिए उन निधियों में से 20 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकते हैं।

(2) इस अनुच्छेद से प्राप्त धन से किसी परियोजना में ब्याज अर्जित करने वाली तथा किसी अन्य पब्लिक एजेंसी को परियोजना में ब्याज का अंतरण वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन परियोजना में उस ब्याज को बनाए रखने के लिए स्थापित की गई न्यास निधि के स्वामित्व का भी अंतरण करेंगे।

(3) यह उपखंड राज्य एजेंसियों पर लागू नहीं होता है।

(b) यदि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति या लाभ-निरपेक्ष संगठन उपखंड (a) के अनुसरण में किसी न्यास निधि की स्थापना नहीं करते, तो एजेंसी, जनजाति या संगठन अनुदान देने वाली राज्य एजेंसी के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वह निधि का उपयोग करते हुए आरंभ की जाने वाली परियोजना को जारी रख सकती है अन्यथा इसे एजेंसी, जनजाति या संगठन को उपलब्ध कराया जाए।

(c) न्यास निधि से प्राप्त ब्याज का उपयोग केवल परियोजना को लागू करने पर निगरानी रखने तथा इस अनुच्छेद के अनुसरण में लागू परियोजना और इसकी जल आपूर्ति और जल की गुणवत्ता के लाभों को बनाए रखने के लिए ही किया जाएगा।

(d) यदि परियोजना में किसी ब्याज को गलत ठहराया जाता है अथवा यदि स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन यह निर्धारित करता है कि परियोजना में ब्याज इस अनुच्छेद से प्राप्त धन खर्च करने के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ है, तो न्यास निधि तथा खर्च न किया गया कोई भी ब्याज उस एजेंसी के लिए निर्धारित कर दिया जाता है और उसे लौटा दिया जाएगा जिसने धन उपलब्ध कराया था। एजेंसी को लौटाई गई निधि का इस अनुच्छेद के अनुसरण में केवल परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

86087. इस अनुच्छेद के अनुसरण में आंबटित निधियाँ उन एकल या बहु लघु-स्तरीय परियोजनाओं के लिए किसी

योग्य आवेदक को प्रदान की जा सकती हैं जो मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 6.5 (जो अनुभाग 1650 से शुरू होता है) के संगत हों, चाहे यह अध्याय अब तक प्रभावी हो या नहीं।

86088. 30 अप्रैल, 2019 तक, प्राकृतिक संसाधन एजेंसी दिशा-निर्देशों की उपयुक्त सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए इस अनुच्छेद के अनुसरण में निर्धारित निधि प्राप्त करने वाली प्रत्येक राज्य एजेंसी को अनुदान की मंजूरी के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों की सिफारिश देगी। प्रत्येक एजेंसी अपने स्वयं के दिशा-निर्देशों को अपनाते समय प्राकृतिक संसाधन एजेंसी की सिफारिशों पर विचार करेगी।

86089. इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधियाँ प्राप्त करने वाली एजेंसियाँ उन परियोजनाओं को अधिक प्राथमिकता देंगी जो California के मूल वन्यजीवों, पक्षियों और मछलियों के लिए लाभदायक होती हैं।

अनुच्छेद 2. जल आपूर्ति सूधार के लिए भूमि और जल प्रबंधन

86090. भूजल भराव में बढ़ोतरी करने और उन भूमियों से जल आपूर्ति में बढ़ोतरी करने तथा पारिस्थितिकीय मूल्यों की रक्षा और पुनरुद्धार करने के अनुरूप जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी रेंजभूमियों, वनभूमियों, चरागाहों, नम भूमियों, तटवर्ती क्षेत्रों, तथा जलीय क्षेत्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में यथा परिभाषित योग्य निकायों को प्रतिस्पर्धी अनुदान देने के उद्देश्य से वन्यजीवन संरक्षण मंडल के लिए निधि से एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

86091. इस अनुच्छेद के अनुसरण में आबंटित निधियाँ उन एकल या बहु लघु-स्तरीय परियोजनाओं के लिए किसी योग्य आवेदक को प्रदान की जा सकती हैं जो मछली और खेल संहिता संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 6.5 (जो अनुभाग 1650 से शुरू होता है) के संगत हों, चाहे यह अध्याय अब तक प्रभावी हो या नहीं।

86094. इस अनुच्छेद के अनुसरण में अनुदान देते समय, वन्यजीवन संरक्षण मंडल ऐसी परियोजनाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता देगा:

(a) जो उन्नत जल आपूर्ति के उत्पादन या जल की गुणवत्ता में सबसे अधिक किरायाती हों तथा जो मछली और वन्यजीवन के सबसे अधिक लाभ प्रदान करती हों।

(b) जिनमें समान निधियाँ शामिल हों।

(c) जो लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ पहुँचाती हैं।

(d) आक्रामक पौधा नियंत्रण और नाश, तटवर्ती प्राकृतिक वास, चरागाहों एवं नम भूमियों के पुनरुद्धार के उद्देश्य के लिए

हों, तथा ऐसी अन्य परियोजनाएं जो भूमियों से जल के प्रवाह में सुधार लाती हों, और पौधों की आक्रामक प्रजातियों द्वारा जल के उपयोग में कमी लाती हों।

86096. इस अनुच्छेद के अनुसरण में निधियों के योग्य बनने के लिए किसी परियोजना के लिए जरूरी होगा कि इसमें जल आपूर्ति या जल की गुणवत्ता के लाभ हों या दोनों हों। जल आपूर्ति में बढ़ोतरी करने के लिए आक्रामक पौधों को हटाने का लक्ष्य रखने वाली परियोजनाओं का वित्त-पोषण केवल तभी किया जाएगा यदि आवेदक यह गारंटी दे कि जिस भूमि से ये पौधे हटाए जाएंगे उसका रखरखाव किया जाएगा।

86097. (a) (1) इस अनुच्छेद के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन, खासतौर पर वित्तपोषित परियोजना के रखरखाव और निगरानी के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यास निधि स्थापित करने के लिए उन निधियों में से 20 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकते हैं।

(2) इस प्रभाग से प्राप्त धन से कोई परियोजना आरंभ करने वाली तथा आगे से परियोजना को जारी रखने में असमर्थ कोई स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन किसी ऐसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन को न्यास निधि का स्वामित्व अंतरित करेंगे जो परियोजना को जारी रखने का इच्छुक हो और इसमें समर्थ हो।

(3) यह उपखंड राज्य एजेंसियों पर लागू नहीं होता है।

(b) यदि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति या लाभ-निरपेक्ष संगठन उपखंड (a) के अनुसरण में किसी न्यास निधि की स्थापना नहीं करते, तो एजेंसी, जनजाति या संगठन अनुदान देने वाली राज्य एजेंसी के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वह परियोजना को उपयुक्त स्थिति में रख सकती है।

(c) इस खंड के अनुसरण में उपलब्ध निधि से स्थापित न्यास निधि से प्राप्त ब्याज का उपयोग इस अनुच्छेद के अनुसरण में लागू परियोजना और इसकी जल आपूर्ति और जल की गुणवत्ता के लाभों को बनाए रखने के लिए ही किया जाएगा।

(d) यदि परियोजना में किसी ब्याज को गलत ठहराया जाता है अथवा यदि स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन यह निर्धारित करता है कि परियोजना में ब्याज इस अनुच्छेद से प्राप्त धन खर्च करने के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ है, तो न्यास निधि तथा खर्च न किया गया कोई भी ब्याज वन्यजीवन संरक्षण बोर्ड के लिए निर्धारित कर दिया जाता है और उसे लौटा दिया जाएगा। लौटाई गई निधि का केवल इस अनुच्छेद द्वारा प्राधिकृत परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

86098. इस अनुच्छेद का कार्यान्वयन करने में वन्यजीवन संरक्षण बोर्ड निजी भूमि पर संरक्षण कार्यों या स्वैच्छिक प्राकृतिक वास क्रेडिट विनिमय तंत्रों के लिए भूस्वामियों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।

86099. इस अनुभाग के अनुसरण में उपलब्ध निधियों में से कम से कम 10 प्रतिशत निधियाँ लाभवंचित समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाओं हेतु आबंटित की जाएंगी। इन लाभों में अन्य लाभों के बीच रेंज में सुधार शामिल हो सकता है। इन परियोजनाओं में लाभवंचित समुदायों के लिए तकनीकी सहायता, उन तक पहुँच, तथा उनके साथ कार्यबद्धता शामिल हो सकती है।

अनुच्छेद 3. संरक्षण कॉर्प्स

86105. वन भूमियों, चरागाहों, नम भूमियों, झाड़ीदार वनों, तटवर्ती प्राकृतिक वास, तथा अन्य जलोत्सारण क्षेत्र भूमियों सहित जलोत्सारण क्षेत्र भूमियों की स्थिति की सुरक्षा, पुनरुद्धार, और सुधार की परियोजनाओं के लिए California संरक्षण कॉर्प्स के लिए निधि से चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000) की राशि निर्धारित की गई है। परियोजनाओं में सार्वजनिक भूमियों पर क्षेत्रीय और सामुदायिक ईंधन के खतरे में कमी की परियोजनाएं, आक्रामक प्रजातियों को हटाना, झरने, नदी, तथा तटवर्ती पुनरुद्धार परियोजनाएं शामिल हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं। California संरक्षण कॉर्प्स प्रमाणित स्थानीय संरक्षण कॉर्प्स को अनुदान देने के लिए इस अनुभाग के अनुसरण में निधियों की कम-से-कम 50 प्रतिशत राशि आबंटित करेगा। परियोजनाएं जल की गुणवत्ता, जल की आपूर्ति की विश्वसनीयता, या तटवर्ती या जलोत्सारण क्षेत्र के स्वास्थ्य में सुधार लाएंगी। परियोजनाएं लाभ-निरपेक्ष संगठन या सरकारी एजेंसी के समन्वय से चालू की जाएंगी।

अनुच्छेद 4. Central Valley मछली-पालन पुनरुद्धार

86106. (a) California की जनता पाती है और घोषणा करती है कि Central Valley की समुद्रापगामी सायमन मछलियों सहित मूल मछली जनसंख्याओं का संरक्षण, पुनरुद्धार, और बढ़ोतरी California राज्य के पर्यावरणीय और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

(b) मछली को उपयुक्त प्राकृतिक वास तथा नदियों और उनकी सहायक नदियों में समय के अनुसार उचित प्रवाह दोनों की जरूरत होती है।

(c) राज्य मंडल इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण तथा परिणामी मछली प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार पर विचार करेगा क्योंकि राज्य मंडल Central Valley की मूल मछली जनसंख्याओं और मछली-पालन का पुनरुद्धार करने के लिए आवश्यक प्रवाह का निर्धारण करता है।

(d) विभाग, मछली एवं वन्यजीवन विभाग, Delta प्रबंधन परिषद, Delta संरक्षक, वन्यजीवन संरक्षण मंडल, Central

Valley बाढ़ संरक्षण मंडल, संघीय भूमि-सुधार ब्यूरो, अमेरिकी मछली एवं वन्यजीवन सेवा, तथा राष्ट्रीय समुद्री मछली पालन सेवा सहित अनेक राज्य एवं संघीय एजेंसियों ने Central Valley मूल मछली एवं मछली-पालन प्राकृतिक वास का पुनरुद्धार करने के लिए नीतियाँ और योजनाएं तैयार की हैं, लेकिन ये नीतियाँ और योजनाएं पूरी तरह से वित्तपोषित नहीं हैं।

(e) अनेक राज्य और संघीय कानूनों की अपेक्षा है कि Central Valley मूल मछली जनसंख्या एवं मछली-पालन प्राकृतिक वास का पुनरुद्धार किया जाए, लेकिन इन कानूनों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्त-पोषण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहा है।

(f) Central Valley की मूल मछली जनसंख्या और मछली-पालन प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के लिए निधि से चार सौ मिलियन डॉलर (\$400,000,000) की राशि निर्धारित की गई है।

(1) (A) प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव Central Valley सायमन प्राकृतिक वास सहभागिता, उचित स्थानीय, राज्य और संघीय मछली एवं जल प्रबंधन तथा अन्य एजेंसियों, लाभ-निरपेक्ष संगठनों, वाणिज्यिक मछली पालन संगठनों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय एजेंसियों, और ऊपरी जलोत्सारण क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व सहित संबंधित वैज्ञानिक विशेषज्ञता वाली भारतीय जनजातियों के प्रतिनिधियों वाली एक Central Valley मछली पालन सलाहकार समिति नियुक्त करेंगे। यह समिति सचिव को इस अनुच्छेद के अनुसरण में निर्धारित निधि के वार्षिक व्यय के संबंध में सलाह देगी। यह समिति सचिव के अनुमोदन के अधीन इस अनुच्छेद के अनुसरण में परियोजनाओं की मांग कर सकती है और परियोजनाओं का निर्माण किए जाने का निर्देश दे सकती है।

(B) यह समिति बेसिन की स्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और इस अनुभाग की अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाली परियोजनाएं विकसित करने के लिए स्थानीय सरकार और जल एजेंसियों, भारतीय जनजातियों, और लाभ-निरपेक्ष संगठनों सहित Central Valley में प्रत्येक नदी बेसिन के प्रतिनिधियों के साथ प्रगाढ़ रूप से काम करेगी।

(C) परियोजनाओं का प्रस्ताव करने में यह समिति लाभ पहुँचाई जाने वाली मछली की प्रजातियों के पूर्ण जीवन चक्र को ध्यान में रखेगी और किसी नदी बेसिन के अंदर प्रत्येक परियोजना के प्रभावों की अन्य नदी बेसिनों में परियोजनाओं के साथ पारस्परिक-क्रिया पर विचार करेगी। यह समिति जलोत्सारण क्षेत्र की खराब स्थिति से जंगल की गंभीर आग और वृक्षों के व्यापक पैमाने पर समाप्त होने सहित प्रतिकूल प्रभावों पर भी ध्यान देगी।

(2) इस अनुभाग के अनुसरण में वित्तपोषित परियोजनाओं से आत्मनिर्भर देशी मछलियों की संख्या बढ़ेगी, अथवा ये परियोजना के प्रचालन को जारी रखने के लिए खर्च की न्यूनतम आवश्यकता के साथ वर्तमान मछलियों के भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में योगदान करेंगी। मछलियों की हैचरीज़ पर कोई निधि खर्च न की जाए।

(3) यह समिति ऐसी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देगी जो बहुत से लाभ देती हैं जैसे बेहतर बाढ़ प्रबंधन, उन्नत जल गुणवत्ता, बेहतर जल आपूर्ति, संवर्धित भूजल स्थायित्व, जलवाही स्तर का सुधार, और देशी मछलियों की प्रजातियों और उनके प्राकृतिक वास के लिए स्थितियों में सुधार करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। यह समिति ऐसी परियोजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता देगी जो एक वर्तमान प्रवाह प्रणाली में एकीकृत की जा सकती हैं और प्रवाह की विभिन्न स्थितियों में बहुप्रजाति लाभ देती हैं। यह समिति ऐसी परियोजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता देगी जो देशी California मछली की प्रजातियों के लिए रिकवरी योजना और लचीलेपन की कार्यनीतियों के साथ संगत हैं।

(4) व्यय पूंजीगत परिव्यय परियोजनाओं के लिए होगा जैसे परियोजना के प्रभावों के मापन के लिए आवश्यक संरक्षण सुविधाएं, जल मापन, मछली पालन प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार अथवा संवर्धन करने वाली परियोजनाएं जैसे बाढ़ मैदान विस्तार, मछलियों को वापस उनके मूल प्राकृतिक वास में ले जाना, बेहतर मछली मार्ग अवसर, अंडे देने और पालन के लिए प्राकृतिक वास का सृजन अथवा संवर्धन और अन्य परियोजनाएं। किसी मछली पालन संवर्धन परियोजना के तहत भूमि अथवा सुविधा केन्द्रों का अधिग्रहण केवल इच्छुक क्रेताओं से किया जाना चाहिए। परियोजना की लागत में परियोजना की आयोजना, पर्यावरणीय समीक्षा, परियोजना के प्रभावों में कमी करने और अनुमति देने की लागत शामिल होगी। ऐसी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी जो बड़ी और कम उम्र की मछलियों को कृषि संबंधी फील्ड अथवा बाढ़ मैदान प्राकृतिक वास के माध्यम से मछली मार्ग तक पहुँच उपलब्ध कराती हैं जो कम उम्र की मछलियों के संवर्धित पालन और खाद्य उत्पादन अवसर प्रदान करेंगी।

(5) इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत निधि में से प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पालन विज्ञान तथा प्रबंधन में की जाने वाली उन्नति सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं और राज्य सरकार की एजेंसियों में लगाई जाए और प्रयोग की जाए, उच्च शिक्षा की संस्थाओं को उन संस्थाओं, विभाग, मछली और वन्य जीव विभाग, राज्य मंडल और अन्य राज्य एजेंसियों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी समन्वय, संचार और प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली सुविधाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय और संबंधित कार्यक्रम संबंधी उद्देश्यों

से एक अथवा अधिक अनुदान के लिए दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) तक की राशि आबंटित कर सकते हैं।

(g) समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव इस अनुभाग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी राज्य अथवा स्थानीय एजेंसी, भारतीय जनजाति, अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन को अनुदान जारी कर सकते हैं। सचिव ऐसी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देंगे जिसमें बराबर निधि, स्थानीय एजेंसी को अग्रणी एजेंसी रखने वाली परियोजनाएं, और Sacramento Valley सायमन लचीलापन कार्यनीति (जून, 2017 में प्राकृतिक संसाधन एजेंसी द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर यथासंशोधित), राष्ट्रीय समुद्री मछली पालन सेवा द्वारा प्रकाशित California Central Valley Salmon and Steelhead Recovery Plan और अपनाई गई अन्य समान कार्यनीतियों में प्रस्तावित कार्रवाई का समर्थन करने वाली परियोजनाएं शामिल होंगी।

(h) इस अनुभाग के अनुसरण में निर्धारित राशि में से कम से कम पैंतीस मिलियन डॉलर (\$35,000,000) मछली पालन और वन्यजीवन की सहायता में नदियों और धाराओं का पुनरुद्धार करने के लिए परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी जिनमें ये सम्मिलित हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं - नदियों को उनके बाढ़ मैदानों से पुनः जोड़ना, मछली और खेल संहिता के प्रभाग 2 के California तटवर्ती प्राकृतिक वास संरक्षण कार्यक्रम (अध्याय 4.1 (जो अनुभाग 1385 से शुरू होता है) के अनुसरण में बाढ़ मैदानों, तटवर्ती तथा साइड-चैनल प्राकृतिक वास पुनरुद्धार और मछलियों तथा वन्य जीवन संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण उच्च जलोत्सारण क्षेत्र वनों तथा चरागाह प्रणालियों का पुनरुद्धार और रक्षण। अनुभाग 79738 का उप-प्रभाग (f) इस उप-प्रभाग पर लागू होता है। सायमन तथा स्टीलहेड के लाभार्थ क्षेत्रीय कार्यों को चिह्नित, अवरचित तथा कार्यान्वित करने के लिए दिशा-निर्देशन के लिए एक विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण तथा मापे जा सकने वाले उद्देश्यों का प्रयोग करते हुए बहु-हितधारक सार्वजनिक या निजी सहभागिताओं, या दोनों द्वारा समर्थित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

(i) इस अनुभाग के अनुसरण में विनियोजित राशि में से पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि Central Valley सायमन सहभागिता प्राकृतिक वास कार्यान्वयन योजना के विकास में सहयोग के लिए उपलब्ध होगी।

(j) सचिव Tuolumne River पर स्थित Dennett Dam को हटाने के लिए उस स्थिति में उच्च प्राथमिकता देंगे यदि बांध को हटाने के लिए अभी भी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो।

(k) इस अनुच्छेद के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन कोई न्यास निधि स्थापित करने के लिए उन निधियों के 20 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकते हैं जिसकी आय का उपयोग खासतौर पर वित्तपोषित की जा रही परियोजना के रखरखाव और निगरानी के लिए भुगतान करने या भुगतान करने में सहायता के लिए किया जाएगा।

(1) यदि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन परियोजना के रखरखाव और निगरानी को जारी रखने में समर्थ नहीं है तो यह न्यास की निधि के स्वामित्व को प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव के अनुमोदन से किसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति, अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन को स्थानांतरित कर सकता है।

(2) यह उपखंड राज्य एजेंसियों पर लागू नहीं होता है।

(3) यदि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति या लाभ-निरपेक्ष संगठन परिच्छेद (1) के अनुसरण में किसी न्यास निधि की स्थापना नहीं करते, तो एजेंसी, जनजाति या संगठन प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वह एजेंसी, जनजाति या संगठन को अन्यथा उपलब्ध निधि से परियोजना को जारी रख सकती है।

(4) यदि पूर्ण परियोजना अथवा इसके एक भाग का रखरखाव नहीं किया जा सकता अथवा इसकी खराब स्थिति सिद्ध हो जाती है तो न्यास की निधि और कोई अनेपक्षित ब्याज प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को विनियोजित किया जाता है। एजेंसी को लौटाई गई निधि का इस अनुच्छेद के अनुसरण में केवल परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(1) इस अनुभाग के अनुसरण में प्राकृतिक संसाधन एजेंसी को विनियोजित राशि में से सात मिलियन डॉलर (\$7,000,000) की राशि Oroville Dam के नीचे ऊपरी Feather River पर बजरी के पुनरुद्धार, नदी तल के पुनरुद्धार और सायमन प्राकृतिक वास पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए देशी मछली पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए मछली एवं वन्य जीव विभाग को विनियोजित की जाती है।

अध्याय 7. भूजल स्थायित्व और भंडारण

86110. (a) इस निधि में से छह सौ पचहत्तर मिलियन डॉलर (\$675,000,000) की राशि प्रभाग 6 के भाग 2.74 (जो अनुभाग 10720 से शुरू होता है) के संगत सतत भूजल प्रबंधन का समर्थन करने वाले परियोजना और कार्यक्रम विभाग को विनियोजित की जाती है। इस निधि का उपयोग ऐसे प्रतिस्पर्धी अनुदानों के लिए किया जाएगा जो भूजल आपूर्तियों का संरक्षण, संवर्धन अथवा सुधार करने वाली भूजल स्थायित्व योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करके सतत भूजल प्रबंधन को आगे बढ़ाते हैं। इस परिच्छेद

के अनुसरण में दिए गए सभी अनुदानों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा ऐसी भूजल स्थायित्व एजेंसियों को दिया जाएगा जिनके भूजल बेसिन लाभवंचित समुदायों में स्थित हैं।

(b) निधि में से दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) की राशि छोटे तथा लाभवंचित समुदायों के लिए एक बहुविषयक तकनीकी सहायता कार्यक्रम लागू करने और भूजल स्थायित्व एजेंसियों में लाभवंचित समुदायों और जनता की भागीदारी का समर्थन करने और भूजल स्थायित्व योजनाओं के विकास और इन्हें लागू करने में सतत जल समाधान कार्यालय द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राज्य मंडल को दी जाती है।

86111. (a) अनुभाग 86110 द्वारा प्राधिकृत निधि में से छह सौ चालीस मिलियन डॉलर (\$640,000,000) की राशि निम्नलिखित उद्देश्यों से अनुभाग 10721 के उपखंड (k) के अनुसरण में भूजल स्थायित्व योजनाओं को लागू करने वाली भूजल स्थायित्व एजेंसियों को अनुदान जारी करने के लिए उपलब्ध होगी:

(1) इच्छुक क्रेताओं से भूमि के अधिग्रहण और भूजल पंपिंग आबंटन, व्यवहार्यता अध्ययनों और पर्यावरणीय अनुपालन, वितरण प्रणालियों और निगरानी सुविधाओं सहित सुविधाओं की आयोजना सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, भूजल रिचार्ज और भंडारण परियोजनाएं। इस अनुभाग के अनुसरण में दिया गया कोई भी अनुदान बीस मिलियन डॉलर (\$20,000,000) से अधिक नहीं होगा।

(2) प्रभाग 6 के भाग 2.74 (जो अनुभाग 10720 से शुरू होता है) के अनुसरण में भूजल स्थायित्व योजनाओं को लागू करने वाली परियोजनाएं। वित्तपोषण के लिए योग्य परियोजनाओं में व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरणीय अनुपालन, भूजल उपयोग और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सतत लब्धि विकसित करने के लिए प्रयुक्त इंजीनियरिंग कार्य, कुएं के उपयोग का मापन, और नवाचारी निर्णय समर्थन साधन शामिल हैं, परंतु ये इन तक सीमित नहीं हैं।

(3) जलवायु परिवर्तन से संबंधित भविष्य के प्रभावों सहित नमकीन पानी के प्रवेश का आकलन करने वाली और इन पर ध्यान देने वाली परियोजनाएं।

(4) अनुभाग 10721 के उपखंड (k) के अनुसरण में भूजल स्थायित्व योजनाएं विकसित करने के लिए भूजल स्थायित्व एजेंसियों को बराबर अनुदान। कोई भी अनुदान एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) से अधिक नहीं होगा और किसी भी भूजल स्थायित्व एजेंसी को एक से अधिक अनुदान प्राप्त नहीं होगा।

(b) इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत निधि में से पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि इस अनुभाग के अनुसरण में किए गए निवेशों के मार्गदर्शन के लिए किए जाने वाले अनुसंधान के लिए उपलब्ध होगी। अनुसंधान क्रियाकलापों

में भूभौतिकीय सर्वेक्षण, प्रणाली-स्तरीय मॉडलिंग और विश्लेषण, ऐसी नवाचारी पद्धतियाँ और साधन विकसित करना जिन्हें स्थानीय निर्णय-लेने की प्रक्रिया में लागू किया जा सके, नवाचारी रिचार्ज पद्धतियों का क्रॉस-सेक्टर आर्थिक और नीति विश्लेषण, और भूजल रिचार्ज के उल्लेखनीय संवर्धन और उद्देश्य के अनुसार उचित जल शोधन और पुनःउपयोग शामिल हो सकते हैं, परंतु ये इन तक सीमित नहीं हैं।

(c) इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत निधि में से विभाग दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) तक की राशि भूजल स्थायित्व एजेंसियों को सतत लब्धि, अवांछित परिणामों, मापन योग्य उद्देश्यों और अन्य अपेक्षित लक्ष्यों के विकास और आकलन सहित पेयजल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने में सहायता करने के लिए सार्वजनिक रूप में उपलब्ध निर्णय समर्थन साधन विकसित करने के लिए आबंटित कर सकता है। निर्णय समर्थन साधनों को जल आपूर्ति संबंधी जोखिम अथवा संदूषण की चुनौतियों का सामना कर रहे समुदायों का निर्धारण करने में सहायता करने के लिए जोखिम आकलन में सहयोग भी करना चाहिए। अन्य प्रयासों जैसे सूखा जोखिम आकलन के लिए भी साधन उपलब्ध होने चाहिए और इन्हें राज्य मंडल में स्थित जल सूचक के लिए मानवाधिकार से जोड़ा जाएगा।

(d) इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत निधि में से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूजल विज्ञान और प्रबंधन में की जाने वाली उन्नति सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं और राज्य सरकार की एजेंसियों में कारगर रूप से लगाई जाए और प्रयोग की जाए, उच्च शिक्षा की संस्थाओं को उन संस्थाओं, विभाग और राज्य मंडल के बीच संचार और समन्वय में सुधार लाने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली सुविधाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय और संबंधित कार्यक्रम संबंधी उद्देश्यों से एक अथवा अधिक अनुदान के लिए पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) तक की राशि आबंटित कर सकता है।

(e) इस अनुभाग के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन कोई न्यास निधि स्थापित करने के लिए उन निधियों के 20 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग खासतौर पर इस अनुभाग के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि में एजेंसी या संगठन के ब्याज के रखरखाव और निगरानी के लिए भुगतान करने या भुगतान करने में सहायता के लिए किया जाता है।

(1) यदि इस अनुभाग से प्राप्त धन से भूमि में ब्याज अर्जित करने वाली स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन उस ब्याज को किसी अन्य लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन को अंतरित करने का निर्णय करते हैं, तो भूमि में उस ब्याज को बनाए रखने के

लिए स्थापित की गई न्यास निधि के स्वामित्व का भी अंतरण किया जाएगा।

(2) यह उपखंड राज्य एजेंसियों पर लागू नहीं होता है।

(3) यदि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति या लाभ-निरपेक्ष संगठन इस उपखंड के अनुसरण में किसी न्यास निधि की स्थापना नहीं करते, तो एजेंसी, जनजाति या संगठन अनुदान देने वाली राज्य एजेंसी के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वह निधि से भूमि का अधिग्रहण या विकास जारी रख सकती है अन्यथा इसे एजेंसी, जनजाति या संगठन को उपलब्ध कराया जाए।

(4) यदि भूमि में ब्याज को गलत ठहराया जाता है अथवा यदि स्थानीय लोक एजेंसी, भारतीय जनजाति, या लाभ-निरपेक्ष संगठन यह निर्धारित करता है कि भूमि में ब्याज इस अध्याय से प्राप्त धन खर्च करने के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ है, तो न्यास निधि तथा खर्च न किया गया कोई भी ब्याज उस एजेंसी के लिए निर्धारित कर दिया जाता है जिसने धन उपलब्ध कराया था। एजेंसी को लौटाई गई निधि का इस अध्याय के अनुसरण में केवल परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

86112. (a) विभाग इस अध्याय के अनुसरण में वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित को समान प्राथमिकता में प्राथमिकता देगा:

(1) विभाग द्वारा गंभीर रूप से अतिदोहित बेसिनों के रूप में निर्धारित भूजल बेसिन, गंभीर रूप से अतिदोहित बनने के खतरे वाले भूजल बेसिन और ऐसे भूजल बेसिन जहाँ सतही और भूमि जल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

(2) अनुभाग 10721 के उपखंड (x) में परिभाषित किए गए अनुसार प्रलेखित जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं, भूमि अवतलन, सतही धाराओं अथवा भूजल पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव अथवा अन्य अवांछित परिणामों वाले भूजल बेसिन।

(3) राज्य उद्यानों और वन्य जीव क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण राज्य-स्वामित्व वाले संसाधनों का रक्षण करने वाले भूजल बेसिन।

(4) ऐसी परियोजनाएं जो भूजल बेसिनों के रिचार्ज के लिए स्वीकार्य जल गुणवत्ता वाले बाढ़ के जल का उपयोग करने का समर्थन करती हैं। यह नवाचारी बहुलाभ संकल्पना बाढ़ के खतरे में कमी, सतत भूजल प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार और जल आपूर्ति निर्भरता सहित चार महत्वपूर्ण California जल प्रबंधन उद्देश्यों को एक साथ लाती है।

(A) परियोजनाओं में बाढ़ का अनुकूली रूपान्तरण और जलाशय में संरक्षण भंडारण प्रचालन, वर्तमान जलाशयों में स्पिलवे सुविधाओं में सुधार, नए अथवा विस्तृत बाढ़ बायपासों अथवा अस्थायी बाढ़ भंडारण भूमि क्षेत्रों की जलमग्नता,

गिरावट अथवा निष्क्रिय मौसम के दौरान बाढ़ के पानी का कृषि भूमि में प्रयोग, अथवा वर्तमान भूजल रिचार्ज सुविधाओं का बढ़ा हुआ उपयोग शामिल हो सकता है।

(B) इन परियोजनाओं में बाढ़ के खतरे को कम करने और भूजल स्थायित्व, दोनों के लाभों के साथ भूजल के रिचार्ज के लिए बाढ़ के पानी का उपयोग करने संबंधी परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं।

(C) ऐसी परियोजनाएं जो बाढ़ के खतरे को कम करने और भूजल स्थायित्व के लाभ देती हैं। परियोजना की व्यवहार्यता का पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार और जल आपूर्ति लाभों से भी समर्थन किया जा सकता है।

(b) अनुभाग 86110 में विनियोजित राशि में से विभाग दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) तक की राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों से कर सकता है:

(1) बाढ़ के जोखिम में कमी और भूजल स्थायित्व की आवश्यकताओं वाले राज्य में रिचार्ज के लिए बाढ़ के पानी के उपयोग की राज्यव्यापी संभावना का आकलन करना और समीपता और संवहन कनेक्शन के आधार पर स्थानों को प्राथमिकता देना।

(2) बाढ़ के खतरे को कम करने और भूजल रिचार्ज को सुविधाजनक बनाने के लिए संभावित जल संसाधन प्रबंधन नवाचारों का प्रदर्शन करने के लिए एक प्राथमिकता वाले स्थल का प्रायोगिक अध्ययन पूरा करना।

(3) बाढ़ के उपलब्ध पानी के विकास और भूजल बेसिनों के रिचार्ज में सहयोग करने के लिए विश्लेषण साधनों और नवाचारी जल प्रबंधन तकनीकों के उपयोग को चिह्नित करना और उनका प्रदर्शन करना।

(4) भूजल रिचार्ज लाभों की आर्थिक मुद्रांकन तकनीकें विकसित करना।

(5) विभाग की जलवायु परिवर्तन पद्धति का जल आपूर्ति और बाढ़ प्रबंधन दोनों के अनुप्रयोगों में प्रयोग का प्रदर्शन करना।

(6) भूजल स्थायित्व और स्थानीय खाद्य प्रबंधन एजेंसियों को तकनीकी सहायता देना और राज्य तथा संघीय बाढ़ एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

(c) विभाग अनुदान जारी करते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा:

(1) परियोजना की भूजल उपयोग के कारण अवांछित परिणामों को रोकने अथवा इन्हें सुधारने की क्षमता।

(2) परियोजना की भूजल भंडारण, निर्भरता, रिचार्ज अथवा संयुक्त उपयोग को अधिकतम स्तर पर ले जाने की क्षमता।

(3) परियोजना की सतत भूजल प्रबंधन में सहयोग करने की क्षमता।

(4) सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम (Sustainable Groundwater Management Act) (प्रभाग 6 का भाग 2.74 (जो अनुभाग 10720 से शुरू होता है) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना की वार्षिक लागत-प्रभावकारिता।

(d) भूजल स्थायित्व एजेंसियों सहित अनुभाग 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित किए गए अनुसार योग्य इकाइयों अनुदानों के लिए योग्य होंगी। वित्तपोषण के लिए सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम को लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(e) इस अध्याय के अधीन वित्त-पोषण प्रदान करने के उद्देश्यों से परियोजना की कुल लागत के कम से कम 50 प्रतिशत की स्थानीय लागत भागीदारी की आवश्यकता होगी। परियोजना के उस हिस्से के लिए लागत-हिस्सेदारी आवश्यकता में छूट दी जा सकती है अथवा कमी की जा सकती है जो किसी लाभवंचित समुदाय अथवा आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है अथवा ऐसी परियोजनाएं जिनका अधिकतर लाभ भूजल पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार के लिए होता है।

(f) तब तक कोई अनुदान जारी नहीं किया जा सकता जब तक मछली और वन्य जीव विभाग यह प्रमाणित न कर दे कि परियोजना के परिणामस्वरूप मछलियों और वन्य जीवों को होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संभावित प्रभाव अधिक न हों।

(g) योग्य परियोजनाओं में उन्नत नहर और प्रवेश क्षमता जैसे अवसंरचना सुधार शामिल हो सकते हैं।

86113. (a) इस अनुभाग के उद्देश्यों से "ज़िले" का अर्थ है Borrego जल ज़िला।

(b) अनुभाग 86110 में विनियोजित राशि में से पैंतीस मिलियन डॉलर (\$35,000,000) की राशि ज़िले को निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी:

(1) सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम (प्रभाग 6 का भाग 2.74 (अनुभाग 10720 से शुरू होता है) के अनुसरण में भूजल पंपिंग को Borrego घाटी भूजल बेसिन के Borrego Springs उप-बेसिन की सीमाओं के अंदर दीर्घावधि आधार पर सतत स्तर तक लाने के लिए भूजल पंपिंग को कम करने के लिए इच्छुक क्रेताओं से भूमि का अधिग्रहण और भूजल को पंप करने का अधिकार प्राप्त करना। अधिग्रहित भूमि को भविष्य के प्रबंधन के लिए उद्यान एवं मनोरंजन विभाग, एक लाभ-निरपेक्ष संगठन अथवा किसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया जाए।

(2) शहरी और कृषि संबंधी जल रक्षण, और गोल्फ कोर्सों जैसी मनोरंजन सुविधाओं में जल रक्षण सहित जल की अंतिम-उपयोग दक्षता।

(3) इस अनुभाग के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि का पुनरुद्धार।

(4) भूजल बेसिन रिचार्ज और पुनःउपयोग के लिए तूफानी जल का भंडारण।

(5) सतत भूजल प्रबंधन अधिनियम को लागू करने वाली अन्य ज़िला परियोजनाएं।

(c) (1) इस अनुभाग को लागू करने के लिए ज़िले द्वारा किसी लागत हिस्सेदारी की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायोचित है क्योंकि Borrego Springs का समुदाय एक गंभीर रूप से लाभवंचित समुदाय है और क्योंकि भूजल की अत्यधिक पंपिंग के कारण Anza-Borrego मरुस्थल राज्य उद्यान में महत्वपूर्ण संसाधन प्रभावित हो सकते हैं जहाँ आने वाले 500,000 वार्षिक आगंतुक वार्षिक तौर पर अनुमानित रूप से चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000) का योगदान देते हैं और 600 नौकरियों में सहयोग करते हैं।

(2) ज़िले को उपखंड (b) के परिच्छेद (2) और (4) के अनुसरण में अनुदान जारी करते समय लाभार्थियों से लागत में हिस्सेदारी की आवश्यकता हो सकती है।

(d) इस अनुदान की एक शर्त के रूप में ज़िले को निम्नलिखित दोनों शर्तों पर सहमत होना होगा:

(1) ऐसे विधेयक लागू करना जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वर्तमान में सिंचित नहीं की जा रही भूमि पर सिंचाई नहीं की जाएगी और वर्तमान में जिस भूमि पर सिंचाई की जा रही है, उस पर वर्तमान मात्रा से और अधिक सिंचाई नहीं की जाएगी।

(2) ज़िले द्वारा जल की खरीद पर खर्च की जाने वाली सम्पूर्ण लागत का भुगतान करने के लिए नए विकास कार्य किए जाएंगे और ज़िले द्वारा उस विकास को समायोजित करने के लिए शुरू की जाने वाली जल परियोजनाओं की सम्पूर्ण लागत भी उन्हीं विकास कार्यों से पूरी की जाएगी।

(e) (1) भूमि में कोई ब्याज प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अनुसरण में निधि प्राप्त करने वाला ज़िला या कोई लाभ-निरपेक्ष संगठन, खासतौर पर भूमि में उस ब्याज के रखरखाव, निगरानी और पुनरुद्धार के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यास निधि स्थापित करने के लिए उन निधियों में से 20 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकते हैं।

(2) इस अध्याय से प्राप्त धन से भूमि में ब्याज अर्जित करने वाला तथा किसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी या लाभ-निरपेक्ष संगठन को भूमि में ब्याज का अंतरण वाला ज़िला या कोई लाभ-निरपेक्ष संगठन भूमि में उस ब्याज को बनाए रखने के

लिए स्थापित की गई न्यास निधि के स्वामित्व का भी अंतरण करेगा।

(3) यह उपखंड राज्य एजेंसियों पर लागू नहीं होता है।

(4) यदि ज़िला या लाभ-निरपेक्ष संगठन इस उपखंड के अनुसरण में किसी न्यास निधि की स्थापना नहीं करते, तो एजेंसी, या संगठन विभाग के समक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वह एजेंसी या संगठन को अन्यथा उपलब्ध निधि से भूमि का अधिग्रहण जारी रख सकता है।

(5) यदि भूमि में ब्याज को गलत ठहराया जाता है अथवा यदि ज़िला या लाभ-निरपेक्ष संगठन यह निर्धारित करता है कि भूमि में ब्याज इस अध्याय से प्राप्त धन खर्च करने के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ है, तो न्यास निधि तथा खर्च न किया गया कोई भी ब्याज ज़िले के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। ज़िले को लौटाई गई निधि का इस अध्याय के अनुसरण में केवल परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(f) ज़िले को इस अनुभाग में निर्धारित कार्यक्रम को लागू करने के लिए निधि की आवश्यकता न होने पर यह निधि ज़िले द्वारा एक लाभ-निरपेक्ष संगठन अथवा उद्यान एवं मनोरंजन विभाग को Anza-Borrego रेगिस्तान राज्य उद्यान के साथ लगी हुई अथवा ठीक पास स्थित भूमि पर किसी गतिविधि अथवा सिंचाई, जिससे उद्यान में भूजल संसाधन प्रभावित हो सकते हैं, को रोकने के लिए उस भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदान की जाए। ये भूमि ज़िले की सीमा के अंदर अथवा बाहर हो सकती है परंतु Borrego घाटी भूजल बेसिन के Borrego Springs उपबेसिन, जो कि Borrego Springs समुदाय और उद्यान में आने वाले आगंतुकों के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण पेयजल का स्रोत है, की सीमाओं के अंदर अवश्य होनी चाहिए। इस भूमि का उपयोग वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक वास के रूप में किया जा सकता है।

(g) ज़िला इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत सभी कार्यक्रमों अथवा इनके कुछ भागों को लागू करने के लिए लाभ-निरपेक्ष संगठनों को अनुदान जारी कर सकता है।

अध्याय 8. वन्य जीवन के लिए जल, पैसिफिक फ्लाइंग पुनरुद्धार, और गतिशील प्राकृतिक वास प्रबंधन

86120. निधि में से तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000) की राशि इच्छुक विक्रेताओं से जल प्राप्त करने और धाराओं, नदियों, वन्य जीवों के शरण स्थलों, नम भूमि प्राकृतिक वास क्षेत्रों और मुहानों में मछलियों और वन्य जीवों के लिए स्थितियों में सुधार लाने के लिए भंडारण और आपूर्ति अधिकार प्राप्त करने के लिए वन्यजीवन संरक्षण मंडल (इसके बाद इस अनुभाग में इसे "मंडल" कहा गया है) के लिए निर्धारित की जाएगी। संघीय Central Valley परियोजना सुधार अधिनियम (Central Valley Project Improvement Act) (पब्लिक कानून 102-575) का

शीर्षक 34) के जल आपूर्ति लक्ष्यों को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मंडल तब अधिग्रहण, दीर्घाविधि पट्टा समझौतों अथवा जल अधिकारों के अंतरण का प्रबंध कर सकता है यदि यह निर्धारित करता है कि ऐसे कार्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लाभकारी हैं। यदि मंडल को लगता है कि जल की बिक्री, अंतरण अथवा भंडारण से मछलियों और वन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वह इस अनुभाग के अनुसरण में खरीदे गए जल अथवा भंडारण अधिकारों को बेच सकता है, हस्तांतरित कर सकता है अथवा भंडारित कर सकता है। जिन वर्षों में मंडल को मछलियों और वन्य जीवों के प्रयोजन से जल की आवश्यकता नहीं होगी, तो मंडल अस्थायी रूप से जल अथवा आपूर्ति अधिकारों को बेच सकता है अथवा पट्टे पर दे सकता है। सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद मंडल द्वारा इस अनुभाग के अनुसरण में जल की किसी बिक्री से होने वाली आय को राजकोषीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना सीधे मंडल के लिए निर्धारित किया जाता है। मंडल जल अथवा आपूर्ति अधिकारों की बिक्री, पट्टे अथवा हस्तांतरण से होने वाली आय का प्रयोग इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करेगा। इस अध्याय के अनुसरण में खर्च की गई निधि का प्रयोग करके किए गए जल के अधिग्रहण का उपयोग केवल उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो मछली पालन, वन्य जीवों अथवा पारिस्थितिकी प्रणाली को लाभ पहुंचाएंगी।

86121. (a) निधि में से पचास मिलियन डॉलर (\$50,000,000) की राशि निजी भूमि पर मछलियों और वन्य जीवों को जल आपूर्ति और जल की गुणवत्ता की स्थितियों में सुधार लाने के प्रयोजन से मछली एवं वन्यजीवन विभाग के लिए निर्धारित की जाती है। मछली और वन्यजीवन विभाग निजी भूमि पर संरक्षण कार्यों या स्वैच्छिक प्राकृतिक वास क्रेडिट विनिमय तंत्रों के लिए भूस्वामियों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। ऐसे प्रोत्साहन मछली और वन्यजीवन द्वारा अपेक्षित जल की अत्यधिक भिन्न मात्राओं के लिए उचित रूप से लचीले और प्रतिक्रियाशील होने के लिए निर्मित किए जाएंगे।

(b) मछली एवं वन्यजीवन विभाग इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि के एक हिस्से का उपयोग नदी और खेल संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 6.5 (जो अनुभाग 1650 से शुरू होता है) के तहत शामिल नहीं की गई प्राकृतिक वास पुनरुद्धार और जल गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं और उस अध्याय को लागू करने के लिए अनुमोदन में तेजी लाने के लिए एक कार्यक्रम संबंधी प्राधिकरण विकसित करने के लिए करेगा।

86122. (a) निधि में से तीन सौ मिलियन डॉलर (\$300,000,000) की राशि तटीय तथा Central Valley सायमन एवं स्टीलहैड मछली पालन पुनरुद्धार परियोजनाओं

के लिए वन्यजीवन संरक्षण मंडल के लिए निर्धारित की जाती है। वन्यजीवन संरक्षण मंडल उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा जो California लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (मछली और खेल संहिता के प्रभाग 3 के अध्याय 1.5 (जो अनुभाग 2050 से शुरू होता है) अथवा संघीय लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (16 U.S.C. अनुभाग 1531 एवं अन्य) के अनुसरण में सूचीबद्ध सायमन और स्टीलहैड प्रजातियों को पुनः स्थापित करने, वाणिज्यिक और मनोरंजन सायमन मछली पालन के संवर्धन और मछली और खेल संहिता के प्रभाग 6 के भाग 1 के अध्याय 8 (जो अनुभाग 6900 से शुरू होता है) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योगदान देती हैं।

(b) इस अनुभाग द्वारा निर्धारित राशि में से एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000) तक की राशि का खर्च मछली मार्ग अवसरों में सुधार के लिए और Sacramento घाटी की नदियों, जहां बांध नदी की मुख्य धारा को अवरुद्ध करते हैं, पर समुद्रापगामी सायमनिड प्राकृतिक वास, विशेष रूप से स्पिंग रन सायमन के लिए युवा मछलियों के पालन के प्राकृतिक वास के पुनरुद्धार के लिए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पूंजीगत परिखर्च परियोजनाओं के लिए स्थानीय एजेंसियों को बराबर की राशि के अनुदान पर खर्च की जाएगी।

(c) इस अनुभाग द्वारा निर्धारित राशि में से कम से कम एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000) की राशि समुद्रापगामी मछलियों को जल अंदर लेने की जाँच करने लिए Sacramento और San Joaquin की नदियों और उनकी सहायक नदियों और Delta में फिश स्क्रीन संस्थापित करने के लिए खर्च की जाएगी। उन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें जून, 2017 में प्राकृतिक संसाधन एजेंसी द्वारा प्रकाशित यथासंशोधित Sacramento घाटी सायमन लचीलापन कार्यनीति में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

86123. (a) निधि में से दो सौ अस्सी मिलियन डॉलर (\$280,000,000) की राशि निम्नलिखित परियोजनाओं सहित प्राकृतिक वास अधिग्रहण, सुविधा केन्द्रों, पुनरुद्धार अथवा अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्रवासी पक्षियों की रक्षा संबंधी परियोजनाओं और Central Valley संयुक्त उपक्रम कार्यान्वयन योजना में चिह्नित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वन्य जीव शरण स्थलों और वन्य जीव प्राकृतिक वास क्षेत्रों के लिए जल उपलब्ध कराने संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाती है।

(1) इस अनुभाग को लागू करने के लिए परियोजनाएं जिनमें निजी भूमि पर संरक्षण कार्रवाई शामिल हो सकती है।

(2) Sacramento नदी बेसिन में तटवर्ती और नम भूमि प्राकृतिक वास का रक्षण और पुनरुद्धार।

(3) San Joaquin और Tulare बेसिनों में तटवर्ती और नम भूमि प्राकृतिक वास का रक्षण और पुनरुद्धार।

(b) इस अनुभाग द्वारा निर्धारित राशि में से चालीस मिलियन डॉलर (\$40,000,000) की राशि मछली और खेल संहिता के प्रभाग 4 के भाग 1 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 7 (जो अनुभाग 3460 से शुरू होता है) के अनुसरण में California जल पक्षी प्राकृतिक वास कार्यक्रम, मछली एवं वन्यजीवन विभाग के California भूस्वामी प्रोत्साहन कार्यक्रम, वन्यजीवन संरक्षण मंडल के स्थायी नम भूमि सुविधा कार्यक्रम, और अनुभाग 1018 के अनुसरण में प्राधिकृत परियोजनाओं सहित परती भूमि पर जल पक्षियों के घोंसले बनाने और अन्य वन्य जीव प्राकृतिक वास कवर की स्थापना और संवर्धन के उद्देश्य से मछली और खेल संहिता के अनुभाग 3467 के अनुसरण में स्थापित California जल पक्षी प्राकृतिक वास परिरक्षण खाते में जमा की जाएगी।

(c) इस अनुभाग द्वारा निर्धारित राशि में से दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) की राशि निजी भूस्वामियों के साथ स्वैच्छिक समझौतों के माध्यम से जनता को शिकार और अन्य वन्य जीव-निर्भर मनोरंजन अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मछली और खेल संहिता के अनुभाग 1572 के अनुसरण में स्थापित और मछली एवं वन्यजीवन विभाग द्वारा प्रबंधित मनोरंजक संवर्द्धन के लिए साझा आवास गठबंधन (SHARE) खाते में जमा की जाएगी।

(d) इस अनुभाग द्वारा निर्धारित राशि में से कम से कम एक सौ दस मिलियन डॉलर (\$110,000,000) की राशि संधीय Central Valley परियोजना सुधार अधिनियम (पब्लिक कानून 102-575 का शीर्षक 34) के अनुभाग 3406 के उपखंड (d) की शर्तों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए वन्य जीव शरण स्थलों और संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जल के अधिग्रहण और आपूर्ति के लिए खर्च की जाएगी।

अध्याय 8.6. SACRAMENTO क्षेत्र जल निर्भरता और प्राकृतिक वास रक्षण

86124. (a) निधि में से दस मिलियन डॉलर (\$10,000,000) की राशि जल फोरम समझौते के समान उद्देश्यों से संगत परियोजनाओं के लिए Sacramento क्षेत्र जल फोरम की ओर से क्षेत्रीय जल प्राधिकरण विभाग के लिए और Sacramento शहर को अनुदान के लिए निर्धारित की जाती है। योग्य परियोजनाओं में निचली अमेरिकी नदियों में प्रवाह तथा तापमान स्थितियों और प्राकृतिक वास में सुधार लाने के लिए, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और संरक्षण अथवा सूखे के वर्ष में जल आपूर्ति निर्भरता का प्रावधान करने के लिए सतही जल और भूजल आपूर्तियों के एकीकरण में सुधार के लिए सुविधाएं, अध्ययन और अन्य कार्रवाइयाँ शामिल हैं।

(b) क्षेत्रीय जल प्राधिकरण और जल फोरम मिलकर अनुदानों द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले अध्ययनों, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को विकसित और अनुमोदित करेंगे। निचली अमेरिकी नदियों में जल तापमान स्थितियों में सुधार लाने वाली परियोजनाओं और जल फोरम के जल आपूर्ति में सुधार लाने और पर्यावरण की रक्षा के दोनों समान उद्देश्यों में योगदान देने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। प्राधिकरण जल आपूर्ति और जल दक्षता परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता होगा। Sacramento शहर जल फोरम की ओर से पर्यावरणीय रक्षण, जल तापमान अध्ययनों, और प्राकृतिक वास पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी करेगा।

(c) परियोजनाओं के पैकेज को कुल मिला कर आबंटित राशि परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में निर्धारित की गई कोई निधि नया सतही भंडारण बनाने अथवा वर्तमान जलाशयों को ऊपर उठाने के लिए खर्च नहीं की जाएगी।

अध्याय 9. खाड़ी क्षेत्र क्षेत्रीय जल निर्भरता

86125. निधि में से दो सौ पचास मिलियन डॉलर (\$250,000,000) की राशि निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में क्षेत्रव्यापी लाभों के लिए सतही जल भंडारण के लाभ देने वाली नई सुविधाओं के लिए आठ जल एजेंसियों के समूह, जिन्हें संयुक्त रूप से खाड़ी क्षेत्र क्षेत्रीय निर्भरता भागीदारी (BARR) के नाम से जाना जाता है, को अनुदान देने के लिए विभाग के लिए निर्धारित की जाती है: सूखा आपूर्ति निर्भरता, पेयजल गुणवत्ता, और आपातकालीन भंडारण, जैसा कि सामान्यतः San Francisco खाड़ी क्षेत्र क्षेत्रीय निर्भरता सूखा आकस्मिकता योजना में दी गई अंतिम शमन परियोजना सूची में उल्लिखित किया जाता है। Contra Costa जल ज़िले को भागीदारी की ओर से अनुदान प्राप्त हो सकता है बशर्ते कि BARR के पास अनुदान जारी किए जाते समय एक प्रबंध संरचना हो जो इसे प्रत्यक्ष रूप से निधि प्राप्त करने के लिए योग्य बनाती है। San Francisco खाड़ी क्षेत्र क्षेत्रीय निर्भरता सूखा आकस्मिकता योजना में सहभागी जल एजेंसियां सूचीबद्ध परियोजनाओं में से किसी एक अथवा अधिक परियोजनाओं के लिए राशि का निर्धारण एवं आबंटन करेंगी परंतु किसी एक परियोजना के लिए निर्धारित राशि परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस अनुभाग के अनुसरण में निर्धारित की गई कोई निधि नया सतही भंडारण बनाने अथवा वर्तमान जलाशयों को ऊपर उठाने के लिए खर्च नहीं की जाएगी।

अध्याय 10. उन्नत जल संवहन एवं जल रक्षण

86126. हालांकि सूखे की स्थिति में सुधार आ गया है, फिर भी सूखे के प्रभाव अभी भी पूरे राज्य के कई क्षेत्रों में महसूस किए जा रहे हैं। Sacramento-San Joaquin Delta से पंपिंग पर रोक लगाने वाली कानूनी अपेक्षाओं से जल उपयोगकर्ताओं पर सूखे की स्थितियों का प्रभाव और बढ़ गया। सूखे और पंपिंग पर रोक का एक परिणाम यह हुआ कि कम सतही आपूर्ति के स्थान पर एक माध्यम के रूप में भूजल पंपिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भूजल पंपिंग में वृद्धि से भूजल स्तर में गिरावट आती है जिससे कुएं सूख जाते हैं और भूमि कम होती है, जैसा कि San Joaquin Valley के पूर्व की ओर हुआ है। Friant-Kern नहर उपभोग संबंधी उपयोगों और भूजल रिचार्ज, दोनों के लिए जल संवहन की अपनी 60 प्रतिशत क्षमता खो चुकी है। जब तक संवहन क्षमता पुनः प्राप्त नहीं की जाती और बढ़ाई नहीं जाती, तब तक भूमि के कम होने की स्थिति लगातार खराब होती रहेगी और अपने नागरिकों को आपूर्ति करने के लिए प्रमुख रूप से भूजल पर निर्भर लाभवांचित समुदायों सहित स्थानीय समुदायों को लगातार प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। इस राज्य निवेश से, बेरोजगारी में वृद्धि से बचने, भूजल की स्थिरता, और California के लिए एक अधिक स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित उल्लेखनीय सार्वजनिक लाभ होंगे।

86127. निधि में से सात सौ पचास मिलियन डॉलर (\$750,000,000) की राशि बेहतर भूजल रिचार्ज, उन्नत संवहन और बाढ़ के जल के उपयोग और जल संरक्षण के लिए Madera और Friant-Kern नहरों तक और इनमें पुनःस्थापित और बढ़ी हुई संवहन क्षमता सहित जल संवहन पूंजीगत सुधार के लिए Friant जल प्राधिकरण को अनुदान जारी करने के लिए विभाग के लिए निर्धारित की जाती है। इस परिच्छेद द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से सुधार लागू राज्य और संघीय कानूनों और करारों के अनुसार पूरे किए जाएंगे।

86128. निधि में से एक सौ मिलियन डॉलर (\$100,000,000) की राशि मछली और खेल संहिता के अनुभाग 2080.2 में संदर्भित San Joaquin नदी के पुनरुद्धार के लिए समझौता करार के परिच्छेद 11 में परिभाषित परियोजनाओं का समर्थन करने वाली कार्रवाइयों के लिए प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के लिए निर्धारित की जाती है। खर्च किए जाने से पहले करार समझौता करने वाले पक्षों द्वारा शुरू की जानी वाली विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में औपचारिक सहमति ली जानी अपेक्षित है।

86129. Barker Slough से North Bay Aqueduct तक जल का विपथन मछलियों की सूचीबद्ध प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और बड़े शहरी क्षेत्र को आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। North Bay Aqueduct तक के विपथन को Sacramento नदी की ओर ले जाने से बहुत से सार्वजनिक लाभ होंगे।

86130. निधि में से पाँच मिलियन डॉलर (\$5,000,000) की राशि मछलियों की सूचीबद्ध प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और नहर द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की उच्च गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए Sacramento नदी से North Bay Aqueduct की ओर जल के विपथन की योजना के लिए विभाग के लिए निर्धारित की जाती है।

अध्याय 11. OROVILLE बांध बाढ़ रक्षा

86131. Oroville बांध Sacramento घाटी के लिए बाढ़ नियंत्रण उपलब्ध कराता है। Oroville बांध पर बाढ़ नियंत्रण को शामिल किया जाना Oroville बांध से जल प्राप्त करने वाली सार्वजनिक जल एजेंसियों का दायित्व नहीं थी। Oroville बांध के बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए संघीय सरकार द्वारा भुगतान किया जाता था।

86132. निधि में से दो सौ मिलियन डॉलर (\$200,000,000) की राशि Oroville बांध पर स्पिलवे की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए विभाग के लिए निर्धारित की जाती है।

86133. निधि में से इक्कीस मिलियन डॉलर (\$21,000,000) की राशि विभाग के लिए निर्धारित की जाती है। पंद्रह मिलियन डॉलर (\$15,000,000) की राशि Sutter Butte बाढ़ नियंत्रण एजेंसी के साथ समन्वय से Feather नदी में गाद प्रबंधन और Live Oak और Verona के बीच गाद हटाने के लिए खर्च की जाएगी। इस निधि में से छह मिलियन डॉलर (\$6,000,000) की राशि डाउनस्ट्रीम में बाढ़ नियंत्रण राहत उपलब्ध कराने और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार करने वाले Oroville वन्य जीव क्षेत्र में बाढ़ के पानी से क्षीण होने संबंधी परियोजनाओं के लिए Sutter Butte बाढ़ नियंत्रण एजेंसी को अनुदान के रूप में दी जाएगी।

86134. निधि में से एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) की राशि Butte county को पूंजी परिगत परिव्यय परियोजनाओं और आपातकालीन सेवा मानकीकृत आपात प्रबंधन प्रणाली (SEMS) के कार्यालय के संगत आपातकाल में तैयारी के समन्वय और संचार के उपकरणों के लिए अनुदान देने के लिए विभाग के लिए निर्धारित की जाएगी।

अध्याय 12. सामान्य प्रावधान

86151. (a) स्वैच्छिक प्राकृतिक वास पुनरुद्धार, जल गुणवत्ता सुधार और बहुलाभ बाढ़ मैदान पुनरुद्धार से संबंधित परियोजनाओं के मामले में इस अनुभाग के प्रावधानों का प्रबंधन करने वाली प्रत्येक एजेंसी परियोजनाओं में विलंब से बचने और परियोजनाओं को लागू करने पर खर्च की जाने वाली राशि को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वय को प्रोत्साहित करेगी और मछली और खेल संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 6.5 (जो अनुभाग 1650 से शुरू होता है) (उस अध्याय के अभी भी लागू होने अथवा न होने के बावजूद) के प्रावधानों सहित, परंतु इन तक सीमित

नहीं, कुशल परियोजना अनुमोदन और अनुमति प्रणालियों को विकसित तथा उपयोग करेगी।

(b) प्रमुख रूप से अधिग्रहण, सुविधा केन्द्रों, पुनरुद्धार अथवा अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्रवासी पक्षियों की रक्षा के लिए निर्मित परियोजनाएं संघीय प्रवासी पक्षी संयुक्त उद्यम भागीदारियों, जिनमें California के कुछ हिस्से शामिल हैं, द्वारा स्थापित योजनाओं और सिफ़ारिशों के अनुरूप होंगी।

(c) इस प्रभाग के अनुसरण में लाभवंचित समुदायों अथवा आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को निधि उपलब्ध कराने वाली कोई एजेंसी इन समुदायों को तकनीकी और अनुदान लेखन सहायता सहित वित्तपोषण के लिए आवेदन करने में सहायता करने के लिए निधि उपलब्ध करा सकती है। यह निधि इन समुदायों की सहायता करने वाले लाभ-निरपेक्ष संगठनों और स्थानीय सार्वजनिक एजेंसियों को उपलब्ध कराई जा सकती है।

(d) इस प्रभाग के अनुसरण में निधि प्राप्त करने वाली कोई एजेंसी सार्वजनिक संसाधन संहिता के अनुभाग 9003 के अनुसरण में संसाधन संरक्षण जिलों की सेवाएं संविदा पर ले सकती है।

(e) एजेंसियां कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक वस्तु के अंशदान को लागत में हिस्सेदारी के तहत गिन सकती हैं। एजेंसियां सौदेबाज़ी की बिक्री में दान में दी गई भूमि के मूल्य को लागत हिस्सेदारी का भाग मान सकती हैं।

(f) भूमि के अधिग्रहण के प्रस्तावों पर विचार करने वाली एजेंसियां प्रस्तावित अंतिम भूस्वामी की इसे ऐसी स्थिति में बनाए रखने की क्षमता पर भी विचार करेगी जिससे उसके उस मूल्य की रक्षा की जा सके जिसके लिए इसका अधिग्रहण किया जाना है और यदि भूमि का उचित प्रबंधन न किया जाए तो आस-पास की भूमि को होने वाली किन्हीं संभावित समस्याओं से बचने की क्षमता पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(g) इस प्रभाग के अनुसरण में स्थापित न्यास निधि का प्रबंधन संस्थागत निधि के समान समझदार प्रबंधन अधिनियम (Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act) (Probate संहिता के प्रभाग 9 के भाग 7 (जो अनुभाग 18501 से शुरू होता है)) की अपेक्षाओं के अनुसरण में किया जाएगा।

(h) प्रमुख रूप से अधिग्रहण, सुविधा केन्द्रों, पुनरुद्धार अथवा अन्य परियोजनाओं के माध्यम से तटवर्ती प्राकृतिक वास की रक्षा के लिए निर्मित परियोजनाओं में मछली और खेल संहिता के प्रभाग 2 के अध्याय 4.1 (अनुभाग 1385 से शुरू होता है) के अनुसरण में California तटवर्ती प्राकृतिक वास संरक्षण कार्यक्रम द्वारा स्थापित योजनाओं और सिफ़ारिशों पर विचार किया जाएगा।

(i) प्रशासक एजेंसी निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को दिए गए अनुदान की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अग्रिम करेगी:

(1) परियोजना प्रस्तावक एक लाभवंचित समुदाय है या खंड 86166 के उपखंड (a) में परिभाषित योग्य निकाय है या परियोजना किसी लाभवंचित समुदाय को लाभ पहुंचाती है।

(2) परियोजना के लिए स्वीकृत अनुदान एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) से कम है।

(j) योग्य अनुदान लागतों में प्रबंधन और बजट के संघीय कार्यालय के दिशा-निर्देशों में परिभाषित अप्रत्यक्ष लागतें और उचित ऊपरी लागतें शामिल होंगी।

(k) विशिष्ट कार्यक्रमों अथवा अनुदान प्राप्तकर्ताओं के लिए निर्धारित निधि प्राप्त करने वाली एजेंसियां वर्तमान राज्य कानूनों और विनियमों और इस प्रभाग की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्रिया के साथ इस निधि का तीव्रता से खर्च अथवा हस्तांतरण करेंगी। इस प्रभाग का यह इरादा है कि निधि का खर्च अथवा हस्तांतरण दक्ष, किफ़ायती, और शीघ्रता से होगा और सामान्यतः अनुरोध की गई निधि के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा योग्यता प्रदर्शित करने से 90 दिन के अंदर किया जाना चाहिए।

86152. एजेंसियां इस प्रभाग के अनुसरण में किए गए प्रस्तावित खर्च के परिणामस्वरूप मानव और पर्यावरणीय उपयोग के लिए सृजित जल की मात्रा का व्यवहार्य सीमा तक मापन करेंगी। एजेंसियां इस प्रभाग के अनुसरण में किए गए प्रस्तावित खर्च के परिणामस्वरूप मानव और पर्यावरणीय उपयोग के लिए सृजित जल की गुणवत्ता में सुधार का व्यवहार्य सीमा तक मापन करेंगी।

86153. इस प्रभाग के अनुसरण में अनुदान जारी करने वाली राज्यव्यापी एजेंसियां इस प्रभाग के अन्य प्रावधानों के साथ संगत रहने की सीमा तक उत्तरी और southern California, तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों, और Sierra और Cascade की तलहटी और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में योग्य परियोजनाओं को निधि का समान आबंटन करने का प्रयास करेंगी।

86154. इस प्रभाग के अनुसरण में अनुदान के लिए आवेदक यह इंगित करेंगे कि क्या अनुदान का प्रस्ताव स्थानीय एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना, यदि कोई हो, के अनुरूप है। हालांकि एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना के साथ अनुरूपता किसी अनुदान की शर्त के रूप में आवश्यक नहीं होगी, और यदि अनुदान का प्रस्ताव एकीकृत क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप नहीं है, तो उसे कम प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

86155. (a) इस प्रभाग के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद 100,000 से कम जनसंख्या वाली और राज्य की औसत घरेलू आय के 100 प्रतिशत से कम मध्य घरेलू आय वाली किसी स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी को पूर्णतया उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाली परियोजना के लिए अनुदान जारी करने के लिए 35 प्रतिशत से अधिक की बराबर निधि उपलब्ध

कराने की आवश्यकता होगी। इन स्थानीय सार्वजनिक एजेंसियों को अनुदान जारी करने वाली राज्य एजेंसियां उस स्थिति में परियोजना के हिस्सों के निर्माण के लिए अग्रिम निधि उपलब्ध करा सकती हैं यदि राज्य एजेंसी यह निर्धारित करती हैं कि स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी को परियोजना पूरी होने तक भुगतान के लिए प्रतीक्षा करवाने से परियोजना अव्यवहार्य हो जाएगी।

(b) इस अनुभाग का कोई भी प्रावधान किसी राज्य एजेंसी को किसी लाभवंचित समुदाय अथवा आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र, जिसे लागत में हिस्सेदारी की आवश्यकता नहीं है, को अनुदान जारी करने से नहीं रोकता।

86156. इस प्रभाग के अनुसरण में दिए गए किसी ऋण के ब्याज और ब्याज से आय के भुगतान सहित ऋण का भुगतान निधि में जमा कराया जाएगा और यह केवल उस अध्याय अथवा अनुभाग के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होगी जिसने ऋण को प्राधिकृत किया है।

86157. (a) प्रत्येक राज्य एजेंसी जिसे इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि का विनियोग प्राप्त होता है, वह सफलता के मैट्रिक्स स्थापित करने और परियोजनाओं और वित्तपोषण के सभी उपयोगों की स्थिति राज्य की बांड जवाबदेही इन्टरनेट वेबसाइट पर रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(b) प्रत्येक राज्य एजेंसी जिसे इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि का विनियोग प्राप्त होता है, वह निम्नलिखित कार्रवाई करेगी:

(1) इस प्रभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन करना।

(2) उपखंड (a) में उल्लिखित मूल्यांकन को अनुभाग 86003 के अनुसरण में एजेंसी की रिपोर्टिंग में शामिल करना।

(3) निधि प्राप्तकर्ता को इस प्रभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं समय पर और परिधि के अंदर पूरा करने के लिए जिम्मेदार घोषित करना।

86158. (a) इस प्रभाग के अनुसरण में राज्य एजेंसियों द्वारा लागू परियोजनाओं के लिए इस प्रभाग द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आबंटित निधि के 10 प्रतिशत तक की राशि परियोजनाओं के सफल डिजाइन, चयन, और इन्हें लागू करने और लाभों के सत्यापन के लिए आवश्यक आयोजना, निगरानी, और रिपोर्टिंग के लिए खर्च की जा सकती है। इस प्रभाग के अनुसरण में किसी परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करने वाला कोई योग्य निकाय परियोजनाओं के सफल निर्माण, चयन, और इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक आयोजना, निगरानी, और रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त निधि भी प्राप्त कर सकता है। यह अनुभाग किसी पूंजीगत परिव्यय परियोजना या अनुदान परियोजना के लिए

“प्राथमिक योजनाओं,” “कार्यकारी आरेखों,” और “निर्माण” के लिए किसी एजेंसी द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली निधियों पर अन्यथा कोई रोक नहीं लगाएगा।

(b) अनुमति और योजना जाँच शुल्क और उचित प्रशासनिक तथा अप्रत्यक्ष परियोजना शुल्क और निर्माण के प्रबंधन से संबंधित लागत निर्माण लागत का हिस्सा मानी जाएगी। परियोजना की आयोजना और डिजाइन के लिए आबंटित परियोजना लागत, और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रशासनिक लागत को परियोजना बजट में एक अलग श्रेणी की मद के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

86159. सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के बावजूद अध्याय 6 (जो अनुभाग 86080 से शुरू होता है) और अध्याय 8 (जो अनुभाग 86120 से शुरू होता है) के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग लाभ-निरपेक्ष संगठनों को उन अध्यायों के उद्देश्यों के संगत परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय संहिता के अनुभाग 22064 में दिए गए अनुसार ऋण चुकाने के लिए अनुदान और ऋण देने के लिए किया जा सकता है।

86160. इस प्रभाग के तहत किसी राज्य एजेंसी को आबंटित निधि के कुल 5 प्रतिशत से अधिक की राशि इस प्रभाग में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रबंधन की लागत का भुगतान करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती।

86161. (a) जल गुणवत्ता की निगरानी संबंधी आंकड़े ऐसी पद्धति से एकत्रित और राज्य मंडल को रिपोर्ट किए जाएंगे जो प्रभाग 6 के भाग 4.9 (जो अनुभाग 12400 से शुरू होता है) से संगत राज्य मंडल द्वारा प्रशासित सतही जल निगरानी आंकड़ा प्रणालियों अथवा भूजल निगरानी आंकड़ा प्रणालियों के अनुकूल और संगत हों। जलोत्सारण क्षेत्र निगरानी आंकड़े ऐसी पद्धति से एकत्रित और संरक्षण विभाग को रिपोर्ट किए जाएंगे जो संरक्षण विभाग द्वारा प्रशासित राज्यव्यापी जलोत्सारण क्षेत्र कार्यक्रम के अनुकूल और संगत हों।

(b) इस प्रभाग के अनुसरण में अनुदान अथवा ऋण जारी करने वाली राज्य एजेंसियां स्थानीय, राज्य, और संघीय अनुमति और अन्य अपेक्षाओं के साथ अनुपालन के लिए विशिष्ट खर्च को शामिल कर सकती हैं।

(c) इस प्रभाग में उपलब्ध कराई गई किसी अन्य राशि के अतिरिक्त इस प्रभाग द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आबंटित निधि के 1 प्रतिशत तक की निधि उस कार्यक्रम के संबंध में जल आपूर्ति, जल संबंधी प्राकृतिक वास और जल गुणवत्ता में सुधार लाने की पद्धतियों के बारे में अनुसंधान के लिए खर्च की जा सकती है।

86162. (a) इस प्रभाग के अंतर्गत अनुदान अथवा ऋण कार्यक्रम के प्रशासन के लिए इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि में से विनियोग प्राप्त करने वाली प्रत्येक राज्य

एजेंसी इस प्रभाग के अनुसरण में अनुदान अथवा ऋण का वितरण किए जाने से पहले परियोजना का प्रस्ताव मंगाने और मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश विकसित करेगी और अपनाएगी। इन दिशा-निर्देशों में निगरानी और प्रतिवेदन संबंधी अपेक्षाएं सम्मिलित होंगी तथा दिए जाने वाले प्रत्येक अनुदानदाता ऋण की डॉलर राशि की उच्चतम सीमा भी सम्मिलित हो सकती है। इन दिशा-निर्देशों में स्थानीय सार्वजनिक एजेंसियों, भारतीय जनजातियों अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठनों द्वारा उचित ऊपरी अथवा अप्रत्यक्ष लागत की वसूली पर रोक शामिल नहीं होगी। यदि राज्य एजेंसी ने परियोजना आग्रह और मूल्यांकन दिशानिर्देश पहले से ही तैयार कर लिए हैं और अपना लिए हैं, जो कि इस प्रभाग की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों तो वह एजेंसी उन दिशा-निर्देशों का प्रयोग कर सकती है। किसी स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन द्वारा खर्च की गई ऊपरी अथवा अप्रत्यक्ष लागत प्रतिपूर्ति के योग्य है और यह इस प्रभाग के अनुसरण में प्रस्तावों के वित्तपोषण के मूल्यांकन में प्रतिकूल नहीं मानी जाएगी।

(b) राज्य एजेंसी अनुदान या ऋण का वितरण करने से पहले दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले जनता की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए तीन क्षेत्रीय आम बैठकें करेगी। राज्य एजेंसी जन बैठकों की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर आग्रह एवं मूल्यांकन दिशा-निर्देशों का मसौदा प्रकाशित करेगी। एक बैठक northern California में किसी स्थान पर, एक बैठक California की central valley में किसी स्थान पर, और एक बैठक southern California में किसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त तीन क्षेत्रों में से किसी एक अथवा अधिक क्षेत्रों में बिना अधिकार-क्षेत्र वाली एजेंसियां उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में बैठकों को छोड़ सकती हैं जिनके अंदर उनके पास अधिकार-क्षेत्र नहीं है। अपनाएने के उपरांत राज्य एजेंसी उन दिशा-निर्देशों की प्रतियां राजकोषीय समितियों और विधानमंडल की उपयुक्त नीति समितियों को भेजेगी।

(c) इस प्रभाग के अनुसरण में निधि का प्रशासन कर रही राज्य एजेंसी इस प्रभाग के अनुसरण में परियोजनाएं मंगाने से कम से कम 45 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर अनुदान के आवेदकों के लिए दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोस्ट करेगी। परियोजना के लिए आवेदन मँगवाने और मूल्यांकन के दिशा-निर्देशों में केवल इस प्रभाग के लिए लागू अपेक्षाओं के आधार पर मानदंड शामिल किए जाएंगे।

(d) इस प्रभाग का कोई भी प्रावधान एजेंसियों को वर्तमान कानून लागू करने और उनका अनुपालन करने से नहीं रोकता। 86163. इस अनुभाग से वित्तपोषित प्रत्येक परियोजना निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी:

(a) इस प्रभाग के अनुसार सार्वजनिक निधियों के निवेश से सार्वजनिक लाभ मिलेगा, जिससे निधियाँ वितरित करने वाली एजेंसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार सार्वजनिक निधियन संबंधी सबसे महत्वपूर्ण राज्यव्यापी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जा सकेगा।

(b) इस प्रभाग द्वारा प्राधिकृत निधियन के विनियोग और व्यय में निजी, संघीय अथवा स्थानीय वित्तपोषण अथवा सबसे अधिक सार्वजनिक लाभ देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रभाग के अनुसरण में निधि प्राप्त कर रही सभी राज्य एजेंसियां निधि का यथासंभव सीमा तक लाभ उठाने का प्रयास करेंगी, परंतु एजेंसियां छोटी सार्वजनिक एजेंसियों और लाभवंचित तथा आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली एजेंसियों द्वारा लागत में हिस्सेदारी की सीमित क्षमता को ध्यान में रखेंगी।

(c) कोई वित्तपोषित परियोजना उस अध्याय अथवा अनुच्छेद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी जिससे परियोजना को निधि प्राप्त हुई है।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में जल संसाधन के संबंध में निर्णय लेने में राज्य और स्थानीय एजेंसियां उन निर्णयों की सूचना देने के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करेंगी।

(e) व्यवहार्य सीमा तक, इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा समर्थित किसी परियोजना में जनता को सूचित करने के लिए ऐसे संकेत शामिल किए जाएंगे कि परियोजना को 2018 के जल आपूर्ति और जल गुणवत्ता अधिनियम से निधि प्राप्त हुई है।

(f) व्यवहार्य सीमा तक, इस प्रभाग से होने वाली आय से वित्तपोषित परियोजनाएं सरकारी संहिता के अनुभाग 65041.1 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य की आयोजना प्राथमिकताओं और सरकारी संहिता के अनुभाग 65080 के उपखंड (b) के परिच्छेद (2) के उप-परिच्छेद (B) के प्रावधानों के अनुरूप सतत समुदाय कार्यनीतियों को बढ़ावा देंगी।

(g) व्यवहार्य सीमा तक, इस प्रभाग में शामिल निजी भूमि के लिए जलोत्सारण क्षेत्र उद्देश्य सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 10.2 (जो अनुभाग 10200 से शुरू होता है) और प्रभाग 10.4 (जो अनुभाग 10330 से शुरू होता है) के अनुसरण में सतत रक्षण सुविधा केन्द्रों के प्रयोग, स्वैच्छिक प्राकृतिक वास क्रेडिट आदान-प्रदान पद्धतियों, और निजी भूमि पर संरक्षण कार्रवाइयों सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, संरक्षण सुविधा केन्द्रों और स्वैच्छिक भूस्वामी भागीदारी का प्रयोग करके प्राप्त किए जाने चाहिए।

86164. इस प्रभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों को Delta जल सुविधाजनक सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, संचालन, कमी या रख-रखाव की लागतों के भुगतान के लिए

खर्च नहीं किया जाएगा। इन लागतों का भुगतान करना इन सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, संचालन, कमी या रखरखाव से लाभान्वित होने वाली जल एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी।

86165. (a) यह प्रभाग किसी भी प्रकार से उद्गम के क्षेत्र, उद्गम के जलोत्सारण क्षेत्र, उद्गम के देश अथवा कानून के तहत 19 दिसंबर, 1914 से पहले समायोजित जल के अधिकारों सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, किन्हीं अन्य जल अधिकारों की रक्षा को कम नहीं करता, बाधित नहीं करता, अथवा अन्यथा प्रभावित नहीं करता। यह प्रभाग अनुभाग 10505, 10505.5, 11128, 11460, 11461, 11462, और 11463, और अनुभाग 12200 से 12220 तक को शामिल करते हुए प्रभाग 2 के भाग 2 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 1.7 (अनुभाग 1215 से शुरू होता है) को लागू किए जाने को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करता।

(b) इस प्रभाग के उद्देश्यों के लिए किसी ऐसे क्षेत्र जो Sacramento नदी जलविज्ञानीय क्षेत्र अथवा Delta से बाहर उपयोग के लिए Sacramento नदी जलविज्ञानीय क्षेत्र से विपथित और ले जाए गए जल का उपयोग करता है, उसे इस उद्देश्य से 1 जनवरी, 2018 के बाद निर्मित किए जाने वाले सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उस जल के विपथन और संवहन के कारण उस क्षेत्र के बिल्कुल साथ लगा हुआ अथवा सुविधाजनक रूप से जल की आपूर्ति करने योग्य नहीं माना जाएगा।

(c) इस प्रभाग का कोई प्रावधान प्रभाग 35 के भाग 4 के अध्याय 2 (जो अनुभाग 85320 से शुरू होता है) के अनुसार निर्मित अथवा प्रचालित किसी नई संवहन संरचना से संबंधित याचिकाओं सहित प्रभाग 2 के भाग 2 के अध्याय 10 (जो अनुभाग 1700 के साथ शुरू) का स्थान नहीं लेता, उसे सीमित नहीं करता अथवा अन्यथा उसे लागू किए जाने में कोई संशोधन नहीं करता।

(d) जब तक स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो इस प्रभाग का कोई प्रावधान जल के अधिकारों की प्राथमिकताओं, अनुभाग 106 और 106.5 द्वारा नगरपालिका हितों को उपलब्ध कराई गई रक्षा और जल अधिकारों में बदलाव सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, राज्य मंडल के जल के विपथन और उपयोग संबंधी विनियमों से संबंधित प्रक्रिया संबंधी और मूल वर्तमान कानूनी रक्षा का स्थान नहीं लेता, उसे कम नहीं करता, अथवा अन्यथा प्रभावित नहीं करता। इस प्रभाग में कोई प्रावधान जल के विपथन और उपयोग को विनियमित करने के लिए राज्य मंडल के वर्तमान प्राधिकार अथवा California जल अधिकारों के संबंध में न्यायालयों के वर्तमान समवर्ती अधिकार-क्षेत्र का विस्तार नहीं करता अथवा अन्यथा इसमें कोई बदलाव नहीं करता।

(e) इस प्रभाग में किसी प्रावधान का अर्थ California जंगल और दर्शनीय नदियों का अधिनियम (California Wild and

Scenic Rivers Act) (सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 5 का अध्याय 1.4 (अनुभाग 5093.50 से शुरू होता है) अथवा संघीय जंगल और दर्शनीय नदियों का अधिनियम (Wild and Scenic Rivers Act) (16 U.S.C. अनुभाग 1271 एवं अन्य) को प्रभावित करने से नहीं लगाया जाएगा, और इस प्रभाग के अनुसरण में प्राधिकृत निधि ऐसी किसी भी ऐसी परियोजना के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिसके द्वारा उन मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने की संभावना हो जिन पर किसी जंगली और सुंदर नदी अथवा किसी अन्य नदी की California जंगल और दर्शनीय नदियों का अधिनियम अथवा संघीय जंगल और दर्शनीय नदियों का अधिनियम के अनुसरण में रक्षा की जाती है।

(f) इस प्रभाग का कोई भी प्रावधान 2009 के Sacramento-San Joaquin Delta सुधार अधिनियम (Sacramento-San Joaquin Delta Reform Act) (प्रभाग 35 (जो अनुभाग 85000 से शुरू होता है)) अथवा सार्वजनिक संसाधन संहिता के प्रभाग 22.3 (जो अनुभाग 32300 से शुरू होता है) सहित, परंतु इस तक सीमित नहीं, किसी अन्य लागू कानून का स्थान नहीं लेता, इन्हें सीमित नहीं करता, अथवा अन्यथा इनमें कोई संशोधन नहीं करता।

(g) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद इस प्रभाग के अनुसरण में भूमि का अधिग्रहण करने वाली कोई एजेंसी अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन 2000 के प्राकृतिक विरासत संरक्षण कर क्रेडिट अधिनियम (Natural Heritage Preservation Tax Credit Act) (सार्वजनिक संसाधन संहिता का अनुभाग 28 (जो अनुभाग 37000 से शुरू होता है) का प्रयोग कर सकता है। इस प्रभाग के अनुसरण में निर्धारित निधि, जो प्रतिस्पर्धी अनुदान कार्यक्रमों के लिए नियत नहीं है, का प्रयोग 2000 के प्राकृतिक विरासत संरक्षण कर क्रेडिट अधिनियम के अनुसरण में सामान्य निधि की प्रतिपूर्ति के उद्देश्यों से भी किया जा सकता है।

(h) इस प्रभाग के अनुसार उपलब्ध कराई गई निधियों और उन निधियों के किसी विनियोजन या अंतरण को मछली एवं खेल संहिता के प्रभाग 3 के अध्याय 9 (जो कि अनुभाग 2780 से शुरू होता है) के उद्देश्यों के लिए निधियों का अंतरण नहीं माना जाएगा।

86166. (a) इस प्रभाग के अनुसरण में अनुदान, ऋण और अनुबंध प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक सार्वजनिक एजेंसियां, विश्वविद्यालय-प्रबंधित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं सहित राज्य विश्वविद्यालय, संसाधन संरक्षण ज़िले, लाभ-निरपेक्ष संगठन, जन सुविधाएं, पारस्परिक जल कंपनियाँ, स्वास्थ्य तथा रक्षा संहिता के अनुभाग 116275 के उपखंड (h) में परिभाषित सार्वजनिक जल पद्धतियाँ, जल संहिता के अनुभाग 10617 में परिभाषित शहरी जल आपूर्तिकर्ता, संघीय रूप से मान्यताप्राप्त भारतीय जनजातियाँ, California में भूमि के स्वामित्व अथवा प्रबंधन करने वाली संघीय एजेंसियाँ, और

मूल अमेरिकी हैरिटेज आयोग की California जनजातीय परामर्श सूची में सूचीबद्ध राज्य भारतीय जनजातियाँ हैं। इस प्रभाग के अनुसरण में निधि जारी करने वाली राज्य एजेंसियाँ इन एजेंसियों से वित्तपोषण प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के समान प्रकार की परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइनिंग, और विकास करने में अनुभव अथवा इन क्षेत्रों में परामर्श सहायता तक पहुँच वाले योग्य आवेदकों को प्राथमिकता देंगी।

(b) (1) इस प्रभाग के तहत वित्तपोषण के लिए योग्य होने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता आयोग अथवा किसी पारस्परिक जल कंपनी द्वारा विनियमित सार्वजनिक उपयोगिता द्वारा प्रस्तावित परियोजना का एक स्पष्ट एवं निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य होगा और यह परियोजना निवेशकों को नहीं बल्कि जल प्रणाली के ग्राहकों को लाभ पहुंचाएगी।

(2) इस प्रभाग के तहत वित्तपोषण के लिए योग्य होने के लिए किसी शहरी जल आपूर्तिकर्ता द्वारा शहरी जल प्रबंधन योजना अधिनियम (Urban Water Management Planning Act) (प्रभाग 6 का भाग 2.6 (अनुभाग 10610 से शुरू होता है) के अनुसार शहरी जल प्रबंधन योजना अपनाई और प्रस्तुत की गई हो।

(3) इस प्रभाग के तहत वित्तपोषण के लिए योग्य होने के लिए किसी कृषि जल आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषि जल प्रबंधन योजना अधिनियम (Agricultural Water Management Planning Act) (प्रभाग 6 का भाग 2.8 (जो अनुभाग 10800 से शुरू होता है) के अनुसार कृषि जल प्रबंधन योजना अपनाई और प्रस्तुत की गई हो।

(4) अनुभाग 10608.56 के अनुसरण में कोई कृषि संबंधी जल आपूर्तिकर्ता अथवा कोई शहरी जल आपूर्तिकर्ता इस प्रभाग के तहत अनुदान निधि प्राप्त करने के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि यह प्रभाग 6 के भाग 2.55 (जो अनुभाग 10608 से शुरू होता है) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता।

(5) इस प्रभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद इस प्रभाग के अनुसरण में निधि प्राप्त कर रही एजेंसियाँ एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) से कम के बजट वाले लाभ-निरपेक्ष संगठनों को एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) अथवा इससे कम का अनुदान जारी करते समय लागत में हिस्सेदारी की अपेक्षा को तब कम कर सकती हैं अथवा समाप्त कर सकती हैं यदि एजेंसी यह निर्धारित करती है कि ऐसा अनुदान इस प्रभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका होगा।

86167. जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, वहाँ इस प्रभाग के अनुसरण में वित्तपोषित परियोजनाओं द्वारा California संरक्षण कॉर्प्स अथवा सार्वजनिक संसाधन संहिता के अनुभाग 14507.5 में परिभाषित किए गए अनुसार प्रमाणित सामुदायिक रक्षण कॉर्प्स की सेवाएँ ली जा सकती

हैं। इस प्रभाग के तहत वित्तपोषण प्राप्त कर रही सार्वजनिक एजेंसियाँ उन परियोजनाओं को अतिरिक्त प्राथमिकता देंगी जिनमें California संरक्षण कॉर्प्स अथवा प्रमाणित समुदाय संरक्षण कॉर्प्स अथवा भूतपूर्व सैनिकों, पालन-पोषण संबंधी देखभाल प्राप्त करने वालों, खेती करने वालों, अथवा स्थानीय युवाओं को संरक्षण अथवा पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण और शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने वाली लाभ-निरपेक्ष इकाइयों की सेवाएँ ली जाती हैं।

86168. इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तपोषण का निर्धारण प्राप्त करने वाली प्रत्येक राज्य एजेंसी निम्नलिखित में से प्रत्येक को स्थापित करने और इनके संबंध में राज्य की बांड जबाबदेही इंटरनेट वेबसाइट पर रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगी: सफलता के मैट्रिक्स, लाभवंचित समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स को पूरा करने में की गई प्रगति, इस प्रभाग के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति, और इस प्रभाग के तहत राज्य एजेंसी को प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण निधि के सभी उपयोग। प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव इस प्रभाग के अनुसरण में किए गए व्यय और इन व्यय से हुए लाभों को वार्षिक रूप से विधान मंडल को रिपोर्ट करेंगे।

86169. अनुभाग 86192 के अनुसरण में जारी किए गए वापसी बांड से होने वाली आय को छोड़कर इस प्रभाग के अनुसरण में जारी किए गए और बेचे गए बांड से होने वाली आय इसके द्वारा सृजित राज्य कोष, 2018 के जल आपूर्ति निर्भरता और सूखा रक्षण कोष में जमा की जाएगी।

86169.1. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद 2018 के जल आपूर्ति निर्भरता और सूखा रक्षण कोष में जमा धन इस प्रभाग में निर्धारित पद्धति से इस प्रभाग के उद्देश्यों से वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखे बिना लगातार निर्धारित किया जाता है। इस प्रभाग के अनुसरण में प्राधिकृत और उपलब्ध कराई गई निधि केवल इस प्रभाग में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध होगी और व्यय की जाएगी और विधान मंडल अथवा राज्यपाल द्वारा किसी अन्य उद्देश्य से निर्धारित अथवा हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

86170. सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 1 का अध्याय 3.5 (जो अनुभाग 11340 से शुरू होता है) इस प्रभाग के अंतर्गत प्राधिकृत या वित्तपोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं के विकास या उनके कार्यान्वयन पर लागू नहीं होता है।

86171. (a) इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग इस प्रभाग के अनुसरण में वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण नियंत्रण की लागत को छोड़कर पर्यावरण नियंत्रण की लागत का समर्थन करने अथवा भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(b) इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग पर्यावरण संवर्धन अथवा अन्य सार्वजनिक लाभों के लिए किया जाएगा।

(c) उपखंड (a) और (b) के बावजूद इस प्रभाग के तहत होने वाले व्यय से सीधे जुड़े हुए और इस व्यय तक सीमित पर्यावरण प्रभावों के नियंत्रण की लागत का भुगतान इस प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा किया जा सकता है।

(d) इस प्रभाग के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई निधियों को Delta कन्वेयेन्स सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, संचालन, कमी या रख-रखाव की लागतों के भुगतान के लिए खर्च नहीं किया जाएगा।

86172. इस प्रभाग को लागू करने वाला प्रत्येक निकाय ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने को उच्चतम प्राथमिकता देगा जो तुलनात्मक रूप से धिक किफायत, टिकाऊपन, और बढ़ी हुई पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक साथ लाती हैं।

86174. इस प्रभाग के अध्याय 6 (जो अनुभाग 86080 से शुरू होता है) के अनुसरण में अधिग्रहण केवल इच्छुक क्रेताओं से ही किया जाएगा।

86177. किसी परियोजना के किफायती होने की अपेक्षा के लिए एक पूर्ण लाभ और लागत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

86178. इस प्रभाग को लागू करने वाली एजेंसियां ऐसी परियोजनाओं पर विशेष रूप से विचार करेंगी जो जल आपूर्ति, जंगल में लगने वाली आग में कमी, प्राकृतिक वास में सुधार, आक्रामक जंगली घास नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि उपयोग, और स्वच्छता सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, बहु कार्यनीतियों और अधिकार-क्षेत्रों को मिलाने का समर्थन करने वाले निर्णय समर्थन साधनों सहित नई अथवा नवाचारी प्रौद्योगिकी अथवा पद्धतियों का प्रयोग करती हैं।

86179. इस प्रभाग के अनुसरण में अथवा प्रभाग 26.7 (जो अनुभाग 79700 से शुरू होता है) के अनुसरण में वित्तपोषित कार्य के लिए किसी सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति, अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन और मछली तथा वन्यजीव विभाग अथवा वन्यजीवन संरक्षण मंडल के बीच एक अनुदान उपलब्ध कराने के लिए किसी करार सहित कोई करार मछली और खेल संहिता के अनुभाग 1501.5 की अपेक्षाओं के अधीन एक करार समझा जाएगा, और इसलिए इसे एक सार्वजनिक कार्य अथवा एक सार्वजनिक सुधार नहीं माना जाएगा, और यह श्रम संहिता के प्रभाग 2 के भाग 7 के अध्याय 1 (जो अनुभाग 1720 से शुरू होता है) के अधीन नहीं है।

86179.1. Delta को और इस पर निर्भर करने वाली प्रजातियों को प्रभावित करने वाले क्रियाकलापों, जो सामान्यतः San Francisco मुहाना संस्थान-जलीय विज्ञान केंद्र द्वारा वर्ष 2016 में तैयार की गई रिपोर्ट "A Delta Renewed: A Guide to Science-Based Ecological Restoration in the Sacramento-San Joaquin Delta" के अनुरूप हों, पर निधि के व्यय को प्राथमिकता दी जाएगी।

86179.2. इस अधिनियम की प्रभावी तारीख के बाद इस अधिनियम या प्रभाग 26.7 (जो अनुभाग 79700 से शुरू होता है) के अनुसरण में किसी एजेंसी द्वारा अनुदान प्रदान किए जाने में किसी स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी, भारतीय जनजाति अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन द्वारा खर्च की गई ऊपरी अथवा अप्रत्यक्ष लागत प्रतिपूर्ति के योग्य है और यह प्रस्तावों के वित्तपोषण के मूल्यांकन में प्रतिकूल नहीं मानी जाएगी। योग्य अनुदान लागतों में प्रबंधन और बजट के संघीय कार्यालय के दिशा-निर्देशों में परिभाषित अप्रत्यक्ष लागतें और उचित ऊपरी लागतें शामिल होंगी। लाभ-निरपेक्ष संगठनों के लिए अनुदान में संगठन की संघीय रूप से बातचीत के जरिए निर्धारित अप्रत्यक्ष लागत दर, यदि हो, को लागू करके अप्रत्यक्ष लागत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया जाएगा। यदि बातचीत के जरिए निर्धारित दर मौजूद नहीं है, तो संगठन संघीय प्रबंधन एवं बजट कार्यालय द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार इसकी संशोधित कुल प्रत्यक्ष लागत के 10 प्रतिशत की डिफॉल्ट अप्रत्यक्ष लागत दर का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है।

86179.3. इस प्रभाग के अनुसरण में जारी किया गया कोई भी अनुदान किसी समुदाय के बाढ़ खतरों में अनियंत्रित वृद्धि में अथवा किसी सार्वजनिक स्वामित्व वाली बाढ़ रक्षण सुविधा की बाढ़ संवहन क्षमता में निवल कमी में परिणत नहीं होगा।

86179.4. भूमि अधिग्रहण के लिए अनुदान जारी करने में वन्यजीवन संरक्षण मंडल ऐसे संगठनों को प्राथमिकता देगा जो स्वैच्छिक रूप से संपत्ति कर का भुगतान करते हैं।

अध्याय 13 . वित्तीय प्रावधान

86180. (a) सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसरण में इस प्रभाग में व्यक्त किए गए उद्देश्यों को पूरा करने और सामान्य दायित्व बांड व्यय परिक्रामी निधि की प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग करने के लिए एक निधि उपलब्ध कराने के लिए, अनुभाग 86192 के अनुसरण में जारी किए गए किन्हीं भी वापसी किए जाने वाले बांडों की राशि को छोड़कर आठ बिलियन आठ सौ सततत्तर मिलियन डॉलर (\$8,877,000,000) की कुल राशि, या इसमें से जितना आवश्यक हो, के बांड जारी किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। ये बांड जब बेचे जाएंगे, तब ये California राज्य

की एक वैध तथा बाध्यकारी देयता होगी और बनेगी और बांड पर मूल तथा ब्याज की राशि प्राप्य तथा देय होने पर मूल और इस पर ब्याज दोनों का समय पर भुगतान करने के लिए एतद्वारा California राज्य के पूर्ण विश्वास तथा साख का वचन दिया जाता है।

(b) कोषाध्यक्ष अनुभाग 86182 के अनुसरण में बनाई गई समिति द्वारा प्राधिकृत बांड बेचेगा। बांड सरकारी संहिता के अनुभाग 16731 के अनुसरण में समिति द्वारा अपनाए जाने वाले एक या अधिक संकल्पों में विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर बेचे जाएंगे।

86181. इस अनुभाग द्वारा अधिकृत बांड, राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून में प्रदान किए गए अनुसार, और कानून के उन सभी प्रावधानों जैसा कि कानून संशोधित किया जा सकता है, बांडों और इस प्रभाग पर लागू होंगे और उन्हें इसके द्वारा सरकारी संहिता के अनुभाग 16727 के उपखंड (a) और (b) के सिवाए इस अनुभाग में समाहित किया जाता है, हालाँकि उन्हें इस प्रभाग में पूर्णतया निर्धारित कर दिया गया है।

86182. (a) केवल इस प्रभाग द्वारा प्राधिकृत बांड को राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के अनुसरण में जारी करने और बेचने को प्राधिकृत करने के उद्देश्य से जल आपूर्ति निर्भरता और सूखा रक्षण वित्त समिति इसके द्वारा गठित की जाती है। इस प्रभाग के उद्देश्यों के लिए, जल आपूर्ति विश्वसनीयता और सूखा रक्षण वित्त समिति वह "समिति" है जैसा कि उस शब्द का इस्तेमाल राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून में किया जाता है।

(b) इस वित्त समिति में वित्त निदेशक, कोषाध्यक्ष और नियंत्रक शामिल हैं। कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद कोई भी सदस्य सभी प्रयोजनों के लिए उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नामित कर सकता है या सकती है, जैसे कि वह सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

(c) कोषाध्यक्ष वित्त समिति का अध्यक्ष होगा।

(d) वित्त समिति में सदस्यों का बहुमत वित्त समिति के लिए कार्य कर सकता है।

86183. वित्त समिति यह निर्धारित करेगी कि इस प्रभाग में विनिर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए इस प्रभाग द्वारा प्राधिकृत बांड जारी किया जाना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं, और यदि आवश्यक है तो समिति जारी किए जाने वाले तथा बेचे जाने वाले बांड की राशि निर्धारित करेगी। उपर्युक्त कार्यों का उत्तरोत्तर निष्पादन करने के लिए बांड के क्रमिक निर्गम प्राधिकृत किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत बांड एक ही बार में बेच दिए जाएँ।

86164. राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के उद्देश्यों से सरकारी संहिता के अनुभाग 16722 में परिभाषित किए गए अनुसार "बोर्ड" का अर्थ राष्ट्रीय संसाधन एजेंसी का सचिव है।

80165. प्रत्येक वर्ष राज्य के सामान्य राजस्व के अतिरिक्त बांड के मूल धन तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि उसी प्रकार तथा उसी समय एकत्रित की जाएगी जैसे अन्य राज्य राजस्व एकत्रित किया जाता है। यह कानून द्वारा राजस्व एकत्रित करने के संदर्भ में किसी कर्तव्य के साथ प्रभारित सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे ऐसा प्रत्येक कार्य करें जो इस अतिरिक्त राशि को एकत्रित करने के लिए आवश्यक है।

80166. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद इस प्रभाग के उद्देश्यों के लिए एतद्वारा राज्य के कोष में सामान्य निधि से इतनी राशि विनियोजित की जाती है जो निम्नलिखित के योग के बराबर होगी:

(a) इस प्रभाग के अनुसार जारी किए गए तथा बेचे गए बांड का मूल धन तथा इस पर ब्याज प्राप्य तथा देय होने पर मूल धन तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक राशि।

(b) वित्तीय वर्षों को ध्यान में न रखते हुए विनियोजित की गई अनुभाग 86189 के प्रावधानों के निष्पादन के लिए आवश्यक राशि।

86187. मंडल इस प्रभाग को लागू करने के उद्देश्य से सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार एकत्रित धन निवेश मंडल को एकत्रित धन निवेश खाते से अनुभाग 86189 के अनुसरण में निकाली गई किसी राशि को घटाकर शेष राशि में से ऋण देने के लिए अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि नहीं बेचे गए बांडों की राशि से अधिक नहीं होगी, जिन्हें समिति ने, संकल्प द्वारा, इस प्रभाग के कार्यों के उद्देश्य से अनुभाग 86192 के अनुसरण में निर्धारित किसी धन-वापसी बांड के सिवाए, बेचे जाने के लिए अधिकृत किया है। बोर्ड ऋण प्राप्त करने और इसे लौटाने के लिए जमा धन निवेश बोर्ड द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ बनवाएगा। ऋण के रूप में ली गई किसी भी राशि को इस प्रभाग के अनुसार आबंटित निधि में जमा किया जाएगा।

86188. इस प्रभाग के किसी अन्य प्रावधान या राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के बावजूद यदि कोषाध्यक्ष ऐसे बांड बेचता है जिनमें इस संबंध में एक बांड परिषद् सम्मति है कि इन बांडों पर ब्याज को निर्धारित स्थितियों में संघीय कर उद्देश्यों से सकल आय से बाहर रखा जाएगा या यह अन्यथा किसी संघीय कर लाभ का हकदार है, तो कोषाध्यक्ष इस प्रकार के निवेश किए गए बांड से प्राप्त लाभ और इस लाभ पर आय के लिए अलग खाते रख सकता है और इन बांड की कर-मुक्त स्थिति को बनाए रखने और इस राज्य की निधि की

ओर से संघीय कानून के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए संघीय कानून के अंतर्गत किसी छूट, जुमनि, या अन्य भुगतान करने के लिए उपर्युक्त लाभ राशि या आय का प्रयोग कर सकता है या प्रयोग करने का निर्देश दे सकता है या इन बांडों से प्राप्त होने वाली राशि के निवेश तथा उपयोग के संबंध में संघीय कानून के अंतर्गत आवश्यक या वांछनीय कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है।

86189. इस प्रभाग का कार्य करने के उद्देश्यों से वित्त निदेशक सामान्य निधि से किसी राशि या राशियों की निकाली को प्राधिकृत कर सकता है जो अनुभाग 86192 के अनुसरण में प्राधिकृत किसी धन-वापसी बांड को शामिल न करते हुए समिति द्वारा बेचे जाने के लिए प्राधिकृत बेचे नहीं गए शेष बांड की राशि से अधिक न हो और ऐसा अनुभाग 86187 के अनुसरण में ऋण के रूप में ली गई किसी राशि को घटाकर और इस प्रभाग के कार्यों को करने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा। निकाली गई कोई भी राशि निधि में जमा की जाएगी। इस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई कोई भी राशि प्रभाग के कार्यों के उद्देश्य से बांड की बिक्री से प्राप्त लाभ से जमा धन निवेश खाते में जमा राशि पर अर्जित आय की दर से ब्याज के साथ सामान्य निधि को लौटा दी जाएगी।

86190. इस प्रभाग के अनुसार बेचे गए बांड पर प्रीमियम और उपार्जित ब्याज से प्राप्त राशि में से निधि में जमा कराई गई राशि निधि में आरक्षित रखी जाएगी और बांड के ब्याज के लिए व्यय के क्रेडिट के रूप में सामान्य निधि में अंतरण के लिए उपलब्ध होगी, सिवाए इसके कि प्रीमियम से प्राप्त राशि आरक्षित की जा सकती है और सामान्य निधि में किसी अंतरण से पहले बांड जारी किए जाने की लागत का भुगतान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

86191. राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के अनुसरण में बांड जारी करने की लागत का भुगतान प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित बांड से होने वाली आय से किया जाएगा। बांड बेचे जाने से होने वाली आय से प्राप्त प्रीमियम से बांड जारी किए जाने की लागत के जितने हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता उस हिस्से को लागू बांड बिक्री द्वारा इस प्रभाग के माध्यम से वित्तपोषित प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा।

86192. इस प्रभाग के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बांड को सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (जो अनुभाग 16780 से शुरू होता है), जो कि राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून का एक भाग है, उसके अनुसार लौटाया जा सकता है। इस प्रभाग के अंतर्गत बांड जारी करने के लिए राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदन में इस प्रभाग के तहत मूल रूप से जारी किए गए किन्हीं बांड या पूर्व में जारी किए गए धन-वापसी बांड को

लौटाने के लिए किन्हीं बांड को जारी करने के लिए अनुमोदन शामिल है। इस अनुभाग द्वारा प्राधिकृत किए गए अनुसार किसी धन-वापसी बांडों से प्राप्त धनराशि से वापस किये गए किसी बांड को ऐसे वापस किये गए बांडों को प्राधिकृत करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित, संकल्प में निर्धारित पद्धति से तथा कानून द्वारा अनुमत सीमा तक कानूनी रूप से अमान्य किया जा सकता है।

86193. इस प्रभाग द्वारा प्राधिकृत बांड की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशियाँ "करों से आय" नहीं है जैसा कि इस शब्द का प्रयोग California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में किया गया है, और इस आय का संवितरण इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन नहीं है।

अनुभाग 2. इस अधिनियम का अनुभाग 1, 6 नवंबर, 2018 को हुए राज्यव्यापी आम चुनाव में इस अनुभाग में निर्धारित किए गए अनुसार 2018 के जल आपूर्ति और जल गुणवत्ता अधिनियम के मतदाताओं द्वारा अनुमोदन दिए जाने के तुरंत बाद लागू हो जाएगा। जल आपूर्ति निर्भरता और सूखा रक्षण कार्यक्रम को यथाशीघ्र वित्तपोषित करने के लिए यह आवश्यक है कि यह अधिनियम तुरंत लागू हो।

अनुभाग 3. परस्पर-विपरीत प्रावधान।

(a) 2018 के जल आपूर्ति और जल गुणवत्ता अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्य को ऐसे किसी भी राज्य कानून, संविधि, विनियम अथवा नीति पर प्राथमिकता दी जाएगी जो इस अनुभाग के विरुद्ध हो, और इस अधिनियम की नीति और उद्देश्य ऐसे किसी भी विपरीत कानून, संविधि, विनियम अथवा नीति से ऊपर होंगे।

(b) यदि इस प्रभाग को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है, परंतु उसी चुनाव में अधिक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विपरीत मत प्रभाग द्वारा इसका स्थान लिया जाता है, और बाद में विपरीत मत प्रभाग को अवैध घोषित किया जाता है, तो मतदाताओं का यह इरादा है कि इस अधिनियम को कानूनी तौर पर पूर्ण मान्यता दी जाएगी।

(c) यदि इस अधिनियम द्वारा संबोधित किसी मामले को विनियमित करने वाली किसी प्रतिद्वंद्वी और विपरीत पहल के पक्ष में अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो इस अधिनियम के सभी हिस्से जो परस्पर विपरीत नहीं हैं, लागू हो जाएंगे।

अनुभाग 4. यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान या इसका कार्यान्वयन अमान्य पाया जाता है, तो वह अवैधता इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों या कार्यान्वयनों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अमान्य प्रावधानों या कार्यान्वयनों के बिना लागू किया जा सकता है, और इस प्रयोजन तक इस अधिनियम के प्रावधान विच्छेदनीय हैं।

अनुभाग 5. मछली और खेल संहिता में अनुभाग अनुभाग 2799.7 जोड़ा जाता है जो निम्नानुसार होगा:

2799.7. अनुभाग 2787 का उपखंड (f) अनुभाग 2795 पर लागू नहीं होता। इस अनुच्छेद और सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के प्रावधानों के बावजूद 2 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुभाग 2795 के अनुसरण में हस्तांतरित निधि जल संहिता के अनुभाग 38 के अध्याय 8 (जो अनुभाग 86120 से शुरू होता है) के उद्देश्यों से लगातार वन्यजीवन संरक्षण मंडल को विनियोजित की जाएगी।

अनुभाग 6. अनुच्छेद 8 (जो अनुभाग 11860 से शुरू होता है) को निम्नानुसार पढ़ने के लिए, जल संहिता के प्रभाग 6 के भाग 3 के अध्याय 9 में शामिल किया गया है:

अनुच्छेद 8. ग्रीनहाउस गैस में कमी संबंधी निधि

11860. (a) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता सहित सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 और अनुभाग 39170 सहित कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 25.5 (जो अनुभाग 38500 से शुरू होता है) को लागू करने के परिणामस्वरूप जल संसाधन विभाग द्वारा भुगतान किए गए शुल्क, प्राप्त किए गए अनुपालन उपकरणों की लागत और खरीदी गई बिजली की बढ़ी हुई लागत सरकारी संहिता के अनुभाग 16428.8 में परिभाषित किए गए अनुसार ग्रीनहाउस गैस में कमी संबंधी निधि से विभाग के लिए लगातार निर्धारित की जाती है, और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 25.5 को लागू करने के परिणामस्वरूप Southern California के महानगरीय जल ज़िले (यथासंशोधित 1969 की संविधियों का अध्याय 209) द्वारा भुगतान किए गए शुल्क, प्राप्त किए गए अनुपालन उपकरण की लागत और खरीदी गई बिजली की बढ़ी हुई लागत सरकारी संहिता के अनुभाग 16428.8 में परिभाषित किए गए अनुसार ग्रीनहाउस गैस में कमी संबंधी निधि से लगातार ज़िले के लिए निर्धारित की जाती है।

(b) इस अनुभाग के अनुसरण में विभाग को विनियोजित की गई निधि राज्य जल संसाधन विभाग प्रणाली के अंदर और राज्य जल संसाधन विकास प्रणाली के अधिकार-क्षेत्र में उपभोक्ता जल रक्षण कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

(c) इस अनुभाग के अनुसरण में ज़िले के लिए निर्धारित की गई निधि ज़िले की जल भंडारण, शोध, संवहन, और वितरण प्रणाली के अंदर और ज़िले के अधिकार-क्षेत्र में उपभोक्ता जल संरक्षण कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

(d) उपखंड (b) और (c) द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ता जल रक्षण कार्यक्रमों में से उन कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी जो यथासंशोधित अनुभाग 79505.5 के उपखंड (a) में परिभाषित किए गए अनुसार लाभवंचित समुदायों को और यथासंशोधित अनुभाग 79702 के उपखंड (k) में

परिभाषित किए गए अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ पहुंचाते हैं।

(e) इस अनुभाग के अनुसरण में किए जाने वाले सभी व्यय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 26 के भाग 2 के अध्याय 4.1 (जो अनुभाग 39710 से शुरू होता है) की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। विभाग और ज़िला वर्तमान वर्ष में परियोजना को लागू किए जाने की योजना के साथ पिछले वर्ष परियोजना को लागू किए जाने के संबंध में राज्य वायु संसाधन मंडल को एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

(f) इस भाग के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई किन्हीं भी निधियों को नई Delta जल संप्रेषण सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, संचालन, कमी या रख-रखाव की लागतों के भुगतान के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी निधि का व्यय नई सतही जल भंडारण सुविधाओं के निर्माण अथवा California Aqueduct अथवा Colorado River Aqueduct की क्षमता के विस्तार की लागत का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा। इन लागतों का भुगतान करना इन सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, संचालन, कमी या रखरखाव से लाभान्वित होने वाली जल एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी।

(g) इस अनुभाग के अनुसरण में शुरू की गई परियोजनाओं के उल्लेखनीय नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, टालने, अथवा उनका शमन करने के लिए सभी उचित और व्यवहार्य उपाय किए जाएंगे।

11861. (a) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता सहित सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 और अनुभाग 39170 सहित कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 25.5 (जो अनुभाग 38500 से शुरू होता है) को लागू करने के परिणामस्वरूप Contra Costa जल ज़िले द्वारा भुगतान किए गए शुल्क, प्राप्त किए गए अनुपालन उपकरणों की लागत और खरीदी गई बिजली की बढ़ी हुई लागत सरकारी संहिता के अनुभाग 16428.8 में परिभाषित किए गए अनुसार ग्रीनहाउस गैस में कमी संबंधी निधि से ज़िले के लिए लगातार निर्धारित की जाती है, और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 25.5 (जो अनुभाग 38500 से शुरू होता है) को लागू करने के परिणामस्वरूप San Luis और Delta Mendota जल प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए गए शुल्क, प्राप्त किए गए अनुपालन उपकरण की लागत और खरीदी गई बिजली की बढ़ी हुई लागत सरकारी संहिता के अनुभाग 16428.8 में परिभाषित किए गए अनुसार ग्रीनहाउस गैस में कमी संबंधी निधि से लगातार प्राधिकरण के लिए निर्धारित की जाती है।

(b) (1) इस अनुभाग के अनुसरण में Contra Costa जल ज़िले के लिए निर्धारित की गई निधि ज़िले की सीमाओं के

अंदर और ज़िले के भीतर उपभोक्ता जल संरक्षण कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

(2) इस अनुभाग के अनुसरण में San Luis और Delta Mendota जल प्राधिकरण के लिए निर्धारित की गई निधि प्राधिकरण की जल भंडारण, शोधन, संवहन, और वितरण प्रणाली के अंदर और इस प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र के अंदर जल संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार, जल शोधन, जल आपूर्ति, और समान जल कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

(c) उपखंड (b) के अनुसरण में निर्धारित निधियों में से उन परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी जो यथासंशोधित अनुभाग 79505.5 के उपखंड (a) में परिभाषित किए गए अनुसार लाभवंचित समुदायों को और यथासंशोधित अनुभाग 79702 के उपखंड (k) में परिभाषित किए गए अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती हैं।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में किए जाने वाले सभी व्यय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 26 के भाग 2 के अध्याय 4.1 (जो अनुभाग 39710 से शुरू होता है) की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। ज़िला और प्राधिकरण वर्तमान वर्ष में परियोजना को लागू किए जाने की योजना के साथ पिछले वर्ष परियोजना को लागू किए जाने के संबंध में राज्य वायु संसाधन मंडल को एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

(e) इस अनुभाग के अनुसरण में शुरू की गई परियोजनाओं के उल्लेखनीय नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, टालने, अथवा उनका शमन करने के लिए सभी उचित और व्यवहार्य उपाय किए जाएंगे।

प्रस्ताव 4

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद 11 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, तिरछे टाइप में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. भाग 6.3 (जो अनुभाग 1179.81 से शुरू हो रहा है) को निम्नानुसार पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रभाग 1 में जोड़ा गया है:

भाग 6.3. 2018 का बच्चों का अस्पताल बांड अधिनियम (CHILDREN'S HOSPITAL BOND ACT)

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान

1179.81. (a) इस भाग को 2018 के बच्चों का अस्पताल बांड अधिनियम के रूप में, जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

(b) California का बच्चों के अस्पतालों का क्षेत्रीय नेटवर्क जीवन को जोखिम में डालने वाली बीमारी या चोट के शिकार बच्चों को अत्यावश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रत्येक वर्ष एक मिलियन से अधिक बार, उनके परिवार की भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बगैर, इन अस्पतालों में बच्चों की देखभाल की जाती है।

(c) बच्चों के अस्पताल विशेष उपचार और देखभाल भी प्रदान करते हैं जिन्होंने बचपन में होने वाली ल्यूकेमिया, कैंसर, हृदय दोष, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर बीमारियों और रोगों से पीड़ित बच्चों के बचने में वृद्धि की है।

(d) बच्चों के अस्पताल बाल रोग विशेषज्ञों, बाल चिकित्सा विशेषज्ञों और बच्चों का इलाज करने वाले अन्य लोगों को बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं, और वे गंभीर रूप से महत्वपूर्ण चिकित्सा अनुसंधान करते हैं जिससे California के सभी बच्चों को फायदा मिलता है।

(e) हालांकि, बगैर भुगतान के देखभाल प्रदान करने और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागतों का बोझ हमारे बच्चों के अस्पतालों के आधुनिकीकरण और उनकी सुविधाओं में विस्तार करने और बीमार बच्चों की देखभाल के लिए आवश्यक नवीनतम चिकित्सा तकनीकों और विशेष चिकित्सा उपकरणों को खरीदने की क्षमता को गंभीरता से बाधित करता है।

(f) इसलिए, लोग California के बच्चों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा में सुधार के लिए बच्चों के अस्पतालों के लिए पूंजी सुधार कार्यक्रमों के लिए निधियों का एक स्थिर और तैयार स्रोत प्रदान करने की इच्छा रखते हैं।

1179.82. जैसा कि इस भाग में उपयोग किया गया है, निम्नलिखित शब्दावलियों का निम्नलिखित अर्थ है:

(a) "प्राधिकरण" का अर्थ सरकारी संहिता के अनुभाग 15431 के अनुसरण में स्थापित California स्वास्थ्य सुविधा वित्तपोषण प्राधिकरण है।

(b) "बच्चों के अस्पताल" का अर्थ निम्न में से कोई एक है:

(1) निम्न वर्णित California के किसी विश्वविद्यालय का एक सामान्य महत्वपूर्ण देखभाल अस्पताल:

(A) California विश्वविद्यालय, Davis बच्चों का अस्पताल।

(B) California विश्वविद्यालय, Los Angeles में Mattel बच्चों का अस्पताल।

(C) California विश्वविद्यालय, Irvine में University बच्चों का अस्पताल।

(D) California विश्वविद्यालय, San Francisco बच्चों का अस्पताल।

(E) California विश्वविद्यालय, San Diego बच्चों का अस्पताल।

(2) एक सामान्य महत्वपूर्ण देखभाल अस्पताल, जो कि California गैर-लाभकारी निगम है या उसकी एक परिचालन इकाई है जिसे भाग 6 (जो अनुभाग 1179.10 से शुरू होता है) या भाग 6.1 (जो अनुभाग 1179.50 से शुरू होता है) के अनुसरण में अनुदान प्राप्त हुआ है या हुए हैं, जो सरकारी कार्यक्रमों के लिए पात्र बच्चों को और California बच्चों के सेवा कार्यक्रम के लिए पात्र विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं वाले बच्चों की एक बड़ी संख्या को व्यापक बाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है।

(c) "समिति" का अर्थ अनुभाग 1179.91 के अनुसरण में निर्मित बच्चों का अस्पताल बांड अधिनियम वित्तपोषण समिति है।

(d) "निधि" का अर्थ अनुभाग 1179.83 के अनुसरण में निर्मित बच्चों का अस्पताल बांड अधिनियम निधि है।

(e) "अनुदान" का अर्थ इस भाग के अनुसरण में परियोजनाओं के लिए या इस भाग के अनुसरण में एक पात्र अस्पताल के लिए बच्चों के अस्पताल के प्राधिकरण द्वारा निधि में धन का वितरण है।

(f) "कार्यक्रम" का अर्थ इस भाग के अनुसरण में स्थापित बच्चों के अस्पताल का कार्यक्रम है।

(g) "परियोजना" का अर्थ बच्चों के अस्पताल का निर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, फर्निशिंग, उपकरण लगाने, वित्तपोषण, या पुनर्वित्तपोषण करने से है जिसे इस हिस्से के अनुसरण में संपूर्ण या आंशिक रूप से प्रदान की गई निधियों के साथ वित्त पोषित या पुनर्वित्तपोषित किया जाना है। "परियोजना" में किसी बच्चों के अस्पताल के निर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, फर्निशिंग, उपकरण लगाने, वित्त पोषण, या पुनर्वित्तपोषण की लागतों के लिए प्रतिपूर्ति शामिल हो सकती है जहां ये लागतें 1 जनवरी, 2018 के बाद खर्च की गई हैं। "परियोजना" में भाग लेने वाले उन दो या अधिक बच्चों के अस्पतालों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए पूर्वगामी एक या अधिक संयोजन शामिल हो सकते हैं जो इस भाग के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं।

अध्याय 2. बच्चों का अस्पताल कार्यक्रम

1179.83. इस हिस्से के अनुसरण में जारी और बेचे गए बांड्स से प्राप्त धनराशियाँ बच्चों का अस्पताल बांड

अधिनियम निधि में जमा की जाएगी, जो इसके द्वारा बनाई गई है।

1179.84. बच्चों का अस्पताल कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अस्पतालों के लिए पूंजी सुधार परियोजनाओं के लिए निधियों का एक स्थिर और तैयार स्रोत प्रदान करके California के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। इस भाग के लिए प्रदान किया गया कार्यक्रम सार्वजनिक हित में है, एक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, और राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

1179.85. प्राधिकरण परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से किसी भी बच्चों के अस्पताल को अनुदान देने के लिए अधिकृत है, जैसा कि अनुभाग 1179.82 के उपखंड (g) में परिभाषित किया गया है, या अनुभाग 1179.86 के उपखंड (c) के अनुसरण में एक अस्पताल के लिए।

1179.86. (a) इस भाग के अनुसरण में अनुदानों के लिए उपलब्ध कुल निधियों का अठारह प्रतिशत बच्चों के अस्पतालों को दिया जाएगा जैसा कि अनुभाग 1179.82 के उपखंड (b) के परिच्छेद (1) में परिभाषित किया गया है।

(b) इस भाग के अनुसरण में अनुदानों के लिए उपलब्ध कुल निधियों का बहत्तर प्रतिशत बच्चों के अस्पतालों को दिया जाएगा जैसा कि अनुभाग 1179.82 के उपखंड (b) के परिच्छेद (2) में परिभाषित किया गया है।

(c) इस भाग के अनुसरण में अनुदानों के लिए उपलब्ध कुल निधियों का दस प्रतिशत उन अस्पतालों को अनुदान के लिए उपलब्ध होगा जो California बच्चों के सेवा कार्यक्रम के पात्र बच्चों को बाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं जो या तो (1) कल्याण और संस्थान संहिता के अनुभाग 14105.98 के उपखंड (a) के परिच्छेद (25) में परिभाषित एक सार्वजनिक अस्पताल हैं, या (2) इस संहिता के अनुभाग 1250 के अनुसरण में लाइसेंस प्राप्त एक सामान्य महत्वपूर्ण देखभाल अस्पताल हैं जो कि एक California गैर-लाभकारी निगम है या उसकी एक परिचालन निगम है। निधियों का उपयोग पूरी तरह से एक पात्र अस्पताल के बाल चिकित्सा कार्यक्रम के निर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, फर्निशिंग, या उपकरण लगाने के लिए किया जाएगा। अनुभाग 1179.82 के उपखंड (b) में परिभाषित बच्चों के अस्पताल इस उपखंड के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे, सिवाय इसके कि इस उपखंड के अंतर्गत उपलब्ध कोई भी निधियां जो कि 30 जून, 2033 तक समाप्त नहीं होंगी, वे ऐसे किसी भी बच्चों के अस्पताल से कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। प्राधिकरण उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत अनुदान प्रदान करेगा जिन्हें वह इस उपखंड के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनाएगा।

1179.87. (a) प्राधिकरण इस अधिनियम को अपनाने के 90 दिनों के भीतर इस भाग के अंतर्गत अनुदान देने के लिए एक लिखित आवेदन विकसित करेगा। प्राधिकरण इस भाग की सीमाओं के विषयाधीन और इस भाग के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारकों के आधार पर पात्र बच्चों के अस्पतालों को अनुदान प्रदान करेगा:

(1) यह अनुदान सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के लिए पात्र बच्चों और गरीब, वंचित और असुरक्षित बच्चों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार की दिशा में योगदान करेगा।

(2) यह अनुदान बाल स्वास्थ्य देखभाल या बाल रोगियों के नतीजों में सुधार की दिशा में योगदान देगा।

(3) बच्चों का अस्पताल गरीब या सार्वजनिक बाल रोगियों के लिए गैरभुगतान या कम भुगतान वाली देखभाल प्रदान करता है।

(4) बच्चों का अस्पताल संवेदनशील बाल जनसंख्याओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है।

(5) बच्चों का अस्पताल बाल चिकित्सा शिक्षा या अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

(6) परियोजना तैयारी और परियोजना व्यवहार्यता का प्रदर्शन।

(b) (1) निधियों के लिए किसी आवेदन को इस भाग की आवश्यकताओं के अनुरूप होने की उसकी अनुकूलता के लिए, अनुमोदन के लिए प्राधिकरण में जमा किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण एक समयबद्ध ढंग से अनुदान को संसाधित और प्रदान करेगा, जो 60 दिनों से अधिक नहीं होगा।

(c) अनुभाग 1179.82 के उपखंड (b) के परिच्छेद (1) में निर्धारित किया गया बच्चों का अस्पताल, आवेदन नहीं करेगा, और प्राधिकरण उन बच्चों के अस्पताल को प्रदान नहीं करेगा, एक अनुदान जो अनुभाग 1179.86 के उपखंड (a) के अनुसरण में सभी बच्चों के अस्पतालों को दिये गये अनुदान को उपलब्ध कुल निधियों के पांचवें हिस्से से अधिक होने के लिए उस बच्चों के अस्पताल से एक आवेदन प्राप्त होने पर उपलब्ध होने वाली अनुदान की कुल राशि बनेगा। इस अनुदान सीमा के बावजूद, अनुभाग 1179.86 के उपखंड (a) के अंतर्गत उपलब्ध कोई भी निधियां जो 30 जून, 2033 तक समाप्त नहीं हुई हैं, वे अनुभाग 1179.82 के उपखंड (b) के परिच्छेद (1) में निर्धारित किए गए किसी भी बच्चों के अस्पताल के उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।

(d) अनुभाग 1179.82 के उपखंड (b) के परिच्छेद (2) में निर्धारित किया गया बच्चों का अस्पताल उसके लिए आवेदन नहीं करेगा, और प्राधिकरण उस बच्चों के अस्पताल को प्रदान नहीं करेगा, एक अनुदान जो अनुभाग 1179.86 के उपखंड (b) के अनुसरण में सभी बच्चों के अस्पतालों

को अनुदान के लिए उपलब्ध कुल निधियों में से उस बच्चों के अस्पताल को प्रदान किए गए अनुदान की कुल राशि को एक सौ पैंतीस मिलियन डॉलर (\$135,000,000) से अधिक बनाता है। इस अनुदान सीमा के बावजूद, अनुभाग 1179.86 के उपखंड (b) के तहत उपलब्ध कोई भी निधियां जो 30 जून, 2033 तक समाप्त नहीं हुई हैं, वे अनुभाग 1179.82 के उपखंड (b) के परिच्छेद (2) में परिभाषित किए गए किसी भी बच्चों के अस्पताल से एक आवेदन के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।

(e) किसी भी स्थिति में एक परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए अनुदान परियोजना की कुल लागत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि बच्चों के अस्पताल द्वारा निर्धारित किया गया है और प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(f) सभी परियोजनाएं जिन्हें अनुदान प्रदान किया गया है वे एक यथोचित समयावधि के भीतर पूरी हो जाएंगी। अगर प्राधिकरण निर्धारित करता है कि बच्चों का अस्पताल अनुदान प्रदान करने में निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत परियोजना को पूरा करने में विफल रहा है, तो प्राधिकरण को उपचार की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें संपूर्ण अनुदान या उसके एक हिस्से की वापसी शामिल हो सकती है। इस भाग के तहत अनुदान प्राप्त करने वाला बच्चों का अस्पताल प्राधिकरण को परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र सबमिट करेगा।

(g) इस अनुभाग के अनुसरण में अनुदान केवल तभी उपलब्ध होगा यदि प्राधिकरण निर्धारित करता है कि उसके पास निधि में पर्याप्त धन उपलब्ध है। इस अनुभाग में कुछ भी प्राधिकरण को अनुदान प्रदान करने को आवश्यक नहीं बनाएगा यदि प्राधिकरण निर्धारित करता है कि उसके पास ऐसा करने के लिए निधि में अपर्याप्त धन है।

(h) प्राधिकरण वार्षिक रूप से इस भाग के उद्देश्य के लिए राशि की उपलब्धता का निर्धारण कर सकता है। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक लागतें वास्तविक लागतों या 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहे, जो भी कम हो।

1179.88. California का राज्य लेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए नियतकालिक लेखा परीक्षा आयोजित कर सकता है कि बांड से प्राप्त धनराशियाँ समयबद्ध रूप से और इस भाग की आवश्यकताओं के अनुरूप तरीके से प्रदान की जाती है और बांड से प्राप्त धनराशियों के प्राप्तकर्ता इस भाग के लागू योग्य प्रावधानों के अनुपालन में निधियों का उपयोग कर रहे हैं।

अध्याय 3. राजकोषीय प्रावधान

1179.89. सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसरण में इस भाग में व्यक्त किए गए उद्देश्यों को पूरा करने और सामान्य दायित्व बांड व्यय परिक्रामी निधि की प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग करने के लिए एक निधि उपलब्ध कराने के लिए, किसी भी धन-वापसी किए जाने वाले बांड्स

की राशि को छोड़कर एक बिलियन पांच सौ मिलियन डॉलर (\$1,500,000,000) की कुल राशि में बांड जारी किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। ये बांड्स जब बेचे जाएंगे, तब ये राज्य की एक वैध तथा बाध्यकारी देयता होंगे और बनेंगे और बांड्स पर मूल तथा ब्याज की राशि प्राप्य तथा देय होने पर मूल और इस पर ब्याज दोनों का समय पर भुगतान करने के लिए इसके द्वारा राज्य के पूर्ण विश्वास तथा साख का वचन दिया जाता है।

1179.90. इस भाग द्वारा अधिकृत बांड, राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 16720 से शुरू होता है)) में प्रदान किए गए अनुसार, और बांडों और इस भाग में लागू उस कानून के सभी प्रावधानों और इसके द्वारा इस भाग में निर्धारित किए गए अनुसार, जैसे कि इस भाग में संपूर्ण रूप से निर्धारित किया गया हो, निष्पादित, जारी, विक्रय, भुगतान एवं रिडीम किए जाएंगे।

1179.91. (a) इस भाग द्वारा प्राधिकृत बांड के पूरी तरह राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून के अनुसरण में जारी किए जाने तथा इनकी बिक्री को प्राधिकृत करने के उद्देश्य से (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 16720 के साथ शुरू होता है)), इसके द्वारा बच्चों का अस्पताल बांड अधिनियम वित्त पोषण समिति गठित की जाती है। इस भाग के उद्देश्यों के लिए, बच्चों का अस्पताल बांड अधिनियम वित्त पोषण समिति "समिति" है जैसा कि उस शब्द का इस्तेमाल राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून में किया जाता है। समिति में नियंत्रक, वित्त निदेशक, और कोषाध्यक्ष, या उनके नामित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। समिति में सदस्यों का बहुमत समिति के लिए कार्य कर सकता है।

(b) प्राधिकरण को राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 16720 से शुरू होता है)) के प्रयोजन के लिए "मंडल" नामित किया गया है, और वह इस भाग के अनुसरण में कार्यक्रम को प्रशासित करेगा।

1179.92. समिति यह निर्धारित करेगी कि अनुभाग 1179.84 में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए इस भाग के अनुसरण में प्राधिकृत बांड जारी किया जाना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं, और यदि ऐसा है, तो जारी किए जाने वाले तथा बेचे जाने वाले बांडों की की राशि का निर्धारण करेगी। उन कार्यों का उत्तरोत्तर निष्पादन करने के लिए बांड्स के क्रमिक निर्गम प्राधिकृत किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि बांड एक ही बार में जारी किए जाएं या बेच दिए जाएं।

1179.93. प्रत्येक वर्ष राज्य के सामान्य राजस्व के अतिरिक्त बांड्स के मूल धन तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि उसी प्रकार तथा उसी समय

एकत्रित की जाएगी जैसे कि अन्य राज्य राजस्व एकत्रित किया जाता है। यह कानून द्वारा राजस्व एकत्रित करने के संदर्भ में किसी कर्तव्य के साथ प्रभारित सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे ऐसा प्रत्येक कार्य करें जो इस अतिरिक्त राशि को एकत्रित करने के लिए आवश्यक है।

1179.94. सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, इस भाग के प्रयोजनार्थ, इसके द्वारा राज्य के कोष में मौजूद सामान्य निधि से एक राशि विनियोजित की जाती है, जो निम्नलिखित दोनों के योग के बराबर होगी:

(a) इस भाग के अनुसरण में जारी किए गए एवं बेचे गए बांडों के मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक वार्षिक राशि, क्योंकि मूलधन एवं ब्याज शेष एवं देय हो जाते हैं।

(b) वह राशि, जो अनुभाग 1179.95 का पालन करने के लिए आवश्यक है, वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना विनियोजित की गई है।

1179.95. इस भाग को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए, वित्त निदेशक सामान्य निधि से उतनी राशि की निकासी को अधिकृत कर सकता है जो इस भाग को पूरा किए जाने के उद्देश्य से बेचने के लिए समिति द्वारा अधिकृत किए गए बिना बिके बांडों की राशि से अधिक न हो। निकाली गई कोई भी राशि निधि में जमा की जाएगी। इस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई कोई भी राशि इस भाग के कार्यों के उद्देश्य से बांड्स की बिक्री से प्राप्त आमदनी से सामान्य निधि को लौटा दी जाएगी।

1179.96. निधि में जमा बेचे गए बांड पर प्रीमियम और अर्जित ब्याज से प्राप्त सभी धन को निधि में आरक्षित किया जाएगा और बांड ब्याज के व्यय के लिए क्रेडिट के रूप में सामान्य फंड को हस्तांतरण के लिए उपलब्ध होगा।

1179.97. सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 16720 के साथ शुरू होता है) के अनुसरण में बांड जारी करने की लागत का भुगतान बांड से प्राप्त होने वाली धनराशियों से किया जाएगा। इन लागतों को इस बांड अधिनियम के माध्यम से वित्त पोषित प्रत्येक बच्चों के अस्पताल द्वारा आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा।

1179.98. बोर्ड, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसरण में इस प्रभाग के कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से अन्तरिम वित्त-पोषण के अन्य प्राधिकृत स्वरूपों सहित, जिनमें वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं, परंतु यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है, इकट्ठे किये गये पैसे के निवेश बोर्ड से इकट्ठे किये गये पैसे के निवेश खाते से एक ऋण देने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि नहीं बेचे गए बांडों की राशि से अधिक नहीं होगी, जिसे कि समिति ने, संकल्प द्वारा, इस भाग के कार्यों के उद्देश्य से बेचे जाने के लिए अधिकृत किया

है। प्राधिकरण ऋण प्राप्त करने तथा उसका पुनर्भुगतान करने के लिए इकट्ठे किये गये पैसे के निवेश बोर्ड द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेजों को निष्पादित करेगा। ऋण के रूप में ली गई कोई भी राशि इस भाग के अनुसरण में बोर्ड द्वारा आबंटित निधि में जमा की जाएगी।

1179.99. बांड को सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (जो अनुभाग 16780 के साथ शुरू होता है) के अनुसरण में लौटाया जा सकता है, जो कि राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून का एक भाग है। इस भाग में परिभाषित बांड जारी करने के लिए राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदन में इस भाग के तहत मूल रूप से जारी किए गए किन्हीं बांड्स या पूर्व में जारी किए गए रिफंडिंग बांड्स को लौटाने के लिए किन्हीं बांड्स को जारी करने के लिए अनुमोदन शामिल है।

1179.100. इस भाग के किसी अन्य प्रावधान, या राज्य सामान्य दायित्व बांड कानून (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के प्रभाग 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (जो अनुभाग 16720 से शुरू होता है)) के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस हिस्से के अनुसरण में बांड्स बेचता है, जिसमें बांड वकील की राय शामिल है कि निर्दिष्ट शर्तों के विषयाधीन, बांड पर ब्याज को संघीय कर उद्देश्यों के लिए सकल आय से बाहर रखा गया है, तो कोषाध्यक्ष बांड से प्राप्त धनराशियों के निवेश और उन प्राप्तियों पर कमाई के निवेश के लिए अलग-अलग खातों को बनाए रख सकता है। कोषाध्यक्ष संघीय कानून के तहत आवश्यक किसी भी छूट, जुर्माने या अन्य भुगतान को अदा करने के लिए उन प्राप्त धनराशियों या कमाई का उपयोग या उपयोग का निर्देश कर सकता है या उन बांडों की कर मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए और इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए संघीय कानून के अंतर्गत आवश्यक या वांछित उन बांड प्राप्तियों के निवेश और उपयोग के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई कर सकता है।

अध्याय 4. सामान्य प्रावधान

1179.101. लोग इसके द्वारा पाते हैं एवं घोषणा करते हैं कि, इस भाग द्वारा अधिकृत बांडों की बिक्री से प्राप्त धनराशियाँ "कर से प्राप्त धनराशियाँ" नहीं है जैसा कि California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में इस शब्द का उपयोग किया गया है, इन धनराशियों का वितरण उस अनुच्छेद द्वारा लागू सीमाओं के अधीन नहीं है।

1179.102. इस भाग के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, इस हिस्से के प्रावधान अलग-अलग करने योग्य हैं। यदि इस भाग का कोई प्रावधान या इसका विनियोग अवैध पाया जाता है, तो वह अवैधता अन्य प्रावधानों या विनियोगों

को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अवैध प्रावधानों या विनियोग के बिना लागू किया जा सकता है।

प्रस्ताव 5

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद 11 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक राजस्व और कराधान संहिता के अनुभागों में संशोधन करता और जोड़ता है; इस कारण मिटाए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान स्ट्रिक्टाओप्टे स्ट्रिक्टा में मुद्रित किए गये हैं और जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधान यह संकेत देने के लिए, कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में मुद्रित किए गये हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. इस अधिनियम को बचतों को बचाने के लिए लोगों की पहल प्रस्ताव 13 के रूप में जाना जाएगा और इसे उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. California के संविधान के अनुभाग 2 के अनुच्छेद XIII A को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है:

अनुभाग 2. (a) (1) "संपूर्ण नगद मूल्य" का अर्थ है वास्तविक संपत्ति का काउंटी निर्धारक का मूल्यांकन जैसा "संपूर्ण नगद मूल्य" के अंतर्गत 1975-76 कर बिल पर या, उसके बाद, वास्तविक संपत्ति का मूल्यांकन मूल्य तब दिखाया गया है जब खरीदी गई है, नव निर्मित है, या 1975 के मूल्यांकन के बाद स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है। पहले से 1975-76 संपूर्ण नगद मूल्य तक मूल्यांकन नहीं की गई सभी वास्तविक संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन उस मूल्यांकन को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "नव निर्मित" में वह वास्तविक संपत्ति शामिल नहीं है जिसे किसी आपदा के बाद पुनर्निर्मित किया गया है, जैसा कि राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है, जहां पुनर्निर्मित के रूप में, वास्तविक संपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य इसके आपदा से पहले के उचित बाज़ार मूल्य से तुलनीय है। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "नव निर्मित" शब्द किसी मौजूदा संरचना के उस हिस्से को शामिल नहीं करता जिसमें भूकंपीय पुनर्संयोजन घटकों का निर्माण या पुनर्निर्माण शामिल है, जैसा कि विधान मंडल द्वारा परिभाषित किया गया है।

हमलांकित,

(2) 5 नवंबर, 1986 को और उसके बाद 1 जनवरी, 2019 तक, विधान मंडल यह प्रदान कर सकता है कि, उचित परिस्थितियों में और विधान मंडल द्वारा स्थापित परिभाषाओं और प्रक्रियाओं के अनुसरण में, 55 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3 के उपखंड (k) के तहत गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है और कोई

भी लागू कानून उपखंड (b) द्वारा अधिकृत समायोजन के साथ, छूट के लिए हकदार संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को समान काउंटी के भीतर स्थित बराबर या कम मूल्य के किसी भी प्रतिस्थापन आवास और उस व्यक्ति द्वारा मूल संपत्ति की बिक्री के दो वर्षों के भीतर उसके मुख्य निवास के रूप में खरीदे गए या नव निर्मित आवास के लिए स्थानांतरित कर सकता है। के-लिस

(3) (A) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "किसी निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(i) "55 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति" में एक विवाहित जोड़ा शामिल है जिसके एक सदस्य की आयु 55 वर्ष से अधिक है। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "प्रतिस्थापन

(ii) "प्रतिस्थापन आवास" का अर्थ है निवास की जगह निर्मित करने वाली कोई इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय, चाहे वास्तविक संपत्ति या निजी संपत्ति, और कोई भी भूमि जिस पर यह स्थित हो सकती है। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, एक दो-आवासीय यूनिट दो अलग-अलग एकल-परिवार आवासों के रूप में मानी जाएगी। यह

(B) यह परिच्छेद 5 नवंबर, 1986 को या उसके बाद खरीदे गए या नव निर्मित किसी भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू होगा।

इसके अतिरिक्त,

(4) 9 नवंबर, 1988 को और उसके बाद 1 जनवरी, 2019 तक, काउंटी की सीमाओं के भीतर स्थानीय प्रभावित एजेंसियों के परामर्श के बाद, विधान मंडल प्रत्येक उप-बोर्ड पर्यवेक्षकों को आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण से संबंधित इस उपखंड के प्रावधानों को निर्मित करने वाले एक अध्यादेश को अपनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, जो कि उन स्थितियों पर भी लागू होता है जिनमें प्रतिस्थापन आवास उस काउंटी में स्थित हैं और मूल संपत्तियां इस राज्य के भीतर किसी अन्य काउंटी में स्थित हैं। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "स्थानीय प्रभावित एजेंसी" का अर्थ कोई शहर, विशेष ज़िला, स्कूली ज़िला, या सामुदायिक कॉलेज ज़िला है जो वार्षिक संपत्ति कर राजस्व आबंटन प्राप्त करता है। यह परिच्छेद किसी भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू होता है जो उस तारीख को या उसके बाद खरीदा या नवनिर्मित किया गया था जिस तारीख को काउंटी ने आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण से संबंधित इस उपखंड के प्रावधानों को अपनाया था, लेकिन 9 नवंबर, 1988 से पहले खरीदे गए या नव निर्मित किसी भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू नहीं होता है।

यह

(5) 6 जून, 1990 को और उसके बाद 1 जनवरी, 2019 तक, विधान मंडल 55 साल से अधिक उम्र के गृहस्वामियों से

लेकर गंभीर रूप से विकलांग गृहस्वामियों तक के आधार वर्ष मूल्य के मूल संपत्तियों से प्रतिस्थापन आवासों में हस्तांतरण से संबंधित इस उपखंड के प्रावधानों को विस्तारित कर सकता है, लेकिन सिर्फ उन प्रतिस्थापन आवासों के संबंध में जो इस परिच्छेद की प्रभावी तिथि पर या उसके बाद खरीदे गए या नव निर्मित किए गए हैं।

(6) (A) 1 जनवरी, 2019 को और उसके बाद, कानून द्वारा प्रदान की गई लागू प्रक्रियाओं और परिभाषाओं के अधीन, 55 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति या किसी गंभीर विकलांग गृहस्वामी की संपत्ति जो अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3 के उपखंड (k) के तहत गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है, का आधार वर्ष मूल्य प्रतिस्थापन आवास में स्थानांतरित किया जाएगा, पूर्व स्थानान्तरण की संख्या, प्रतिस्थापन आवास के मूल्य या इस पर ध्यान दिए बिना कि प्रतिस्थापन आवास उसी काउंटी के भीतर स्थित है या नहीं, जिसे उस व्यक्ति द्वारा मूल संपत्ति की बिक्री के दो साल के भीतर उसके प्रधान निवास के रूप में खरीदा या नव निर्मित किया गया है।

(B) इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित लागू होंगे:

(i) किसी भी अधिक मूल्य के प्रतिस्थापन आवास और अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के स्थानांतरण के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदे गए या नव निर्मित के लिए, प्रतिस्थापन आवास के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य और प्रतिस्थापन आवास के संपूर्ण नगद मूल्य के बीच के अंतर को मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य में जोड़कर की जाएगी।

(ii) अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के स्थानांतरण के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदे गए या नव निर्मित किसी भी बराबर या कम मूल्य के प्रतिस्थापन आवास के लिए, प्रतिस्थापन आवास के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य से भाग देकर, और परिणाम को प्रतिस्थापन आवास के संपूर्ण नगद मूल्य से गुणा करके की जाएगी।

(b) संपूर्ण नगद मूल्य आधार साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर को प्रतिबिंबित कर सकता है जो किसी भी दिए गए वर्ष के लिए 2 प्रतिशत से अधिक नहीं या फिर कमी जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कर लगाने के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए तुलनात्मक डेटा में दिखाया गया है, या पर्याप्त नुकसान, विनाश, या मूल्य में गिरावट लाने वाले अन्य कारकों को दर्शाने के लिए कम किया जा सकता है।

(c) उप-प्रभाग (a) के उद्देश्यों से विधान मंडल यह प्रावधान कर सकता है कि "नव निर्मित" शब्द में निम्नलिखित में से कोई शामिल नहीं होगा:

(1) किसी सक्रिय सौर ऊर्जा प्रणाली का निर्माण किया जाना या इसे जोड़ा जाना।

(2) विधान मंडल द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार किसी अग्निशामक फव्वारे से संबंधित प्रणाली, अन्य अग्निशमन प्रणाली, अग्नि पहचान प्रणाली, या अग्नि-संबंधी निकास सुधार प्रणाली का निर्माण या संस्थापन, जिसका निर्माण या संस्थापन इस परिच्छेद की प्रभावी तिथि के बाद किया गया है।

(3) इस परिच्छेद की प्रभावी तिथि को या इसके बाद गृहस्वामी छूट के लिए पात्र किसी एकल- या बहु-परिवार आवास स्थान के किसी भाग या संरचनात्मक घटक का निर्माण, संस्थापन या संशोधन, यदि निर्माण, संस्थापन या संशोधन आवास स्थान को किसी अत्यधिक विकलांग व्यक्ति के लिए अधिक सुगम पहुँच वाला बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(4) इस अनुच्छेद की प्रभावी तिथि को या इसके बाद किसी वर्तमान भवन या संरचना के किसी भाग या संरचनात्मक घटक का निर्माण, संस्थापन, हटाया जाना या संशोधन, यदि निर्माण, संस्थापन, हटाया जाना या संशोधन भवन को किसी विकलांग व्यक्ति के लिए अधिक सुगम पहुँच वाला बनाने या उनके लिए अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(5) विधान मंडल द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार 1 जनवरी, 2019 को या इसके बाद एक वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के निर्माण या जोड़े जाने का कार्य पूरा किया जाना।

(d) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "स्वामित्व में परिवर्तन" शब्द वास्तविक संपत्ति के अधिग्रहण को तुलनीय संपत्ति के प्रतिस्थापन के रूप में शामिल नहीं करता यदि वास्तविक संपत्ति हासिल करने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित डोमेन कार्यवाही द्वारा प्रतिस्थापित संपत्ति से एक सार्वजनिक संस्था के अधिग्रहण या सरकारी कार्रवाई द्वारा विस्थापित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल निंदा का निर्णय हुआ है। अधिग्रहित की गई वास्तविक संपत्ति को विस्थापित की गई संपत्ति से तुलनीय माना जाएगा यदि वह समान आकार, उपयोगिता और कार्य की है, या यदि यह सरकारी कार्रवाइयों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले विधान मंडल द्वारा परिभाषित राज्य विनियमनों के अनुरूप है। यह उपखंड 1 मार्च, 1975 के बाद अधिग्रहित किसी भी संपत्ति पर लागू होता है, लेकिन सिर्फ उस संपत्ति के उन्हीं आकलनों को प्रभावित करता है जो कि इस उपखंड के प्रावधानों के प्रभावी होने के बाद हुए हैं।

(e) (1) (A) इस अनुभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, विधान मंडल यह प्रावधान करेगा कि उस संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य जो कि काफी हद तक किसी आपदा द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है जैसा राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है, उसी काउंटी के भीतर तुलनीय ऐसी संपत्ति में स्थानांतरित किया जा सकता है जो काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के प्रतिस्थापन के रूप में अधिग्रहित किया गया है या नव निर्मित है।

(2)

(B) जैसा कि परिच्छेद (3), उपपरिच्छेद (C) में दिया गया है, उसके अलावा, यह उपखंड-परिच्छेद 1 जुलाई, 1985 को या उसके बाद 1 जनवरी 2019 तक, अधिग्रहित की गई या नव निर्मित किसी भी तुलनात्मक प्रतिस्थापन संपत्ति पर, और 1985-86 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के वित्तीय वर्षों 2018-19 वित्तीय वर्ष तक के मूल्यों के निर्धारण पर लागू होता है।

(3)

(C) (i) परिच्छेद (1), उपपरिच्छेद (A), द्वारा अनुमत एक ही काउंटी के भीतर संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के अलावा, काउंटी के भीतर प्रभावित स्थानीय एजेंसियों के परामर्श के बाद, विधान मंडल प्रत्येक काउंटी पर्यवेक्षकों के बोर्ड को राज्य में किसी अन्य काउंटी के भीतर स्थित उस संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण की अनुमति देने वाले एक अध्यादेश को अपनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, जो किसी आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है, जैसा कि राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है, बराबर या कम मूल्य की तुलनीय ऐसी प्रतिस्थापन संपत्ति से, जो अपनाने वाली काउंटी के भीतर स्थित है और उस संपत्ति के प्रतिस्थापन के रूप में मूल संपत्ति के काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के तीन वर्षों के भीतर अधिग्रहित या नवनिर्मित है। इस परिच्छेद के अनुसरण में संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण द्वारा किसी संपत्ति मालिक को प्रदान किए गए लाभ का दायरा और राशि उपखंड (a) के अनुसरण में संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण द्वारा संपत्ति मालिक को प्रदान किए गए लाभ के दायरे और राशि से अधिक नहीं होगी। इस परिच्छेद, उपपरिच्छेद, के उद्देश्यों के लिए, "प्रभावित स्थानीय एजेंसी" का अर्थ कोई भी शहर, विशेष ज़िला, स्कूली ज़िला, या सामुदायिक कॉलेज ज़िला है जो मूल्यवर्द्धित संपत्ति कर राजस्वों का वार्षिक आबंटन प्राप्त करता है।

यह परिच्छेद

(ii) यह उपपरिच्छेद किसी भी तुलनीय प्रतिस्थापन संपत्ति पर लागू होता है जिसे किसी आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के प्रतिस्थापन के रूप में अधिग्रहित या नवनिर्मित किया गया है, जैसा कि राज्यपाल द्वारा घोषित किया गया है, जो 20 अक्टूबर, 1991 को या उसके बाद, और 1 जनवरी, 2019 से पहले हुई है, और 1991-92 के वित्तीय वर्ष और उसके बाद के वित्तीय वर्षों के लिए और 2018-19 वित्तीय वर्ष तक के आधार वर्ष मूल्यों के निर्धारण पर लागू होता है।

(2) (A) इस अनुभाग के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, 1 जनवरी, 2019 को और उसके बाद, उस संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य जो किसी आपदा में काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है, जैसा कि राज्यपाल द्वारा घोषित

किया गया है, किसी भी ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित किया जाएगा जो कि काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के प्रतिस्थापन के रूप में अधिग्रहित या नव निर्मित की गई है, इसके बावजूद कि वह प्रतिस्थापन संपत्ति तुलनीय है, जैसा कि उपखंड (f) के परिच्छेद (2) में निर्दिष्ट है, या कि भले ही प्रतिस्थापन संपत्ति एक ही काउंटी के भीतर स्थित है।

(B) इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित लागू होंगे:

(i) किसी भी अधिक मूल्य की प्रतिस्थापन संपत्ति और अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के स्थानांतरण के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदी गई या नव निर्मित के लिए, प्रतिस्थापन संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य और प्रतिस्थापन संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य के बीच के अंतर को मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य में जोड़कर की जाएगी।

(ii) अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के स्थानांतरण के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदी गई या नव निर्मित किसी भी बराबर या कम मूल्य की प्रतिस्थापन संपत्ति के लिए, प्रतिस्थापन संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य से भाग देकर, और परिणाम को प्रतिस्थापन संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य से गुणा करके की जाएगी।

(f) उपखंड (e) के उद्देश्यों के लिए:

(1) संपत्ति काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट है यदि वह आपदा के ठीक पहले के अपने मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक के भौतिक नुकसान को बनाए रखती है। नुकसान में आपदा के कारण उत्पन्न प्रतिबंधित पहुंच के परिणामस्वरूप संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी शामिल है।

(2) प्रतिस्थापन संपत्ति को काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति से तुलनीय माना जाएगा यदि यह उस संपत्ति से समान आकार, उपयोगिता और कार्य की है जिसे प्रतिस्थापित किया गया है, और यदि अधिग्रहित संपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य प्रतिस्थापित संपत्ति के आपदा से पहले के उचित बाज़ार मूल्य से तुलनीय है।

(g) उपखंड (a) के उद्देश्यों के लिए, "खरीदा गया" और "स्वामित्व में परिवर्तन" शब्द 1 मार्च, 1975 से जीवनसाथियों के बीच वास्तविक संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण को शामिल नहीं करते, जिसमें निम्नलिखित सभी शामिल हैं, लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) एक जीवनसाथी, या मृत हस्तांतरक के जीवित जीवनसाथी के फायदेमंद उपयोग के लिए एक ट्रस्टी को, या ऐसे ट्रस्ट के ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टर के जीवनसाथी को हस्तांतरण।

(2) ऐसे जीवनसाथी को हस्तांतरण जो किसी जीवनसाथी की मौत के बाद प्रभावी होता है।

(3) एक संपत्ति निपटारा समझौते या विवाह विच्छेद या कानूनी अलगाव की डिक्री के संबंध में एक जीवनसाथी या पूर्व जीवनसाथी को हस्तांतरण।

(4) पूरी तरह जीवनसाथियों के बीच किसी भी सहस्वामी के हित का निर्माण, हस्तांतरण या समापन।

(5) संपत्ति निपटारा समझौते या विवाह विच्छेद या कानूनी अलगाव की डिक्री के संबंध में कानूनी यूनिट में जीवनसाथी के हित के बदले में एक जीवनसाथी या पूर्व जीवनसाथी को कानूनी यूनिट की संपत्ति का वितरण।

(h) (1) उपखंड (a) के उद्देश्यों के लिए, "खरीदे गए" और "स्वामित्व में परिवर्तन" शब्द माता-पिता और उनके बच्चों के बीच खरीद या हस्तांतरण के मामले में हस्तांतरणकर्ता के मुख्य निवास की खरीद या हस्तांतरण, जैसा कि विधान मंडल द्वारा परिभाषित किया गया है, और माता-पिता और उनके बच्चों के बीच अन्य सभी वास्तविक संपत्तियों के संपूर्ण नगद मूल्य के पहले एक मिलियन डॉलर (\$1,000,000) की खरीद या हस्तांतरण को शामिल नहीं करते, जैसा कि विधान मंडल द्वारा परिभाषित किया गया है। यह उपखंड स्वैच्छिक हस्तांतरण और न्यायालयी आदेश या न्यायिक डिक्री के परिणामस्वरूप हस्तांतरण दोनों पर लागू होता है।

(2) (A) उपपरिच्छेद (B) के अधीन, उस खरीद या हस्तांतरण से शुरू होकर जो उस तारीख को या उसके बाद हुए हैं, जिस पर इस परिच्छेद में जुड़ने वाले उपाय प्रभावी होते हैं, परिच्छेद (1) द्वारा स्थापित अपवाद दादा-दादी/नाना-नानी और उनके पोते-पोतियों/नाती-नातिनों के बीच वास्तविक संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण पर भी लागू होता है, जैसा कि विधान मंडल द्वारा परिभाषित किया गया है, जो अन्यथा परिच्छेद (1) के तहत अर्हता प्राप्त करता है, यदि उन पोते-पोतियों के सभी माता-पिता, जो दादा-दादी/नाना-नानी के बच्चों के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, खरीद या हस्तांतरण तारीख पर जीवित नहीं हैं।

(B) एक मुख्य निवास की खरीद या हस्तांतरण उपपरिच्छेद (A) के अनुसरण में बाहर नहीं किया जाएगा यदि हस्तांतरिती पोते-पोती/नाती-नातिन या पोते-पोतियां/नाती-नातिनों भी एक अन्य खरीद या हस्तांतरण के माध्यम से एक ऐसे मुख्य निवास, या उसमें हित प्राप्त करते हैं, जो परिच्छेद (1) के अनुसरण में अपवाद योग्य था। किसी मुख्य निवास के अलावा, किसी भी वास्तविक संपत्ति का पूरा नगद मूल्य, जो कि परिच्छेद (1) के अनुसरण में अपवाद योग्य खरीद या हस्तांतरण के अनुसरण में पोते-पोती/नाती-नातिन या पोते-पोतियों/नाती-नातिनों को हस्तांतरित किया गया था, और उस मुख्य निवास का संपूर्ण नगद मूल्य जो पिछले वाक्य के परिणामस्वरूप अपवर्जन योग्य होने से विफल रहा था, उसे उपपरिच्छेद (A) के उद्देश्यों के लिए परिच्छेद (1) में निर्दिष्ट एक-मिलियन-डॉलर

(\$1,000,000) के संपूर्ण नगद मूल्य की सीमा के लिए विनियोग में शामिल किया जाएगा।

(i) (1) इस अनुभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, उसके अलावा जैसा अन्यथा परिच्छेद (5) में दिया गया है, विधान मंडल एक पात्र संदूषित संपत्ति के संबंध में प्रावधान करेगा, जैसा परिच्छेद (2) में परिभाषित किया गया है, कि निम्न दोनों में से कोई एक, लेकिन दोनों नहीं, लागू होते हैं:

(A) (i) धारा (ii) की सीमा के अधीन, 4 नवंबर, 1998 को और उसके बाद, 1, जनवरी 2019, तक, पात्र संदूषित संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य, जैसा उपखंड (b) द्वारा अधिकृत के रूप में समायोजित किया गया है, उसे एक प्रतिस्थापन संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है जो कि एक पात्र संदूषित संपत्ति के प्रतिस्थापन के रूप में अधिग्रहित या नव निर्मित है, यदि प्रतिस्थापन वास्तविक संपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य पात्र संदूषित संपत्ति के उस उचित बाज़ार मूल्य के बराबर या उससे कम है यदि वह संपत्ति संदूषित नहीं हुई होती और, इस धारा द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने को छोड़कर, उसी काउंटी के भीतर स्थित है। पात्र संदूषित संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य किसी अन्य काउंटी के भीतर स्थित प्रतिस्थापन वास्तविक संपत्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है यदि उस अन्य काउंटी के पर्यवेक्षकों के बोर्ड ने, उसी काउंटी के भीतर प्रभावित स्थानीय एजेंसियों के परामर्श के बाद, आधार वर्ष मूल्य के एक अंतर-काउंटी हस्तांतरण को अधिकृत करने वाला एक संकल्प अपनाया, जैसा कि वर्णित है।

(ii) यह उपपरिच्छेद सिर्फ उस प्रतिस्थापन संपत्ति पर लागू होता है जो कि बेची गई या अन्यथा हस्तांतरित पात्र संदूषित संपत्ति में स्वामित्व के बाद पांच साल के भीतर अधिग्रहित या नव निर्मित की गई है।

(B) उस मामले में जहां पात्र संदूषित संपत्ति पर पर्यावरणीय समस्याओं के उपचार के लिए उस संपत्ति में स्थित संरचना को नष्ट करने की आवश्यकता होती है, या जिसके परिणामस्वरूप काफी हद तक नुकसान होता है, शब्द "नया निर्माण" में पर्याप्त रूप से क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत या पात्र संदूषित संपत्ति में नष्ट संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए एक संरचना का निर्माण शामिल नहीं होते हैं, जो कि उस संपत्ति पर पर्यावरणीय समस्याओं के उपचार के बाद किया गया है, बशर्ते मरम्मत की गई या प्रतिस्थापन संरचना आकार, उपयोगिता और कार्य में मूल संरचना के समान हो।

(2) इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, "पात्र संदूषित संपत्ति" का अर्थ आवासीय या गैर-आवासीय वास्तविक संपत्ति है जो कि निम्न में से सभी है:

(A) आवासीय वास्तविक संपत्ति के मामले में, निवास-अयोग्य प्रतिपादित किया गया, और गैर-आवासीय वास्तविक संपत्ति के मामले में, अनुपयोगी प्रतिपादित किया गया, या तो पर्यावरणीय समस्याओं के परिणामस्वरूप, उसकी प्रकृति

में और उसके सहित लेकिन उसी तक सीमित नहीं, जहरीले या खतरनाक सामग्रियों की उपस्थिति, या उन पर्यावरणीय समस्याओं का उपचार शामिल है, सिवाय उसके कि जहां वास्तविक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के समय स्वामी को या परिच्छेद (3) में वर्णित संबंधित व्यक्ति या यूनिट को पर्यावरणीय समस्याओं की मौजूदगी की जानकारी थी। इस उपपरिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, आवासीय वास्तविक संपत्ति "निवास-अयोग्य" है, यदि वह संपत्ति, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण या उससे जुड़े स्वास्थ्य खतरों के परिणामस्वरूप मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है, और गैर-आवासीय वास्तविक संपत्ति "अनुपयोगी" है, यदि वह संपत्ति, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण या उससे जुड़े स्वास्थ्य खतरों के परिणामस्वरूप, अस्वास्थ्यकर और अधिभोग के लिए अनुपयुक्त है।

(B) ऐसे स्थल पर स्थित है जिसे California राज्य या संघीय सरकार की एक एजेंसी द्वारा जहरीले या पर्यावरणीय खतरे के रूप में या एक पर्यावरणीय सफाई स्थल के रूप में नामित किया गया है।

(C) वास्तविक संपत्ति जिसमें पर्यावरणीय सफाई गतिविधियों के पूरा होने से पहले संरचना या संरचनाएं शामिल होती हैं, और वे संरचना या संरचनाएं उन पर्यावरणीय सफाई गतिविधियों के परिणामस्वरूप काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती हैं।

(D) वास्तविक संपत्ति की पर्यावरणीय समस्या या पर्यावरणीय सफाई के संबंध में, शीर्ष सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया, जिसे निवास-अयोग्य या अनुपयोगी प्रतिपादित नहीं किया गया है, जो भी लागू हो, जैसा उपपरिच्छेद (A) में वर्णित है, किसी भी कार्य या चूक के द्वारा, जिसमें उस वास्तविक संपत्ति के स्वामी ने भाग लिया या सहमति दी हो।

(3) इसे विवाद की अनुपस्थिति में सत्य माना जाएगा कि वास्तविक संपत्ति के स्वामी ने किसी भी ऐसे कार्य या चूक में भाग लिया या सहमति दी हो जिसने वास्तविक संपत्ति को निवास-अयोग्य या अनुपयोगी प्रतिपादित किया है, जो भी लागू हो, यदि वह स्वामी किसी भी व्यक्ति या यूनिट से संबंधित है जिसने निम्न में से किसी भी तरीके से उस कार्य या चूक को किया है:

(A) वह उस व्यक्ति का जीवनसाथी, माता-पिता, संतान, दादा-दादी/नाना-नानी, पोता-पोती/नाती-नातिन, या भाई-बहन है।

(B) वह उस संस्था का कॉर्पोरेट जनक, सहायक, या सहयोगी है।

(C) वह उस संस्था का स्वामी है, या उसका उस पर नियंत्रण है।

(D) वह उस संस्था के स्वामित्व या नियंत्रण में है।

अगर इस मान्यता को सही नहीं पाया जाता है, तो स्वामी को परिच्छेद (1) के उपपरिच्छेद (A) या (B) में प्रदान की गई राहत प्राप्त नहीं होगी। उस मूल्यांकनकर्ता को संतुष्टिजनक साक्ष्य प्रस्तुत करके मान्यता को गलत साबित किया जा सकता है, जो कि यह निर्धारण करने में शीर्ष सरकारी एजेंसी से बाध्य नहीं है कि क्या मान्यता को गलत साबित कर दिया गया है या नहीं।

(4) यह उपखंड केवल 1 जनवरी, 1995 को या उसके बाद अधिग्रहित या निर्मित प्रतिस्थापन संपत्ति और उस तारीख को या उसके बाद की गई संपत्ति की मरम्मतों पर लागू होता है।

(5) (A) इस अनुभाग के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 1 जनवरी, 2019 को और उसके बाद, और परिच्छेद (1) के उपपरिच्छेद (B) की धारा (ii) की सीमा के अधीन, पात्र संदूषित संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य एक प्रतिस्थापन संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो कि एक पात्र संदूषित संपत्ति के प्रतिस्थापन के रूप में अधिग्रहित या नव निर्मित है, इसके बावजूद कि क्या प्रतिस्थापन वास्तविक संपत्ति का एक उचित बाज़ार मूल्य है जो कि पात्र संदूषित संपत्ति के उस उचित बाज़ार मूल्य के बराबर या उससे कम है यदि वह संपत्ति संदूषित नहीं हुई होती और क्या प्रतिस्थापन संपत्ति उसी काउंटी के भीतर स्थित है।

(B) इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित लागू होंगे:

(i) किसी भी अधिक मूल्य की प्रतिस्थापन संपत्ति और अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के स्थानांतरण के लिए इस धारा के अनुसरण में पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदी गई या नव निर्मित के लिए, प्रतिस्थापन संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य और प्रतिस्थापन संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य के बीच के अंतर को मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य में जोड़कर की जाएगी।

(ii) अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के स्थानांतरण के लिए इस धारा के अनुसरण में पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदी गई या नव निर्मित किसी भी बराबर या कम मूल्य की प्रतिस्थापन संपत्ति के लिए, प्रतिस्थापन संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य से भाग देकर, और परिणाम को प्रतिस्थापन संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य से गुणा करके की जाएगी।

(j) जब तक विशिष्ट रूप से अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, इस अनुभाग में 1 नवंबर, 1988 से पहले अपनाए गए संशोधन, संशोधन की प्रभावी तिथि के बाद, होने वाले स्वामित्व परिवर्तनों और पूरा होने वाले नए निर्माण के लिए प्रभावी होते हैं। जब तक विशिष्ट रूप से अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, इस अनुभाग में 1 नवंबर, 1988 के बाद अपनाए गए संशोधन, संशोधन की प्रभावी तिथि को या उसके बाद, होने वाले स्वामित्व परिवर्तनों और पूरा होने वाले नए निर्माण के लिए प्रभावी होते हैं।

अनुभाग 3. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 69.5 को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है:

69.5. (a) (1) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (a) के अनुसरण में, 55 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति या कोई भी गंभीर रूप से और स्थायी विकलांग व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति में रहता है जो California संविधान के अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3 के उपखंड (k) और अनुभाग 218 के तहत गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है, इस अनुभाग में प्रदान की गई शर्तों और सीमाओं के अधीन, छूट के लिए हकदार संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को उसी काउंटी के भीतर स्थित बराबर या कम मूल्य के किसी भी प्रतिस्थापन आवास और उस व्यक्ति द्वारा मूल संपत्ति की बिक्री के दो वर्षों के भीतर उसके मुख्य निवास के रूप में खरीदे गए या नव निर्मित आवास के लिए हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते कि मूल संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य मूल संपत्ति के बेचे जाने तक प्रतिस्थापन आवास में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(2) परिच्छेद (1) में सीमा की आवश्यकता के बावजूद कि मूल संपत्ति और प्रतिस्थापन आवास एक ही काउंटी में स्थित है, यह सीमा किसी भी ऐसी काउंटी में लागू नहीं होगी जिसमें काउंटी पर्यवेक्षकों का बोर्ड, काउंटी की सीमाओं के भीतर स्थानीय प्रभावित एजेंसियों के परामर्श के बाद, परिच्छेद (1) के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अध्यादेश अपनाता है जो कि उन स्थितियों पर भी लागू होता है जिनमें प्रतिस्थापन आवास उस काउंटी में स्थित हैं और मूल संपत्तियां इस राज्य के भीतर किसी अन्य काउंटी में स्थित हैं। इस परिच्छेद में शामिल अनुमतियां एक काउंटी में तभी लागू होंगी यदि पर्यवेक्षकों के बोर्ड द्वारा अपनाया गया अध्यादेश निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है:

(A) इसे पर्यवेक्षकों के बोर्ड और काउंटी की सीमाओं के भीतर स्थित अन्य सभी स्थानीय प्रभावित एजेंसियों के बीच परामर्श के बाद ही अपनाया जाता है।

(B) यह आवश्यक है कि किसी अन्य काउंटी में स्थित मूल संपत्ति से आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के लिए सभी दावों को प्रदान किया जाए यदि दावे California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (a) और इस खंड की लागू दोनों आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(C) यह आवश्यक है कि किसी अन्य काउंटी में स्थित और उसके मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल संपत्ति के सभी आधार वर्ष मूल्यांकन आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के दावे प्रदान करने के संबंध में स्वीकार किए जाएं।

(D) यह उपबंध लगाता है कि इसके प्रावधान पांच साल से कम की अवधि के लिए क्रियाशील हैं।

(E) यह अध्यादेश उस तारीख को निर्दिष्ट करता है जिसको और जिसके बाद इसके प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, निर्दिष्ट की गई तारीख 9 नवंबर, 1988 से पहले की नहीं होगी। निर्दिष्ट लागू तारीख उससे पहले की कोई तारीख हो सकती है जब काउंटी ने अध्यादेश को अपनाया था।

(b) उपखंड (a) की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध संपत्ति कर की राहत का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उस राहत के लिए तभी पात्र होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी:

(1) दावेदार मूल संपत्ति का एक स्वामी और एक निवासी है या तो उसकी बिक्री के समय, या उस समय जब मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई थी, या प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण के दो साल के भीतर।

(2) मूल संपत्ति गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है, दावेदार के संपत्ति के अपने मुख्य आवास के रूप में स्वामित्व और अधिभोग किए जाने के परिणाम के रूप में, या तो उसकी बिक्री के समय, या उस समय जब मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई थी, या प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण के दो साल के भीतर।

(3) मूल संपत्ति की बिक्री के समय, दावेदार या दावेदार का जीवनसाथी जो कि दावेदार के साथ रहता है वह कम से कम 55 वर्ष उम्र का है, या वह गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग है।

(4) उपखंड (a) द्वारा उपलब्ध संपत्ति कर की राहत का दावा करते समय, दावेदार एक प्रतिस्थापन आवास का स्वामी है और उसे अपने निवास के मुख्य स्थान के रूप में अधिभोग करता है और, उसके परिणामस्वरूप, संपत्ति वर्तमान में गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है या छूट के लिए पात्र होगी सिवाय तब के जब संपत्ति पूर्वस्वामी द्वारा छूट का दावा दाखिल किए जाने के कारण पहले ही छूट प्राप्त कर रही है।

(5) दावेदार की मूल संपत्ति उसके द्वारा प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण के दो साल के भीतर बेच दी गई है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण में शामिल है भूमि के उस हिस्से की खरीद जिस पर प्रतिस्थापन इमारत, संरचना, या दावेदार के निवास स्थान बनने वाला अन्य आश्रय स्थित रहेंगे और वह, उपखंड (g) के परिच्छेद (3) के अनुसरण में, प्रतिस्थापन आवास का एक हिस्सा बनता है।

(6) उपखंड (a) के परिच्छेद (2) में प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रतिस्थापन आवास, उस भूमि के हिस्से सहित

जिस पर वह स्थित है जो परिच्छेद (5) में निर्दिष्ट है, पूर्ण रूप से उसी काउंटी में दावेदार की मूल संपत्ति के रूप में स्थित है।

(7) दावेदार को, एक दावेदार के रूप में, इस अनुभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली संपत्ति कर की छूट पहले प्रदान नहीं की गई है, सिवाय तब के जब कि यह परिच्छेद ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो दावेदार के रूप में, इस अनुभाग द्वारा 55 वर्ष से अधिक के किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली संपत्ति कर की छूट प्रदान किए जाते रहने के बाद, गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग हो गया है। इस अनुभाग के अंतर्गत इस राज्य के भीतर दावों का दोहराव यानी डुप्लिकेशन रोकने के लिए, काउंटी मूल्यांकनकर्ता राज्य समानता बोर्ड को उस जानकारी की त्रैमासिक रिपोर्ट करेंगे जिससे उपखंड (f) के अनुसरण में दावे दाखिल किए गए हैं और जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है काउंटी रिकॉर्डों से इस अनुभाग के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अनुमत किए गए सभी दावों और जिसके चलते दावेदारों ने राहत प्राप्त की है उनकी पूरी पहचान किया जाना आवश्यक है। बोर्ड निर्दिष्ट कर सकता है कि जानकारी में दावेदारों और उनके जीवनसाथी के संपूर्ण या आंशिक नाम और सामाजिक सुरक्षा नंबर और उस प्रतिस्थापन आवास की पहचान और स्थान शामिल हो जिसमें दावा लागू होता है। सूचना डेटा प्रोसेसिंग मीडिया के रूप में और उस प्रारूप में आवश्यक हो सकती है जो कि काउंटियों की रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं और राज्य की लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अनुकूल है।

(c) इस अनुभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली संपत्ति कर की छूट तभी उपलब्ध होगी जब दावेदार की मूल संपत्ति या प्रतिस्थापन आवास, या दोनों, शामिल होते हैं, लेकिन यह निम्नलिखित में किसी एक तक सीमित नहीं है:

(1) एक सहकारी गृह निगम, एक सामुदायिक अपार्टमेंट परियोजना, एक कंडोमिनियम परियोजना, या किसी योजनाबद्ध यूनिट विकास के भीतर एक यूनिट या लॉट। यदि यूनिट या लॉट दावेदार की मूल संपत्ति निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता सिर्फ दावेदार की यूनिट या लॉट के आधार वर्ष मूल्य को दावेदार के प्रतिस्थापन आवास में हस्तांतरित करेगा और किसी साझा क्षेत्र में उसका हिस्सा उस यूनिट या लॉट के एक संपत्ति स्वामी के रूप में आरक्षित होगा। यदि यूनिट या लॉट दावेदार का प्रतिस्थापन आवास निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता सिर्फ दावेदार की यूनिट या लॉट में दावेदार की मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को हस्तांतरित करेगा और किसी भी साझा क्षेत्र में दावेदार का कोई भी हिस्सा उस यूनिट या लॉट के संपत्ति स्वामी के रूप में आरक्षित होगा।

(2) एक विनिर्मित घर या एक विनिर्मित घर और दावेदार के स्वामित्व की कोई भूमि जिस पर विनिर्मित घर स्थित है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "दावेदार के स्वामित्व की भूमि"

में एक निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क में यथानुपात हित शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभाग 62.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में किया जाता है।

(A) यदि एक विनिर्मित घर या एक विनिर्मित घर और दावेदार के स्वामित्व की कोई भूमि जिस पर विनिर्मित घर स्थित है, दावेदार की मूल संपत्ति निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता दावेदार के प्रतिस्थापन आवास में या तो विनिर्मित घर का आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित करेगा या विनिर्मित घर और जिस भूमि पर वह स्थित है उसका आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित करेगा, जैसा भी उचित हो। यदि विनिर्मित घर आवास जो कि दावेदार की मूल संपत्ति निर्मित करता है उसमें निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क का एक हित शामिल है, तो मूल्यांकनकर्ता दावेदार के प्रतिस्थापन आवास में दावेदार के विनिर्मित घर और पार्क की वास्तविक संपत्ति में उसके यथानुपात हित के आधार वर्ष मूल्य को हस्तांतरित करेगा। मूल्यांकनकर्ता द्वारा भूमि के उस हिस्से के आधार वर्ष मूल्य का कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा जो मूल संपत्ति का हिस्सा निर्मित नहीं करता है, जैसा कि उपखंड (g) के परिच्छेद (4) में प्रावधान किया गया है।

(B) यदि एक विनिर्मित घर या एक विनिर्मित घर और दावेदार के स्वामित्व की कोई भूमि जिस पर विनिर्मित घर स्थित है, दावेदार का प्रतिस्थापन आवास निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता दावेदार की मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को या तो विनिर्मित घर में या विनिर्मित घर और जिस भूमि पर वह स्थित है उसमें हस्तांतरित करेगा, जैसा भी उचित हो। यदि विनिर्मित घर आवास जो कि दावेदार की मूल संपत्ति निर्मित करता है उसमें निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइलहोम पार्क का एक हित शामिल है, तो मूल्यांकनकर्ता दावेदार की मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को दावेदार के विनिर्मित घर और पार्क की वास्तविक संपत्ति में उसके यथानुपात हित में हस्तांतरित करेगा। मूल्यांकनकर्ता द्वारा भूमि के उस हिस्से में आधार वर्ष मूल्य का कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा जो प्रतिस्थापन आवास का हिस्सा निर्मित नहीं करता है, जैसा कि उपखंड (g) के परिच्छेद (3) में प्रावधान किया गया है।

यह उपखंड, उपखंड (d) में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन होगा।

(d) इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई संपत्ति कर की राहत उस दावेदार को उपलब्ध होगी जो कि मूल संपत्ति का सह-स्वामी है, एक संयुक्त किराएदार के रूप में, एक सामूहिक किराएदार, एक सामुदायिक संपत्ति स्वामी, या एक ट्रस्ट का वर्तमान लाभार्थी है, जो कि निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगी:

(1) यदि सभी सह-स्वामियों द्वारा एक एकल प्रतिस्थापन आवास खरीदा या नवनिर्मित किया गया है और प्रत्येक सह-स्वामी प्रतिस्थापन आवास में एक हित बनाए रखता है, तो

दावेदार इस अनुभाग के अंतर्गत पात्र होगा चाहे बाकी कोई या सभी सह-स्वामी अन्यथा पात्र दावेदार हों या नहीं।

(2) यदि दो या अधिक प्रतिस्थापन आवास दो या अधिक सह-स्वामियों द्वारा अलग-अलग खरीदे या नवनिर्मित किए जाते हैं और एक से अधिक सह-स्वामी अन्यथा पात्र दावेदार होते हैं, तो सिर्फ एक सह-स्वामी इस अनुभाग के अंतर्गत पात्र होगा। ये सह-स्वामी आपसी सहमति से यह निर्धारित करेंगे कि उनमें से कौन पात्र माना जाएगा।

(3) यदि दो या अधिक प्रतिस्थापन आवास दो या अधिक सह-स्वामियों द्वारा अलग-अलग खरीदे या नवनिर्मित किए जाते हैं जो मूल संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति के रूप में रखते हैं, तो सिर्फ वह सह-स्वामी जिसने 55 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है, या गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग है, इस अनुभाग के अंतर्गत पात्र होगा। यदि दोनों जीवनसाथी 55 वर्ष की उम्र से अधिक हैं, तो वे आपसी सहमति से यह निर्धारित करेंगे कि उनमें से कौन पात्र है।

उन सह-स्वामियों के मामले में जिनकी मूल संपत्ति एक बहु-यूनिट आवास है, परिच्छेद (2) और (3) द्वारा अधिरोपित की गई सीमाएं सिर्फ उन्हीं सह-स्वामियों पर लागू होंगी जो मूल संपत्ति के भीतर उसी आवासीय यूनिट का अधिभोग करते हैं जो उस समय उपखंड (b) के परिच्छेद (2) में निर्दिष्ट की गई है।

(e) मूल संपत्ति की बिक्री पर, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (a) के और अनुभाग 110.1 के अनुसरण में, मूल्यांकनकर्ता उस संपत्ति के लिए एक नया आधार वर्ष मूल्य निर्धारित करेगा, चाहे पूर्व स्वामी या मूल संपत्ति के स्वामियों द्वारा कोई प्रतिस्थापन आवास बाद में खरीदा या नवनिर्मित किया गया है या नहीं।

यह अनुभाग तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि मूल संपत्ति का हस्तांतरण एक स्वामित्व में परिवर्तन है जो कि या तो (1) अनुभाग 110.1 या 5803 के अनुसरण में उस संपत्ति को उसके वर्तमान उचित बाज़ार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन के विषयाधीन करता है या (2) इस अनुभाग, अनुभाग 69, या अनुभाग 69.3 के अनुसरण में एक आधार वर्ष मूल्य निर्धारण में परिणामित होता है क्योंकि संपत्ति इस अनुभाग, अनुभाग 69, या अनुभाग 69.3 के अंतर्गत एक प्रतिस्थापन आवास या संपत्ति के रूप में पात्रता हासिल करती है।

(f) (1) एक दावेदार इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध संपत्ति कर राहत के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि दावेदार मूल्यांकनकर्ता को, राज्य समानता बोर्ड द्वारा नामित एक फॉर्म पर जिसे मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा, निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध नहीं करा देता:

(A) प्रत्येक दावेदार और दावेदार के किसी जीवनसाथी का नाम और सामाजिक सुरक्षा नंबर जो कि प्रतिस्थापन आवास का दर्ज स्वामी है।

(B) साक्ष्य कि दावेदार या दावेदार का जीवनसाथी जो कि मूल संपत्ति में दावेदार के साथ निवास करता है, उसकी बिक्री के समय, कम से कम 55 वर्ष की उम्र के, या गंभीर और स्थायी विकलांग थे। गंभीर और स्थायी विकलांगता के साक्ष्य एक प्रमाणपत्र माने जाएंगे, जो कि उचित विशेषज्ञता वाले एक लाइसेंसधारी फिज़ीशियन एवं सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिसमें दावेदार की गंभीरता और स्थायी विकलांगता स्थिति को सत्यापित किया गया हो। उन साक्ष्यों की अनुपस्थिति में कि एक व्यक्ति 55 वर्ष से अधिक उम्र का है, दावेदार मिथ्या साक्ष्य के दंड के अंतर्गत प्रमाणित करेगा कि उम्र की आवश्यकता पूरी की गई है। एक गंभीर और स्थायी विकलांग दावेदार के मामले में निम्नलिखित में से कोई भी जमा किए जाएंगे:

(i) उचित विशेषज्ञता वाले एक लाइसेंसधारी फिज़ीशियन एवं सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र, जिसमें विशिष्ट कारण निर्दिष्ट किया गया हो कि क्यों विकलांगता एक प्रतिस्थापन आवास में जाने और विकलांगता संबंधी ज़रूरतों को आवश्यक बनाती है, जिसमें एक प्रतिस्थापन आवास की कोई स्थान संबंधी आवश्यकता शामिल है। दावेदार यह प्रमाणित करेगा कि प्रतिस्थापन आवास पहचानी गई विकलांगता-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह कि प्रतिस्थापन आवास में जाने का प्राथमिक कारण उन आवश्यकताओं की संतुष्टि है। यदि दावेदार, या दावेदार का जीवनसाथी या अभिभावक, ऐसा मिथ्या साक्ष्य के दंड के अंतर्गत घोषित करते हैं, तो यह खंडनीय माना जाएगा कि प्रतिस्थापन आवास में जाने का प्राथमिक उद्देश्य पहचानी गई विकलांगता-संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि है।

(ii) दावेदार का प्रमाण कि प्रतिस्थापन आवास में जाने का प्राथमिक उद्देश्य विकलांगता के कारण हुए वित्तीय बोझ को कम करना है। यदि दावेदार, या दावेदार का जीवनसाथी या अभिभावक, ऐसा मिथ्या साक्ष्य के दंड के अंतर्गत घोषित करते हैं, तो यह खंडनीय माना जाएगा कि प्रतिस्थापन आवास में जाने का प्राथमिक उद्देश्य विकलांगता के कारण हुए वित्तीय बोझ को कम करना है।

(C) पता और, यदि जानकारी हो, तो मूल्यांकनकर्ता का मूल संपत्ति का पार्सल नंबर।

(D) दावेदार की मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख और दावेदार की प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण की तारीख।

(E) दावेदार द्वारा एक कथन कि वह अपने दावे को दाखिल करने की तारीख पर प्रतिस्थापन आवास का अपने मुख्य निवास स्थान के रूप में अधिभोग कर रहा है।

(F) इस अनुभाग के अंतर्गत कोई भी दावा उपखंड (k) या (m) के अधीन प्रतिस्थापन आवास की खरीद या प्रतिस्थापन आवास के नवनिर्माण के पूरा होने के तीन सालों के भीतर दाखिल किया जा सकेगा।

(2) इस अनुभाग के अंतर्गत आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण का दावा जो कि परिच्छेद (1) के उपपरिच्छेद (F) में पहले से तय अवधि की समाप्ति के बाद दाखिल किया जाता है, वह मूल्यांकनकर्ता द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तों के अधीन मान्य किया जाएगा:

(A) उस दावे के अनुसरण में प्रदत्त कोई भी आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरण उस निर्धारण वर्ष की ग्रहणाधिकार तिथि से शुरू होगा जिसमें दावा दाखिल किया गया है।

(B) उपपरिच्छेद (A) में वर्णित निर्धारण वर्ष में प्रतिस्थापन संपत्ति का संपूर्ण नगद मूल्य उस निर्धारण वर्ष में वास्तविक संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य होगा जिसमें आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित किया गया था, निम्नलिखित दोनों के लिए उपपरिच्छेद (A) में वर्णित निर्धारण वर्ष के लिए गिना गया है:

(i) मुद्रास्फीति जैसा कि अनुभाग 51 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के अनुसरण में वार्षिक रूप में निर्धारित है।

(ii) कोई भी बाद का नया निर्माण जो कि विषयक वास्तविक संपत्ति के संबंध में हो रहा है जो कि उपखंड (h) के परिच्छेद (4) के उपपरिच्छेद (A) और (B) में तय किए गए मानदंड के अनुसरण में संपत्ति कर राहत के लिए पात्रता प्राप्त नहीं करती है।

(g) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए:

(1) "55 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति" का अर्थ कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का जीवनसाथी है जिसने मूल संपत्ति की बिक्री के समय 55 वर्ष या उससे अधिक की उम्र प्राप्त कर ली है।

(2) "मूल संपत्ति के लिए आधार वर्ष मूल्य" का अर्थ उसका आधार वर्ष मूल्य है, जैसा कि अनुभाग 110.1 के अनुसरण में निर्धारित किया गया है, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (b) और अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत समायोजनों के साथ, जिसे दावेदार द्वारा बेची गई मूल संपत्ति की तारीख के तुरंत पूर्व की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है, या उस मामले में जहां मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है और स्वामी ने मूल संपत्ति पर उस तारीख तक पुनर्निर्माण नहीं किया है, जो दुर्भाग्य या आपदा के तुरंत पूर्व की तारीख के रूप में निर्धारित की गई है।

यदि प्रतिस्थापन आवास मूल संपत्ति के हस्तांतरण के बाद खरीदा या नवनिर्मित किया गया है, तो "मूल संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य", मूल संपत्ति की बिक्री के बाद की अवधि के

लिए अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत किन्हीं भी मुद्रास्फीति कारक समायोजनों को भी शामिल करेगा। आधार वर्ष या "मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य" की गणना करने के लिए उपयोग किये गए वर्ष, किसी भी संपत्ति के आधार वर्ष या उन वर्षों के रूप में माने जाएंगे जिनमें इस अनुभाग के अनुसरण में आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित हुआ है।

(3) "प्रतिस्थापन संपत्ति" का अर्थ है, निवास की जगह निर्मित करने वाली कोई इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय, चाहे वास्तविक संपत्ति या निजी संपत्ति, जिसका स्वामित्व और अधिभोग दावेदार द्वारा अपने प्रधान आवास के रूप में किया जा रहा है, और दावेदार के स्वामित्व वाली कोई भी भूमि जिस पर इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय स्थित है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, एक प्रतिस्थापन आवास का एक भाग निर्मित करने वाली भूमि में सिर्फ उसी उचित आकार का क्षेत्र शामिल होता है जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, और "दावेदार के स्वामित्व की भूमि" में वह भूमि शामिल होती है जिसके लिए दावेदार या तो अनुभाग 61 के उपखंड (c) में वर्णित पट्टे के अधिकार में हित या एक भूमि खरीद अनुबंध रखता है। एक बहुयूनिट आवास की प्रत्येक यूनिट को एक अलग प्रतिस्थापन आवास के रूप में माना जाएगा। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए "उचित आकार का क्षेत्र जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग होता है" उसमें सभी भूमि शामिल होती है यदि संपत्ति के कोई भी गैर आवासीय उपयोग संपत्ति के एक आवासीय स्थल के रूप में उपयोग के लिए सिर्फ आकस्मिक हैं। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "दावेदार के स्वामित्व की भूमि" में एक निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क में एक स्वामित्व हित शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभाग 62.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में किया जाता है।

(4) "मूल संपत्ति" का अर्थ है, निवास की जगह निर्मित करने वाली कोई इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय, चाहे वास्तविक संपत्ति या निजी संपत्ति, जिसका स्वामित्व और अधिभोग दावेदार द्वारा अपने प्रधान आवास के रूप में किया जा रहा है, और दावेदार के स्वामित्व वाली कोई भी भूमि जिस पर इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय स्थित है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, मूल संपत्ति का एक भाग निर्मित करने वाली भूमि में सिर्फ उसी उचित आकार का क्षेत्र शामिल होता है जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, और "दावेदार के स्वामित्व की भूमि" में वह भूमि शामिल होती है जिसके लिए दावेदार या तो अनुभाग 61 के उपखंड (c) में वर्णित पट्टे के अधिकार में हित या एक भूमि खरीद अनुबंध रखता है। एक बहुयूनिट आवास की प्रत्येक यूनिट को एक अलग मूल संपत्ति के रूप में माना जाएगा। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए "उचित आकार का क्षेत्र जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग होता है" उसमें सभी भूमि शामिल

होती है यदि संपत्ति के कोई भी गैर आवासीय उपयोग संपत्ति के एक आवासीय स्थल के रूप में उपयोग के लिए सिर्फ आकस्मिक हैं। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "दावेदार के स्वामित्व की भूमि" में एक निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क में एक स्वामित्व हित शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभाग 62.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में किया जाता है।

(5) "समान या कम मूल्य" का अर्थ है कि प्रतिस्थापन आवास का संपूर्ण नगद मूल्य निम्न में से एक से अधिक नहीं होता:

(A) मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य की राशि का एक सौ प्रतिशत यदि प्रतिस्थापन आवास मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख से पहले खरीदा या नवनिर्मित किया गया है।

(B) मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य की राशि का एक सौ पांच प्रतिशत यदि प्रतिस्थापन आवास मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख के बाद एक साल के भीतर खरीदा या नवनिर्मित किया गया है।

(C) मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य की राशि का एक सौ दस प्रतिशत यदि प्रतिस्थापन आवास मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख के बाद दूसरे साल के भीतर खरीदा या नवनिर्मित किया गया है।

इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, उसके सिवाय जबकि उपखंड (h) के परिच्छेद (4) में अन्यथा प्रावधान किया गया है, यदि प्रतिस्थापन आवास, किशतों में खरीदा गया है या किशतों में नवनिर्मित किया गया है, तो वह तारीख जब प्रतिस्थापन आवास खरीदा या नवनिर्मित किया गया है" वही खरीद की तारीख है या निर्माण पूरा होने की तारीख है, जो भी बाद की है।

(6) "प्रतिस्थापन आवास का संपूर्ण नगद मूल्य" का अर्थ उसका संपूर्ण नगद मूल्य है, जो अनुभाग 110.1 के अनुसरण में निर्धारित किया गया है, उस तारीख के रूप में जिस पर खरीद या नवनिर्माण पूरा हुआ था, और खरीद या नवनिर्माण के पूरा होने के बाद।

(7) "मूल संपत्ति का संपूर्ण नगद मूल्य" का अर्थ है, या तो:

(A) उसका नया आधार वर्ष मूल्य, उपखंड (e) के अनुसरण में निर्धारित किया गया, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (h) को बगैर लागू किए, साथ ही XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (b) और अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत समायोजनों, दावेदार द्वारा उसकी बिक्री की तारीख से लेकर उस अवधि तक जिस तारीख को प्रतिस्थापन संपत्ति खरीदी गई थी या नवनिर्माण पूरा हुआ था।

(B) उस मामले में जहां मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है और स्वामी ने उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया है, उसका संपूर्ण नगद मूल्य, जैसा कि अनुभाग 110, के अनुसरण में निर्धारित है, उसके दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के तुरंत पहले, जैसा कि उस काउंटी के काउंटी मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें संपत्ति स्थित है, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (h) को बगैर लागू किए, साथ ही XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (b) और अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत समायोजनों, दावेदार द्वारा उसकी बिक्री की तारीख से लेकर उस अवधि तक जिस तारीख को प्रतिस्थापन संपत्ति खरीदी गई थी या नवनिर्माण पूरा हुआ था।

(8) "बिक्री" का अर्थ विचार के लिए मूल संपत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन है।

(9) "दावेदार" का अर्थ है कोई व्यक्ति जो इस अनुभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली संपत्ति कर की राहत का दावा कर रहा है। यदि उस व्यक्ति का जीवन साथी प्रतिस्थापन आवास का एक दर्ज स्वामी है, तो जीवनसाथी भी एक दावेदार है इस बात को निर्धारित करने के लिए कि क्या इस अनुभाग के अंतर्गत जीवनसाथी द्वारा दाखिल किसी भविष्य के दावे में उपखंड (b) के परिच्छेद (7) में निर्दिष्ट पात्रता की शर्तें पूरी होती हैं।

(10) "गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र संपत्ति" में वह संपत्ति शामिल है जो कि उसके स्वामी के निवास का मुख्य स्थान है और अनुभाग 205.5. के अनुसरण में छूट की पात्र है।

(11) "व्यक्ति" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है, लेकिन कोई फर्म, साझेदारी, संघ, निगम, कंपनी, या अन्य किसी भी तरह की कानूनी यूनिट या संगठन को शामिल नहीं करता। "व्यक्ति" में एक व्यक्ति शामिल है जो कि किसी ट्रस्ट का वर्तमान लाभार्थी है।

(12) "गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग" का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुभाग 74.3 के उपखंड (b) में वर्णित है।

(13) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, संपत्ति "काफी हद तक दुर्भाग्य या आपदा द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट" है, यदि भूमि या सुधार भौतिक नुकसान को या तो भूमि के या सुधार के दुर्भाग्य या आपदा के तुरंत पहले के संपूर्ण नगद मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक बनाए रखते हैं। क्षति में संपत्ति में प्रतिबंधित पहुंच के परिणामस्वरूप संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी शामिल है जहां पर प्रतिबंधित पहुंच दुर्भाग्य या आपदा द्वारा उत्पन्न की गई थी और स्थायी प्रकृति की है।

(h) (1) उपखंड (f) के परिच्छेद (1) के उपपरिच्छेद (F) में वर्णित दावे को समय पर दाखिल करने पर, मूल्यांकनकर्ता इस अनुभाग के अनुरूप प्रतिस्थापन निवास के नए आधार वर्ष

मूल्य को समायोजित करेगा। यह समायोजन निम्नलिखित तारीखों के लिए नए के रूप में बनेगा:

(A) मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख।

(B) प्रतिस्थापन आवास को खरीदने की तारीख।

(C) प्रतिस्थापन संपत्ति का नवनिर्माण पूरा होने की तारीख।

(2) प्रतिस्थापन आवास के नए आधार वर्ष मूल्य के आधार पर दावा दाखिल करने से पहले प्रतिस्थापन आवास पर लगाए गए कोई भी कर, और उसके लिए कोई भी अनुमति योग्य वार्षिक समायोजन, निरस्त या दावेदार को वापस कर दिया जाएगा, उस सीमा तक कि कर उस राशि से अधिक है जो उस समय देय होगी जब समायोजित नए आधार वर्ष मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(3) अनुभाग 75.10 के बावजूद, अध्याय 3.5 (अनुभाग 75 के साथ शुरू) का उपयोग इस उपखंड को लागू करने के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें मूल संपत्ति की बिक्री से पहले अधिग्रहित प्रतिस्थापन आवास के नए आधार वर्ष मूल्य के समायोजन शामिल हैं।

(4) उस मामले में जहां इस अनुभाग के तहत दावा समय पर दाखिल किया गया है और प्रदान किया गया है, और आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के बाद प्रतिस्थापन आवास पर नवनिर्माण किया गया है, तो इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई संपत्ति कर की राहत भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू होगी, जैसे सुधार हुआ है, और इसलिए नवनिर्माण के पूरा होने पर कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(A) नवनिर्माण मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख से दो साल के भीतर हुआ है और स्वामी ने नवनिर्माण के पूरा होने के छह महीने के भीतर मूल्यांकनकर्ता को लिखित में निर्माण पूरा होने की सूचना दी है।

(B) पूरा होने की तारीख पर नवनिर्माण का उचित बाज़ार मूल्य, साथ ही अधिग्रहण की तारीख पर प्रतिस्थापन आवास का संपूर्ण नगद मूल्य, मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य से अधिक नहीं है जैसा कि उपखंड (g) के परिच्छेद (7) के अनुसरण में मूल दावा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है।

(i) कोई भी दावेदार इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई संपत्ति कर की राहत के लिए दावा निरस्त कर सकता है और उसे उपखंड (b) के परिच्छेद (7) के उद्देश्यों के लिए राहत प्राप्त नहीं माना जाएगा, और मूल्यांकनकर्ता निरसन प्रदान करेगा, अगर निरसन के लिखित नोटिस को मूल्यांकनकर्ता के कार्यालय में निम्नानुसार वितरित किया जाता है:

(1) दाखिल करने वाले मूल दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित निरसन का लिखित नोटिस मूल्यांकनकर्ता के कार्यालय में वितरित किया गया है जिसमें मूल दावा दाखिल किया गया है।

(2) (A) इस परिच्छेद में अन्यथा प्रदान किए जाने के सिवाय, मूल्यांकनकर्ता के कार्यालय में निरसन का नोटिस उस तारीख के पहले वितरित होगा जिसे काउंटी पहले जारी करती है, इस अनुभाग के अंतर्गत प्राप्त एक राहत के परिणामस्वरूप, जो कि प्रतिस्थापन आवास पर अधिरोपित संपत्ति करों की वापसी की जांच है। यदि राहत देने से संपत्ति करों में वापसी नहीं होगी, तो नोटिस किसी भी संपत्ति कर, या उसके किसी हिस्से के प्रथम भुगतान से पहले वितरित होगा, जो कि प्रतिस्थापन आवास पर इस अनुभाग के अंतर्गत प्रदान की गई राहत के संगत अधिरोपित किया गया है। यदि करों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नोटिस उस पहली तारीख के पहले वितरित होगा, जबकि वे संपत्ति कर, या उनका कोई हिस्सा, जो कि प्रतिस्थापन आवास पर अधिरोपित है, इस अनुभाग के अंतर्गत प्रदान की गई राहत के संगत है, अदत्त हैं।

(B) इस खंड में किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, राहत प्रदान करने के बाद छह सालों के भीतर मूल्यांकनकर्ता के कार्यालय में निरसन की सूचना दी जाती है, बशर्ते प्रतिस्थापन संपत्ति को दावेदार के मुख्य निवास स्थान के रूप से मूल दावा दाखिल करने के बाद 90 दिनों के भीतर खाली कर दिया गया हो, इस पर ध्यान दिए बिना कि संपत्ति को गृहस्वामी की छूट मिल रही है या नहीं। यदि निरसन किसी संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य में वृद्धि करता है, या गृहस्वामी की छूट गलत तरीके से अनुमत की गई है, तो उचित छुटकारा मूल्यांकन या पूरक मूल्यांकन, ब्याज सहित जैसा कि अनुभाग 506 में उपलब्ध कराया गया है, अधिरोपित किया जाएगा। किसी छूटे मूल्यांकन या पूरक मूल्यांकन के लिए सीमा अवधि उस निर्धारण वर्ष के 1 जुलाई तक शुरू नहीं होगी जिसमें निरसन का नोटिस मूल्यांकनकर्ता के कार्यालय को वितरित किया जाता है।

(3) नोटिस के साथ एक शुल्क का भुगतान भी होता है जैसा मूल्यांकनकर्ता आवश्यक कर सकता है, बशर्ते कि शुल्क एक निरसन के दावे के प्रसंस्करण की अनुमानित संसाधन लागत से उचित रूप से संबंधित किसी राशि से अधिक नहीं होगा, जिसमें प्रत्यक्ष लागतें और विकास और अप्रत्यक्ष लागतें दोनों शामिल होंगी, जैसे कि ओवरहेड, व्यक्तिगत, आपूर्ति, सामग्री, कार्यालय स्थान और कंप्यूटर की लागतें।

(j) (1) मूल संपत्तियों के उसी काउंटी में स्थित प्रतिस्थापन आवास में हस्तांतरण के संबंध में, यह अनुभाग, उसके सिवाय जैसा कि परिच्छेद (3) या (4) में प्रदान किया गया है, किसी भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू होगा जो कि 6 नवंबर, 1986 के बाद खरीदा या नवनिर्मित किया गया है।

(2) विभिन्न काउंटियों में स्थित प्रतिस्थापन आवासों में मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के संबंध में, सिवाय उसके जैसा परिच्छेद (4) में दिया गया है, यह अनुभाग ऐसे किसी भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू होगा जो उस तारीख के बाद खरीदा गया है या नवनिर्मित है जो कि उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के उपपरिच्छेद (E) के अनुसरण में उस काउंटी के अध्यादेश में जिसमें प्रतिस्थापन निवास स्थित है, लेकिन 9 नवंबर, 1988 से पहले खरीदे गए या नव निर्मित किसी भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू नहीं होगा।

(3) गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के संबंध में, यह अनुभाग केवल 6 जून, 1990 को या उसके बाद खरीदे गए या नव निर्मित प्रतिस्थापन आवासों पर लागू होगा।

(4) इस परिच्छेद को जोड़ने वाले अधिनियम द्वारा उपखंड (e) में किए गए संशोधन अनुभाग 69 के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं प्रतिस्थापन आवासों पर लागू होंगे जो कि 20 अक्टूबर, 1991 को या उसके बाद अधिग्रहित या नवनिर्मित हैं, और 1991-92 के वित्तीय वर्ष से शुरू होकर लागू होंगे।

(k) (1) उस मामले में जहां एक काउंटी उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के अनुसरण में एक अध्यादेश अपनाती है जो एक लागू तिथि स्थापित करता है जो कि अध्यादेश को अपनाने की तारीख से तीन साल से अधिक पहले की है, वे संभावित दावेदार जिन्होंने अध्यादेश को अपनाने की तारीख से तीन साल पहले प्रतिस्थापन आवास खरीदे या निर्माण किए, और जो, इसलिए, समय पर दावा दाखिल करने से रोक दिए गए हैं, उन्हें समय पर दावा दाखिल किया हुआ माना जाएगा यदि दावा उस अध्यादेश को अपनाए जाने की तारीख के बाद तीन साल के भीतर दाखिल किया गया है। यह परिच्छेद इस अनुभाग की कोई भी अन्य आवश्यकता की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा।

(2) उस मामले में जहां एक काउंटी मूल्यांकनकर्ता 1 जनवरी, 1989, और 1 जनवरी, 2002 के बीच हुए एक निवासी स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क के स्वामित्व में यथानुपात परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए आधार वर्ष मूल्य को सुधारता है, अनुभाग 62.1 के उपखंड (b) के परिच्छेद (4) के अनुसरण में, वे दावेदार जिन्होंने सुधार के तीन साल से अधिक समय पहले प्रतिस्थापन आवास खरीदे या निर्माण किए और जो, इसलिए, समय पर दावा दाखिल करने से रोक दिए गए हैं, उन्हें समय पर दावा दाखिल किया हुआ माना जाएगा यदि दावा स्वामित्व में यथानुपात परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए आधार वर्ष मूल्य को सुधार किए जाने के नोटिस की तारीख के बाद तीन साल के भीतर दाखिल किया गया है। यह परिच्छेद इस अनुभाग की कोई भी अन्य आवश्यकता की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा।

(3) यह उपखंड किसी ऐसे दावेदार पर लागू नहीं होगा जिसने दावा दाखिल करने से पहले अपने प्रतिस्थापन आवास को हस्तांतरित कर दिया है।

(4) इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई, लेकिन इस उपखंड के अंतर्गत दाखिल की गई, संपत्ति कर की राहत, सिर्फ भावी रूप से ही लागू होगी, उस निर्धारण वर्ष की ग्रहणाधिकार तिथि से शुरू होकर जिसमें दावा दाखिल किया गया है। उस तारीख से पहले कोई करों की वापसी या निरस्ती नहीं होगी जिस तारीख को दावा दाखिल किया गया है।

(l) कोई छुटकारा मूल्यांकन नहीं लगाया जाएगा यदि इस अनुभाग के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक समाप्त हो चुके अध्यादेश के द्वारा आधार वर्ष मूल्य को गलत तरीके से हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करने के अनुसरण में आधार वर्ष मूल्य का हस्तांतरण गलती से प्रदान किया गया है।

(m) (1) 2001 के अधिनियम के अध्याय 613 द्वारा इस अनुभाग के उपखंड (b) और (g) में किए गए संशोधन लागू होंगे:

(A) मूल संपत्तियों के आधार वर्ष मूल्य का हस्तांतरण उसी काउंटी में स्थित प्रतिस्थापन आवासों में करने के संबंध में, किसी भी प्रतिस्थापन आवास के लिए जो कि 6 नवंबर, 1986 को या उसके बाद खरीदा या नवनिर्मित किया गया है।

(B) मूल संपत्तियों के आधार वर्ष मूल्य का हस्तांतरण भिन्न काउंटियों में स्थित प्रतिस्थापन आवासों में करने के संबंध में, किसी भी प्रतिस्थापन आवास के लिए जो कि जिस काउंटी में वह प्रतिस्थापन आवास स्थित है उसके अध्यादेश के उपखंड (a) के परिच्छेद (2) के उपपरिच्छेद (E) के अनुसरण में निर्दिष्ट तारीख को या उसके बाद खरीदा या नवनिर्मित किया गया है, लेकिन ऐसे किसी प्रतिस्थापन आवास के लिए नहीं जो 9 नवंबर, 1988 के पहले खरीदा या नवनिर्मित किया गया है।

(C) एक गंभीर या स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के संबंध में, उन प्रतिस्थापन आवासों के लिए जो कि 6 जून, 1990 को या उसके बाद खरीदे या नवनिर्मित किए गए हैं।

(2) इस उपखंड के अनुसरण में इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई, संपत्ति कर की राहत, सिर्फ भावी रूप से ही लागू होगी, उस निर्धारण वर्ष की ग्रहणाधिकार तिथि से शुरू होकर जिसमें दावा दाखिल किया गया है। उस तारीख से पहले कोई करों की वापसी या निरस्ती नहीं होगी जिस तारीख को दावा दाखिल किया गया है।

(n) इस अनुभाग के अंतर्गत दाखिल किया गया एक दावा एक सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं है और वह सार्वजनिक निरीक्षण का विषय नहीं है, सिवाय इसके कि एक दावा दावेदार या दावेदार

के जीवनसाथी, दावेदार या दावेदार के जीवनसाथी के कानूनी प्रतिनिधि, जिसमें दावेदार या दावेदार का जीवनसाथी वर्तमान लाभार्थी हैं उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों, और दावेदार या दावेदार के जीवनसाथी की सम्पदा के समापक या प्रशासक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(o) इस उपखंड को जोड़ने वाले अधिनियम के द्वारा इस अनुभाग में किए गए संशोधन 2012-13 वित्तीय वर्ष की ग्रहणाधिकार तिथि से शुरू होकर लागू होंगे।

(p) यह अनुभाग सिर्फ 1 जुलाई, 2019 तक प्रभावी रहेगा और उस दिनांक के बाद निरस्त है।

अनुभाग 4. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 69.5 को निम्नानुसार पढ़ने के लिए जोड़ा गया है:

69.5. (a) (1) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (a) के अनुसरण में, 55 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति या कोई भी गंभीर रूप से और स्थायी विकलांग व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति में रहता है जो California संविधान के अनुच्छेद XIII के अनुभाग 3 के उपखंड (k) और अनुभाग 218 के तहत गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है, इस अनुभाग में प्रदान की गई शर्तों और सीमाओं के अधीन, छूट के लिए हकदार संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को प्रतिस्थापन आवास के मूल्य और उसके समान काउंटी में स्थित होने की परवाह किए बगैर किसी भी प्रतिस्थापन आवास और उस व्यक्ति द्वारा मूल संपत्ति की बिक्री के दो वर्षों के भीतर उसके मुख्य निवास के रूप में खरीदे गए या नव निर्मित आवास के लिए हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते कि मूल संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य मूल संपत्ति के बेचे जाने तक प्रतिस्थापन आवास में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(2) एक प्रतिस्थापन आवास के आधार वर्ष मूल्य की गणना के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित लागू होंगे:

(A) किसी भी अधिक मूल्य के प्रतिस्थापन आवास और अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के लिए मूल संपत्ति की बिक्री के दो साल के भीतर पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदे गए या नव निर्मित के लिए, प्रतिस्थापन आवास के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य और प्रतिस्थापन आवास के संपूर्ण नगद मूल्य के बीच के अंतर को मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य में जोड़कर की जाएगी।

(B) अपनी मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के लिए मूल संपत्ति की बिक्री के दो साल के भीतर पात्र व्यक्ति द्वारा खरीदे गए या नव निर्मित किसी भी बराबर या कम मूल्य के प्रतिस्थापन आवास के लिए, प्रतिस्थापन आवास के आधार वर्ष मूल्य की गणना मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को मूल संपत्ति के संपूर्ण नगद मूल्य से भाग देकर, और परिणाम को

प्रतिस्थापन आवास के संपूर्ण नगद मूल्य से गुणा करके की जाएगी।

(b) उपखंड (a) की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध संपत्ति कर की राहत का हकदार कोई भी व्यक्ति उस राहत के लिए तभी पात्र होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी:

(1) वह व्यक्ति मूल संपत्ति का एक स्वामी और एक निवासी है या तो उसकी बिक्री के समय, या उस समय जब मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई थी, या प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण के दो साल के भीतर।

(2) मूल संपत्ति गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है, व्यक्ति के संपत्ति के अपने मुख्य आवास के रूप में स्वामित्व और अधिभोग किए जाने के परिणाम के रूप में, या तो उसकी बिक्री के समय, या उस समय जब मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई थी, या प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण के दो साल के भीतर।

(3) मूल संपत्ति की बिक्री के समय, वह व्यक्ति या उसका जीवनसाथी जो कि व्यक्ति के साथ रहता है वह कम से कम 55 वर्ष की उम्र का है, या वह गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग है।

(4) उपखंड (a) द्वारा उपलब्ध संपत्ति कर की राहत के लिए दाखिल करते समय, व्यक्ति एक प्रतिस्थापन आवास का स्वामी है और उसे अपने निवास के मुख्य स्थान के रूप में अधिभोग करता है और, उसके परिणामस्वरूप, संपत्ति वर्तमान में गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र है या छूट के लिए पात्र होगी सिवाय तब के जब संपत्ति पूर्वस्वामी द्वारा छूट दाखिल किए जाने के कारण पहले ही छूट प्राप्त कर रही है।

(5) व्यक्ति की मूल संपत्ति उसके द्वारा प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण के दो साल के भीतर बेच दी गई है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण में शामिल है भूमि के उस हिस्से की खरीद जिस पर प्रतिस्थापन इमारत, संरचना, या व्यक्ति के निवास स्थान बनने वाला अन्य आश्रय स्थित रहेंगे और वह, उपखंड (g) के परिच्छेद (3) के अनुसरण में, प्रतिस्थापन आवास का एक हिस्सा बनता है।

(c) (1) इस अनुभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली संपत्ति कर की छूट तभी उपलब्ध होगी जब व्यक्ति की मूल संपत्ति या प्रतिस्थापन आवास, या दोनों, शामिल होते हैं, लेकिन यह निम्नलिखित में किसी एक तक सीमित नहीं है:

(A) एक सहकारी गृह निगम, एक सामुदायिक अपार्टमेंट परियोजना, एक कंडोमिनियम परियोजना, या किसी

योजनाबद्ध यूनिट विकास के भीतर एक यूनिट या लॉट। यदि यूनिट या लॉट व्यक्ति की मूल संपत्ति निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता सिर्फ व्यक्ति की यूनिट या लॉट के आधार वर्ष मूल्य को व्यक्ति के प्रतिस्थापन आवास में हस्तांतरित करेगा और किसी साझा क्षेत्र में उसका हिस्सा उस यूनिट या लॉट के एक संपत्ति स्वामी के रूप में आरक्षित होगा। यदि यूनिट या लॉट व्यक्ति का प्रतिस्थापन आवास निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता सिर्फ व्यक्ति की यूनिट या लॉट में व्यक्ति की मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को हस्तांतरित करेगा और किसी भी साझा क्षेत्र में व्यक्ति का कोई भी हिस्सा उस यूनिट या लॉट के एक संपत्ति स्वामी के रूप में आरक्षित होगा।

(B) एक विनिर्मित घर या एक विनिर्मित घर और व्यक्ति के स्वामित्व की कोई भूमि जिस पर विनिर्मित घर स्थित है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि" में एक निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क में यथानुपात हित शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभाग 62.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में किया जाता है।

(i) यदि एक विनिर्मित घर या एक विनिर्मित घर और व्यक्ति के स्वामित्व की कोई भूमि जिस पर विनिर्मित घर स्थित है, व्यक्ति की मूल संपत्ति निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति के प्रतिस्थापन आवास में या तो विनिर्मित घर का आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित करेगा या विनिर्मित घर और जिस भूमि पर वह स्थित है उसका आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित करेगा, जैसा भी उचित हो। यदि विनिर्मित घर आवास जो कि व्यक्ति की मूल संपत्ति निर्मित करता है उसमें निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइलहोम पार्क का एक हित शामिल है, तो मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति के प्रतिस्थापन आवास में व्यक्ति के विनिर्मित घर और पार्क की वास्तविक संपत्ति में उसके यथानुपात हित के आधार वर्ष मूल्य को हस्तांतरित करेगा। मूल्यांकनकर्ता द्वारा भूमि के उस हिस्से के आधार वर्ष मूल्य का कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा जो मूल संपत्ति का हिस्सा निर्मित नहीं करता है, जैसा कि उपखंड (g) के परिच्छेद (4) में प्रावधान किया गया है।

(ii) यदि एक विनिर्मित घर या एक विनिर्मित घर और दावेदार के स्वामित्व की कोई भूमि जिस पर विनिर्मित घर स्थित है, दावेदार का प्रतिस्थापन आवास निर्मित करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता दावेदार की मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को या तो विनिर्मित घर में या विनिर्मित घर और जिस भूमि पर वह स्थित है उसमें हस्तांतरित करेगा, जैसा भी उचित हो। यदि विनिर्मित घर आवास जो कि दावेदार की मूल संपत्ति निर्मित करता है उसमें निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइलहोम पार्क का एक हित शामिल है, तो मूल्यांकनकर्ता दावेदार की मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य को दावेदार के विनिर्मित घर और पार्क की वास्तविक संपत्ति में उसके यथानुपात हित में हस्तांतरित करेगा। मूल्यांकनकर्ता द्वारा भूमि के उस हिस्से में

आधार वर्ष मूल्य का कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा जो प्रतिस्थापन आवास का हिस्सा निर्मित नहीं करता है, जैसा कि उपखंड (g) के परिच्छेद (3) में प्रावधान किया गया है।

(2) यह उपखंड, उपखंड (d) में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन होगा।

(d) इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई संपत्ति कर की राहत उस व्यक्ति को उपलब्ध होगी जो कि मूल संपत्ति का सह-स्वामी है, एक संयुक्त किराएदार के रूप में, एक सामूहिक किराएदार, एक सामुदायिक संपत्ति स्वामी, या एक ट्रस्ट का वर्तमान लाभार्थी है, जो कि निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगी:

(1) यदि सभी सह-स्वामियों द्वारा एक एकल प्रतिस्थापन आवास खरीदा या नवनिर्मित किया गया है और प्रत्येक सह-स्वामी प्रतिस्थापन आवास में एक हित बनाए रखता है, तो आधार वर्ष मूल्य का हस्तांतरण दाखिल करने वाला व्यक्ति इस अनुभाग के अंतर्गत पात्र होगा चाहे बाकी कोई या सभी सह-स्वामी अन्यथा पात्र व्यक्ति हों या नहीं।

(2) यदि दो या अधिक प्रतिस्थापन आवास दो या अधिक सह-स्वामियों द्वारा अलग-अलग खरीदे या नवनिर्मित किए गए हैं और इस अनुभाग के अनुसरण में एक से अधिक सह-स्वामी अन्यथा आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरण करने के पात्र होते हैं, तो मूल संपत्ति में उनके स्वामित्व हित के अनुपात में सभी सह-स्वामियों के पास किसी भी प्रतिस्थापित आवास में हस्तांतरित मूल संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य होगा।

(3) यदि दो या अधिक प्रतिस्थापन आवास दो या अधिक सह-स्वामियों द्वारा अलग-अलग खरीदे या नवनिर्मित किए जाते हैं जो मूल संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति के रूप में रखते हैं, तो सिर्फ वह सह-स्वामी जिसने 55 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है, या गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग है, इस अनुभाग के अंतर्गत पात्र होगा। यदि दोनों जीवनसाथी 55 वर्ष की उम्र से अधिक हैं, तो किसी प्रतिस्थापित आवास में मूल संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य मूल संपत्ति में उनके स्वामित्व हित के अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा।

(4) उन सह-स्वामियों के मामले में जिनकी मूल संपत्ति एक बहु-यूनिट आवास है, परिच्छेद (2) और (3) द्वारा अधिरोपित की गई सीमाएं सिर्फ उन्हीं सह-स्वामियों पर लागू होंगी जो मूल संपत्ति के भीतर उसी आवासीय यूनिट का अधिभोग करते हैं जो उस समय उपखंड (b) के परिच्छेद (2) में निर्दिष्ट की गई है।

(e) मूल संपत्ति की बिक्री पर, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (a) के और अनुभाग 110.1 अनुसार, मूल्यांकनकर्ता उस संपत्ति के लिए एक नया आधार वर्ष मूल्य निर्धारित करेगा, चाहे पूर्व स्वामी या मूल संपत्ति के स्वामियों द्वारा कोई प्रतिस्थापन आवास बाद में खरीदा या नवनिर्मित किया गया है या नहीं। यह अनुभाग तब

तक लागू नहीं होगा जब तक कि मूल संपत्ति का हस्तांतरण एक स्वामित्व में परिवर्तन है जो कि या तो (1) अनुभाग 110.1 या 5803 के अनुसरण में उस संपत्ति को उसके वर्तमान उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन के विषयाधीन करता है या (2) इस अनुभाग, अनुभाग 69, या अनुभाग 69.3 के अनुसरण में एक आधार वर्ष मूल्य निर्धारण में परिणामित होता है क्योंकि संपत्ति इस अनुभाग, अनुभाग 69, या अनुभाग 69.3 के अंतर्गत एक प्रतिस्थापन आवास या संपत्ति के रूप में पात्रता हासिल करती है।

(f) (1) एक व्यक्ति जो इस अनुभाग द्वारा उपलब्ध संपत्ति कर राहत के लिए पात्र है, वह मूल्यांकनकर्ता को, एक फॉर्म पर जो राज्य समानता बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा और जिसे मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रतिस्थापन आवास की खरीद पर उपलब्ध कराया जाएगा, उस समय जिसमें प्रतिस्थापन आवास सामान्य रूप से अपने वर्तमान उचित बाजार मूल्य पर पुनः मूल्यांकन के अधीन होगा, निम्नलिखित जानकारीयां उपलब्ध कराएगा:

(A) प्रत्येक व्यक्ति का नाम और सामाजिक सुरक्षा नंबर जो कि संपत्ति पर निवास करता है और जो गृह स्वामी की छूट के लिए पात्र है।

(B) साक्ष्य कि व्यक्ति या व्यक्ति का जीवनसाथी जो कि मूल संपत्ति में व्यक्ति के साथ निवास करता है, उसकी बिक्री के समय, कम से कम 55 वर्ष की उम्र का, या गंभीर और स्थायी विकलांग था। गंभीर और स्थायी विकलांगता के साक्ष्य एक प्रमाणपत्र माने जाएंगे, जो कि उचित विशेषज्ञता वाले एक लाइसेंसधारी फिजीशियन एवं सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिसमें दावेदार की गंभीरता और स्थायी विकलांगता स्थिति को सत्यापित किया गया हो। उन साक्ष्यों की अनुपस्थिति में कि एक व्यक्ति 55 वर्ष से अधिक उम्र का है, व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य के दंड के अंतर्गत प्रमाणित करेगा कि उम्र की आवश्यकता पूरी हुई है। एक गंभीर और स्थायी विकलांग व्यक्ति के मामले में निम्नलिखित में से कोई भी जमा किए जाएंगे:

(i) उचित विशेषज्ञता वाले एक लाइसेंसधारी फिजीशियन एवं सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र, जिसमें विशिष्ट कारण निर्दिष्ट किया गया हो कि क्यों विकलांगता एक प्रतिस्थापन आवास में जाने और विकलांगता संबंधी ज़रूरतों को आवश्यक बनाती है, जिसमें एक प्रतिस्थापन आवास की कोई स्थान संबंधी आवश्यकता शामिल है। व्यक्ति यह प्रमाणित करेगा कि प्रतिस्थापन आवास पहचानी गई विकलांगता-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह कि प्रतिस्थापन आवास में जाने का प्राथमिक कारण उन आवश्यकताओं की संतुष्टि है। यदि व्यक्ति, या उसका या उसकी जीवनसाथी या अभिभावक, ऐसा मिथ्या साक्ष्य के दंड के अंतर्गत घोषित करते हैं, तो यह खंडनीय माना जाएगा कि प्रतिस्थापन आवास

में जाने का प्राथमिक उद्देश्य पहचानी गई विकलांगता-संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि है।

(ii) व्यक्ति का प्रमाण कि प्रतिस्थापन आवास में जाने का प्राथमिक उद्देश्य विकलांगता के कारण हुए वित्तीय बोझ को कम करना है। यदि व्यक्ति, या उसका या उसकी जीवनसाथी या अभिभावक, ऐसा मिथ्या साक्ष्य के दंड के अंतर्गत घोषित करते हैं, तो यह खंडनीय माना जाएगा कि प्रतिस्थापन आवास में जाने का प्राथमिक उद्देश्य विकलांगता के कारण हुए वित्तीय बोझ को कम करना है।

(C) पता और, यदि जानकारी हो, तो मूल्यांकनकर्ता का मूल संपत्ति का पार्सल नंबर।

(D) व्यक्ति की मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख और व्यक्ति की प्रतिस्थापन आवास की खरीद या नवनिर्माण की तारीख।

(E) व्यक्ति द्वारा एक कथन कि वह अपने दावे को दाखिल करने की तारीख पर प्रतिस्थापन आवास का अपने मुख्य निवास स्थान के रूप में अधिभोग कर रहा है।

(2) इस उपखंड द्वारा आवश्यक फॉर्म प्रतिस्थापन आवास की खरीद या प्रतिस्थापन आवास के नवनिर्माण के पूरा होने के तीन सालों के भीतर दाखिल किया जा सकेगा। इस परिच्छेद में पहले से तय अवधि की समाप्ति के बाद दाखिल किया गया कोई भी फॉर्म, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तों के अधीन मान्य किया जाएगा:

(A) उस दाखिले के अनुसरण में प्रदत्त कोई भी आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरण उस निर्धारण वर्ष की ग्रहणाधिकार तिथि से शुरू होगा जिसमें फॉर्म भरा गया गया है।

(B) उपपरिच्छेद (A) में वर्णित निर्धारण वर्ष में प्रतिस्थापन संपत्ति का संपूर्ण नगद मूल्य उस निर्धारण वर्ष में वास्तविक संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य होगा जिसमें आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित किया गया था, निम्नलिखित दोनों के लिए उपपरिच्छेद (A) में वर्णित निर्धारण वर्ष के लिए घटक:

(i) मुद्रास्फीति जैसा कि अनुभाग 51 के उपखंड (a) के परिच्छेद (1) के अनुसरण में वार्षिक रूप में निर्धारित है।

(ii) कोई भी बाद का नया निर्माण जो कि विषयक वास्तविक संपत्ति के संबंध में हो रहा है जो कि उपखंड (h) के परिच्छेद (4) में तय किए गए मानदंड के अनुसरण में संपत्ति कर राहत के लिए पात्रता प्राप्त नहीं करता है।

(g) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(1) "55 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति" का अर्थ कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का जीवनसाथी है जिसने मूल संपत्ति की बिक्री के समय 55 वर्ष या उससे अधिक की उम्र प्राप्त कर ली है।

(2) (A) "मूल संपत्ति के लिए आधार वर्ष मूल्य" का अर्थ उसका आधार वर्ष मूल्य है, जैसा कि अनुभाग 110.1 के अनुसरण में निर्धारित किया गया है, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (b) और अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत समायोजनों के साथ, जिसे दावेदार द्वारा बेची गई मूल संपत्ति की तारीख के तुरंत पूर्व की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है, या उस मामले में जहां मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है और स्वामी ने मूल संपत्ति पर उस तारीख तक पुनर्निर्माण नहीं किया है, जो दुर्भाग्य या आपदा के तुरंत पूर्व की तारीख के रूप में निर्धारित की गई है।

(B) यदि प्रतिस्थापन आवास मूल संपत्ति के हस्तांतरण के बाद खरीदा या नवनिर्मित किया गया है, तो "मूल संपत्ति का आधार वर्ष मूल्य", मूल संपत्ति की बिक्री के बाद की अवधि के लिए अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत किन्हीं भी मुद्रास्फीति कारक समायोजनों को भी शामिल करेगा। आधार वर्ष या "मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य" की गणना करने के लिए उपयोग किये गए वर्ष, किसी भी संपत्ति के आधार वर्ष या उन वर्षों के रूप में माने जाएंगे जिनमें इस अनुभाग के अनुसरण में आधार वर्ष मूल्य हस्तांतरित हुआ है।

(3) "प्रतिस्थापन संपत्ति" का अर्थ है, निवास की जगह निर्मित करने वाली कोई इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय, चाहे वास्तविक संपत्ति या निजी संपत्ति, जिसका स्वामित्व और अधिभोग व्यक्ति द्वारा अपने मुख्य आवास के रूप में किया जा रहा है, और व्यक्ति के स्वामित्व वाली कोई भी भूमि जिस पर इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय स्थित है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, एक प्रतिस्थापन आवास का एक भाग निर्मित करने वाली भूमि में सिर्फ उसी उचित आकार का क्षेत्र शामिल होता है जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, और "व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि" में वह भूमि शामिल होती है जिसके लिए व्यक्ति या तो अनुभाग 61 के उपखंड (c) में वर्णित पट्टे के अधिकार में हित या एक भूमि खरीद अनुबंध रखता है। एक बहुयूनिट आवास की प्रत्येक यूनिट को एक अलग प्रतिस्थापन आवास के रूप में माना जाएगा। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए "उचित आकार का क्षेत्र जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग होता है" उसमें सभी भूमि शामिल होती है यदि संपत्ति के कोई भी गैर आवासीय उपयोग संपत्ति के एक आवासीय स्थल के रूप में उपयोग के लिए सिर्फ आकस्मिक हैं। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि" में एक निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क में एक स्वामित्व हित शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभाग 62.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में किया जाता है।

(4) "मूल संपत्ति" का अर्थ है, निवास की जगह निर्मित करने वाली कोई इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय, चाहे वास्तविक संपत्ति या निजी संपत्ति, जिसका स्वामित्व और अधिभोग व्यक्ति द्वारा अपने प्रधान आवास के रूप में किया जा रहा है, और व्यक्ति के स्वामित्व वाली कोई भी भूमि जिस पर इमारत, संरचना, या अन्य आश्रय स्थित है। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, मूल संपत्ति का एक भाग निर्मित करने वाली भूमि में सिर्फ उसी उचित आकार का क्षेत्र शामिल होता है जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, और "व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि" में वह भूमि शामिल होती है जिसके लिए व्यक्ति या तो अनुभाग 61 के उपखंड (c) में वर्णित पट्टे के अधिकार में हित या एक भूमि खरीद अनुबंध रखता है। एक बहुयूनिट आवास की प्रत्येक यूनिट को एक अलग मूल संपत्ति के रूप में माना जाएगा। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए "उचित आकार का क्षेत्र जो कि निवास के स्थल के रूप में उपयोग होता है" उसमें सभी भूमि शामिल होती है यदि संपत्ति के कोई भी गैर आवासीय उपयोग संपत्ति के एक आवासीय स्थल के रूप में उपयोग के लिए सिर्फ आकस्मिक हैं। इस परिच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि" में एक निवासी-स्वामित्व वाले मोबाइल होम पार्क में एक स्वामित्व हित शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभाग 62.1 के उपखंड (b) के अनुसरण में किया जाता है।

(5) "प्रतिस्थापन आवास का संपूर्ण नगद मूल्य" का अर्थ उसका संपूर्ण नगद मूल्य है, जो अनुभाग 110.1 के अनुसरण में निर्धारित किया गया है, उस तारीख के रूप में जिस पर खरीद या नवनिर्माण पूरा हुआ था, और खरीद या नवनिर्माण के पूरा होने के बाद।

(6) "मूल संपत्ति का संपूर्ण नगद मूल्य" का अर्थ है, या तो:

(A) उसका नया आधार वर्ष मूल्य, उपखंड (e) के अनुसरण में निर्धारित किया गया, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (h) को बगैर लागू किए, साथ ही XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (b) और अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत समायोजनों, व्यक्ति द्वारा उसकी बिक्री की तारीख से लेकर उस अवधि तक जिस तारीख को प्रतिस्थापन संपत्ति खरीदी गई थी या नवनिर्माण पूरा हुआ था।

(B) उस मामले में जहां मूल संपत्ति दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई है और स्वामी ने उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया है, उसका संपूर्ण नगद मूल्य, जैसा कि अनुभाग 110 के अनुसरण में निर्धारित है, उसके दुर्भाग्य या आपदा द्वारा काफी हद तक क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के तुरंत पहले, जैसा कि उस काउंटी के काउंटी मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें संपत्ति स्थित है, California संविधान के अनुच्छेद XIII A के अनुभाग 2 के

उपखंड (h) को बगैर लागू किए, साथ ही XIII A के अनुभाग 2 के उपखंड (b) और अनुभाग 110.1 के उपखंड (f) द्वारा अनुमत समायोजनों, व्यक्ति द्वारा उसकी बिक्री की तारीख से लेकर उस अवधि तक जिस तारीख को प्रतिस्थापन संपत्ति खरीदी गई थी या नवनिर्माण पूरा हुआ था।

(7) "बिक्री" का अर्थ विचार के लिए मूल संपत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन है।

(8) "व्यक्ति" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है, लेकिन कोई फर्म, साझेदारी, संघ, निगम, कंपनी, या अन्य किसी भी तरह की कानूनी यूनिट या संगठन को शामिल नहीं करता, जो कि इस अनुभाग में प्रदान की गई संपत्ति कर की राहत के लिए दाखिल करता है। "व्यक्ति" में एक व्यक्ति शामिल है जो कि किसी ट्रस्ट का वर्तमान लाभार्थी है।

(9) "गृहस्वामी की छूट के लिए पात्र संपत्ति" में वह संपत्ति शामिल है जो कि उसके स्वामी के निवास का मुख्य स्थान है और अनुभाग 205.5 के अनुसरण में छूट की पात्र है।

(10) संपत्ति "काफी हद तक दुर्भाग्य या आपदा द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट" है, यदि भूमि या सुधार भौतिक नुकसान को या तो भूमि के या सुधार के दुर्भाग्य या आपदा के तुरंत पहले के संपूर्ण नगद मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक बनाए रखते हैं। क्षति में संपत्ति में प्रतिबंधित पहुंच के परिणामस्वरूप संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी शामिल है जहां पर प्रतिबंधित पहुंच दुर्भाग्य या आपदा द्वारा उत्पन्न की गई थी और स्थायी प्रकृति की है।

(h) (1) फॉर्म को समय पर दाखिल करने पर, जैसा कि उपखंड (f) में वर्णित है, मूल्यांकनकर्ता इस अनुभाग के अनुरूप प्रतिस्थापन निवास के नए आधार वर्ष मूल्य को समायोजित करेगा। यह समायोजन निम्नलिखित तारीखों के लिए नए के रूप में बनेगा:

(A) मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख।

(B) प्रतिस्थापन आवास को खरीदने की तारीख।

(C) प्रतिस्थापन संपत्ति का नवनिर्माण पूरा होने की तारीख।

(2) प्रतिस्थापन आवास के नए आधार वर्ष मूल्य के आधार पर इस अनुभाग के अनुसरण में संपत्ति कर की राहत दाखिल करने से पहले प्रतिस्थापन आवास पर लगाए गए कोई भी कर, और उसके लिए कोई भी अनुमति योग्य वार्षिक समायोजन, निरस्त या व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा, उस सीमा तक कि कर उस राशि से अधिक है जो उस समय देय होगी जब समायोजित नए आधार वर्ष मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(3) अनुभाग 75.10 के बावजूद, अध्याय 3.5 (जो अनुभाग 75 के साथ शुरू होता है) का उपयोग इस उपखंड को लागू करने के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें मूल संपत्ति

की बिक्री से पहले अधिग्रहित प्रतिस्थापन आवास के नए आधार वर्ष मूल्य के समायोजन शामिल हैं।

(4) उस मामले में जहां इस अनुभाग के तहत फॉर्म समय पर दाखिल किया गया है, और आधार वर्ष मूल्य के हस्तांतरण के बाद प्रतिस्थापन आवास पर नवनिर्माण किया गया है, तो इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई संपत्ति कर की राहत भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू होगी, जैसे सुधार हुआ है, और इसलिए नवनिर्माण के पूरा होने पर कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा यदि नवनिर्माण मूल संपत्ति की बिक्री की तारीख से दो साल के भीतर हुआ है और स्वामी ने नवनिर्माण के पूरा होने के छह महीने के भीतर मूल्यांकनकर्ता को लिखित में निर्माण पूरा होने की सूचना दी है।

(i) मूल संपत्ति के आधार वर्ष मूल्य का हस्तांतरण प्रतिस्थापन आवास में करने के संबंध में, यह अनुभाग किसी भी प्रतिस्थापन आवास पर लागू होगा जो कि 1 जनवरी, 2019 को या उसके बाद खरीदा या नवनिर्मित किया गया है।

(j) इस अनुभाग के अंतर्गत दाखिल किया गया एक फॉर्म कोई सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं है और वह सार्वजनिक निरीक्षण का विषय नहीं है, सिवाय इसके कि फॉर्म व्यक्ति या उसके जीवनसाथी, व्यक्ति या उसके जीवनसाथी के कानूनी प्रतिनिधि, जिसमें व्यक्ति या उसका जीवनसाथी वर्तमान लाभार्थी हैं उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों, और व्यक्ति या उसके जीवनसाथी की संपदा के समापक या प्रशासक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(k) यह अनुभाग 1 जनवरी, 2019 को प्रभावी हो जाएगा।

अनुभाग 5. इस विधेयक के सांविधिक प्रावधानों को विधान मंडल के प्रत्येक सदन के सदस्यों के दो-तिहाई मतों और राज्यपाल के हस्ताक्षर द्वारा संशोधित किया जा सकता है जब तक कि संशोधन इस अधिनियम की भावना के अनुरूप और उसे आगे बढ़ाने के लिए हैं।

अनुभाग 6. इस अधिनियम के प्रावधान अलग किए जा सकने योग्य हैं। यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान या इसका विनियोग अवैध पाया जाता है, तो वह अवैधता अन्य प्रावधानों या विनियोगों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अवैध प्रावधानों या विनियोग के बिना लागू किया जा सकता है।

प्रस्ताव 6

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद 11 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक California के संविधान में एक अनुभाग को जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. निष्कर्षों और उद्देश्यों का बयान।

(a) गैसोलीन और कार स्वामित्व पर California के कर देश में सबसे अधिक करों में से हैं।

(b) इन करों को लोगों की सहमति के बिना बढ़ाया गया है।

(c) इसलिए, लोग इसके द्वारा 2017 के अधिनियमों के अध्याय 5 द्वारा अधिनियमित गैस और कार कर में हालिया वृद्धि के लिए और गैस और कार कर में भविष्य में किसी बढ़ोतरी के लिए मतदाता अनुमोदन के लिए संविधान में संशोधन करते हैं।

अनुभाग 2. गैस और कार कर में वृद्धि के लिए मतदाता स्वीकृति।

अनुभाग 2.1. California के संविधान के अनुभाग 3.5 के अनुच्छेद XIII A को निम्नानुसार पढ़ने के लिए जोड़ा गया है:

अनुभाग 3.5. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, विधान मंडल मोटर वाहन गैसोलीन या डीजल ईंधन की बिक्री, भंडारण, उपयोग या खपत पर, या सार्वजनिक राजमार्गों या वाहन या ट्रेलर कोच को चलाने पर California के निवासी के विशेषाधिकार पर किसी भी कर को लागू नहीं करेगा, वृद्धि करेगा या बढ़ाएगा, जैसा कि धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जब तक कि प्रस्तावित कर मतदाताओं के पास सबमिट नहीं किया जाता और बहुमत से अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(b) यह अनुभाग मोटर वाहन के गैसोलीन या डीजल ईंधन के करों पर लागू नहीं होता है, या 1 जनवरी, 2017 को लागू दरों पर वाहन या ट्रेलर कोच चलाने के विशेषाधिकार पर लागू नहीं होता है। 1 जनवरी, 2017 के बाद लगाए गए करों की दर में कोई वृद्धि, तब तक नहीं लगाई जाएगी, जब तक कि इस अनुभाग द्वारा आवश्यक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित न की जाए।

प्रस्ताव 7

2017-2018 के नियमित सत्र (अध्याय 60, 2018 के अधिनियम) के विधानसभा विधेयक 807 द्वारा प्रस्तावित कानून California के संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुभाग 10 के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून सरकारी संहिता में एक अनुभाग जोड़ता है और डेलाइट सेविंग टाइम कानून के अनुभागों को निरस्त करता है; इसलिए, हटाए जाने वाले प्रस्तावित प्रावधान स्ट्राइकआउट सट्टि में मुद्रित किए गए हैं और जोड़े जाने वाले नए प्रावधान यह दर्शाने के लिए, कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में मुद्रित किए गए हैं।

5

6

7

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. यदि संघीय कानून राज्य को डेलाइट सेविंग टाइम को वर्ष भर लागू करने के लिए अधिकृत कर देता है और विधान मंडल इस आवेदन को अपनाने पर विचार करता है, तो California और अन्य राज्यों और California और Mexico की सीमाओं पर रहने वाले समुदायों पर साल भर के डेलाइट सेविंग टाइम के संभावित प्रभावों पर विचार करने के लिए विधान मंडल को प्रोत्साहित करना इस अधिनियम का उद्देश्य है।

अनुभाग 2. अनुभाग 6808 निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए सरकारी संहिता में जोड़ा गया है:

6808. (a) राज्य के भीतर मानक समय संघीय कानून द्वारा निर्दिष्ट पांचवीं ज़ोन उतना है जितना कि प्रशांत मानक समय है (15 U.S.C. अनुभाग 261 और 263)।

(b) राज्य के भीतर मानक समय डेलाइट सेविंग टाइम अवधि के दौरान एक घंटे तक आगे बढ़ेगा जो प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे रविवार को सुबह 2 बजे से शुरू होगा और प्रत्येक वर्ष नवंबर के पहले रविवार को सुबह 2 बजे पर समाप्त होगा।

(c) उपखंड (b) के बावजूद, विधान मंडल, संघीय कानून के साथ संगतता में, डेलाइट सेविंग टाइम की तारीखें और समय बदलने के लिए इस अनुभाग को दो तिहाई वोटों के साथ संशोधित कर सकता है, और, यदि संघीय कानून राज्य को डेलाइट सेविंग टाइम को साल भर लागू करने के लिए अधिकृत करता है, तो विधान मंडल इस अनुभाग को दो तिहाई वोटों के साथ संशोधन कर सकता है।

अनुभाग 3. डेलाइट सेविंग टाइम अधिनियम के अनुभाग 1 को रद्द कर दिया गया है।

अनुभाग 1. इस अधिनियम को डेलाइट सेविंग टाइम अधिनियम के नाम से जाना जाएगा और इस रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 4. डेलाइट सेविंग टाइम अधिनियम के अनुभाग 2 को रद्द कर दिया गया है।

अनुभाग 2. राज्य के भीतर मानक समय, इसमें प्रदान किए गये के अलावा, उतना है जितना ग्रीनविच से पश्चिम में एक सौ और बीसवीं (120वीं) डिग्री देशान्तर है और जिसे अब कांग्रेस के अधिनियम द्वारा "संयुक्त राज्य मानक मानक प्रशांत समय" के रूप में वर्णित और नामित किया गया है।

अनुभाग 5. डेलाइट सेविंग टाइम अधिनियम के अनुभाग 3 को रद्द कर दिया गया है।

अनुभाग 3. अप्रैल के आखिरी रविवार को 1 बजे एंटीमेरिडियन से अक्टूबर के आखिरी रविवार को 2 बजे एंटीमेरिडियन तक, इस राज्य में इस समय स्थापित मानक

समय उस मानक समय से एक घंटे आगे होगा जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका के मानक पैसिफिक समय के रूप में जाना जाता है।

अनुभाग 6. डेलाइट सेविंग टाइम अधिनियम के अनुभाग 4 को रद्द कर दिया गया है।

अनुभाग 4. इस राज्य, या किसी भी काउंटी, शहर और काउंटी, शहर, उसके शहर या ज़िले से संबंधित किसी भी अधिकारी या विभाग द्वारा, किसी भी अधिनियम के प्रदर्शन से संबंधित सभी कानूनों, विधियों, आदेशों, आज्ञाप्तियों, नियमों और विनियमों में या उससे संबंधित वह समय जिसमें कोई भी अधिकार अर्जित करेगा या निर्धारित करेगा, या जिसके भीतर कोई भी अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वह राज्य के अधिकार क्षेत्र में होगा, और सभी सार्वजनिक विद्यालय और इस राज्य के अन्य सभी संस्थानों में, या राज्य के अधिकार क्षेत्र या काउंटी, शहर और काउंटी, शहर, उसके शहर या जिला, और इस राज्य में किए गए कार्यों में किए गए सभी अनुबंधों या चुनौतियों में, समय इस अधिनियम में निर्धारित किये गये के अनुसरण में होगा और इसे इसी तरह समझा जाएगा और ऐसा ही अभीष्ट होगा।

अनुभाग 7. डेलाइट सेविंग टाइम अधिनियम के अनुभाग 5 को रद्द कर दिया गया है।

अनुभाग 5. इसके विरुद्ध होने वाले सभी अधिनियमों को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव 8

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद 11 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. नाम

इस अधिनियम को "डायलिसिस के लिए उचित मूल्य निर्धारण अधिनियम (Fair Pricing for Dialysis Act)" के नाम से जाना जाएगा।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और उद्देश्य।

California राज्य के लोगों द्वारा अपनाया गया यह अधिनियम, निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है और निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है:

(a) लोग निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

(1) किडनी डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहां रक्त में से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को साफ किया जाता है, आमतौर पर रोगी के शरीर के बाहर की मशीन के माध्यम से, और फिर रोगी के शरीर में लौटा दिया जाता है। यदि डायलिसिस की आवश्यकता वाले किसी व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्राप्त नहीं होती है, तो शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है।

(2) California में, लगभग 66,000 California निवासी डायलिसिस का उपचार करवाते हैं।

(3) California में केवल दो बहुराष्ट्रीय, लाभकारी निगम लगभग तीन-चौथाई डायलिसिस क्लीनिक संचालित या प्रबंधित करते हैं और California में लगभग 70 प्रतिशत डायलिसिस रोगियों का इलाज करते हैं। ये दो बहुराष्ट्रीय निगम अकेले California में सालाना लगभग 400 मिलियन डॉलर सहित अपने डायलिसिस परिचालनों से अरबों डॉलर कमाते हैं।

(4) चूंकि संघीय कानून अनिवार्य बनाता है कि निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियां डायलिसिस के लिए पेशकश करें और भुगतान करें, इसलिए निजी बीमा कंपनियों के पास अपने ग्राहकों की तरफ से दो बहुराष्ट्रीय डायलिसिस निगमों के साथ सौदा करने की क्षमता बहुत कम होती है।

(5) इसलिए, लाभकारी डायलिसिस निगम निजी स्वास्थ्य बीमा वाले रोगियों पर चार गुना अधिक शुल्क लगाते हैं जितना कि वे उसी डायलिसिस उपचार के लिए Medicare से चार्ज करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी मुनाफा होता है।

(6) केवल दो बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभुत्व वाले बाजार में, California को यह सुनिश्चित करना होगा कि डायलिसिस का मूल्य उचित प्रकार से तय किया गया है और वह किफ़ायती है।

(7) अन्य राज्यों ने इन दो बहुराष्ट्रीय निगमों से इन बहुत कमजोर मरीजों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं।

(8) California में किडनी डायलिसिस वाले रोगियों के लिए सुरक्षा करने के लिए लागू किये जाने वाले प्रयासों को इन डायलिसिस निगमों द्वारा Sacramento में लाजवाब कर दिया गया, जिन्होंने सिर्फ 2017 के पहले छह महीनों में ही California विधान मंडल को प्रभावित करने के लिए \$600,000 डॉलर से अधिक खर्च किए थे।

(b) उद्देश्य:

(1) यह सुनिश्चित करना इस अधिनियम का उद्देश्य है कि बाह्य रोगी किडनी डायलिसिस क्लीनिक अंत चरण गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों को गुणवत्ता भरी और किफ़ायती रोगी देखभाल प्रदान करते हैं।

(2) इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए बजट का तटस्थ होना है।

अनुभाग 3. अनुभाग 1226.7 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1226.7. (a) दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिकों द्वारा रोगी देखभाल के लिए शुल्क पर उचित सीमाएं; निष्पक्ष उपचार भुगतान राशि से अधिक चार्ज की गई रकम की छूटें।

(1) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "निष्पक्ष उपचार भुगतान राशि" सभी प्रत्यक्ष रोगी देखभाल सेवाओं की लागत के 115 प्रतिशत के बराबर राशि होगी और एक शासकीय इकाई और उसके दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक द्वारा की गई सभी स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता सुधार लागतों के बराबर होगी।

(2) 1 जनवरी, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, एक प्रशासी निकाय या उसके दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक सालाना भुगतानकर्ताओं को निम्नानुसार छूट जारी करेंगे:

(A) प्रशासी निकाय "अनुचित अतिरिक्त प्रभारित राशि" की गणना करेगा, जो वह राशि होगी, यदि कोई है, जिसके द्वारा सभी प्रशासी निकाय के दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिकों द्वारा प्रदान किए गए उपचारों से प्राप्त उपचार राजस्व निष्पक्ष उपचार भुगतान राशि से अधिक है।

(B) प्रशासी निकाय या इसके दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक, भुगतान की गई राशि के आधार पर यथानुपात आधार पर और उचित रूप से भुगतान किए जाने का अनुमान लगाएंगे, क्योंकि उन राशियों को उपचार राजस्व में शामिल किया गया है, भुगतानकर्ताओं (Medicare या अन्य संघीय, राज्य, काउंटी, शहर, या स्थानीय सरकारी भुगतानकर्ताओं के अलावा) को उन राशियों पर छूट जारी करेंगे जो कुल अनुचित अतिरिक्त चार्ज राशि है।

(C) प्रशासी निकाय या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक इस धारा द्वारा आवश्यक कोई भी छूट, इसके वित्तीय वर्ष के अंत तक, जिससे छूट संबंधित है, कम से कम 90 दिनों में और अधिक से अधिक 210 दिनों में जारी करेगा।

(D) यदि, किसी भी वित्तीय वर्ष में, यदि प्रशासी निकाय इकाई या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक को एक ही भुगतानकर्ता को बीस डॉलर (\$20) से कम जारी करना हो, तो प्रशासी निकाय या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक उस छूट को जारी नहीं करेगा और उपपरिच्छेद (B) के अनुसरण में अन्य भुगतानकर्ताओं को प्रदान करेगा इस उप-अनुच्छेद के अनुसरण में जारी किए गए छूट की कुल राशि।



(E) 1 जनवरी, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, भुगतानकर्ता को जारी किए गए किसी भी छूट को नागरिक संहिता की धारा 3289 के उपखंड (b) में निर्दिष्ट ब्याज दर पर उस पर ब्याज के साथ जारी किया जाएगा, जो भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान की तारीख से इकट्ठा होगा।

(3) 1 जनवरी, 2019 को या इसके बाद शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, एक प्रशासी निकाय, एक फार्म पर और विभाग द्वारा निर्धारित सूची पर, परिच्छेद (2) के अंतर्गत जारी की गई सभी छूटों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और विभाग को प्रदान करेगी, प्रस्तुति, जब परिच्छेद (2) के अंतर्गत समय पर संपूर्ण आवश्यक छूट जारी नहीं की गई थी, द्वारा शामिल की गई अवधि के दौरान प्रत्येक अवसर के विवरण और कारणों और स्थितियों सहित। प्रशासी निकाय का कार्यपालन अधिकारी या मुख्य अधिकारी झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत यह प्रमाणित करेगा कि वह समीक्षा के बाद, संतुष्ट है कि इस परिच्छेद के अंतर्गत विभाग को प्रस्तुत की गई पूरी जानकारी सही और पूरी है।

(4) यदि प्रशासी निकाय या इसके दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक को इस धार के अंतर्गत छूट जारी करने की आवश्यकता है, तो प्रशासी निकाय अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 210 दिनों तक अनुचित अतिरिक्त वसूल की गई राशि के 5 प्रतिशत के समान राशि विभाग का दंड के रूप में भुगतान करेगा, बशर्ते कि दंड एक लाख डॉलर (\$100,000)से अधिक न हो। इस परिच्छेद के अनुसरण में एकत्र की गई दंड की राशि शासी दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिकों के कार्यन्वयन और प्रवर्तन के लिए विभाग द्वारा उपयोग की जाएगी।

(5) यदि कोई दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय इस उपखंड या उपखंड (b), के मुताबिक दंड का या किसी प्रशासकीय दंड की राशि का मूल्यांकन करने के लिए विभाग द्वारा किसी निर्धारण पर बहस करता है, तो दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय, 10 कार्यदिवसों के अंदर अनुभाग 131071 के मुताबिक सुनवाई का निवेदन करेगा। दीर्घकालिक डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय सभी प्रशासकीय दंड राशियों का भुगतान करेगा, जब सभी अपीलें समाप्त हो जाएंगी और विभाग की स्थिति कायम रहेगी।

(6) यदि कोई प्रशासी निकाय या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक किसी भी अदालती कार्रवाई में यह सिद्ध करता है कि दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय को इस अनुभाग का आवेदन, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करेगा या इस राज्य के संविधान या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत

सिर्फ मुआवजे की आवश्यकता वाली निजी जायदाद के ग्रहण का प्रभावित करेगा, जारी करने का प्रावधान प्रशासी निकाय या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक पर लागू होगा, सिवाय इसके कि संबंधित अंक "115" में वित्तीय वर्ष से, जब भी यह जारी करने के प्रावधान में दिखाई देगी, इसे इस प्रकार से सबसे कम संभव पूर्णांक से बदल दिया जाएगा, जिससे प्रशासी निकाय या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक के लिए प्रावधान का आवेदन उचित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करेगा या सिर्फ मुआवजे की आवश्यकता वाली निजी जायदाद के ग्रहण को प्रभावित नहीं करेगा। किसी भी दीवानी कार्रवाई में, प्रशासी निकाय या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक पर बदली नंबर का प्रस्ताव रखने और यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी होगी कि "115" को प्रस्तावित अंक से कम किसी भी पूर्णांक के साथ बदलने से, सवालिया वित्तीय वर्ष के लिए, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करेगा या सिर्फ मुआवजे की आवश्यकता वाली निजी जायदाद के ग्रहण को प्रभावित करेगा।

(b) दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिकों द्वारा रिपोर्टिंग का अनुपालन।

(1) 1 जनवरी, 2019 को या इसके बाद शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रशासी निकाय उन सभी दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिकों जो प्रशासी निकाय के स्वामित्व में हैं या California में चलाए जाते हैं, की पूरी निम्न जानकारी से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगा और विभाग को प्रस्तुत करेगा:

(A) किए गए उपचारों की संख्या।

(B) प्रत्यक्ष रोगी देखभाल सेवाओं की लागतें।

(C) स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता सुधार लागतें।

(D) उपचार से आय, बिल की गई परंतु जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया, राशियों के बीच अंतर और अनुमानित कार्यान्वित होने योग्य राजस्व।

(E) उचित उपचार भुगतान राशि।

(F) अनुचित वसूल की गई अतिरिक्त राशि।

(G) प्रत्येक भुगतानकर्ता की छूट की राशि, यदि कोई है, बशर्ते कि किसी भी व्यक्तिगत रोगी की पहचान सिर्फ किसी अलग पहचान चिन्ह से होगी, जो रोगी का नाम या पहचान प्रकट नहीं करता।

(H) उन भुगतानकर्ताओं की सूची, जिनके लिए उपखंड (a) के उपपरिच्छेद (2) के उपपरिच्छेद (D) के अनुसरण में कोई छूट जारी नहीं की गई थी और राशि जारी नहीं की गई थी, बशर्ते कि किसी भी व्यक्तिगत रोगी की पहचान सिर्फ

किसी अलग पहचान चिन्ह से होगी, जो रोगी का नाम या पहचान प्रकट नहीं करता।

(2) जानकारी, जिसे बनाये रखने की आवश्यकता है और इस उपखंड द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक जानकारी का अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मानकों के अनुसरण में किसी प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण किया जाएगा और इसमें इस संबंध में उस प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार की राय होगी कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में, पूरी तरह से और सही ढंग से बताई गई है, यह जानकारी परिच्छेद (1) के अंतर्गत रिपोर्ट की जानी आवश्यक है।

(3) प्रशासी निकाय इस उपखंड द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में, और फार्म पर, नियत समय पर विभाग को प्रस्तुत करेगा, बशर्ते कि वह प्रशासी निकाय अपने वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 210 दिनों तक जानकारी प्रस्तुत करेगा। प्रशासी निकाय का कार्यपालन अधिकारी या अन्य मुख्य अधिकारी झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत यह प्रमाणित करेंगे कि वह समीक्षा के बाद, संतुष्ट है कि परिच्छेद (1) के अंतर्गत विभाग को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सही और पूरी है।

(4) यदि विभाग निर्धारित करता है कि कोई दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय जानकारी को बनाये रखने में या इस उपखंड के परिच्छेद (1) या उपखंड (a) के परिच्छेद (3) के अंतर्गत आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है, यह कि इस उपखंड के परिच्छेद (1) के अंतर्गत दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय द्वारा रिपोर्ट की गई राशियां या प्रतिशतता गलत या अधूरी है, या यह कि कोई दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय उपखंड (a) द्वारा अपेक्षित संपूर्ण छूट समय पर जारी करने में असफलता को बाद में न्यायोचित नहीं ठहराया गया था, तो विभाग दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक या प्रशासी निकाय के खिलाफ एक लाख डॉलर (\$100,000) तक का दंड निर्धारित करेगा। विभाग दंड की राशि उल्लंघन की तीव्रता, गलती या छूटी जानकारी के महत्व, और उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण, यदि कोई है, की तीव्रता के आधार पर निर्धारित करेगा। इस परिच्छेद के अनुसरण में एकत्र की गई दंड की राशि दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिकों पर कार्यन्वयन और प्रवर्तन के लिए लागू कानूनों के अंतर्गत विभाग द्वारा उपयोग की जाएगी।

(c) परिभाषाएं। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए:

(1) "प्रत्यक्ष रोगी देखभाल सेवाओं की लागत" का अर्थ है, वे लागतें, जो California में सीधे किसी दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक के संचालन से और California में रोगियों को देखभाल प्रदान करने से जुड़ी हैं। प्रत्यक्ष रोगी देखभाल सेवाओं की लागत में शामिल होंगी, उस स्थान पर विचार किए बिना, जहां प्रत्येक रोगी का डायलिसिस होता है, सिर्फ (i) दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक के गैर प्रबंधकीय स्टाफ के वेतन, मजदूरी, और लाभ, क्लीनिक के उन सभी कर्मचारियों सहित, जो डायलिसिस रोगियों को प्रत्यक्ष देखभाल प्रदान करते हैं, इस बात पर विचार किए बिना कि वेतन, मजदूरी, और लाभों का भुगतान सीधे दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक द्वारा किया जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संबद्ध या असंबद्ध तृतीय पक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, जिनमें शामिल हैं, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं, प्रशासी निकाय, स्वतंत्र स्टाफ प्रदान करने वाली एजेंसी, कोई चिकित्सक समूह, या दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक और किसी चिकित्सक समूह के बीच संयुक्त उपक्रम; (ii) स्टाफ प्रशिक्षण एवं विकास; (iii) फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सीय सामान; (iv) सुविधा-केंद्र की लागतें, जिसमें शामिल है किराया, देखभाल, और उपयोगिताएं; (v) प्रयोगशाला परीक्षण; और (vi) भवनों का अवमूल्यन और परिशोधन, पट्टे की भूमि में मरम्मत, रोगी संबंधी आपूर्तियाँ, उपकरण, और जानकारी प्रणालियां। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "गैर प्रबंधकीय दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक" में शामिल हैं, क्लीनिक के सभी कर्मचारी, जो डायलिसिस के रोगियों को सीधे देखभाल प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं, नर्स, तकनीशियन और प्रशिक्षार्थी, समाजसेवक, पंजीकृत आहार विशेषज्ञ, और गैर प्रबंधकीय प्रशासनीय स्टाफ, परंतु इसमें प्रबंधकीय स्टाफ शामिल नहीं हैं, जैसे सुविधा-केंद्र प्रबंधक। प्रत्यक्ष रोगी देखभाल सेवाओं की लागत की श्रेणियां बाद में विनियमन के माध्यम से विभाग की ओर से निर्धारित की जा सकती हैं।

(2) "प्रशासी निकाय" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति, व्यापारिक कंपनी, संगठन, साझेदारी, कॉर्पोरेशन, या अन्य निकाय, जिसके स्वामित्व में दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक है या वह संचालित करता है, जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है, बिना इस पर विचार कि वह व्यक्ति या निकाय खुद प्रत्यक्ष रूप से उस लाइसेंस का धारक है या नहीं।

(3) "स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता सुधार लागत" का अर्थ है वह लागत, जो प्रत्यक्ष रोगी देखभाल सेवाओं की लागत के अलावा होती है, जो दीर्घकालिक डायलिसिस रोगियों की देखभाल के प्रावधान से संबंधित हैं और जो वास्तव में California में सामान या सेवाओं के लिए व्यय की जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक

स्वास्थ्य सूचना को बनाए रखने, पहुंच, या आदान-प्रदान के लिए, स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकियों के सहयोग के लिए, प्रत्यक्ष रोगी देखभाल से जुड़े दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक के गैर प्रबंधकीय स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए, और रोगी-केंद्रित शिक्षा और परामर्श प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। अतिरिक्त लागतों को विनियमन के माध्यम से विभाग की ओर से निर्धारित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी लागतें वास्तव रूप से दीर्घकालिक डायलिसिस रोगियों को दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक पर पेश की गई सेवाओं पर व्यय की जाती है और ऐसी गतिविधियों पर व्यय की जाती है, जो स्वास्थ्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए और ऐसे तरीकों से ऐच्छिक स्वास्थ्य परिणामों की संभावना को बढ़ाने के लिए तैयार की जाती हैं, जो निष्पक्षता से सोची-समझी होने में और प्रमाण योग्य परिणाम और उपलब्धियां पेश करने में सक्षम हैं।

(4) “भुगतानकर्ता” का अर्थ है वह या वे व्यक्ति, जो किसी विशेष रोगी को प्रदान किए गए उपचार के लिए भुगतान करते हैं या वित्तीय रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं और इनमें शामिल हो सकते हैं, रोगी या अन्य व्यक्ति, प्राथमिक बीमाकर्ता, द्वितीयक बीमाकर्ता, और अन्य निकाय, Medicare और अन्य संघीय, राज्य, काउंटी, शहर या अन्य स्थानीय सरकारी भुगतानकर्ता सहित।

(5) “उपचार” का अर्थ है प्रत्येक वह अवस्था, जब दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक किसी रोगी को सेवाएं प्रदान करता है।

(6) विशेष वित्तीय वर्ष के लिए “उपचार राजस्व” का अर्थ है, वास्तविक रूप से प्राप्त की गई पूरी राशि और उस वित्तीय वर्ष में प्रदान किए गए उपचारों के लिए अनुमानित रुपये में बदलने योग्य राजस्व। अनुमानित रुपये में बदलने योग्य राजस्व की गणना सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में की जाएगी और उचित अनुमान इनके आधार पर होगा (i) व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए रोगियों के लिए संविदात्मक शर्तें, जिसके साथ प्रशासी निकाय या क्लिनिकों के औपचारिक अनुबंध हैं; (ii) विधान या विनियमन द्वारा तय दरों और सरकारी भुगतानकर्ताओं, व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल योजना द्वितीयक कवरेज, रोगियों, और अन्य भुगतानकर्ताओं से अंत में संग्रहणीय राशियों के अनुमानों के आधार पर Medicare, Medicaid, और Medi-Cal से राजस्व; और (iii) ऐतिहासिक संग्रहण अनुभव।

अनुभाग 4. अनुभाग 1226.8 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1226.8. (a) दीर्घकालिक मरीजों का डायलिसिस क्लीनिक देखभाल की पेशकश करने में या प्रदान करने में पक्षपात नहीं करेगा, और किसी रोगी को प्रदान किए जाने वाले उपचार के लिए भुगतानकर्ता के आधार पर रोगियों को देखभाल पेश करने या प्रदान करने से इन्कार नहीं करेगा, इसमें शामिल हैं, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं, इस आधार पर कि भुगतानकर्ता एक रोगी है, निजी भुगतानकर्ता है या बीमाकर्ता, Medi-Cal, Medicaid, या Medicare है।

(b) दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक इस अध्याय द्वारा लागू की गई शर्तों के आधार पर Medi-Cal, Medicaid, या Medicare द्वारा शामिल किए गए रोगियों को किसी भी अनुबंध के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने को समाप्त, कम, संशोधित नहीं करेगा, या क्रियान्वित करने में असफल नहीं होगा।

अनुभाग 5. अनुभाग 1266.3 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

1266.3. लोगों का आशय है कि California के करदाता डायलिसिस अधिनियम के लिए उचित मूल्य के क्रियान्वयन और लागूकरण के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार न हों। उस आशय को सिद्ध करने के लिए अनुभाग 1266 के अनुसरण में दीर्घकालिक मरीजों के डायलिसिस क्लीनिक पर लागू की गई फीसों की गणना, मूल्यांकन, और संग्रहण करते समय, विभाग अनुभागों 1226.7 और 1226.8 के क्रियान्वयन और लागूकरण से जुड़ी सभी लागतों को ध्यान में रखेगा।

अनुभाग 6. इस अधिनियम में किसी भी तथ्य का उद्देश्य स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1250 के उपखंड (a), (b), या (f) के अनुसरण में लाइसेंसशुदा स्वास्थ्य केंद्रों को प्रभावित करना नहीं है।

अनुभाग 7. सार्वजनिक स्वास्थ्य का राज्य विभाग इसकी प्रभावी तिथि के बाद 180 दिनों से पहले इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक विनियमन जारी करेगा।

अनुभाग 8. California के संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसरण में, इस अधिनियम को राज्यव्यापी चुनाव में लोगों के वोट के लिए प्रस्तुत किए बाद के विधेयक द्वारा, या विधान मंडल द्वारा वैध रूप से पारित किए गए और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है, परंतु सिर्फ अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए।

अनुभाग 9. इस अधिनियम के प्रावधान अलग किए जा सकने योग्य हैं। यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान या इसका विनियोग अवैध पाया जाता है, तो वह अवैधता अन्य प्रावधानों या विनियोगों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अवैध प्रावधानों या विनियोग के बिना लागू किया जा सकता है।

प्रस्ताव 10

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद 11 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक नागरिक संहिता में अनुभाग रद्द करता और जोड़ता है; इस कारण मिटाए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान स्ट्राइकआउट-सट्ट में मुद्रित किए गये हैं और जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधान यह संकेत देने के लिए, कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में मुद्रित किए गये हैं।

प्रस्तावित कानून

वहनीय आवास अधिनियम (Affordable Housing Act)

California राज्य के लोग इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम निश्चित करते हैं:

अनुभाग 1. शीर्षक।

यह अधिनियम “वहनीय आवास अधिनियम” के तौर पर जाना जाएगा, और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष एवं घोषणाएं।

California के लोग निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

(a) हाल ही के वर्षों में घर के किराए आसमान छूने लगे हैं। California में मध्यम किराए देश में किसी भी अन्य राज्य से काफी अधिक हैं, और सभी 50 राज्यों में, California में किरायों में चौथी उच्चतम वृद्धि हुई है।

(b) अपार्टमेंट सूची के अनुसरण में किया शोध दर्शाता है कि California में एक बेडरूम के अपार्टमेंट के लिए मध्यम किराया \$1,410 है, जो कि सिर्फ एक वर्ष में 4.5% की वृद्धि है। *Los Angeles* में एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया \$1,350 प्रति महीना है। *San Francisco* में इसकी लागत \$2,450 है। *San Diego* में, यह लागत \$1,560 है।

(c) संघीय सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि किराया तब वहनीय नहीं होता, यदि किराएदार घर के किराए पर अपनी आय के 30% से अधिक खर्च करते हैं। California राज्य ने पाया है कि California में किराए पर रहने वाले आधे से अधिक परिवार (3 मिलियन) किराए पर अपनी आय के 30% से अधिक का भुगतान करते हैं और किराए पर रहने वाले एक-तिहाई परिवार (1.5 मिलियन से अधिक) 50% से अधिक का भुगतान करते हैं।

(d) राष्ट्रीय कम आय संगठन के अनुसरण में, न्यूनतम मजदूरी कमाने वाले California निवासी को औसतन एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया वहन करने के लिए प्रति सप्ताह 92 घंटे काम करना पड़ता है।

(e) और California निवासी (5.8 मिलियन परिवार) पहले से कहीं अधिक किराया दे रहे हैं, क्योंकि राज्य के अनुसरण में, California में घर के स्वामित्व की संपूर्ण दरें 1940 से सबसे कम स्तर पर आ गई हैं। पुरानी सहस्राब्दियों में से एक तिहाई (25-34 वर्ष की आयु वाले) अभी भी अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। (संयुक्त राज्य अमेरिका जनगणना विभाग)

(f) राज्यव्यापी मजदूर यूनियनों, जैसे कि California नर्स संगठन, सेवा कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय यूनियन, और California अध्यापक संगठन, ने अपने सदस्यों के लिए वहनीय घर को प्राथमिकता बनाया है। उदाहरण के लिए, California के शहरी केंद्रों में अध्यापक अपने वेतन का 40% से 70% घर के लिए भुगतान करते हैं और कई घर के किराए का खर्च उठाने के लिए एक घंटा या इससे अधिक समय अतिरिक्त काम करने पर मजबूर हैं।

(g) कई California निवासी संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में तीन गुणा अधिक भीड़ भरे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। (संयुक्त राज्य अमेरिका जनगणना विभाग)

(h) हालांकि राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल आबादी का सिर्फ 12% का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन California देश की 22% बेघर आबादी का घर है। (आवास एवं सामुदायिक विकास विभाग)

(i) बेघर होने की स्थिति एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। बेघर समिति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल के अनुसार, जो लोग बेघर हैं, उनकी समय से पहले मृत्यु की तीन से चार गुणा अधिक संभावना होती है और उन्हें संक्रामक रोग होने की भी अधिक संभावना होती है।

(j) रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए संघीय केंद्र चेतावनी देते हैं कि अतिसंवेदनशील आबादी निम्न जीवन आशा, उच्च कैंसर दरों, और अधिक जन्म विकारों का सामना करती है, जब उनके अड़ोस-पड़ोस के पुनःस्थापन के कारण उनके घरों को विस्थापित किया जाता है।

(k) घर की बढ़ी हुई लागत यातायात संकुलन को और खराब कर रही है और नियमित आने-जाने वालों को रोजगार के उनके स्थानों से अधिक दूर रहने के लिए मजबूर करके और आने-जाने के समय को बढ़ाकर वातावरण को हानि पहुंचा रही है। Pew Charitable Trusts की एक रिपोर्ट में देखा गया कि कई California निवासी, जो आने-जाने के लिए प्रत्येक बार 90 मिनट से अधिक समय का सफर करते हैं, उनकी संख्या 2010 और 2015 में 40% तक बढ़ी है; यह वृद्धि नौकरी के स्थान के नजदीक वहनीय घरों के अभाव का प्रत्यक्ष परिणाम है।

(l) California के आवास संकट में प्रमुख कारक 20-वर्ष-पुराना एक कानून है, जिसे Costa-Hawkins किराया आवास अधिनियम (Costa-Hawkins Rental Housing Act) (Costa-Hawkins) के नाम से जाना जाता है। Costa-Hawkins रिहायशी अपार्टमेंट्स और घरों के मालिकों को अनुमति देता है कि वे 1995 के बाद निर्मित इमारतों में जितना अधिक चाहें, किराया बढ़ा सकते हैं; बावजूद इसके कि स्थानीय कानून, जो अन्य प्रकार से ऐसी वृद्धियों को प्रतिबंधित करते हैं, Los Angeles में मकान मालिक 1978 के बाद निर्मित भवनों पर, और San Francisco में 1979 के बाद निर्मित भवनों पर जितना अधिक चाहें, किराया बढ़ा सकते हैं।

(m) Costa-Hawkins मकान मालिक को 1995 से पहले निर्मित किसी भी भवन में, जब यह खाली हो जाता है, बाज़ार मूल्य तक किराया बढ़ाने की अनुमति देता है, और मकान मालिक को बाज़ार मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है।

(n) Costa-Hawkins शहरों को उन कानूनों को लागू करने से रोकता है, जो अपने निवासियों के लिए किरायों को वहनीय रखते हैं।

अनुभाग 3. उद्देश्य एवं आशय।

California राज्य के लोग इस प्रकार से यह अधिनियम बनाने में निम्न उद्देश्यों और प्रयोजन की घोषणा करते हैं:

(a) इन स्थानीय नीतियों को विकसित और लागू करने के लिए California के शहरों और काउंटीज के अधिकार की बहाली करना, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि किरायेदार अपने अधिकार-क्षेत्रों में बढ़िया घर पाने और वहन करने में सक्षम हैं।

(b) California के कई मिलियन किरायेदारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना और उन California वासियों की संख्या को कम करना, जो रिहायश संबंधी गंभीर चुनौतियों और आवासहीनता का सामना करते हैं।

(c) Costa-Hawkins किराया आवास अधिनियम को रद्द करना।

अनुभाग 4. वहनीय आवास अधिनियम को नागरिक संहिता के अनुभागों 1954.50, 1954.51, 1954.52, और 1954.53 को रद्द करके संहिताबद्ध किया जाएगा।

अनुभाग 4.1. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.50 को निरस्त किया जाता है।

1954.50. यह अध्याय—Costa-Hawkins—किराया आवास अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 4.2. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.51 को निरस्त किया जाता है।

1954.51. इस अध्याय में उपयोग किए जाने हेतु, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है:

(a) “तुलनीय यूनिटों” का अर्थ है किराए की वे यूनिटें, जिनका लगभग एक समान रहने का स्थान हो, जिसमें समान संख्या में बेडरूम हों, जो समान या सदृश अड़ोस-पड़ोस में हों, और जिनमें समान, सदृश, या बराबर सुख सुविधाएं और रिहायशी सेवाएं हों।

(b) “मालिक” में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल होता है, जो प्रमुख के तौर पर या किसी एजेंट के द्वारा काम कर रहा हो, जिसके पास किराए के लिए रिहायशी वास्तविक जायदाद का अधिकार हो, और मालिक के हित में कोई पूर्व अधिकारी सहित, सिवाय इसके कि इस शब्द में मोबाइल होम पार्क का मालिक या संचालक, या मोबाइल होम या उसके एजेंट का मालिक शामिल नहीं है।

(c) “प्रचलित बाज़ार किराया” का अर्थ है किराए की दर, जो 42 U.S.C.A. 1437 (f) के अनुसरण में अधिकृत होगी, जैसा कि संघीय विनियमनों की संहिता के शीर्षक 24 के भाग 888 के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमेरिका के आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा मणना की गई है।

(d) “सार्वजनिक निकाय” का वही अर्थ है, जो सरकारी संहिता के अनुभाग 811.2 में दिया गया है।

(e) “रिहायशी वास्तविक जायदाद” में कोई भी ऐसा निवास स्थान या यूनिट शामिल है, जो मानव निवास स्थान के लिए बनाई गई है।

(f) “किराएदारी” में जायदाद का वैध वास शामिल है और इसमें एक पट्टा या उपपट्टेदारी शामिल है।

अनुभाग 4.3. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.52 को निरस्त किया जाता है।

1954.52. (a) कानून का कोई और प्रावधान होने के बावजूद, रिहायशी वास्तविक जायदाद का मालिक किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक और बाद की सभी किराए की दरें तय कर सकता है, जिसके बारे में निम्न में से कोई भी सत्य है:-

(1) इसके पास 1 फरवरी, 1995 के बाद जारी किया गया अधिभोग का प्रमाण पत्र है।

(2) इसे पहले ही नव निर्मित यूनिटों के लिए स्थानीय छूट के अनुसरण में, 1 फरवरी, 1995 को या इससे पहले किसी सार्वजनिक निकाय के रिहायशी किराया नियंत्रण अध्यादेश से छूट मिली है।

(3) (A) यह किसी भी अन्य निवास स्थान यूनिट के शीर्षक से हस्तांतरणीय अलग है या किसी उपखंड में एक प्रविभाजित हित है, जैसा कि व्यापार एवं पेशे संहिता के अनुभाग 11004.5 के उपखंड (b), (d), या (f) of अनुभाग 11004.5 में दर्शाया गया है।

(B) यह परिच्छेद निम्न में से किसी पर भी लागू नहीं होता:-

(i) कोई निवास स्थान या यूनिट, जहां अनुभाग 1946.1 के अनुसरण में नोटिस द्वारा मकान मालिक की ओर से पूर्ववर्ती किराएदारी समाप्त कर दी गई हो या अनुभाग 827 के अनुसरण में नोटिस दी गई किराएदारी की अवधि में बदलाव पर समाप्त कर दी गई हो।

(ii) कोई कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट, जिसे मूल्य के लिए प्रामाणिक खरीदार के लिए प्रविभाजक द्वारा अलग से नहीं बेचा गया है। इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए यूनिट की आरंभिक किराया सशि 7 मई, 2001 को लागू वैध किराया होगी, जब तक कि इस अध्याय के किसी भिन्न प्रावधान द्वारा किराए की सशि संचालित न की जाए। यद्यपि, यदि कोई कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट उपखंड (a) के परिच्छेद (1) या (2) के मापदंड को पूरा करती है, या एक को छोड़कर सभी निवास स्थानों या यूनिटों को मूल्य के लिए प्रामाणिक खरीदार के लिए प्रविभाजक द्वारा अलग से बेचा गया हो, और प्रविभाजक ने उस शेष न बेचे गए कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट को उपखंड घटित होने के बाद कम से कम एक वर्ष तक के लिए अपनी मुख्य रिहायश के तौर पर रखा हो, तो परिच्छेद (3) का उपपरिच्छेद (A) उस न बेचे गए कन्डोमिनियम निवास स्थान या यूनिट पर लागू होगा।

(C) जहां किसी निवास स्थान या यूनिट, जिसमें आरंभिक या बाद की किराया दरें 1 जनवरी, 1995 को लागू किसी अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, उन पर निम्न लागू होगा:-

(i) वास्तविक जायदाद का कोई मालिक, जैसा कि इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है, 1 जनवरी, 1999 को या इसके बाद की सभी मौजूदा और नई किराएदारियों के लिए आरंभिक और बाद की सभी किराये की दरें तय कर सकता है, यदि 1 जनवरी, 1999 को या इसके बाद लागू किराएदारी 1 जनवरी, 1996, और 31 दिसम्बर, 1998 के बीच बनाई गई थी।

(ii) 1 जनवरी, 1999 से शुरू करते हुए, वास्तविक जायदाद का कोई मालिक, जैसा कि इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है, सभी नई किराएदारियों के लिए आरंभिक और बाद की सभी किराए की दरें तय कर सकता है, यदि पिछली किराएदारी 31 दिसम्बर, 1995 को लागू की गई थी।

(iii) किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक किराया दर, जैसा कि इस परिच्छेद में दिया गया है, जिसमें आरंभिक

किराया दर 1 जनवरी, 1995 को लागू अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है, 1 जनवरी, 1999 तक, अनुभाग 1954.53 के उपखंड (c) के अनुसरण में गणना की गई सशि से अधिक नहीं हो सकती। रिहायशी वास्तविक जायदाद का कोई मालिक, जैसा कि इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है, 1 जनवरी, 1999 तक, किसी निवास स्थान या यूनिट के केवल वहां पर ही आरंभिक किराया दर तय कर सकता है, जहां किराएदार ने स्वेच्छा से इसे खाली किया हो, छोड़ दिया हो, या नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 1161 के परिच्छेद (2) के अनुसरण में उसे बेदखल किया गया हो।

(b) उपखंड (a) वहां लागू नहीं होता, जहां मालिक ने प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान या अन्य प्रकार से सरकारी संहिता के शीर्षक 7 के खंड 1 के अध्याय 4.3 (जो अनुभाग 65915 से शुरू होता है) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिहाज से सार्वजनिक निकाय के साथ अनुबंध के लिए सहमति दी हो।

(c) इस अनुभाग में कोई भी तथ्य किसी सार्वजनिक निकाय के अधिकार को प्रभावित करने के अर्थ में नहीं होगा, जो अन्य प्रकार से बेदखली के लिए आधार को नियंत्रित करने या निरीक्षण करने के लिए मौजूद हो सकता है।

(d) यह अनुभाग किसी ऐसे निवास स्थान या यूनिट पर लागू नहीं होता, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, आग, या भवन संहिता संबंधी गंभीर उल्लंघन हैं, आपदाओं के कारण होने को छोड़कर, जिनके लिए उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा सम्मन जारी किया गया है और जो छह महीनों से या इससे अधिक समय से पूर्ववर्ती खाली जगह के लिए ज्यों की त्यों है।

अनुभाग 4.4. नागरिक संहिता के अनुभाग 1954.53 को निरस्त किया जाता है।

1954.53.— (a) कानून का कोई और प्रावधान होने के बावजूद, रिहायशी वास्तविक जायदाद का मालिक किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक किराया दर तय कर सकता है, उसे छोड़कर, जहां निम्न से कोई भी लागू होता है:-

(1) अनुभाग 1946.1 के अनुसरण में नोटिस द्वारा मकान मालिक की ओर से पूर्ववर्ती किराएदारी समाप्त कर दी गई हो या अनुभाग 827 के अनुसरण में नोटिस दी गई किराएदारी की अवधि में बदलाव पर समाप्त कर दी गई हो, किराए या फीस की सशि में कानून द्वारा अनुमति दिए गए किसी बदलाव को छोड़कर। इस परिच्छेद के उद्देश्य के लिए, किसी सरकारी एजेंसी के साथ किसी अनुबंध या रिकॉर्ड किए गए इकरारनामे की मालिक की समाप्ति या गैर नवीकरण, जो किसी योग्य किराएदार को किराया सीमा प्रदान करती है, अनुभाग 827 के अनुसरण में किराएदारी की अवधि में बदलाव के तौर पर मानी जाएगी।

(A) ऐसे अधिकार-क्षेत्र में, जो अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए किराए की दर को नियंत्रित करता है, कोई मालिक, जो किसी ऐसी सरकारी एजेंसी, जो किसी योग्य किराएदार को किराया सीमा प्रदान करती है, के साथ किसी अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे को समाप्त करता है या नवीकरण करने में असफल रहता है, अनुबंध या इकरारनामे की समाप्ति या गैर नवीकरण की तारीख के बाद तीन वर्ष तक आरंभिक दर तय नहीं कर सकता। तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्थापित किसी भी नई किराएदारी के लिए, उस खाली किए गए निवास स्थान या यूनिट में स्थापित नई किराएदारी के लिए किराया दर किसी सरकारी एजेंसी, जिसने किसी योग्य किराएदार के लिए किराया सीमा प्रदान की है, के साथ समाप्त किए या नवीकरण न किए अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे के अंतर्गत किराए के समान, साथ ही अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे की समाप्ति या रद्द किये जाने के बाद अधिकृत किन्हीं वृद्धियों की समान दर पर होगी।

(B) उप परिच्छेद (A) 12 माह की या किसी सरकारी एजेंसी, जो किसी योग्य किराएदार के लिए किराया सीमा प्रदान करती है, के साथ मालिक के अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे के अनुसरण में, 1 जनवरी, 2000 के बाद तय अवधि से अधिक अवधि की किसी भी नई किराएदारी पर लागू नहीं होता, जब तक कि उस निवास स्थान या यूनिट में पूर्ववर्ती खाली जगह किसी सरकारी एजेंसी के साथ नवीकरण न किए या रद्द किए गये अनुबंध या रिकॉर्ड किए इकरारनामे के अनुसरण में थी, जो उस उप परिच्छेद में बताए गए योग्य किराएदार के लिए किराया सीमा प्रदान करता है।

(2) मालिक ने प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान या अन्य प्रकार से सरकारी संहिता के शीर्षक 7 के खंड 1 के अध्याय 4.3 (जो अनुभाग 65915 से शुरू होता है) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिहाज़ से सार्वजनिक निकाय के साथ अनुबंध के लिए सहमति दी हो।

(3) किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए आरंभिक किराया दर, जिसकी आरंभिक किराया दर 1 जनवरी, 1995 को लागू अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है, 1 जनवरी, 1999 तक, उपखंड (c) के अनुसरण में गणना की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती।

(b) उपखंड (a) आरंभिक भर्ती के लिए स्थापित किराये की दर पर अपने अधिभोग की पूरी अवधि के लिए उसी किरायेदार, पट्टेदार, अधिकृत उपकिरायेदार या अधिकृत उप-पट्टेदार द्वारा आरंभिक भर्ती के नवीकरण पर लागू होता है, और इसमें शामिल है।

(c) किसी निवास स्थान या यूनिट के लिए किराया दर, जिसकी आरंभिक किराया दर 1 जनवरी, 1995 को लागू

अध्यादेश या राज-पत्र प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है, 1 जनवरी, 1999 तक, इस उपखंड के अनुसरण में स्थापित की जाएगी। जहां पिछले किरायेदार ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 1161 के अनुच्छेद (2) के अनुसरण में स्वेच्छा से घर खाली कर दिया, त्याग दिया, या उसे निकाल दिया गया है, वहाँ आवासीय वास्तविक संपत्ति का मालिक किसी आवास या यूनिट के लिए प्रारंभिक किराये की दर, जो दो गुना से अधिक नहीं हो सकती, को उस राशि में स्थापित करें जो तत्काल किरायेदारी के लिए प्रभावी रूप से किराये की दर से 15 प्रतिशत अधिक नहीं है या उस राशि में तुलनीय यूनिटों के लिए मौजूदा बाजार किराया का 70 प्रतिशत है, जो भी राशि अधिक हो।

इस उपखंड के अनुसरण में स्थापित प्रारंभिक किराये की दर किराये के दरों में वृद्धि का स्थानापन्न या प्रतिस्थापन नहीं कर सकती है जब तक कि अन्यथा कानून के अनुसरण में अधिकृत न हो।

(d) (1) इस अनुभाग या कानून के किसी भी अन्य प्रावधान में कोई भी तथ्य व्यक्त की गई इमारत को प्रतिबंधित करने के लिए किराये की यूनिट के पट्टे पर या किराए पर लेने के समझौते पर लागू नहीं किया जाएगा, जबकि इसके विषयाधीन किराये की यूनिट को उप-पट्टे पर दिया जाता है। इस अनुभाग में कोई भी तथ्य 1 जनवरी, 1996 से पहले के अनुबंधों के दायित्वों को कम करने के अर्थ में नहीं होगा।

(2) यदि मूल अधिवास करने वाला निवासी या निवासियों जिन्होंने मालिक के साथ किराए पर समझौते के अनुसरण में निवास या यूनिट का अधिग्रहण किया था, वह या वे अब वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, तो मालिक इस अनुभाग द्वारा अनुमत किसी भी राशि से एक वैध उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति का किराया बढ़ा सकता है, जो उस निवास या यूनिट में 1 जनवरी, 1996 से पहले नहीं रहता/रहती थी।

(3) यह उपखंड एक आवास या यूनिट के अधिभोग में आंशिक परिवर्तनों पर लागू नहीं होता जहाँ परिसरों के एक या अधिक अधिभोगी, ऊपर के लिए प्रदान किए गए मालिक के साथ समझौते के अनुसरण में, निवास या यूनिट के वैध कब्जे में एक अधिभोगी की तरह रहता/रहती है, या जहां एक वैध उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति, जो 1 जनवरी, 1996 से पहले उस निवास या यूनिट में रहता था, का उस निवास या यूनिट पर कब्ज़ा रहता है। इस अनुभाग में कोई भी तथ्य उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए सहमति को रोकने के मालिक के अधिकार को बढ़ाने या कम करने के अर्थ में नहीं होगा।

(4) मालिक द्वारा किराए की स्वीकृति अन्यथा उप-पट्टेदार या निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रतिबंधित करने वाले अनुबंध के लिए छूट के रूप में काम नहीं करती है या के प्रवर्तन को नहीं रोकती है या प्रारंभिक किराये की दर स्थापित करने के किसी मालिक के

अधिकारों की छूट के रूप में कार्य नहीं करती, जब तक कि मालिक को किसयेदार से लिखित नोटिस प्राप्त नहीं होता है जो उस अनुबंध का एक पक्ष होता है और उसके बाद किसए को स्वीकार किया है।

(e) इस अनुभाग में कोई भी तथ्य किसी सार्वजनिक निकाय के किसी अधिकार को प्रभावित करने के अर्थ में नहीं होगा, जो अन्य प्रकार से बेदखली के लिए आधारों को नियंत्रित करने या निरीक्षण करने के लिए मौजूद हो सकता है।

(f) यह अनुभाग किसी भी आवास या यूनिट पर लामू नहीं होता, यदि निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया जाता है:

(1) स्वास्थ्य या सुरक्षा संहिता की धारा 17920.3 द्वारा परिभाषित अनुसार, आपदा से होने वाले किसी भी उल्लंघन को छोड़कर, उचित सरकारी एजेंसी, गंभीर स्वास्थ्य, सुरक्षा, आम या इमारत संहिता उल्लंघन के रूप में किसी निरीक्षण रिपोर्ट में उस आवास या यूनिट का उल्लेख किया गया है।

(2) यह सम्मन खाली किये जाने की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले जारी किया गया था।

(3) उद्धृत उल्लंघन तब समाप्त नहीं हुआ था जब पूर्व किसयेदार ने घर खाली कर दिया था और 60 दिनों के लिए या उससे लंबे समय तक ज्यों का त्यों रहा था। हालांकि, इस 60 दिनों की अवधि को उस उचित सरकारी एजेंसी द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिसने यह सम्मन जारी किया था।

अनुभाग 5. वहनीय आवास अधिनियम को नागरिक संहिता में अनुभाग 1954.54 जोड़कर आगे संहिताबद्ध किया जाएगा।

अनुभाग 5.1. अनुभाग 1954.54 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए नागरिक संहिता में जोड़ा गया है:

1954.54. (a) एक शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी के पास स्थानीय चार्टर प्रावधान, अध्यादेश या विनियमन को अपनाने का अधिकार होगा जो एक मकान मालिक के आवास या आवासीय यूनिट पर किराये की दरों को स्थापित करने और बढ़ाने के अधिकार को नियंत्रित करता है।

(b) California कानून के अनुसरण में, किसी मकान मालिक के संपत्ति पर कमाई की उचित दर का अधिकार किसी शहर, काउंटी या शहर और काउंटी द्वारा संकुचित नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 6. उदार गठन।

इस अधिनियम को व्यापक रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए माना जाएगा।

अनुभाग 7. संशोधन और निरस्त करना।

California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसरण में, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित

सदस्यता के दो-तिहाई द्वारा सहमति से, जर्नल में दर्ज रोलकॉल वोट द्वारा प्रत्येक हाउस में पारित एक कानून द्वारा अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विधान मंडल इस अधिनियम को संशोधित कर सकता है। आवासीय किराये की दरों को स्थापित करने के लिए इस अधिनियम द्वारा शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी में बहाल की गई शक्तियों को प्रतिबंधित या समाप्त करने वाला कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अधिकांश मतदाताओं द्वारा अनुमोदित न किया जाए।

अनुभाग 8. विच्छेदनीयता।

यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान या इसका कार्यान्वयन किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति में अमान्य पाया जाता है, तो वह अवैधता अन्य प्रावधानों या कार्यान्वयनों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अमान्य प्रावधान या कार्यान्वयन के बिना लागू किया जा सकता है, और इस प्रयोजन तक इस अधिनियम के प्रावधान विच्छेदनीय हैं।

अनुभाग 9. परस्पर-विरोधी विधेयक।

यदि इस अधिनियम और आवासीय किराये की दरों को स्थापित करने वाले स्थानीय सरकारी एजेंसियों के अधिकार को संबोधित करने वाला कोई अन्य विधेयक उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर दिखाई देगा, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान को इस अधिनियम के साथ परस्पर-विरोधी समझा जाएगा। यदि इस अधिनियम के साथ परस्पर-विरोधी समझे जाने वाले किसी अन्य विधेयक की तुलना में इस अधिनियम को अधिक सकारात्मक वोट प्राप्त होते हैं, तो इस अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से प्रबल होंगे, और अन्य विधेयक या विधेयकों को अमान्य माना जाएगा।

अनुभाग 10. कानूनी संरक्षण।

किसी भी अन्य कानून के बावजूद, यदि कोई राज्य, एक सरकारी एजेंसी, या उसके अधिकारियों में से कोई मतदाताओं द्वारा इसकी मंजूरी के बाद, इस अधिनियम की संवैधानिकता की रक्षा करने में विफल रहता है, तो समर्थकों को संविधान की संवैधानिकता का बचाव करने के उद्देश्य से, संवैधानिकता को चुनौती देने वाली किसी भी अदालत की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा चाहे वह राज्य या संघीय अदालत में हो, और चाहे कार्रवाई किसी भी सुनवाई अदालत में, या अपील पर या California के सुप्रीम कोर्ट या संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवेकपूर्ण समीक्षा के अधीन हो। इस कार्रवाई का संरक्षण करने की उचित फीसों और लागतें California डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को विनियमित फंडों पर लगाई जाएंगी, जिन्हें तत्काल पूरा किया जाना ज़रूरी होगा।

अनुभाग 11. प्रभावी तारीख।

अन्यथा यहां प्रदान किए गये के अलावा, यह अधिनियम मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किये जाने के एक दिन बाद प्रभावी हो जाएगा।

प्रस्ताव 11

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद 11 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक श्रम संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. श्रम संहिता के प्रभाग 2 के भाग 2 में अध्याय 7 (जो अनुभाग 880 से शुरू होता है) को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

अध्याय 7. आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएँ

अनुच्छेद 1. शीर्षक

880. इस अधिनियम को आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी सुरक्षा और तैयारी अधिनियम (Emergency Ambulance Employee Safety and Preparedness Act) के नाम से जाना जाएगा, और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष एवं घोषणाएं।

881. California के लोग निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

(a) California में देश की सबसे बड़ी आबादी है, तीसरी सबसे बड़ी भूमिगत ज़मीन है, और भूकंप, जंगलों में आग और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहता है। ये परिस्थितियां एक सुप्रशिक्षित आपातकालीन एम्बुलेंस कार्यबल की मांग करती हैं।

(b) California में, निजी कंपनियां राज्य के निवासियों के लिए प्राथमिक आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (EMT) और चिकित्सा-सहायक सेवाओं का 74 प्रतिशत प्रदान करती हैं। दुर्भाग्यवश, प्राकृतिक आपदाएँ, सक्रिय शूटर्स और सामूहिक दुर्घटनाओं जैसी आपदाएं पूरे राज्य और राष्ट्र में बहुत अधिक बार होती हैं। अन्य सभी प्रथम उत्तरदाताओं की तरह, आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों जैसे EMTs और चिकित्सा-सहायकों का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सहायता के लिए सभी प्रकार के संकट और अनुरोधों के जवाब देने के लिए उपलब्ध होना ज़रूरी है।

(c) EMTs और चिकित्सा-सहायकों जैसे आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों को रोजगार देने वाली निजी कंपनियों का

प्राकृतिक आपदाओं के अलावा सक्रिय शूटर्स और सामूहिक हादसों वाली घटनाओं से निपटने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए मुआवजे सहित वाले वार्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना ज़रूरी होना चाहिए।

(d) आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी एक खास व्यक्ति जैसे कि, EMT या चिकित्सा-सहायक सेवा के लिए समर्पित, होता है जो अपने पड़ोसियों को चौबीसों घंटे सुरक्षा, और जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करता है। EMTs और चिकित्सा-सहायकों जैसे आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी अक्सर दर्दनाक दुर्घटनाओं के गवाह बनते हैं। नियोक्ता को आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

(e) EMTs और चिकित्सा-सहायक जैसे आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं और उनके काम के समय के दौरान उन्हें कभी भी जीवन रक्षा देखभाल करने के लिए कार्रवाई में बुलाया जा सकता है। इसलिए उन्हें अपने चरम प्रदर्शन पर बने रहने के लिए पर्याप्त भोजन और आराम का समय मिलना महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 3. उद्देश्य का वक्तव्य

882. आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी सुरक्षा और तैयारी अधिनियम का उद्देश्य उन EMT और चिकित्सा-सहायक जैसे आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, भोजन और आराम का समय, तथा मानसिक स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करके, जो हर समय 911 जैसे आपातकालीन अनुरोध पर चिकित्सा सहायता के लिए तत्परता से उपलब्ध रहते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में वृद्धि करना है।

अनुच्छेद 4. आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी सुरक्षा और तैयारी

883. प्रशिक्षण।

(a) अन्य न्यूनतम रोजगार योग्यता और प्रमाणन के अतिरिक्त, प्रत्येक आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी को निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक में वार्षिक नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया प्रशिक्षण प्राप्त होगा:

(1) सक्रिय शूटर और सामूहिक दुर्घटना घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना।

(2) प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रिया करना।

(3) आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों और मरीजों के खिलाफ हिंसा को रोकना।

(b) आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों को उपखंड (a) द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। उपखंड (a) द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण में भाग लेने के दौरान आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन की नियमित दर पर मुआवजा दिया जाएगा।

(c) इस धारा के अनुसरण में प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण आमतौर पर संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी के आपातकालीन प्रबंधन संस्थान या राष्ट्रीय प्रशिक्षण और शिक्षा प्रभाग, या दोनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की सामग्री, दायरे और गुणवत्ता में तुलनीय होगा।

884. मानसिक स्वास्थ्य।

(a) प्रत्येक आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी को नियोजित होने के 30 दिनों के भीतर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण शिक्षा प्राप्त होगी और उसके बाद प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नियोक्ता-भुगतान मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण शिक्षा प्राप्त होगी। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण शिक्षा उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य उपचार और समर्थन सेवाओं की आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों को जानकारी देगी और सामान्य मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करेगी।

(b) प्रत्येक आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी, कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (EAP) के माध्यम से नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का हकदार होगा। EAP कवरेज प्रति प्रकरण प्रति कैलेंडर वर्ष 10 मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्रदान करेगा।

(c) प्रत्येक आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी जो नियोक्ता-प्रदत्त स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने के योग्य या पात्र है, उसकी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं तक पहुंच होगी जो दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य उपचार सेवाओं की पेशकश करती हैं।

(d) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "प्रकरण" का मतलब मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के मामले, जैसे तनाव, अवसाद, दुःख, हानि, रिश्तों में संघर्ष, पदार्थों के दुरुपयोग, माता-पिता संबंधी चुनौतियां, और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हैं, जैसा EAP के भीतर वर्णित है।

885. भोजन एवं विश्राम अवधियाँ।

(a) सभी आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी औद्योगिक कल्याण आयोग द्वारा अन्यत्र निर्धारित भोजन और आराम अवधियों के हकदार हैं।

(b) आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों को भोजन और आराम अवधियों के दौरान नियमित रूप से वेतन की प्रति घंटा नियमित दर पर मुआवजा दिया जाएगा।

886. भोजन अवधियों के लिए कर्मचारीगण।

(a) (1) एक आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदाता के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी द्वारा कार्य शिफ्ट के पहले या आखिरी घंटे के दौरान भोजन अवधि लेने के लिए आवश्यकता नहीं होगी और कम से कम एक कार्य शिफ्ट के दौरान एक आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी को कई भोजन अवधियों के बीच कम से कम दो घंटे के समय अंतराल की अनुमति देनी होगी।

(2) एक आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदाता इस उपखंड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए एक कार्य शिफ्ट में पर्याप्त निष्क्रियता प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्तर पर कर्मचारियों का प्रबंधन करेगा।

(b) कोई भी भोजन अवधि जो उपखंड (a) के अनुच्छेद (1) का अनुपालन नहीं करती है, उसे उस अवधि की भोजन अवधियों की ओर गिना नहीं जाएगा जिसका कर्मचारी अपनी कार्य शिफ्ट के दौरान हकदार होता है।

887. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए संचार।

इसके विपरीत कानून के किसी प्रावधान के बावजूद:

(a) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण को अधिकतम करने के लिए, आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी प्रत्येक कार्य शिफ्ट की संपूर्णता में एक पोर्टेबल संचार उपकरण द्वारा पहुंच योग्य रहेंगे।

(b) यदि किसी आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी से भोजन या आराम अवधि के दौरान संपर्क किया जाता है, तो उस विशेष भोजन या आराम की अवधि को भोजन और आराम अवधि की ओर नहीं गिना जाएगा, जिसका कर्मचारी अपने कार्य शिफ्ट के दौरान हकदार है।

(c) यदि किसी आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी से भोजन या आराम अवधि के दौरान संपर्क नहीं किया जाता है, तो उस विशेष भोजन या आराम की अवधि को भोजन और आराम अवधि की ओर गिना जाएगा, जिसका कर्मचारी अपने कार्य शिफ्ट के दौरान हकदार करता है।

888. परिभाषाएं।

जैसा कि इस अध्याय में प्रयोग किया गया है, निम्नलिखित सभी परिभाषाएं लागू होती हैं:

(a) "आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी" का अर्थ है वह व्यक्ति है जो निम्नलिखित दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है:

(1) आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (EMT), प्रेषक, चिकित्सा-सहायक, या अन्य लाइसेंस प्राप्त या प्रमाणित एम्बुलेंस परिवहन कर्मचारी जो एम्बुलेंस सेवाएँ पहुंचाने में योगदान देते हैं।

(2) एक आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदाता द्वारा नियोजित है।

(b) "आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदाता" का मतलब एक ऐसा नियोक्ता है जो उपखंड (a) के परिच्छेद (1) में वर्णित विवरण को पूरा करते हुए प्रत्यक्ष नियोक्ता के रूप में अपनी क्षमता में एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन राज्य, या कोई राजनीतिक उपखंड इसमें शामिल नहीं हैं।

(c) "संपर्क" का मतलब है एक पोर्टेबल संचार डिवाइस पर एक संदेश या निर्देश प्राप्त करना जिसके लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। एक पोर्टेबल संचार उपकरण ले जाने और पहुंच योग्य बने रहने की एक आवश्यकता "संपर्क" का निर्माण नहीं करती।

(d) "पोर्टेबल संचार उपकरण" का अर्थ है एक पेजर, रेडियो, स्टेशन अलर्ट बॉक्स, इंटरकॉम, सेलुलर टेलीफोन, या अन्य संचार विधि।

(e) "कार्य शिफ्ट" का मतलब आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी द्वारा काम के निर्दिष्ट घंटे, नामित प्रारंभ समय और छोड़ने का समय के साथ, भोजन या आराम के लिए किसी भी अवधि सहित।

889. इसके विपरीत कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, अनुभाग 887 और 888 घोषित हैं, और मौजूदा California कानून में परिवर्तन या संशोधन नहीं करते हैं और 25 अक्टूबर, 2017 को लंबित या शुरू होने वाले किसी भी और सभी कार्यों, विनियमनों की California संहिता (औद्योगिक कल्याण आयोग (IWC) आदेश संख्या 9-2001) के शीर्षक 8 के अनुभाग 11090 का उल्लंघन करने का आरोप या किसी भी संशोधित, उत्तराधिकारी, या प्रतिस्थापन कानून, विनियमन, या IWC के आदेश पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 5. संशोधन

890. विधान मंडल, इस अध्याय में, विधान मंडल के प्रत्येक सदन में सदस्यता के पांच में से चार भाग सदस्यों की सहमति से पत्रिका में दर्ज हाजिरी वोट के द्वारा कानून पारित करके संशोधित कर सकता है, बशर्ते कि यह कानून इस अध्याय के साथ सुसंगत हो, और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाता हो। इस अध्याय में संशोधन करने की मांग करने वाला कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता है या कानून नहीं बन सकता, जब तक कि विधान मंडल के प्रत्येक सदन में इसके पारित होने से कम से कम 12 व्यावसायिक दिन पहले अपने अंतिम रूप में विधेयक मुद्रित नहीं किया जाता, और विधान

मंडल के सदस्यों को वितरित नहीं किया जाता, और इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं किया जाता।

अनुभाग 2. उदार गठन।

अपने उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम को उदारतापूर्वक समझा जाएगा।

अनुभाग 3. परस्पर-विरोधी विधेयक।

(a) आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों से संबंधित इस पहल विधेयक और कोई और पहल विधेयक या विधेयकों को राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर दिखाया जाएगा, एवं अन्य पहल के विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के साथ संघर्ष में माना जाएगा। यदि इस अधिनियम को अधिक सकारात्मक वोट प्राप्त होते हैं, तो इस अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से प्रबल होंगे, और अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को अमान्य माना जाएगा।

(b) यदि यह पहल विधेयक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य विरोधाभासी पहल विधेयकों द्वारा पूरे या कुछ हिस्सों में इसका स्थान लेता है, और इस तरह की विरोधाभासी पहल को बाद में अमान्य रखा गया है, तो यह विधेयक स्वयं-कार्यान्वित होगा और इसे संपूर्ण बल और प्रभाव दिया जाएगा।

अनुभाग 4. विच्छेदनीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान अलग किए जा सकने योग्य हैं। यदि किसी भी हिस्से, खंड, उपखंड, परिच्छेद, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, या इस अधिनियम के कार्यान्वयन सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी भी कारण से अमान्य होने पर उस निर्णय से इस अधिनियम के शेष भाग की वैधता प्रभावित नहीं होगी। California राज्य के लोग इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि वे इस अधिनियम को अपनाएंगे और प्रत्येक भाग, खंड, उपखंड, परिच्छेद, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, और आवेदन को अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, चाहे इस अधिनियम का कोई भी हिस्सा या उसके कार्यान्वयन को बाद में अवैध घोषित किया जाए।

अनुभाग 5. कानूनी संरक्षण।

यदि यह अधिनियम California राज्य के मतदाताओं द्वारा अनुमोदित है और उसके बाद राज्य या संघीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कानूनी चुनौती के अधीन है, और राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल दोनों इस अधिनियम की रक्षा करने से इनकार करते हैं, तो निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी:

(a) सरकारी संहिता या किसी अन्य कानून के शीर्षक 2 के प्रभाग 3 के भाग 2 के अध्याय 6 (जो अनुभाग 12500 से शुरू होता है) के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, अटॉर्नी जनरल इस अधिनियम की ईमानदारी से और दृढ़ता से रक्षा करने के लिए California राज्य की तरफ से स्वतंत्र वकील नियुक्त करेगा।

(b) स्वतंत्र वकील को प्रतिस्थापित करने के बाद या उसके बाद नियुक्ति से पहले, अटॉर्नी जनरल स्वतंत्र वकील की योग्यता निर्धारित करने में उचित परिश्रम का प्रयोग करेगा और स्वतंत्र वकील से लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा कि स्वतंत्र वकील इस अधिनियम की ईमानदारी से और दृढ़ता से रक्षा करेगा। अनुरोध पर लिखित पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(c) California राज्य की ओर से इस अधिनियम की ईमानदारी और दृढ़ता से रक्षा करने के लिए स्वतंत्र वकील बनाए रखने की लागतों को कवर करने के लिए आवश्यक राशि सामान्य निधि से बिना वित्तीय वर्ष की रुकावट के नियंत्रक को निरंतर विनियमन किया जाता है।

प्रस्ताव 12

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद 11 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल विधेयक स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभागों में संशोधन करता और जोड़ता है; इस कारण मिटाए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान स्ट्राइकआउट-टाइप में मुद्रित किए गये हैं और जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधान यह संकेत देने के लिए, कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में मुद्रित किए गये हैं।

प्रस्तावित कानून

California राज्य के लोग इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम निश्चित करते हैं:

अनुभाग 1. इस अधिनियम को फार्म जानवरों के साथ क्रूरता की रोकथाम करने वाला अधिनियम (Prevention of Cruelty to Farm Animals Act) माना जाएगा, और इसी तरह उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. इस अधिनियम का उद्देश्य फार्म पर रहने वाले पशु के कारावास के चरम तरीकों को समाप्त करके पशुओं से क्रूरता को रोकना है, जो California के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी खतरा पैदा करता है, और California राज्य पर खाद्य संबंधी बीमारी के जोखिम और नकारात्मक राजकोषीय प्रभावों को बढ़ाता है।

अनुभाग 3. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 25990 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25990. निषेध। कानून के अन्य लागू प्रावधानों के अतिरिक्त,:

(a) राज्य के भीतर—एक व्यक्ति, कोई फार्म मालिक या परिचालक जानबूझकर किसी भी कवर्ड पशु को क्रूर तरीके से सीमित रखने के लिए किसी खेत पर, किसी भी पूरे दिन या अधिकांश समय के लिए, स्स्सी-स बाड़े में बांधकर नहीं रखेगा, जो जानवर को निम्न से सेकता है:

(a) लेटना, खड़ा होना, और पूरी तरह से अपने अंगों को फैलाना; तथा

(b) स्वतंत्र रूप से मुड़ना।

(b) राज्य के भीतर कोई व्यापार मालिक या परिचालक जानबूझकर निम्न में से किसी भी स्थिति में बिक्री में संलग्न नहीं होगा:

(1) पूरे बछड़े का मांस जो व्यापार मालिक या परिचालक जानता है या उसे पता होना चाहिए कि वह एक संरक्षित किए गए जानवर का मांस है जिसे क्रूर तरीके से बांधकर रखा गया था।

(2) पूरे सुअर का मांस जो व्यापार मालिक या परिचालक जानता है या उसे पता होना चाहिए कि वह एक संरक्षित जानवर का मांस है जिसे क्रूर तरीके से बांधकर रखा गया था, या क्रूर तरीके से बांधकर रखे गये किसी संरक्षित जानवर की नवजात संतान का मांस है।

(3) शैल अंडे जो व्यापार मालिक या परिचालक जानता है या उसे पता होना चाहिए कि वह एक संरक्षित किए गए जानवर का उत्पाद है जिसे क्रूर तरीके से बांधकर रखा गया था।

(4) तरल अंडे जो व्यवसाय के मालिक या परिचालक जानता है या उसे पता होना चाहिए कि एक संरक्षित किए गए जानवर का उत्पाद है जिसे क्रूर तरीके से बांधकर रखा गया था।

अनुभाग 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 25991 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25991. परिभाषाएं। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित अर्थ है:

(a) "प्रजनन वाले सुअर" का अर्थ है पोर्सिन प्रजातियों की किसी भी महिला सुअर को वाणिज्यिक प्रजनन के उद्देश्य से रखा जाता है जो छह महीने या उससे अधिक की है या गर्भवती है।

(b) "व्यापार मालिक या परिचालक" का अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवसाय के संचालन का मालिक है या उसका नियंत्रण करता है।

(c) "पिंजरा मुक्त आवास प्रणाली" का मतलब अंडा-देने वाली मुर्गियों के लिए इनडोर या आउटडोर नियंत्रित वातावरण है जिसमें मुर्गियाँ अप्रतिबंधित घूमने के लिए स्वतंत्र हैं; उन्हें कम से कम, खरोंच वाले क्षेत्रों, बैठने की ऊंची जगह, घोंसले के बक्से, धूल भरे स्नान क्षेत्रों सहित, प्राकृतिक व्यवहार प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है; और जिस फार्म में कर्मचारी के मुर्गियों के बीच खड़े होकर देखभाल करने योग्य फर्श पर जगह है। पिंजरा मुक्त आवास प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं, इस उपखंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए:

(1) बहुआयामी पक्षीशालाएँ, जिनमें मुर्गियों की बहुमंजिले प्लेटफार्मों तक पहुंच रहती है जो मुर्गियों को प्लेटफॉर्म के नीचे और ऊपर दोनों का उपयोग करने योग्य स्थान प्रदान करते हैं।

(2) आंशिक रूप से स्लैटेड प्रणालियाँ, जिसमें मुर्गियों के पास ऊंचे फ्लैट प्लेटफॉर्मों तक पहुंच होती है जिसके नीचे खाद फर्श के माध्यम से नीचे एक गड्ढे या कूड़े हटाने वाली बेल्ट पर गिर जाती है।

(3) सिंगल लेवल ऑल-लिटर फर्श प्रणालियाँ जो कूड़े से भरी होती हैं, जिसमें मुर्गियों के पास फ्लैट प्लेटफॉर्मों तक सीमित या कोई पहुंच नहीं होती।

(4) कोई भी भविष्य की प्रणालियाँ जो इस उपखंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं।

(a)(d) "बछड़े के मांस के लिए पाले गये बछड़े" का मतलब है कि बोवाइन प्रजातियों का कोई भी बछड़ा जिसे खाद्य उत्पाद के उत्पादन के उद्देश्य से रखा जाता है, वील के रूप में पारिभाषित किया जाता है।

(e) "एक क्रूर तरीके से बांधा गया" का अर्थ है निम्न में से कोई भी कार्रवाई:

(1) एक संरक्षित जानवर को ऐसे तरीके से बांधकर कर रखना जो जानवर को लेटने, खड़े होने, जानवरों के अंगों को पूरी तरह से फैलाने, या स्वतंत्र रूप से मुड़ने से रोकता है।

(2) 31 दिसंबर, 2019 के बाद, बछड़े के मांस के लिए उठाए गए बछड़े को प्रति बछड़ा 43 वर्ग फीट से कम उपयोग योग्य फर्श पर सीमित करना।

(3) 31 दिसंबर, 2021 के बाद, एक प्रजनन सुअर को प्रति सुअर 24 वर्ग फुट से कम उपयोग योग्य फर्श के साथ सीमित करना।

(4) 31 दिसंबर, 2019 के बाद, प्रति मुर्गी 144 वर्ग इंच से कम उपयोग योग्य फर्श के साथ अंडा-देने वाली मुर्गी को सीमित करना।

(5) 31 दिसंबर, 2021 के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडे-सेने वाली मुर्गी के लिए संयुक्त अंडा निर्माताओं के पशुपालन दिशा-निर्देशों के संलग्नक के 2017 संस्करण के अनुसरण में: पिंजरा मुक्त आवास प्रणाली के लिए दिशानिर्देशों या पिंजरा मुक्त आवासीय प्रणाली के लिए दिशानिर्देश के अनुसरण में अंडे-सेने वाली मुर्गी को आवश्यकता से कम उपयोग योग्य फर्श के साथ सीमित करना।

(b)(f) "संरक्षित जानवर" का मतलब मर्भावस्था के दौरान किसी भी सुअर, बछड़े के मांस के लिए पाले गए बछड़े, प्रजनन सुअर, या अंडे-सेने वाली मुर्गी जो एक फार्म पर रखी जाती है।

(c)(g) "अंडा-सेने वाली मुर्गी" का अर्थ है अंडे के उत्पादन के उद्देश्य से रखी कोई भी मादा पालतू चिकन, टर्की, बत्तख, हंस, या मिनी-पक्षी गिनीपक्षी को अंडे के उत्पादन के लिए रखा जाता है।

(d)(h) "बाड़े" का अर्थ है किसी भी पिंजरे, मट्टे या अन्य संरचना (जिसे आमतौर पर सुअरों के लिए "मर्भावस्था के लिए मट्टे"; बछड़ों के लिए "वील क्रेट" या अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए "बैटरी पिंजरे" के रूप में वर्णित किया जाता है) का एक संरक्षित पशु या जानवरों को सीमित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है।

(e)(i) "फार्म" का मतलब भूमि, भवन, समर्थन सुविधा-स्थल, और अन्य उपकरण हैं जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से जानवरों या पशु उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं जो भोजन या फाइबर के लिए उपयोग किए जाते हैं, और इसमें जीवित पशु बाजार शामिल नहीं हैं। प्रतिष्ठानों पर संघीय मांस निरीक्षण अधिनियम (21 U.S.C. अनुभाग 601 एवं अन्य), या आधिकारिक संयंत्रों के तहत अनिवार्य निरीक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें संघीय अंडा उत्पाद निरीक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य निरीक्षण बनाए रखा जाता है (21 U.S.C. अनुभाग 1031 एवं अन्य)।

(j) "फार्म मालिक या परिचालक" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो खेत के संचालन का मालिक है या उसका नियंत्रण करता है।

(f)(k) "पूरी तरह से अफने-जानवरों के अंगों को फैलाने" का मतलब है कि अंडा-सेने वाले मुर्गियों के मामले सहित, एक बाड़े के किनारे छूए बिना सभी अंगों को पूरी तरह से फैलाना, अंडा-सेने वाली मुर्गियों या अन्य जानवर द्वारा दोनों पंखों को बिना बाड़े को छूए पंख फैलाना

(l) "तरल अंडे" का मतलब है कि अंडा-सेने वाले मुर्गी के अंडे छिलके से निकाले गये, जो कि मानव भोजन के लिए बने होते हैं, जिनमें अंडे का पीला और सफेद भाग उनके प्राकृतिक अनुपात में होते हैं, या अंडे का पीला और सफेद भाग अलग-अलग किया, मिश्रित, या मिश्रित और छाना गया होता है।

तरल अंडों में पैनकेक मिश्रण, केक मिश्रण, कुकीज़, पिज्जा, कुकी डोअ, आइसक्रीम, या इसी तरह के संसाधित या तैयार खाद्य उत्पादों समेत संयोजित खाद्य उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है, जिनमें तरल अंडे, चीनी, नमक, पानी, मसाले, रंग, स्वाद, संरक्षक, स्टेबिलाइजर्स, और इसी तरह के खाद्य योजक शामिल होते हैं।

(ह)(m) "व्यक्ति" का मतलब किसी भी व्यक्ति, फर्म, भागीदारी, संयुक्त उद्यम, एसोसिएशन, सीमित देयता वाली कंपनी, निगम, संपत्ति, ट्रस्ट, रिसीवर, या सिंडिकेट है।

(h) "मर्भर्वस्था के दौंसन सुअर" का अर्थ है प्रजनन के प्राथमिक उद्देश्य के लिए रखी गई पोर्सिन प्रजातियों की एक मर्भर्वती सुअर (n) पोर्सिन प्रजातियों के एक सुअर के, "सुअर के मांस" का मतलब है मांस, जैसा कि अगस्त 2017 के विनियमनों की California संहिता के शीर्षक 3 के खंड 900 में परिभाषित किया गया है, जो मानव भोजन के रूप में उपयोग के लिए बना है।

(o) "बिक्री" का अर्थ किसी ऐसे व्यवसाय द्वारा की जाने वाली वाणिज्यिक बिक्री है जो इस अध्याय द्वारा कवर की गई किसी भी आइटम को बेचता है, लेकिन उस प्रतिष्ठान में की गई किसी ऐसी बिक्री को शामिल नहीं करता है जिसमें संघीय मांस निरीक्षण अधिनियम (21 U.S.C. अनुभाग 601 एवं अन्य) के तहत अनिवार्य निरीक्षण करना ज़रूरी है, या किसी आधिकारिक संयंत्र में किए गए किसी भी बिक्री पर संघीय अंडे उत्पाद निरीक्षण अधिनियम (21 U.S.C. अनुभाग 1031 एवं अन्य) के तहत अनिवार्य निरीक्षण को बनाए रखा जाता है। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, बिक्री उस स्थान पर होने को माना जाएगा जहां खरीदार अनुभाग 25909 द्वारा कवर की गई किसी आइटम का भौतिक अधिकार लेता है।

(p) "शैल अंडे" का अर्थ है एक अंडा-देने वाली मुर्गी का एक पूरा अंडा, उसके अपने छिलके के अंदर, जो मानव भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए बना है।

(i)(q) "स्वतंत्र रूप से मुड़ने" का मतलब है बिना किसी बाधा के एक पूरे गोले में, एक टैडर सहित, और बाड़े की साइड या किसी अन्य जानवर को छूए बिना मुड़ना।

(r) "बिना पका" का मतलब मानव उपभोग से पहले पकाने की आवश्यकता है।

(s) "प्रयोग योग्य फर्श का क्षेत्रफल" का मतलब है कि प्रत्येक कवर किए गए जानवर को प्रदान किए गए फर्श का कुल स्क्वायर फुटेज, जैसा कि उस बाड़े में रखे गये जानवरों की संख्या को उस बाड़े में जानवरों को प्रदान किए गए फर्श के कुल स्क्वायर फुटेज से विभाजित करके गणना की जाती है। अंडा-देने वाले मुर्गियों के मामले में, प्रयोग योग्य फर्श के क्षेत्रफल में ज़मीनी स्थान और ऊंचे स्तर के फ्लैट प्लेटफॉर्म

शामिल होंगे, जिन पर मुर्गियां बसेरा कर सकती हैं, लेकिन इसमें पर्चिस या रैप शामिल नहीं होंगे।

(t) "बछड़े के मांस" का मतलब है, जैसा कि अगस्त 2017 के विनियमनों की California संहिता के शीर्षक 3 के खंड 900 में परिभाषित किया गया है, मानव भोजन के उपयोग के लिए इच्छित बछड़े के मांस के लिए पोषित बछड़े का मांस।

(u) "पूरे सुअर का मांस" का अर्थ है सुअर के मांस का कोई भी बिना पका हुआ हिस्सा, जिसमें बेकन, हैम, चॉप, पसलियां, रिबलैट, लोयन, शैंक, लैग, रोस्ट, ब्रिस्केट, स्टेक, सरलॉन, या कटलेट शामिल हैं, जो पूरी तरह से सुअर के मांस से बना है, मसाला लगे, क्यूरिंग एजेंट, रंग, स्वाद, संरक्षक, और इसी तरह के मांस योजकों को मिलाकर रखे गये को छोड़कर। पूरे सुअर के मांस में सूप, सैंडविच, पिज्जा, हॉटडॉग, या इसी तरह के संसाधित या तैयार खाद्य उत्पादों समेत संयोजित खाद्य उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है, जिनमें सुअर के मांस के साथ-साथ, मसाला लगे, क्यूरिंग एजेंट, रंग, स्वाद, संरक्षक, और इसी तरह के मांस योजक शामिल होते हैं।

(v) "पूरे बछड़े का मांस" का अर्थ है बछड़े के मांस का कोई भी बिना पका हुआ हिस्सा, जिसमें चॉप, पसलियां, रिबलैट, लोयन, शैंक, लैग, रोस्ट, ब्रिस्केट, स्टेक, सरलॉन, या कटलेट शामिल हैं, जो पूरी तरह से बछड़े के मांस से बना है, मसाला लगे, क्यूरिंग एजेंट, रंग, स्वाद, संरक्षक, और इसी तरह के मांस योजकों को मिलाकर रखे गये को छोड़कर। पूरे बछड़े के मांस में सूप, सैंडविच, पिज्जा, हॉटडॉग, या इसी तरह के संसाधित या तैयार खाद्य उत्पादों समेत संयोजित खाद्य उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है, जिनमें बछड़े के मांस के साथ-साथ, मसाला लगे, क्यूरिंग एजेंट, रंग, स्वाद, संरक्षक, और इसी तरह के मांस योजक शामिल होते हैं।

अनुभाग 5. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 25992 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25992. अपवाद। यह अध्याय लागू नहीं होगा:

(a) बैज्ञानिक-या-कृषि चिकित्सा अनुसंधान के दौरान।

(b) पशु चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जांच-पड़ताल, परीक्षण, व्यक्तिगत उपचार, या पशु चिकित्सा उद्देश्यों से किये गये ऑपरेशनों के दौरान।

(c) आवाजाही के दौरान।

(d) रोडियो प्रदर्शनी, राज्य या काउंटी मेला प्रदर्शनियों, 4-H कार्यक्रमों, और इसी तरह की प्रदर्शनियों के दौरान।

(e) खाद्य और कृषि संहिता के प्रभाग 9 के भाग 3 के अध्याय 6 (जो अनुभाग 19501 से शुरू होता है) के प्रावधानों के अनुसरण में, एक कवर किए गए जानवर के पशुवध के दौरान, पशुवध के मानवीय तरीकों से संबंधित, और अन्य लागू कानून और विनियम।

(f) प्रजनन करने वाले एक सुअर के जन्म देने से सात-दिनों, पांच दिनों पहले की अवधि के दौरान प्रजनन करने वाले सुअर की जन्म देने की अनुमानित तिथि, और वो कोई भी दिन जब प्रजनन सुअर सुअर के बच्चे को दूध पिलाता है।

(g) किसी भी 24 घंटे की अवधि में छह घंटे तक के समय तक, और किसी भी 30-दिन की अवधि में 24 घंटे से अधिक नहीं के लिए पशुपालन के उद्देश्यों के लिए अस्थायी अवधियों के दौरान।

अनुभाग 6. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 25993 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25993. प्रवर्तन। (a) खाद्य और कृषि विभाग और लोक स्वास्थ्य राज्य विभाग 1 सितंबर, 2019 तक इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त रूप से नियमों और विनियमों का प्रचार करेगा।

(b) कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है वह दुर्व्यवहार का दोषी है, और दोष सिद्ध होने पर उस व्यक्ति पर जुर्माना, जो एक हजार डॉलर (\$1,000) से अधिक नहीं हो या काउंटी जेल में कारावास जो 180 दिनों से अधिक न हो या जुर्माना और कारावास दोनों लगाया जाएगा। इसके अलावा, अनुभाग 25990 के उपखंड (b) का उल्लंघन अनुचित प्रतिस्पर्धा का गठन करता है, जैसा कि व्यापार और व्यवसाय संहिता की धारा 17200 में परिभाषित किया गया है, और व्यापार और व्यवसाय संहिता के प्रभाग 7 के भाग 2 के अध्याय 5 (जो अनुभाग 17200 से शुरू होता है) में निर्धारित अनुसार दंडनीय है।

(c) कवर किए गए जानवरों और उत्पादों की बिक्री के क्रूर बंधक बनाये जाने से संबंधित इस अध्याय के प्रावधान विनियमनों की California संहिता के शीर्षक 22 के डिविजन 2 के उपखंड 6 के अध्याय 6 (जो अनुभाग 40601 से शुरू होता है) में विवादित नियमों सहित, किसी भी विवादित नियमों का स्थान लेंगे।

अनुभाग 7. अनुभाग 25993.1 को स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

25993.1. यह अनुभाग 25990 के उपखंड (b) को लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई का बचाव होगा कि एक व्यापार मालिक या परिचालक आपूर्तिकर्ता द्वारा लिखित प्रमाणन पर भरोसेमंद विश्वास पर निर्भर करता है कि पूरे बछड़े का मांस, पूरे सुअर का मांस, छिलके वाले अंडे, या तरल अंडे मुद्दे पर ऐसे किये कवर किए गए जानवर से नहीं लिया गया था जो क्रूर तरीके से बांधा गया था, या एक प्रजनन करने वाले सुअर की तत्काल संतान से नहीं लिया गया जो क्रूर तरीके से बांधी गई थी।

अनुभाग 8. इस अधिनियम को केवल विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के पांचवें में से चार हिस्सों के वोट द्वारा अनुमोदित एक कानून द्वारा ही संशोधित किया जाएगा। इस अधिनियम का कोई भी संशोधन इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप होगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा।

अनुभाग 9. यदि इस अधिनियम का कोई प्रावधान, या उसके किसी भी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए इसका कार्यान्वयन अमान्य या असंवैधानिक है, तो वह अमान्यता या असंवैधानिकता इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों या कार्यान्वयनों को प्रभावित नहीं करेगी जो अवैध या असंवैधानिक प्रावधान के बिना प्रभावी हो सकती हैं और इस प्रयोजन तक इस अधिनियम के प्रावधान विच्छेदनीय हैं।

अपनी मतदाता स्थिति की ऑनलाइन जाँच करें



VoterStatus.sos.ca.gov पर राज्य सचिव की मेरी मतदाता स्थिति पृष्ठ पर जाएँ, जहाँ आप अपनी मतदाता स्थिति की जाँच कर सकते हैं, अपना मतदान स्थल या मतदान केंद्र ढूँढ़ सकते हैं और, और अन्य भी बहुत कुछ कर सकते हैं।

मेरी मतदाता स्थिति का उपयोग निम्नलिखित के लिए करें:

- देखें कि आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं, और यदि आप पंजीकृत हैं, तो किस काउंटी में
- अपनी राजनीतिक पार्टी प्राथमिकता की जाँच करें
- अपने मतदान स्थल का पता लगाएँ
- किसी मतदान केंद्र का पता लगाएँ (Madera, Napa, Nevada, Sacramento, और San Mateo काउंटियों में रहने वाले मतदाताओं के लिए)
- अपने क्षेत्र में होने वाले आगामी चुनावों के बारे में जानें
- प्रत्येक राज्यव्यापी चुनाव से पहले ईमेल द्वारा अपनी राज्य मतदाता सूचना गाइड (VIG) प्राप्त करें
- अपने काउंटी चुनाव कार्यालय की संपर्क जानकारी ढूँढ़ें
- अपने डाक-द्वारा-मत मतपत्र या अस्थायी मतपत्र की स्थिति की जाँच करें

चुनाव दिवस के बारे में जानकारी

मतदान स्थल और मतदान केंद्र 6 नवंबर, मंगलवार को सुबह 7:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक खुले रहेंगे। यदि आप रात के 8:00 बजे से पहले कतार में हों, तो बंद होने के बाद भी आप मतदान कर सकते हैं। अपना मतदान स्थल या मतदान केंद्र ढूँढ़ने के लिए:



अपने काउंटी चुनाव अधिकारी द्वारा आपको डाक से भेजी गई काउंटी मतदाता सूचना गाइड देखें



(888) 345-2692 पर कॉल करें



www.sos.ca.gov/elections/polling-place या VoterStatus.sos.ca.gov पर ऑनलाइन जांच करें



GOVOTE (468683) पर Vote टाइप करके भेजें



“Vote California” मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (iOS या Android स्टोर्स में उपलब्ध है)

राज्यव्यापी उम्मीदवारों और मतपत्र उपायों के शीर्ष योगदानकर्ता

जब कोई समिति (एक व्यक्ति या लोगों का ऐसा समूह जो उम्मीदवारों या मतपत्र उपायों का समर्थन या विरोध करने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से पैसा प्राप्त करता है या खर्च करता है) एक मतपत्र उपाय या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करती है और कम से कम \$1 मिलियन की धनराशि जमा कर पाने में सक्षम होती है, तो उस समिति को California निष्पक्ष राजनैतिक आचरण आयोग (FPPC) को अपने शीर्ष के 10 योगदानकर्ताओं के बारे में बताना चाहिए। यदि शीर्षस्थ 10 की सूची में कोई परिवर्तन हो, तो समिति को इसे अपडेट करना चाहिए।

ये सूचियां FPPC की वेबसाइट

<http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html> पर उपलब्ध हैं।



मतदाता पंजीकरण

यदि आप मतदान करने के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो आपको फिर से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, **जब तक कि** आपका नाम, घर का पता, डाक पता न बदले या जबतक कि आप राजनीतिक पार्टी को बदलना या चुनना न चाहें।

आप मतदान करने के लिए RegisterToVote.ca.gov पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, या आप डाक से भेजा गया फॉर्म प्राप्त करने के लिए राज्य सचिव की टॉल-फ्री मतदाता हॉटलाइन को नंबर (888) 345-2692 पर कॉल कर सकते हैं।

मतदाता पंजीकरण फॉर्म अधिकाँश डाकघरों, पुस्तकालयों, शहर व काउंटी के सरकारी कार्यालयों, काउंटी चुनाव कार्यालयों और California के राज्य सचिव कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सशर्त मतदाता पंजीकरण

क्या आप पंजीकरण करना भूल गए? कोई बात नहीं! क्या आपको पता था कि चुनाव दिवस और चुनाव दिवस से 14 दिन पहले की अवधि के दौरान आप मतदान हेतु सशर्त पंजीकरण और सशर्त मतदान करने के लिए अपने काउंटी चुनाव अधिकारी के कार्यालय या किसी मतदान केंद्र पर जा सकते हैं? इस प्रक्रिया को सशर्त मतदाता पंजीकरण (CVR) कहते हैं। यह निम्नलिखित तरीके से काम करता है :

1. अपने काउंटी चुनाव कार्यालय या एक मतदान केंद्र पर जाएँ—काउंटी संपर्क जानकारी की संपूर्ण सूची यहाँ देखी जा सकती है: <http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/>
2. मतदाता पंजीकरण कार्ड पूरा भरें या RegisterToVote.ca.gov पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
3. अपने काउंटी चुनाव कार्यालय या मतदान केंद्र पर अपने CVR अस्थायी मतपत्र पर मतदान करें

जब काउंटी चुनाव अधिकारी पंजीकरण शपथ-पत्र का प्रसंस्करण करके यह सुनिश्चित कर लेता है कि आप पंजीकरण के योग्य हैं और वह आपकी जानकारी को प्रमाणित कर लेता है, तो पंजीकरण स्थायी बन जाता है और फिर आपके CVR अस्थायी मतपत्र की गणना की जाएगी।

और अधिक जानकारी के लिए <http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/> पर जाएँ

मतदान केंद्र Madera, Napa, Nevada, Sacramento, और San Mateo काउंटियों में रहने वाले मतदाताओं के लिए उपलब्ध हैं। मतदाता की पसंद कानून (Voter's Choice Act) और मतदाता केंद्रों के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए VotersChoice.sos.ca.gov पर जाएँ या पृष्ठ 93 देखें।

मतदाता पंजीकरण गोपनीयता जानकारी

Safe at Home Confidential मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम: जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली परिस्थितियों (यानि, घरेलू हिंसा, पीछा किए जाने) का सामना करने वाले कुछ विशेष मतदाता गोपनीय मतदाता स्थिति के योग्य हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए राज्य सचिव के Safe at Home कार्यक्रम से (877) 322-5227 पर निःशुल्क संपर्क करें या www.sos.ca.gov/registries/safe-home/ पर जाएँ।

मतदाता सूचना गोपनीयता: चुनाव अधिकारियों द्वारा आपके मतदाता पंजीकरण शपथ-पत्र में उपलब्ध सूचना का प्रयोग आपको मतदान प्रक्रिया के बारे में अधिकारिक जानकारी भेजने के लिए किया जाएगा, जैसेकि आपके मतदान स्थल का स्थान, और मतपत्र में प्रदर्शित किए जाने वाले मुद्दे और उम्मीदवार। मतदाता पंजीकरण जानकारी का व्यावसायिक उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है और ऐसा करना अपराध माना जाता है। राज्य सचिव द्वारा किए गए निर्धारण के अनुरूप मतदाता सूचना किसी पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति, मतदानर उपाय समिति या फिर चुनाव, अध्ययन, पत्रकारिता, राजनीतिक या सरकारी उद्देश्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। इन उद्देश्यों के लिए ड्राइवर लाइसेंस और सामाजिक सुरक्षा सँख्या, या आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर प्रदर्शित हस्ताक्षर प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। यदि मतदाता सूचना के उपयोग के बारे में आपके पास कोई प्रश्न हैं या आप ऐसी जानकारी के संभावित दुरुपयोग की सूचना देना चाहते हैं, तो कृपया राज्य सचिव की मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें।



California में मतदान का भविष्य

2018 से आरंभ होने पर Madera, Napa, Nevada, Sacramento, और San Mateo काउंटी में सभी पंजीकृत मतदाताओं को चुनाव से कई सप्ताह पहले डाक द्वारा अपने मतपत्र प्राप्त होंगे। प्रतिभाग लेने वाली काउंटी में मतदाताओं के पास मतदान देने के लिए 3 विकल्प होंगे:

डाक द्वारा मतदान: जैसे ही आपको मतपत्र प्राप्त हो, आप अपने पूरे भरे हुए मतपत्र को डाक द्वारा भेज सकते हैं।

ड्रॉप बॉक्स: जैसे ही आपको मतपत्र प्राप्त हो, आप किसी भी काउंटी के ड्रॉप बॉक्स में अपना पूरा भरा हुआ मतपत्र डाल सकते हैं। ड्रॉप बॉक्सों पर कोई पोस्टेज आवश्यक नहीं है।

मतदान केंद्र: मतदाता केंद्र मतदान स्थलों की जगह ले लेंगे। आप अपनी काउंटी में किसी भी मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र न्यूनतम 11 दिनों के लिए खुले रहेंगे, जिनमें चुनाव के दिन तक का समय और चुनाव का दिन शामिल होगा।

प्रत्येक मतदान केंद्र पर आप:

- व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं
- मतदान करने या अपने पंजीकरण को अद्यतन करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं
- अपना पूरा भरा हुआ मतपत्र दे सकते हैं
- एक प्रतिस्थापन मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं
- एक सुलभ मतदान मशीन का उपयोग करके अपना मत दे सकते हैं
- विभिन्न भाषाओं में सहायता और मतदान सामग्री प्राप्त कर सकते हैं

यह परिवर्तन क्यों किया गया है?

California मतदाता की पसंद कानून को 2016 में कानून बना दिया गया था, ताकि मतदान अधिक सुविधाजनक और सुलभ हो सके। आप इसका चयन कर सकते हैं कि आप कैसे, कब और कहाँ मतदान करेंगे।

मैं मतदान कब कर सकता हूँ?

आपको चुनाव से कुछ सप्ताह पहले डाक द्वारा अपना मतपत्र प्राप्त होगा। अपना मतपत्र भरने के बाद आप इसे डाक द्वारा या किसी भी काउंटी मतपत्र ड्रॉप बॉक्स या मतदान केंद्र पर वापिस कर सकते हैं। मतदान केंद्र व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए 11 दिनों के लिए खुले रहेंगे, जिसमें चुनाव के दिन तक का समय और चुनाव का दिन शामिल होगा।

मुझे ड्रॉप बॉक्स या मतदान केंद्र कहाँ मिल सकता है ?

VotersChoice.sos.ca.gov

अगर मुझे अपना मतपत्र नहीं मिला, तो क्या होगा ?

अपनी काउंटी में स्थित किसी भी मतदान केंद्र पर जाएँ या एक प्रतिस्थापन हेतु अनुरोध करने के लिए अपने काउंटी चुनाव अधिकारी को कॉल करें।

अगर मैं किसी भाग लेने वाली काउंटी में मौजूद न हूँ, तो क्या होगा?

यदि आप किसी ऐसी काउंटी में रहते हैं जो वर्तमान में मतदाता की पसंद कानून में भाग नहीं ले रही है, तो आप डाक द्वारा या किसी मतदान स्थल पर मतदान कर पाने में सक्षम होंगे। राज्य सचिव की निःशुल्क मतदाता हॉटलाइन से (888) 345-2692 पर संपर्क करें।



प्रस्तावित कानूनों का पाठ वेबसाइट

<http://voterguide.sos.ca.gov> पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

यदि आप पाठ की प्रकाशित अतिरिक्त प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते हैं:



vigfeedback@sos.ca.gov पर राज्य सचिव को ईमेल भेजें



(888) 345-2692 पर राज्य सचिव की निःशुल्क मतदाता हॉटलाइन से संपर्क करें।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए सहायता

अपनी काउंटी की मतदाता सूचना गाइड देखें

आपकी काउंटी की मतदाता सूचना गाइड:



- यह बताएगी कि दिव्यांग व्यक्ति निजी और स्वतंत्र तरीके से मतदान कैसे कर सकते हैं
- यदि आपका मतदान स्थल दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुलभ है, तो गाइड में पहिए वाली कुर्सी का चिह्न दिखाया गया होगा

ऑडियो एवं बड़े फॉन्ट वाली मतदाता सूचना गाइडें

यह गाइडें अंग्रेजी, चीनी, हिन्दी, जापानी, खमेर, कोरियाई, स्पेनिश, तागालोग, थाई, और वियतनामी भाषाओं में निःशुल्क उपलब्ध हैं। आदेश देने के लिए:



राज्य सचिव की निःशुल्क मतदाता हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर कॉल करें



वेबसाइट <http://voterguide.sos.ca.gov/audio/hi> पर ऑडियो MP3 संस्करण डाउनलोड करें



वेबसाइट <http://voterguide.sos.ca.gov> पर जाएँ

राज्य के चुनाव परिणामों की वेबसाइट

क्या आप नवंबर 6, 2018 को रात 8:00 बजे मतदान का समय समाप्त होने के बाद आम चुनाव के परिणाम देखना चाहते हैं? California राज्य सचिव के चुनाव परिणामों की वेबसाइट <https://vote.sos.ca.gov/> पर जाएँ।

काउंटियों द्वारा राज्य सचिव को परिणामों की जानकारी दिए जाने के अनुसार चुनाव की रात को हरेक पाँच मिनट के अंतराल में चुनाव परिणामों की वेबसाइट को अपडेट किया जाता है। रात के 8:00 बजे चुनाव के बंद हो जाने के बाद काउंटी चुनाव अधिकारी राज्य सचिव की वेबसाइट को अर्ध-आधिकारिक चुनाव परिणाम भेजते हैं और चुनाव दिवस के सभी मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने तक कम से कम हरेक दो घंटे में अपडेट भेजना जारी रखते हैं।

जैसे-जैसे काउंटियाँ शेष मतपत्रों की गणना करेंगी, इसके अनुसार 8 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर, 2018 तक चुनाव परिणामों की वेबसाइट को हरेक दिन शाम के 5:00 बजे तक अपडेट किया जाएगा।

वेबसाइट www.sos.ca.gov/elections/ पर चुनाव के आधिकारिक परिणाम 14 दिसंबर, 2018 तक पोस्ट कर दिए जाएंगे

इन तिथियों को याद रखें!



मतदान करना याद रखें!

चुनाव के दिन सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक मतदान खुला रहेगा!

अक्तूबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

अक्तूबर 8, 2018

डाक-द्वारा-मतदान करने का पहला दिन।

अक्तूबर 22, 2018

मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने का अंतिम दिन। आप 15-दिन की मतदाता पंजीकरण समय-सीमा के बाद भी काउंटी चुनाव कार्यालय में जाकर "सशर्त" पंजीकरण और मतदान कर सकते हैं।

अक्तूबर 30, 2018

काउंटी चुनाव अधिकारियों द्वारा डाक-द्वारा-मत मतपत्र के लिए किसी मतदाता के आवेदन को स्वीकार करने का अंतिम दिन।

नवंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	78	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

नवंबर 6, 2018

चुनाव दिवस!

California Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814

NONPROFIT
U.S. POSTAGE
PAID
CALIFORNIA
SECRETARY
OF STATE



CALIFORNIA

सामान्य चुनाव

voterstatus.sos.ca.gov पर अपने मतदाता पंजीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जाँच करें

प्रस्तावित कानूनों का पाठ

मंगलवार, नवंबर 6, 2018

मतदान करना याद रखें!
सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक मतदान
कर सकते हैं।

अक्तूबर 8

डाक द्वारा मतदान करने का पहला दिन।

अक्तूबर 22*

मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने का अंतिम दिन।

अक्तूबर 30

काउंटी चुनाव अधिकारियों द्वारा डाक-द्वारा-मत मतपत्र के लिए
किसी मतदाता के आवेदन को स्वीकार करने का अंतिम दिन।

नमिनलखिति में से किसी भी भाषा में मतदाता सूचना गाइड या प्रस्तावित
कानूनों के पाठ की अतिरिक्त प्रतियों के लिए, कृपया कॉल करें:

English: (800) 345-VOTE (8683)

TTY/TDD: (800) 833-8683

Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

中文/Chinese: (800) 339-2857

हिन्दी/Hindi: (888) 345-2692

日本語/Japanese: (800) 339-2865

ខ្មែរ/Khmer: (888) 345-4917

한국어/Korean: (866) 575-1558

Tagalog: (800) 339-2957

ภาษาไทย/Thai: (855) 345-3933

Việt ngữ/Vietnamese: (800) 339-8163



अपने मतदान स्थल का पता लगाने के लिए **GOVOTE (468683) पर Vote लिखकर भेजें।**

*आप 15-दिन की मतदाता पंजीकरण समय-सीमा के बाद भी काउंटी चुनाव कार्यालय में जाकर "सशर्त" पंजीकरण और मतदान कर सकते हैं।

चुनाव की लागतों को कम करने के प्रयास में राज्य विधान मंडल ने राज्य और काउंटी को प्रत्येक मतदान करने वाले परिवार के लिए
केवल एक मतदाता सूचना गाइड मेल करने और अनुरोध पर प्रस्तावित कानूनों के पाठ की एक प्रति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया
है। आप अपने काउंटी चुनाव अधिकारी से संपर्क करके या (888) 345-2692 पर कॉल करके अतिरिक्त प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

HINDI

OSP 18 145830

